

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

पंचायतीराज व्यवस्था

लेखक

डा विजय करण सिंह
प्राध्यापक लोक प्रशासन विभाग
राजकीय महाविद्यालय कोटा

आर बी एस ए पब्लिशर्स

340, चौड़ा रास्ता, जयपुर - 302003

प्रकाशक :

दीपक परनामी

आर बी एस ए पब्लिशर्स

340, चोडा रामता, जयपुर - 302003

फोन : 2575826

© लेखक

ISBN 81-7611-273-9

प्रथम संस्करण : 2005

टाइप सेटिंग :

एप्पल प्रिन्ट्स एण्ड आर्ट्स,

509 गणगौरी बाजार, जयपुर

फोन : 2320377

मुद्रक :

शीतल प्रिन्टर्स, जयपुर

All Rights Reserved, No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner. Responsibility for the facts stated, opinions expressed, conclusions reached and plagiarism, if any, in this volume is entirely that of the Author. The Publisher bears no responsibility for them, what so ever.

आमुख

21वीं सदी में विश्व का विज्ञालतम् लोकतात्मक राष्ट्र भारत समृद्ध-समुन्नत तथा जनापेक्षानुकूल प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण को मूलाधार पचायतीराज व्यवस्था के सशक्त प्रहरी के रूप में विश्व में अपनी पहचान कायम कर सके तथा व्यार्थ के धारातल पर आग्र जनस्थायत् व स्वशासन को सवाहक इन संस्थाओं के माध्यम से विकास कर्त्याण व निर्णयन एव सत्ता में अपनी भागीदारी के प्रति सुनिश्चित एव सतुष्ट हो सके। इस हेतु स्वतंत्रता के पश्चात् स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र संघर्ष जन की सत्ता में भागीदारी तथा सम्पूर्ण भारत के सतुलित व तीव्र विकास हेतु पचायतीराज व्यवस्था स्वीकार्य व व्यवहार में लाने को भारतीय राजनय सकल्प बद्द हो गया और उस सकल्पबद्धता की भौतिकीय 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पचायतीराज व्यवस्था के त्रिसदीय प्रारूप की शुरूआत से हुई और विकास व परिवर्तन के अनेक पदावों से गुजरती 73वें भारतीय संविधान संशोधन में परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार के 23 अप्रैल, 1994 के नवीन संशोधित पचायतीराज अधिनियम की क्रियाविती तक आधारन यह यात्रा जारी है।

प्रस्तुत पुस्तक में अध्ययन परिचय के साथ-साथ ग्रामीण भारत में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की घटपरा वैदिक काल-मध्यकाल एवं घर्तमान काल के सदभौमि में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के दर्शन की मीमांसा प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात् पचायतीराज व्यवस्था के 73वें पचायतीराज व्यवस्था आधारित संवैधानिक संशोधनपूर्व एवं पश्चात्वती प्रारूपों का सरचनात्मक-कार्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नवोन एवं पुरातन संविधान आधारित के सरचनात्मक-कार्यात्मक स्वरूप की तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक में देने का यत्किञ्चन प्रयत्न भी किया गया है। शोध अध्ययन को बास्तविकता के धारातल पर ज्यादा विश्वसनीय एवं उपयोगी बनाने हेतु उत्तरदाताओं को सामाजिक-आर्थिक यृष्टभूमि का अध्ययन व्यापक तौर में कर निष्कर्षों के यथोचित प्रभावी एवं ज्यादा जनोपयोगी एवं

शोधारित करने का एक प्रयास किया गया है ताकि पचायतीराज व्यवस्था में सुधार प्राप्त के एक दशक की परिणिति की प्रभावशीलता के व्यापक दर्शन हमें हो सके। सुधी पाठकों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों अधिकारियों एवं पचायतीराज अधिकारियों, कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों एवं जनता के समक्ष भी एक वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने का मैंने सबु प्रयास किया है। सुधार हेतु सदैव सुझाव सम्मान आमत्रित स्वीकार्य एवं प्रतिक्षात है। आशा है मेरो यह कृति आपको यथार्थता के एहसास को प्रभावी अभिव्यक्ति करवाने में सफल होगी तथा प्रकाशित पुस्तक को लेखन सामग्री पचायतीराज से जुड़े सभी वर्गों के कर्मियों के प्रशिक्षण एवं ज्ञानार्जन का एक सशक्त माध्यम होगी क्योंकि इसमें पचायतीराज के सैद्धांतिक-सैवैधानिक दार्शनिक व व्यावहारिक पक्षों को सशक्त तरीके से प्रस्तुत करने के प्रयास की सकल्पवद्धता ही इसकी उपादेयता एवं सुधिपाठकों के विश्वास पर छारी उतारने का माध्यम होगी।

प्रस्तुत कृति "राजस्थान में पचायतीराज व्यवस्था का सरचनात्मक-कार्यात्मक अध्ययन" एक का विवेक एवं वक्त की मांग पुस्तक लेखन की जनोपयोगी एवं विषयोपयोगी अपरिहार्यता तथा महत्ता अनुसंधितम् की मूल प्रेरणा रही है। पूर्ववर्ती पचायतीराज व्यवस्था तथा नवीन प्रारूपाधारित पचायतीराज के संगठन एवं कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन राजस्थान के विशेष सदर्भ में करने का सैद्धांतिक एवं अनुभवमूलक यत्किंचन प्रयास की ही प्रस्तुत कृति परिणिति है। इस पुस्तक को यह आकृति प्रदान करने में मेरे गुरुजनों, स्वजनों, मित्रजनों के योगदान मेरे लिए प्रणम्य एवं स्तुत्य है। पुस्तक सेखन की भगलमयी बेला मेरी स्मृति के अक्षय कोप में सुरक्षित ठन सभी आत्मोजनों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अपना अमूल्य सहयोग मुझे प्रदान किया।

प्रथमत मैं यह कृति डॉ चन्द्रमौली सिंह सह आचार्य लोक प्रशासन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की सेवा मे प्रस्तुत करते हुए उनके प्रति प्रणत हूँ। उनको अनन्य प्रेरणा, उत्साहवर्धन ही मूलत पुस्तक के आरम्भ व सम्पूर्णता का एक मात्र कारण रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं यथार्थ ही है कि मेरे विद्यार्थी जीवन से लेखकीय जीवन तक की यात्रा के सच्चे पथप्रदर्शक आप हो रहे हैं। जो कुछ आज अच्छा है और भविष्य में अच्छा होगा वह उन्हीं की बदौलत होगा। साथ ही मैं श्रीमती आनन्द सिंह के प्रति भी अपनी विनयावनत कृतज्ञता हृदय के गहनतम अन्त स्थल से प्रकट करना चाहता हूँ जो मेरे जीवन यात्रा में हर समय अपने अमूल्य सुझावों व सहायता व प्रोत्साहन से मुझे अनुग्रहीत करती हरे। डॉ सिंह एवं श्रीमती सिंह दोनों ही मेरे समानर्थी भाग्यसर्जक रहे हैं। जिनके आशीर्वाद स्नेह प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के अभाव में यह लेखन मेरे लिए असभव था। इस कृति के प्रत्यक्ष राष्ट्र और मर जावन में अद्यतन सफलता के हर पल आप ही के आशीर्वाद क श्रोफल हैं। मेरे कटकाकोण भार्ग क सहगामी और अधकारमयी जीवन

के कालखण्ड की द्वीप प्योति जो सदैव मुझे आलोकित करती रही है य करती रहेगी यो भी आप ही हैं।

इस शोधकर्म में राजस्थान विश्वविद्यालय में सम्माननीय गुरुजनों प्रो. चौसी माथुर प्रो. पी. एस. भट्टाचार, प्रो. अशोक शर्मा तथा प्रो. भग्नुकर श्याम चतुर्वेदी का आशीर्वाद तथा समय-समय पर विषयजनित अमूल्य सलाह प्रेरणा य मार्दार्दान प्राप्त होता रहा जिसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कान्ता अपना परम कर्तव्य समझता हूँ।

भारत की प्रथम महिला जिला प्रमुख श्रीमती नगेन्द्र बाला पदमश्री श्री सूर्यदेव सिंह पूर्व प्रधान एवं विधायक श्रीमान् भरत सिंह जिला प्रमुख शालाकाड श्री सुजान सिंह गुर्जर द्वारा दिये गये अमूल्य समय सुझाव य सहयोग हेतु मैं अत्यन्त आभारी हूँ। जिससे विवेचन पुस्तक आकृति ले सका।

लेखन कार्य में याहित सहकार हेतु मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटा के उपाधार्य प्रो. डॉ एम. गाधी तथा उपाधार्य प्रो. सावित्री के प्रति यिन्यावनत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही अपने विद्वत मित्र डॉ. गोविन्द सिंह का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने समय-समय पर मुझे लेखन सामग्री य विवेचन सम्बन्धी अमूल्य सुझाव य सहायता प्रदान की।

पुस्तक लेखन की सम्पूर्ण यात्रा के पा-पा पल-पल अप्रतीम योगदानों मेरे प्रिय अनुज द्वय मुख्य विधि परामर्शी श्री भैरवेन्द्र सिंह एवं अधिकारी राजस्थान उच्च न्यायालय श्री करणी सिंह को आशीर्वाद और भव्यवाद की विपुल सद्भावनाओं के साथ इस मार्गलिक कार्य की समन्वता हेतु हृदय के अंत स्थल से आभारोक्ति की एक रसम अदावणी मेरे लिए अत्यन्त आनन्द का मुनीत अवसर है।

अन्त पुर की समस्याओं को स्थय सहते-सुलझाते रहने के साहस और मुझे लेखनकर्म में तत्त्वज्ञ बनाये रखने य प्रतिपल सहयोग हेतु मैं अपनी जीवनसंगिनी श्रीमती प्रेमलता सिंह को कौटिश भव्यवाद य कृतज्ञता सुमन अर्पित करता चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे लेखनकाल के दौरान अत पुर आव्याप्ति समय को लेखन हेतु समर्पित कर अन्यता विवेक और दृढ़सक्षप्ता का परिघय दिया। मैं अपनी सुकन्या ब्रह्म सुश्री सुचेता सिंह श्वेता सिंह एवं श्याती सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता नहीं बिसरण जिन्होंने यात्सल्य य स्नेह का अमूल्य समय लेखन कर्म को समर्पित करने हेतु मुझे सहकार प्रदान किया। प्रस्तुत पुस्तक के शोधारित अध्ययन के निष्कर्षों एवं सुझावों को राजस्थान प्रशासनिक सुपार आयोग द्वारा जारी पचायतीराज विधानसभा में सुधार हेतु प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। तथा निवर्तमान पचायतीराज विधानसभा श्रीमान् शांति धारीबाल साहब द्वारा अपने मत्रित्य काल मेरे इस पुस्तक के शोधारित निष्कर्षों के सन्दर्भ के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये तथा विधानसभा एवं पचायतीराज पदाधिकारियों के साथ बैठकों एवं विचार विमर्श एवं

पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु निर्णयों एवं विचार मंथन का मुख्याधार भी इस अध्ययन के निष्कर्ष-सुझाव रहे हैं।

अंत में मैं इस कृति को संगणक द्वारा सुन्दर सुअंकन कर ग्रन्थ को आकृति में एलने वाले शिल्पी टंकक और मेरे सुशिष्य की नवदीप सक्सेना तथा री जयदेव शर्मा को तहे दिल के धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिन्होंने अपने अपने श्रव, समय व कौशल से अपने गुरुज्ञान को प्रसन्नता के साथ समर्पित कर एक सुन्दर सगानकोय टंकम शिल्प युक्त ग्रन्थ प्रस्तुति हेतु तैयार किया। अपने सभी शुभचित्तको सहित प्रकाशक आरबी एस.ए. पब्लिशर्स का मैं अंततः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

डॉ. विजय करण सिंह

अनुक्रमणिका

समर्पण	सुमन	
आमुख		
1	अध्ययन परिचय	1
2	ग्रामीण भारत में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एक सिहावलोकन	13
3	पचायतीराज व्यवस्था 73वें संविधानिक सशोधन पूर्व प्रारूप सरचनात्मक कार्यात्मक विवेचन	33
4	पचायतीराज व्यवस्था 73वें संविधान सशोधन प्रदत्त पत्र सरचना एवं कार्य	75
5	पचायतीराज व्यवस्था 73 वें संविधान से पूर्व तथा निर्वर्तमान सशोधित प्रारूपों को तुलनात्मक विवेचन	125
6	पचायतीराज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन (प्रथम) (उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि)	177
7	पचायतीराज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन (द्वितीय) (संगठन एवं कार्यकरण)	205
8	समाहार सुधार-सुशास्त्रों के विशेष सन्दर्भ में	269
9	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	299

समर्पणसुमन

समर्पित है कि यह कृति असामायिक द्रष्टव्यों
पोडित मानवता के प्रति मानवीय पचायत
व्यवस्था एव पचायतजन समर्पित पूजनीय
पिताश्रो को।

और वात्सल्य एव ममता के छायागम में
पालनहारो श्रृङ्खेय माता श्री को जिन्होंने
पिताश्रो के असामायिक देहावसान को
असह्य वेदना सहते हुए भी सब कुछ स्वय
सहकर, हम सब को अपने आँचल की
ओट की ममतामयी ढाल से सदैव सरक्षित
किया। आज यह कृति मैं उनके श्रोचरणों में
अपिंत करते हुए अनवरत सर्जनाधर्मों बने
रहने के सकल्प के साकार का आशीर्वाद
चाहता हूँ।

त्वदौय वस्तु गोविंदम तुम्यमेव समर्पये।

अध्ययन परिचय

भारत विश्व का सफलतम सोकृतात्रिक देश है। 1947 के पश्चात् पंचायतीराज सम्पदों को स्थायतात्त्वसन का माध्यम थे सोकृतात्रिक विकेन्द्रीकरण का सवाहक माना गया तथा 73वें संविधान संशोधनों के द्वारा इन्हें संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्रस्तुत अध्याय में शोध हेतु प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण, यिकास व कल्याण की सरक्षक इन सम्पदों के बारे में शोध एवं सुझावों हेतु अनेक आवेदन एवं समितियाँ बैठों जिनकी अभियानों पर आधारित इन सम्पदों के कार्यकारी चरित्र पर अनेक प्रश्न चिन्ह लग गये तथा 1959 में राजस्थान में अलवतराय मेहता द्वारा अभियानित पंचायतीराज को त्रिस्तरीय व्यवस्था के 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नया स्वरूप प्रदान किया। अतः सोकृतत्र के आधार स्तर पंचायतीराज के पुरातन एवं नूतन चरित्र जिसे आज दूसरा दशक होने जा रहा है का तुलनात्मक मूल्यांकन समय की आवश्यकता के अनुरूप महत्ता को भी उज्ज्ञार करता है।

अध्ययन परिचय

गगा जल सो स्वच्छ भारदर्शिता, हिमालय की उन्नत घोटी सा पवित्र उन्नत लक्ष्य रामार्ज्य जैसा कल्याणकारी सततात्मक आदर्श महाकुप्त जैसे विशाल जन सैलाब सा अनुशासन सहकार और पवित्र भावनाएँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता व भाईचारा ग्राम सभा से लोकसभा तक भारतीय सोकृतत्र का पथ प्रदर्शक आधार है जो पद्मपरमेश्वर के आदर्श भाव को आज की लोकतात्रिक सम्पदों में विद्यमानता हेतु उद्यत है। प्रजातात्रि तथा प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा भले भारत की अतीत का भाग रहा है। किन्तु दुर्खद सत्य यही है कि विगत कुछ शताब्दियों में लो कठोर केन्द्रीकृत व्यवस्था ही प्रभावी रही है तथा वह भी मुख्यतः विदेशी भूमि सचालित अथवा विदेश से आये निरकुश शासकों द्वारा प्रबलित फलत। भारत में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण का यद्दमान स्वरूप देशी राजतत्रों विदेशी मुगल व औंग्रेजी निरकुश तमाशाही के अति-अमानवीय सत्ता शैली के विरुद्ध 19वीं, 20वीं सदी में विश्वजन्मानुस के जागृति होने की परिणिति का प्रतिफल कहा जा सकता है। भारत में आम

सहमति तथा पच फैसलों को अपनी परम्परा रही है। संस्थागत भी वैचारिक भी लेकिन वे राजतत्रों की निरकुशशाही के शुद्ध स्वाधों के कारण अपना व्यापक व सुदृढ़ स्वरूप नहीं ले पायी।

सदियों से गरीब शोषित बहुसंख्यक तबका भारत में ही नहीं बरन् सम्मूर्ख विश्व में अपनी शोषण से मुक्ति तथा निर्णय व सत्ता में भागीदारी तथा कल्पाण व विकास का समना देख रहा था। 1947 म आजादी के पश्चात् भारत में राजशाही की समाप्ति तथा लोकतत्रों के आगमन के साथ ही प्रजातत्र व प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण का आगमन हुआ। हालांकि राजस्थान में ग्राम पचायत अधिनियम, 1953 के साथ ही ग्राम पचायत एवं ग्राम सभा का प्रावधान कर प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार एवं व्यवहार का प्रस्तुत हो गया था। एक संस्थागत रूप में सत्ता एवं निर्णय में जनभागीदारी के विस्तरीय जनतात्रिक स्वरूप का संस्थागत रूप में शुभारम्भ 1959 मे राजस्थान के नागौर जिले में पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा पचायती राज अधिनियम 1959 के तहत कियागया। जो विस्तरोय पचायतीराज व्यवस्था प्रारूप 1959 कहलाया।

20वीं सदी की प्रजातत्र की आधी ने औपनिवेशिक सत्ताओं राजतत्रों एवं राजतत्रात्मक व्यवस्थाओं को उखाड़ फेका तथा विकास सत्ता व निर्णय में अधिकतम सभव जनभागीदारी पचायत राज के माध्यम से सुनिश्चित की गई। जिसका सरदानात्मक-कार्यात्मक स्वरूप स्वतत्र भारत के रोजनेताओं एवं सविधान विशेषज्ञों तथा प्रजातत्र प्रेमियों द्वारा तैयार करवाया गया है यह स्वरूप आजादी के बाद एक लम्बे समय तक अनेक परिवर्तनों स्वीकृतियों एवं अस्वीकृति को जनभागीदारी को स्वीकार करते हुए प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण का नायकत्व करता रहा है लेकिन लोकभानस में सर्वेंग्राह्यता व लोकप्रियता का स्वरूप राजनीति एवं प्रश्न-सन्ति कारणों से नहीं ले सका और इसमें भारतीय जनभानस जननेता परिवर्तन को महती आवश्यकता महसूस करने लगे। सत्ता विकेन्द्रीकरण की सशक्त माध्यम पचायतीराज संस्थाएँ आज अधिकार विहीनता, वित्तीय स्त्रोत विहीनता, राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति की साधन मात्र, अशिर्णिकत, अयोग्य एवं असक्षम जनप्रतिनिधियों एवं समग्र समाज के जनप्रतिनिधित्व का अभाव जैसी खामियों से नकारा, भूतप्राय एवं भ्रष्टाचार व अनियमितता एवं राजनीतिक अद्वादो का केन्द्र मात्र बन कर रह गयो है।

जनप्रतिनिधित्व, लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण, जनता की सत्ता व नियन्त में भागीदारी तथा जन एवं क्षेत्रीय विकास एवं कल्याण की स्वतत्र भारत के स्वतत्रजन को अभिलाप्तरे धूल धूसरित हो गई। कई आदोग एवं समितियों पचायतीराज संस्थाओं में सुधार हेतु वर्षाई गई लेकिन उनके सुझाव या तो लागू हो नहीं किये गये या मौजूदा अव्यवस्था में फसकर कालकवलित हो गये। पचायती राज की भूल भावना तिरोहित हो गई पचायती राज अपने पाथेय से भटक गया नतीजतन इसमें नये स्तर से जन फूँकने की कोशिश को अमलोजामा पहनाने को कावायदे आरम्भ हुई जो 1992 म सप्तम द्वारा 73वें सर्वैधानिक सभापेन द्वारा पारित नवीन पचायतीराज अधिनियम के रूप में हुई। इससे पचायतीराज संस्थाओं को समग्र राष्ट्र मे समान सर्वेधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। राजस्थान में पचायतीराज अधिनियम 23 अप्रैल, 1994 को प्रभाव में लाया गया।

सविधान मे अनुच्छेद 243 जोड़ते हुए देश में पचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित आवश्यक तत्वों का न केवल समावेश किया गया है अपितु पचायतीराज संस्थाओं को

संवैधानिक मान्यता और चुनावों से सम्बन्धित प्रत्याभूति प्रदान की गयी है। इससे पचायदीराज सम्बन्धित अनुसार संवैधानिक स्तर प्राप्त हो गया है जिसके अनुसार पचायली राज सम्बन्धित हुई है जैसे—

1. ग्रामसभा का प्रावधान

संविधान सशोधन अधिनियम के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तिया का सम्बन्धित और कर्तव्यों का निर्याह कर सकेगी जो राज्य विधान मण्डल अधिनियम द्वारा विनिश्चित करे।

2. पचायदीराज व्यवस्था का त्रिस्तरीय प्रावधान

देश के प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार पचायदीराज सम्बन्धित गठन किया जायेगा।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षण

संविधान सशोधन के भाग्यम से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पचायदीराज में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों/सीटों का आरक्षण किया जायेगा। इस प्रकार आरक्षण की जाने वाली सीटों की संख्या उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित की जायेगी तथा सीटों के आरक्षण को इस प्रक्रिया का बारी-बारी से आवर्तन (टोटेरान) पद्धायत क्षेत्र की सभी सीटों द्वे किया जाता रहेगा। इन वर्गों के लिए उपर्युक्त रैति से आरक्षित की गयी कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

4. महिलाओं हेतु आरक्षण

इस संविधान सशोधन के भाग्यम से प्रत्येक पचायदीराज सम्बन्धित वर्गों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण भी किया गया है। इससे सदर्भित प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित, प्रत्येक पचायदीराज सम्बन्धित वर्गों में कम से कम एक-तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा और इस प्रकार आरक्षित किये गये स्थानों का आवटन बारी-बारी से किया जाता रहेगा।

5. पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण

संविधान सशोधन अधिनियम यह उपबन्ध भी करता है कि राज्य विधान मण्डल, समस्त पचायदीराज सम्बन्धित वर्गों में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकेंगे।

6. अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण

इस सन्दर्भ में संविधान सशोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम पचायदीराज की अन्य इकाईयों के अध्यक्षों के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए, राज्य विधान मण्डल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित कर सकेंगे।

7. कार्यकाल से संबंधित प्रावधान

पचायदीराज सम्बन्धित कार्यकाल भी केन्द्र व राज्य सरकार के अनुसार समाप्त करने के लिए सशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पचायदीराज सम्बन्धित कार्यकाल, यदि वह, राज्य में तत्समय प्रकृतित किसी विधि के अधीन पहले भग कर दी जाती है, तो 5 वर्ष होगा और इससे अधिक नहीं।

8. अयोग्यताओं संबधि प्रावधान

नवीन प्रावधानों के अनुसार पचायती राज सम्पदाओं की अयोग्यताओं के बारे में संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि सम्बन्धित राज्य में चुनावों की अयोग्यताओं से सम्बन्धित प्रवर्तित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर व्यक्ति इन सम्पदाओं के चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में उठे हुए किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए प्राधिकारी को नियुक्ति और प्रक्रिया का सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेगे।⁹

9. वित्त आयोग के गठन का प्रावधान

राज्य की विधायिका विधि के माध्यम से वित्त आयोग के गठन और उसमें नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों की योग्यताओं और इन सदस्यों की नियुक्ति को प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेगी।¹⁰

10. निर्वाचन आयोग का प्रावधान

नवीन संविधान संशोधन अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्य के निर्वाचक नामांकितियों की तैयारी, चुनावों के आयोजन और पचायतीराज सम्पदाओं के चुनावों से सम्बन्धित समस्त पक्षों का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गये एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।¹¹ राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को पदावधि और सेवारातों का निर्धारण राज्यपाल, विधानमण्डल के सम्बन्धित अधिनियम के अधीन रहते हुए कर सकेगे।¹² किसी भी जनतात्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक जनसमूह को वाजिब माग अस्वीकार नहीं की जा सकती है। वैचारिक राजनीतिक व सततात्मक परिवर्तनों से पदावधि राज व्यवस्था में परिवर्तन हुए जो संविधान संशोधन विधेयक पारित करने का उत्तरदायी कारक बने। उसमें पचायतीराज व्यवस्था के पुरातन सरचनात्मक एवं कार्यात्मक स्वरूप में भारी परिवर्तन किया तथा प्रशासनिक, राजनीतिक एवं प्रजातात्रिक दृष्टिकोण से पचायतीराज का स्वरूप ज्यादा लोक ग्राह्य व सुविधाजनक बनाने का प्रावधान किया।

प्रजातत्र की स्वाहक ये सम्पदाएँ अपने नव जीवन के दूसरे दशक में प्रवेश कर गई हैं। अतः वक्त का विवेक इनके क्रिया-कलापों एवं सागरनिक क्षमताओं का पुरातन एवं नूतन सदर्भों में भूल्याकन एवं विवेचन एक शोधोन्मुखी आधार का उत्तरापेक्ष्य है। यही राज्य सरकारों की नियति, संवैधानिक दर्जा दिये जाने से पचायतीराज सम्पदाओं की स्थिति में परिवर्तन, जनप्रतिनिधियों एवं जनता पर प्रभाव तथा विकास एवं कल्याण में अपेक्षित भूमिका के सन्दर्भ में इन सम्पदाओं ने क्या कुछ खोया है? क्या कुछ पाया है? और क्या सुधार को गुजाराई है? क्या पूर्ववर्ती पचायतीराज प्रारूप जो राज्य सरकारों की मर्जी पर आपारित था को मुनः उपादेकर्ता के सन्दर्भ में तुलनात्मक दृष्टि से जाज भी उपादेशक एवं सुन्दरा को सभावनाओं युक्त है?

विषय को महत्ता एवं आवश्यकता स्वतः प्रतिपादित है। 1994 तक भारत सरकार के 73वें संविधान संशोधन प्रदृश्य पचायतीराज अधिनियम के आर्विभाव से पूर्व समग्र देश में अलग-अलग राज्यों में अपनी स्वस्वीकृत पचायतीराज व्यवस्थाएँ चल रही थीं जो मूलतः 1957 के बलवतराय मेहता प्रारूप पर कुछ परिवर्तनों के साथ आपारित थीं। अतः एक गैरसंवैधानिक असमान तथा पूर्णतः गञ्जाश्रित व्यवस्था थी। जिस पर व्यापक रैप हुए सेकिन तुलनात्मक अध्ययन का आधार दो प्रारूपों के मध्य नये पचायतीराज अधिनियम के लागू होने के परचात् ही तैयार हुआ। द्वितीय दशक में प्रवेश करती नवीन प्रारूपाधारित पचायतीराज

व्यवस्था की तुलनात्मक शोध की आवश्यकता की प्रतिध्वनि लेखक के हारा तथ शोध विषय में स्पष्ट प्रतिध्वनित होती है।

अध्ययन का महत्त्व इसलिए और बढ़ जाता है कि भारत में राजस्थान ही पहला राज्य था जहाँ 2 अक्टूबर, 1959 को पड़ित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पचायतीराज व्यवस्था का श्रीगणेश किया। अतः जिस व्यवस्था का श्रीगणेश ही राजस्थान में हो जाहिर है उस व्यवस्था के प्रति अपेक्षाएँ भी स्वतं बढ़ जाती हैं। देखना यह है कि जिस जोश खरोश य नयी उम्मीदों के साथ पुरातन प्रारूप लागू किया गया था। जो जनाकाक्षाओं पर खारा नहीं डतरा और शीघ्र ही नवीन प्रारूप की व्यवस्था की गई और यही नवोन प्रारूप अब हमारे समक्ष मूल्याकानार्थ शोध हेतु उत्तरापेक्षा है तथा खेत की मांग भी है।

विषय से सम्बन्धित साहित्यिक भौमीक्षा

विभिन्न शोधार्थियों, आदोगों, समितियों, विद्वानों द्वारा शोधप्रपत्र प्रतिवेदन शोधग्रन्थ एवं शोध लेख पचायतीराज व्यवस्था के सन्दर्भ में प्रकाशित हुए जैसे—

ए. एस अल्लेकर, भारतीय शासन पद्धति बनारस, 1949,

राधा कुमारद्युखज्ञ, भारत में स्थानीय सरकार, ऑफिसफोर्ड, 1920,

एस के डे, पचायतीराजः एशिया पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली, 1662

मालवीया एच डी : विलेज पचायत इन इण्डिया, न्यू देहली : आल इण्डिया कार्प्रेस कमेटी, 1956,

माहेश्वरी श्री राम : पचायतीराज बिट्विन टू मेहताज एण्ड वियाड़ · कुरुक्षेत्र 27 : 8 (6 जनवरी, 1972),

मथाई जॉन : विलेज गवर्नेंट में 2 इन लिटिश इण्डिया : लदन 3 एटोफिशर डनविन, 1915, मेहता ची ; पंचायती राज़ ; इण्डियन जर्नरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 7 : 3 (जुलाई-सितम्बर, 1961),

मुख्यमंत्री ची : पचायती राज इन इण्डिया : चण्डीगढ़ : इगलिश युक, 1956,

माधुर, पी सी : इस्टीट्यूशनल मॉडल ऑफ पचायतीराज़ : पॉलिटिकटल साइंस रिव्यू : 7 : 2 (अप्रैल-जून, 1966),

मिश्रा, रूपनारायण 5 विलेज सेल्फ गवर्नमेंट इन उत्तरप्रदेश पी एच डी थिसिस आगरा यूनिवर्सिटी, 1958,

माधुर एम वी इकबाल नारायण एड वी एम सिन्हा : पचायतीराज इन राजस्थान : ए केस स्टैडी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट : न्यू देहली, 1966,

खना, आर एल : यवायतीराज इन इण्डिया · ए कम्प्यूटिंग स्टैडी, चड्डीगढ़ 1956,

मध्यप्रदेश : रूरल लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट कमेटी, 1957, रिपोर्ट भोपाल, 1969,

मैत्रूर, कमेटी ऑन पचायतीराज 1962 रिपोर्ट बगलौर, 1963,

इण्डिया कमेटी ऑन पचायतीराज इस्टीट्यूशन्स 1977, रिपोर्ट न्यू रेहली, 1978 (चेयरमैन अशोक मेहता)

इण्डिया नेशनल कार्प्रेस : कार्प्रेस पार्टी इन यार्टिंयामेट : स्टैडी टीम ऑन यवायतीराज इन राजस्थान : रिपोर्ट न्यू देहली, 1960 (लीडर-रम्पुवोर सहाय),

इकबाल नारायण एण्ड पी सी माधुर, (सम्मानित) ओल्ड कट्टोर्स एण्ड न्यू चैलेजेन : एक रिपोर्ट ऑन दी पैटर्न ऑफ पचायती राज इस्टीट्यूशन इन मद्रास, महाराष्ट्र एण्ड राजस्थान,

जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेल फार एपलाईड रिचर्स इन रूरल एण्ड अबन पॉलिटिक्स, 1967,

राजस्थान हाई पावर कमेटी ऑन पचायतीराज 1971 रिपोर्ट जयपुर, 1973, (अध्यक्ष) गिरधारी लाल व्यास राजस्थान पचायत एव डबलपमेट डिपार्टमेंट • रिपोर्ट ऑफ दी स्टैडी टोम ऑन पचायतीराज, जयपुर, 1964, - 433 पृ (अध्यक्ष : सादिक अली)

रेट्जर्सल्फ, रॉल्फ एव, पचायतीराज इन राजस्थान, इण्डिया जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू देहली (अप्रैल-जून) 1960,

भारत सरकार योजना आयोग, रिपोर्ट ऑफ दी टोम फॉर दी स्टैडी ऑफ कम्यूनिटी डबलपमेंट प्रोजेक्ट्स एण्ड नेशनल एक्स्टेंशन, सर्विस 1957 (अध्यक्ष-बलवतराय मेहता)

इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पचायती राजः सिक्स एनुएल कॉर्नेश OC 28, 1962, न्यू देहली आर्ट आई आई पी ए.

इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्लेकेट आर्टिकल्स, पंचायतीराज, सिरीज एडिटर, दी एन चतुर्वेदी बोल्यूम एडिटर आर.बी जैन, आई आई पी ए, न्यू देहली, 1981 आर.पी जोशी, (सम्पादित) कॉस्टिट्यूशनलाईजेशन ऑफ पचायतीराज ए रिससमेंट राखत पब्लिकेशन जयपुर 1998

एस पी जैन एण्ड थॉमस डब्ल्यू हॉब्सेग, इमर्जिंग ट्रैंडस न पचायतीराज (रूरल लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट) इन इण्डिया (सम्पादित) नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ रूरल डबलपमेट, हैदराबाद, 1995,

राम पाण्डे, (सम्पादित) पचायतीराज, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, शोभक, जयपुर, 1989,

इसके अतिरिक्त भी वित्त, प्रशासन, सहभागिता, नियन्त्रण, विकास, कल्याण, संगठनात्मक एव कार्यात्मक पहलुओं के अनेकों दृष्टिकोणों एव समस्याओं के सदर्थ में शोध, रिपोर्ट एव लेख प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन चौंक नया सविधान संशोधन हुए अभी दूसरा ही दशका चल रहा है अतः सभवत, पचायतीराज व्यवस्था के पूर्ववर्ती एव नवीन प्रारूप के मध्य तुलनात्मक शोध की सभवतः प्रथम पहल ही होगी हालांकि नवीन प्रारूप से सम्बन्धित समस्याओं एव पहलुआ पर अनेक शोध, लेख व सेमीनार आयाजित हो चुकी हैं। अभी भी नवीन प्रारूप की क्रियान्विती परिणिती को लेकर कई शकाएं उत्तरापेक्षी हैं—

- 1 क्या पचायतीराज संस्थाएँ पारदर्शी व्यवस्था दे पायेगी?
- 2 क्या वे आम जन के सूचना के अधिकारा को रक्षा कर पायेगी?
- 3 क्या पचायतें मानवाधिकारा को सरकार द्वारा पाने में सक्षम हो पायेगी?
- 4 क्या नवीन अधिनियम से व्यापक जन-सहभागिता बढ़ेगी?
- 5 पचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय एव कार्मिक स्थिति क्या सुदृढ हा पायेगी?
- 6 क्या ये संस्थाएँ स्थानीय स्वायत्त शासन का सशक्त आधार बन पायेगी?
- 7 गाँवों की आवश्यकतानुसार ग्रामवासियों को सहभागिता से क्या विकास योजनाएँ तय की जायेगी?
- 8 क्या दलित व कमज़ोर व पिछड़े तबके के जनप्रतिनिधियों को संघन प्रशिक्षण द्वारा सक्षम बनाया जायेगा?

- 9 क्या नवीन संवैधानिक प्रावधान अक्षम-अयोग्य भ्रष्ट अ आपराधिक पृष्ठभूमि बाले व्यक्तियों को इन सम्माओं से दूर रख पायेगा?
- 10 जनहित याचिकाओं की आती भाष्ट क्या पचायती राज सम्माओं के कार्यों में बाधक नहीं होगी? यदि होगी तो उपायों के बारे में क्या-क्या प्रावधान सोचे गये हैं?

महात्मा गांधी लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा भावे ने जिस “ग्राम-स्थान्य” की कल्पना की थी। इस नवीन पचायतीराज अधिनियम द्वारा कितनी साकार हो पायेगी? क्या हमारी जनता नेता तथा नौकरशाही इसकी व्यावत क्रियान्वित हेतु प्रतिबद्ध है? हमारे देश की पारिस्थितिकी और परिवेश सोकतत्र के इस प्रारूप की व्याहर्यता के अनुकूल भी है या नहीं? पचायतीराज व्यवस्था का पूर्ववर्ती प्रारूप उपरोक्त शकायुक्त प्रश्नों के समाधान क्या कोई विवेक सम्मत समाधान खोज पाने में सक्षम हुआ? जनप्रतिनिधि नागरिक तथा कार्मिक वर्ग इन दोनों व्यवस्थाओं की सफलता-असफलता अचार्य बुराई का कैसा ग्राफ खोंचते हैं? यह इस शोध विषय में जातव्य है। बक्त का विवेक हृदयगम कर सकार इन सम्माओं की सफलता तथा मजबूती के लिए कितनी प्रतिबद्ध है? जनता को जनप्रतिनिधियों कार्मिकों से जनप्रतिनिधियों को कार्मिकों व जनता से तथा कार्मिकों को जनता तथा जनप्रतिनिधियों से क्या समझाएँ है तथा क्या सहयोग की अपेक्षाएँ है? द्वारों को अपनी-अपनी जगह अपेक्षित भूमिका निर्धारित हेतु क्या किसी नये प्रावधान या इस व्यवस्था में परिवर्तन की अपेक्षा है? कितने खोरे ये आपस में सामजस्य व सरकार व जन कल्याण एवं विकास के प्रति खोरे उतारे हैं? और कहाँ ये बाधक साचित हो रहे हैं?

लोककल्याण एवं लोकतत्र तथा ग्राम स्थान्य व ग्राम सुराज की सधारक ये सम्माएँ राजस्थान सरकार के 1994 के पचायतीराज अधिनियम पश्चात् पूर्ववर्ती पचायतीराज व्यवस्था प्रारूप को और कहाँ तक सफल व लोकग्राह्य बन पायी? भारत की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण भूभाग पर रहती है जिनका प्रत्यक्ष भाग्य विधाता पचायतीराज सम्माएँ ही हैं अत जब तक ये सम्माएँ अपने प्रयाजन में फलोभूत नहीं होगीं समग्र प्रयास व्यर्थ हैं किसी भी व्यवस्था प्रक्रिया व प्रावधान की सफलता-असफलता तथा प्रतिकूलता का मूल्याकन तब तक नहीं हो सकता जब तक की उसकी भूमिका का मूल्याकन न हो। विकल्पाधारित मूल्याकन और भी सटीक व व्यवस्थित हो सत्य के करीब होता है। अत पूर्ववर्ती व्यवस्था के अवसान व नवीन प्रारूप के दूसरे दशक में कदम रखते ही शोध का एक अपेक्षित व महत्वपूर्ण आधार दोनों प्रारूपों के दुलानामक अध्ययन का बनता है।

ताकि शीघ्र समय रहते वर्षपान प्रारूप यदि जनकाक्षाओं के अनुकूल हमारे यहाँ की पारिस्थितिकी पर्यावरण के अनुकूल खाल नहीं उत्तर रहा हो तो इसमें परिवर्तन के प्रति हमें विनाश एवं विनीत हो जाना चाहिए न कि जड़वत। दोनों प्रारूपों की क्रियान्विती की नियति एवं नियत भे खोट शोध उपरात उजागर हुई है। उत्तरदाताओं ने नवीन व्यवस्था के साथ पूर्ववर्ती व्यवस्था के कुछ प्रावधानों को पुन लागू करने की पुजाजोर सहमति व्यक्त की। नवीन प्रारूप व्यापक जनभागीदारी का कारक यन्हा तो पचायतीराज सम्माओं के सशक्तिकरण का भी

आगाज हुआ लेकिन नौकरशाही की अडचनें तथा कानूनी पेचीदगिया इस नवीन प्रारूप को सफलता में सर्वाधिक आधक तत्व है।

उपरोक्त उत्तरापेक्षी प्रश्नों के सदर्भ में ही राजस्थान में पचायतीराज व्यवस्था के गठन एवं कार्यों को तुलनात्मक अध्ययन का आधार नवीन प्रारूप एवं पूर्ववर्ती प्रारूप के तहत तैयार हुआ। जिसके तहत पचायतीराज व्यवस्था के दर्शन एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोनों प्रारूपों का यथावत् सागोपाग वर्णन तथा दोनों प्रारूपों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक तुलनात्मक रौप्य अध्ययन का लघु प्रयास समय को आवश्यकता को अपेक्षानुकूल करने का प्रयास किया है।

क्षेत्र की सीमाएँ

अध्ययन एवं विश्लेषण को गहनता सत्यपरकता अनुकूलता महत्ता एवं व्यावहारिकता हेतु शोध समय साधनों व क्षेत्र के परिपेक्ष्य में किसी भी अध्ययन का व्यावहारिक परिसीमन आवश्यक होता है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित अध्ययन जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है मूलत यथा अनत स्थानीय स्वशासन से ही सबद्ध है जो कि ग्रामोण परिवेश के स्वायत्तारासन के प्रवध कौशल का विवेचन भर है। यह पुन उल्लेखनीय है कि भारत जैसे विशाल तथा विषमतायुक्त राष्ट्र में जहाँ स्वाभाविक रूप से एकाधिक प्रकार के पचायतीराज प्रारूप कार्यरत हैं प्रस्तावित अध्ययन राजस्थान राज्य में कार्यरत पचायतीराज व्यवस्था के पूर्ववर्ती तथा नवीन प्रारूप के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित है।

समय साधन एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राज्य के कोटा चारा झालावाड जिले के अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित कर ग्राम सभा ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर पर अध्ययन हेतु सूचनाएँ एकत्रित करने का प्रयास प्रथम समर्कों के प्रतिदर्श चयन के एवं द्वितीय समर्कों की उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया है। इस प्रकार इस अध्ययन विषय का क्षेत्र सीमाओं को परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया गया है।

73वे संविधान संशोधन विधेयक में केन्द्र सरकार ने पचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया लेकिन उनके प्रारूप कार्यकरण प्रशासनिक वित्तीय अधिकारों को तय करने का जिम्मा राज्यों पर छाड़ दिया। ताकि राज्य सरकार अपने मनोनुकूल प्रारूप कायम कर सके। न कि पचायतीराज की मूल भावना के अनुकूल। सभवत यह हो भी रहा है। पचायतीराज से सबद्ध जनप्रतिनिधियों अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यकरण की विवेचना यथा सभव गहनता एवं बुहदता के साथ करने का प्रयास किया गया है। सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण कार्यशैली की अनुभवमूलक उपागम द्वारा सागोपाग विवेचन विश्लेषण इस अध्ययन में किया गया है। लोक प्रशासन का अध्योता एवं शाधार्थी होने के नाते प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के पूर्ववर्ती व परिवर्तित नवीन स्वरूप का प्रशासनिक दृष्टिकोण से एवं तुलनात्मक अध्ययन कायात्मक सरचनात्मक भूमिका के सदर्भ में प्रस्तुत करने का एक लघु यत्क्षेत्र प्रयास किया है। जो प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण प्रशासनिक व अध्ययन को उपयोगिता के दृष्टिकोण से परिवर्तित प्रारूप को उपादयता महत्ता व आवश्यकता दण्डजन के समक्ष रख सके।

उद्देश्य

73वें पचायतीराज सशोधन अधिनियम से पूर्व प्रारूप तथा 73वें पचायतीराज संविधान सशोधन द्वारा स्थीकृत प्रारूपों के भव्य एक तुलनात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के पृष्ठ में निहित उद्देश्य निम्नोल्लेखित हैं—

- 1 प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के दर्शन एवं परम्परा की भीमासा एवं सिहावलोकन।
- 2 73वें संविधान सशोधन से पूर्व स्वतंत्र भारत में पचायतीराज प्रारूप का विशद अध्ययन यथा ग्राम सभा ग्राम पचायत पचायत समिति व जिला परिषद् सरचना कार्यकरण के सन्दर्भ में।
- 3 73वें संविधान सशोधन से पूर्व स्थित पचायतीराज अधिनियम के प्रारूप की सीमाओं एवं समस्याओं को उजागर करना।
- 4 73वें संविधान सशोधन से पूर्व प्रारूप में परिवर्तन की वियशता के कारण योजना।
- 5 संविधान में 73वें पचायतीराज सशोधन अधिनियम की आवश्यकता तथा मूल प्रस्तावना की विवेचना।
- 6 73वें संविधान सशोधित पचायतीराज स्वरूप के चारों स्तरों यथा ग्राम सभा ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् की सरचना कार्यकरण एवं भूमिका की विवेचना।
- 7 73वें संविधान सशोधित पचायतीराज के प्रारूप एवं पुरातन प्रारूप का सैद्धान्तिक तुलनात्मक अध्ययन।
- 8 73वें संविधान सशोधन द्वारा पचायतीराज व्यवस्था के प्रारूप एवं पूर्व प्रारूप का आवाहारिक तुलनात्मक अध्ययन।
- 9 निकर्प एवं सुझाव।

प्रस्तावित अध्ययन को 8 अध्यायों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय में अध्ययन की महत्वा शेत्र सीमाएँ उद्देश्य आवश्यकता तथा अध्ययन योजना की घर्चा दी गई है।

द्वितीय अध्याय में ऐंटिक काल मौर्यकाल गुप्तकाल रामायण य महाभारत तथा औद्दिकाल मुगलकाल एवं त्रिटिश काल तक ग्रामीण भारत में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रम्परा एवं दर्शन का आधोपात दर्शनेक किया गया है। साथ ही प्रजातंत्र विकेन्द्रीकरण एवं प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के अभिग्राय अवधारणा का सिहावलोकन प्रस्तुत किया है।

तृतीय अध्याय में पचायतीराज व्यवस्था के स्वतंत्र भारत के उस प्रारूप का उल्लेख किया है जो राजस्थान में त्रिसतीय पंचायतीराज व्यवस्था के रूप में 2 अक्टूबर 1959 को पठित जयाहरलाल नेहरू द्वारा आरम्भ किया गया था। जिसका आधार भूलत 1953 का राजस्थान पंचायत अधिनियम तथा 1959 का पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम का समेकित रूप था। सादिक अली प्रतिवेदन गिरधारी लाल व्यास समिति रिपोर्ट बलवतराय मेहता समिति प्रतिवेदन व अन्य प्रतिवेदनों को अभिग्रायाएँ तथा अधिनियम भी

इसका आधार बने। इस अध्याय में मूलत पचायतीराज के पूर्ववर्ती प्रारूप के संगठन एवं कार्यों का विवेचन मात्र किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में मूलत 73वें संविधान सभाधन प्रदत्त पचायतीराज तत्र पर आधारित राजस्थान सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1994 को पारित नवीन पचायतीराज अधिनियम के मूल प्रारूप के तहत पचायतीराज संस्थाओं के गठन एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

अध्याय पाँच में पचायतीराज व्यवस्था के पूर्ववर्ती प्रारूप जिसका उल्लेख अध्याय तीन में किया गया था तथा 73वें संविधान प्रदत्त प्रारूप जिसका वर्णन अध्याय (4) में किया गया था। पचायतीराज व्यवस्था के इन दोनों प्रारूपों को संगठन एवं कार्यों का सैद्धांतिक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय छ पचायतीराज व्यवस्था के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों का अनुभव मूलक अध्ययन है। जिसमें जानकारी हेतु जिन 250 उत्तरदाताओं को प्रतिदर्श द्वारा चयन किया गया था उनकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को विवेचना को गई है।

जिसमें जनप्रतिनिधि नागरिक एवं लोकसेवकों का चयन किया गया है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि उसके विचारों एवं आचरण को प्रभावित किये बिना नहीं रहती है तथा उसका प्रभाव उसके द्वारा दिये गये प्रश्नों के जवाब में स्पष्ट झलकते हैं। आयु, आय आय का साधन परिवार का आकार, शैक्षणिक योग्यता जाति, वर्ग आदि को इस अध्ययन के विश्लेषण का आधार बनाया गया है।

अध्याय सप्तम मे पचायतीराज व्यवस्था के दोनों प्रारूपों के द्वितीय अनुभवमूलक अध्याय में संगठन एवं कार्यों से सम्बन्धित उत्तरदाताओं से उनकी राय जानने का प्रयास किया गया है। ग्राम सभा/वार्ड सभा/ग्राम पचायत/पचायत समिति एवं जिला परिषद् को चतुर्स्तरीय व्यवस्था को इसका आधार बनाया गया है। जिसमें चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के सम्बन्ध में सहमति व असहमति, 1959 के पचायतीराज प्रारूप में कार्यया, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण सीमित परिवार की अनिवार्यता न्याय-पचायत की समाप्ति पचायतीराज संस्थाओं की शक्तियों में अन्तर निर्णयन का तरीका, अध्ययन एवं शोध के आरक्षण, महिला आरक्षण, अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान संवैधानिक दर्जा एवं जवाबदेयता, संस्थाओं में समन्वय एवं सहयोग आदि मुद्दों पर उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये जवाबों का गहन विश्लेषण कर इस अध्याय में प्रस्तुतिकरण किया गया है।

अन्तिम अध्याय 8 (आठ) में इस समग्र अध्ययन का सारांश प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण सुझावों को जो उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये थे को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है साथ ही लेखक द्वारा स्वयं विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय गौचियों, अध्ययन एवं शोध के दौरान उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान अनुभव किये गये विचारों को अन्य सामान्य सुझावों की श्रेणी में शब्दबद्ध करना अपना पुनोत्त दायित्व सेखन के प्रति समझ कुछ सुझाव देने का यत्क्षेत्रीय प्रयास किया है। जो शायद विवेचन सार्थकता में कर्तव्य उपयोगों सावित होंगे।


पचायतीराज व्यवस्था की पूर्ववर्ती एवं नवीन सरचनात्मक तुलनात्मक स्थितियों को आरेख के माध्यम से आगे प्रदर्शित किया गया है जो कि पचायतीराज संस्थाओं के प्रारूपों की तुलनात्मक अध्ययन का मुख्य आधार है।

आरेख 1.1

*पंचायतीराज संस्थाओं के विस्तरीय (पूर्ववर्ती प्रारूप का संगठन)

आरेख 1.1

*पंचायतीराज संस्थाओं के विस्तरीय
(पूर्ववर्ती प्रारूप का संगठन)



*पंचायतीराज संस्थाओं का उपरोक्त विस्तरीय चार्ट राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद् अधिनियम, 1959 का समेकित प्रारूप है जिसका 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नामौर जिले में शुभारम्भ किया गया।

- * उपरोक्त आरेख राज पचायतीराज अधिनियम, 1994 तथा उसके संशोधित प्रारूप के अनुसार है।
- ** राज पचायतीराज (संशोधन) अध्यदेश 6 जनवरी, 2000 (अध्यदेश स 2) पृ 113, राज पत्र विशेषाक भाग 4 (ख) के अनुसार सतकाता समिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

सन्दर्भ

- 1 73वा संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 243 ए, (इस अधिनियम का प्रवर्तन भारत सरकार के गजट में 26 अप्रैल, 1993 को प्रकाशित होने के साथ हुआ)
- 2 एन एम मूलवन्दनी, कॉन्स्टौटूशन ऑफ इण्डिया, दौलत फब्लिकेशन, नागपुर, 1994, अनुच्छेद 243 बो (1), पृ 315
- 3 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 ढो (1), पृ 316
- 4 उपर्युक्त अनुच्छेद, 243 ढो (2), पृ 316
- 5 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 ढो (3), पृ 316
- 6 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 ढो (5), पृ 316
- 7 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 ढो (4), पृ 316
- 8 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 इ (1), पृ 317
- 9 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 एफ (1), पृ 317
- 10 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 आई (2), पृ 318
- 11 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 के (1), पृ 318
- 12 उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 के (2), पृ 318

□ □ □

2

ग्रामीण भारत में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एवं दर्शन : एक सिंहावलोकन

लोकतंत्र की अवधारणा एवं अभिग्राह्य · लोकतंत्र के विचार के विकास का भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ :

भारत में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा, विचारधारा एवं दर्शन पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था के विचार को यिद्धात्मुख करने से पूर्व प्रजातंत्र एवं विकेन्द्रीकरण के पृथक् दर्शन को प्राचीन से अर्धांशीन काल तक परिभाषित एवं स्पष्ट करना सपौचीन प्रतीत होता है। ताकि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रमाणित अवधारणा के मूल को वैशिक एवं भारतीय दर्शन में प्रमाणित कर उसकी स्थीरता को सर्वस्वीकार्यता के अतीत में झाक सकें जिसकी पृष्ठभूमि में अर्धांशीन प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की पंचायती राज अवधारणा का उद्गम निहित है। अतीत के उपलब्ध लिखित सभ्य प्रमाणों में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के अकाद्य प्रमाण पर्याप्तता से हमें उपलब्ध हैं।

लोकतंत्र की वैदिक अवधारणा

भारत आधुनिक जगत् की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि डेमोक्रेसी नामक धूनानी शासन व्यवस्था मूलतः भारत की देन है। विश्व सास्कृति का इतिहास लिखने वाला महान् विद्वान् विलङ्घ्यूतं ने जब विश्व को मिलने वाली भारतीय विरासत का उत्स्तेष्य किया हो भाव विभोव होकर योल पढ़ा, “भारत हम सब की माता है” नि.सदेह इस दिशा में भारत का योगदान अत्यंत शर्वोक्तित के माथ उत्स्तेष्यानीय एवं स्परणीय है।

गांधी जी अपनी “ग्राम स्वराज्य” नाम पुस्तक में कहते हैं कि “मैं जिस ‘स्वराज्य’ शब्द का प्रयोग करता हूँ वह केवल होमरुल का वादक नहीं, अपितु वह एक वैदिक शब्द

है।" वेदविज्ञान के प्रसिद्ध शब्द वेता फतेह सिंह के अनुसार "वैदिक" "दम" शब्द अहकार के दमन् का द्योतक है। यह दम शब्द "दम् धातु" से बना है जिसे अहंकार दमन् का बोज माना गया है। अतः अहकार दमन का बीजवर्णन न केवल दायरत्य जीवन का मूलाधार बना अपितु उस दिव्य अग्नि को आकर्षित करने में सफल हुआ जो वेद में दमूनस कहलाता है।" इस दमूनस की साधना का ही वैदिक नाम दमूनः कृषि अथवा केवल कृषि है जिसके फलस्वरूप परिवार के प्रत्येक सदस्य वीरेना भूमि-सोता [कृषि-भूमि] वेद में "सुमना, सुभगा तथा सुफला होती है।" अर्थवर्वेद [12, 18] में यही वह भूमि है जिसका "अमृत हृदय" है और जो परम्-व्योम के चेतन समुद्र में स्थित होते हुए भी "उत्तम-राष्ट्र" को तेज और बल प्रदान करने वाली कही गयी है। अतः दमूनः कृषि का अर्थ है, "अहकार दमन् करने वाली दिव्य दमूनस अग्नि को उत्तरोत्तर उभारने का अभ्यास।" यही अभ्यास वैदिक दमूनः कृषि अथवा डेमोक्रेसी का मूलाधार था। जिसको व्यावहारिकता के प्रतीकवादी प्रमाण वैदिक दर्शन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जैसे आश्रम व्यवस्था।

वैदिक मन्त्र और सूक्तिया इसी तथ्य को परिचायक है। यही भारत में विभिन्न मान्य विधियों और विचारधाराओं तथा जीवनदर्शन के निर्वाध विकास और उसके मानने वाले के परस्पर सद्भाव का रहस्य है। इस वैचारिक परम्परा की जड़ें हमारी सस्कृति एवं जीवन दर्शन में हैं जो अधिनायकवाद को जमने नहीं देती है और लोकतत्र को जीवत बनाये रखती है। वैचारिक स्वातंत्र्य को इस अतीतकालीन परम्परा का ही परिणाम है कि भारत में सर्वप्रथम जनतत्र का उदय हुआ।

प्लेटो को 'रिपब्लिक' और उनके प्रेरणास्त्रोत ऐथेन्स के जनतत्र से शक्तियों पूर्व भारत में प्रभुसत्तासम्पन्न गणराज्य उपस्थित थे। वैदिक काल से ही भारत में लोकतात्रिक सम्पादन-चायत, सभा, समिति, ब्रेणी आदि किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही है।

वैचारिक स्वातंत्र्य और लोकतात्रिक सम्पादनों की सुदोर्घ परम्परा भारतीय लोकतत्र की सफलता एवं उसके जान्वत्यमान भवित्व के पक्ष में प्रामाणिक तर्क है। शतपथ ब्राह्मण (13/2/3/7-8) में राजा पर नियत्रण हेतु विद्वानों को परिषद् का उत्त्सेष मिलता है। याज्ञवल्क्य एवं मनु राजा पर नियत्रण हेतु 4 एवं 3 विद्वानों को परिषद् से परामर्श की आवश्यकता बताते हैं। महाभारत में आर्बवाणी "बसुधीव कुदुंबकम्" के लोकतात्रिक अभिग्राय को स्पष्ट इग्नित करती है। बौद्धकालीन जनपद एवं 'रामराज्य' भारतीय जनतत्र की व्यावहारिक तस्वीर को स्पष्ट पेश करते हैं।

लोकतत्र के विचार के वैशिखक विकास का ऐतिहासिक सर्दर्श :

लोकतात्रिक विचार को अभिव्यक्ति को प्राचीनतम् परम्परा के प्रमाण न केवल भारतीय इतिहास में ही मिलते हैं बरन् प्राचीन विश्वसभ्यताओं में भी इस विचार के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। यूनानी दर्शन ने लोकतात्रिक विचार एवं व्यवहार को सर्वप्रथम समतावादी, मानवतावादी एवं तार्किक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया जिसका आधार इंसाई मत एवं इस्लाम धर्म थे।

ईसाई मत में सोकर्तव्र का विचार

ईसाईयों का धार्मिक ग्रंथ 'बाइंबिल' समानतावादी आदर्शों से भरा पड़ा है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समानदृष्टि से देखे जाने पर बल दिया गया है। ईसाईमत में लोकतात्रिक विचारधारा के सन्दर्भ में ब्यारबू ने लिखा है कि "धर्म निरपेक्षीकरण उस सीमा तक आवश्यक था जहाँ तक कि धूरोपीय मनुष्य ने यह विश्वास किया कि वह एक आत्मिक प्रेरणा से विवेक और नैतिक जीवन का प्रतिमान अपना सके जिसे ईसाई सभ्यता ने सदियों से उसमें जागृत किया था। यही उस तथाकथित आधुनिक अन्तरात्मा का वास्तविक कार्य है जो प्रजातात्रिक व्यक्तित्व के केन्द्र का निर्माण करता है।"² ईसामसीह ने बिना किसी भेदभाव के दरिद्र एवं पीड़ित मानव की सेवा की तथा उस प्रत्येक अन्याय एवं शोषण के खिलाफ अपने विचार रखे जिससे ईसाई धर्म को स्वीकारने वालों की सख्ता में बढ़ोतारी के साथ सोकतात्रिक प्रक्रिया भी तीव्र गति से जागृत होने लगी।

इस्लाम में लोकर्तव्र का विचार

आर लेवी ने स्पष्ट कहा है कि "इस्लाम धर्म में सभी समान हैं।"³ इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद साहब ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण मनुष्य द्वारा मनुष्य पर अन्याय तथा प्रत्येक प्रकार के भेदभाव की आलोचना करते हुए लोकर्तव्र के तीनों आदर्शों समानता स्वतंत्रता एवं तर्क पर आधारित लोकतात्रिक व्यावहारिक जीवन पद्धति को स्थापना का प्रयास किया। हुमायूँ कबीर ने लिखा है कि "इस्लाम के पैगम्बर ने यह निश्चित किया कि धर्म विवेक न कि शक्ति पर आधारित हो। इस प्रकार यह कथन कि सुधारक न कि पैगम्बर उनके अनुयायी होंगे को मानवीय भौतिक की इसी नवी उपलब्धि के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। धर्म के चमत्कारों का युग समाप्त हो गया था और विज्ञन की विजय का युग प्रारम्भ हो चुका था।"⁴ 14वीं 15वीं शताब्दी में प्रात्स की क्रान्ति एवं इन्लैण्ड में किसानों का विद्रोह सोकर्तव्रीकरण की प्रक्रिया और समानतावादी मूल्यों के प्रभाव के अन्तर्गत हुए थे। वर्तमान समय में सयुक्त राष्ट्र सम्पन्न ने लोकर्तव्रीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए 1948 में सयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कहा कि 'प्रत्येक को चिन्तन अन्तरात्मा तथा धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है।'

इस घोषणा में सोकतात्रिक प्रक्रिया की वास्तविक एवं ऐतिहासिक आवश्यकता की अन्तर्धानीय स्वीकृति निहित है।

• सोकर्तव्र का अभिप्राय

सोकर्तव्र का शब्दार्थ अत्यन्त सरल है। 'सोक' अर्थात् जनता और 'तत्र' अर्थात् शासन अथवा राज्य। अतः सोकर्तव्र से अभिप्राय जनता का राज्य सोकर्तव्र यानी 'डेमोक्रेसी' (अंग्रेजी में) यूनानी भाषा के 'डेमोस' शब्द से तथा 'फ्रेटिया' शब्द से बना है जिसका अभिप्राय भी जनता के शासन से है। राबट्ट ए डहाल प्रजातव्र को 'सोकप्रियशासन' या 'बहुतत्र' भानते हैं। गाँधी जी के अनुसार प्रजातव्र आदर्श समाज में समानता एवं स्वतंत्रता की स्वीकृति हैं वह एक ऐसा राज्यराज्य होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सत्त्वनिष्ठा से कमायेगा और समाज सेवा

करेगा। इस प्रकार गांधी का ग्राम स्वराज्य एवं सर्वोदय दर्शन, विनोबा भावे का भूदान दर्शन तथा जयप्रकाश नारायण का सहभागी लोकतत्र आज सोकतत्र को मूलात्मा का यथार्थ है।

हेरोडोटस ने प्रजातत्र को परिभाशा उस शासन के रूप में की है जिससे राज्य को सर्वोच्च शक्ति सम्पूर्ण समाज के हाथों में होती है। डायसो के अनुसार, "प्रजातत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकारा भाग शासक होता है।"^५ लोकतत्र को एक सरल परिभाषा अद्वाहम लिकन को भी देने का ब्रेय जाता है जिनके अनुसार "प्रजातत्र का अर्थ प्रजा का शासन, प्रजा से और प्रजा के लिए होता है।"^६ अर्वाचीन चितकों में लाई द्वाइस लोकतत्र को और अधिक स्पष्टता प्रदान करते हुए तिखते हैं कि "लोकतत्र सरकार का वह रूप है जिसमें योग्यता प्राप्त नागरिकों की सख्त कम से कम तीन चौथाई होनी चाहिए ताकि मोटे तौर पर नागरिकों का भौतिक बल उनकी मतदान शक्ति के बराबर बना रहे।"^७ इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए शूम्पीटर लोकतत्र की वस्तुस्थिति करते हुए कहते हैं कि "लोकतत्रीय प्रणाली राजनीतिक प्रश्नों के निर्णय करने की उस व्यवस्था का नाम है जिसमें कुछ व्यक्ति जनता के खोट के लिए परस्पर प्रतियोगिता द्वारा निर्णय करने को शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।"^८

कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने 1904 में अपने निबध्न "स्वदेशी समाज" में प्रजातत्र को ग्राम एवं ग्रामीणों की उन्नति साथ स्वयं को ताकत को पहचानते हुए साथ कार्य करने एवं सहयोग कर राष्ट्र को मजबूत एवं एकोकृत करने का माध्यम माना है।

यण्ठित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार "प्रजातत्र मानवता पर शासन करने के हमारे बेहतरीन विकल्पों में से एक है"^९ लोकतत्र को पूर्ण प्रतीती हमे गांधी, विनोबा एवं जयप्रकाशनारायण 'सर्वोदय' आन्दोलन में हो होती है जो भारत का परमपुरातन आदर्श रहा है।

सर्वे भवतु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दु खमाप्न्याद ॥१०॥

सबका उदय, सबका उत्कर्ष, सबका विकास हो तो सर्वोदय है। दादाधर्माधिकारी अपनो रचना सर्वोदय दर्शन में लोकतत्र के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि "जहा 'मैं' और 'तू' का भेद समाप्त हो जाता है। मेरी सत्ता तुम पर नहीं, तुम्हारी सत्ता मुझ पर नहीं। अपनी सत्ता अपने पर। यही वास्तविक लोकसत्ता कहलाती है।"^{११}

लोकतत्रीकरण की प्रक्रिया लोक में सोकतात्रिक मस्तिष्क के उन्नयन का पथप्रदर्शन करती है। लोकतात्रिक मस्तिष्क को सरचना खुली हुई है और सचीली होती है और तर्क एवं चुद्धि इसको केन्द्रीय एवं सक्रिय विशेषताएँ होती हैं। तक व्यक्ति वो परिवर्तन में सन्तुलन और निरतरता तथा विभिन्नता में एकता का अनुभव करने के योग्य बनाता है। व्यक्ति और नवीनता के भय से शुक्र हो जाता है चुद्धि के माध्यम से व्यक्ति तेजी से परिवर्तित विश्व के साथ सामजस्य करने की क्षमता व काबिलियत प्राप्त करता जाता है।

भारतीय सविधान भी लोकतत्र के अधुनात्म स्वरूप का प्रमुख आधार रहा है जिसमें भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्बन्ध सोकतत्रात्मक गणराज्य घेयित करते हुए कहा है कि "हम

भारत के सोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्बन्ध सोकतशात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्थतत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबसे व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बपुता बदाने के लिए दृढ़ सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्बत् 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस सविधान को अगोक्ता अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।¹²

गांधी जी को मान्यता थी कि एक प्रजातात्रिक नीति का आधार अहिंसा तथा इसके मूल्य आज्ञाकारिता एवं विश्वसनीयता होने चाहिए। गांधी की सोकतत्र की अवधारणा में सरकार थोक्रेष्ट है जो कम से कम शासन करे। गांधी जी कहते थे कि सच्चे लोकतत्र के लिए हवा आनी, भूमि उत्पादन के साधनों तथा लाभ पर सब का स्वामित्व समान होना चाहिए। केवल सत्ता यहुसख्य कही भागीदारी से ही लोकतत्र कायम नहीं होगा। गांधी एवं नेहरू का लोकतत्र केवल सरकारी व्यवस्था मात्र न होकर एक जीवन दर्शन है। नेहरू ने लोकतत्र को लोक के कल्याण एवं प्रसन्नता के साथ ही लोगों के मध्य असमानता दूर करने शान्तिपूर्ण कार्य करने का तरीका, निर्णय लेने तथा परिवर्तन की स्वीकृति शान्तिपूर्ण तरीके से होने का माध्यम माना है। *

विकेन्द्रीकरण अभिप्राय एवं अवधारणा

जनता को सत्ता, सगठन एवं सासाधनों में प्रशासनिक, राजनीतिक समान भागीदारी ही विकेन्द्रीकरण है। लोकतत्र, सोकस्वराज, सर्वोदय, ग्राम्पदान सहभागी लोकतत्र एवं पचायतीराज इन सभी का मूलाधार विकेन्द्रीकरण है। शक्तियों का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह, सालफीताशाही के अवसरों का अधाय तथा निर्णय व उत्तरदायित्व में व्यापक सहभागिता ही किसी भी सगठन में विकेन्द्रीकरण के अभिप्राय का सही घोतक है। एस डी ब्हाइट के शब्दों में विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय “प्रशासन के निम्नतल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तातरण की प्रक्रिया को केन्द्रीयकरण कहते हैं जबकि इसके विपरीत व्यवस्था को विकेन्द्रीकरण कहा जाता है।”¹³

रुमकी ब्रह्म के अनुसार “विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय प्रशासनिक सत्ता का केन्द्र से स्थानीय अभिकरणों घो स्थानान्तरण है नो कि क्षेत्र में स्वायता से कार्य करते हैं।”¹⁴

विकेन्द्रीकरण न केवल प्रशासकीय सत्ता के न्याय या छिराव की एक विधि है बरन् यह राजनीतिक सत्ता एवं उत्तरदायित्व के हस्तान्तरण का एक जनतात्रिक मार्ग है। किसी भी विकेन्द्रीकृत सगठन में सोकतत्रिक नियम सगठन तथा जनसाधारण के बीच उचित सम्बन्ध, सहयोग, समन्वय एवं सूझ-बूझ स्थापित करने में सहायक है अपने अभिप्राय के प्रशासनिक सन्दर्भों में विकेन्द्रीकरण द्वारा अनिम आदेश देने की शक्ति तथा परिणामों के लिए उत्तरदायित्व सम्पूर्ण देश की स्थानीय इकाइयों को सौंपा जाता है। विकेन्द्रीकरण का सार कुशल एवं प्रभावी कार्य के लिए अधीनस्थ अधिकारियों तथा उपविभागों को कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपना है।

प्रभुदत्त शर्मा विकेन्द्रीकरण को यांच थांगों में अभिव्यक्ति करते हैं —

1. प्रशासकीय पहलु :

सत्ता का हस्तान्तरण इस प्रकार किया जाए कि स्वेच्छा से कार्य करने का विशाल क्षेत्र अधिनस्थ अधिकारियों को सौंपा जाए तथा शोर्पंस्थ मुख्य अधिकारी को कम से कम प्रश्न संबोधित किये जाये।

2. राजनीतिक पहलु :

निर्वाचित निकायों के हाथों में अधिक शक्ति सौंपी जाए और प्रशासन के कार्यों में जनता का पूरा-पूरा सहयोग रहे।

3. भौगोलिक पहलु :

जनता के निकट के तथा प्रधान कार्यालय के दूर की क्षेत्रीय इकाईयों को स्वतंत्रता दी जाए।

4. कार्यात्मक पहलु :

विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने के लिए विभिन्न विभागों को कार्य स्वतंत्रता दी जाए।

5. प्रशासकीय पक्ष :

संगठन की व्यक्तिगत इकाईयों को अधिक शक्ति सौंपी जाए तथा मुख्य कार्यालय में नियन्त्रण को कुछ भूल शक्तियों को ही रखा जाए।¹⁵

अमेरिका के टैनेसी घाटी प्राधिकरण के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष लिलेन्यल ने विकेन्द्रित प्रशासन की तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताया है—


1. अधिकतम निर्णय क्षेत्र में ही लिये जाने चाहिए।
2. जनता को प्रशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी के अधिकतम अवसर हो।
3. क्षेत्र में कार्यत अभिकरणों के मध्य बेहतर समन्वय होना चाहिए।¹⁶

डॉ. एम.पी. शर्मा विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “विकेन्द्रित संगठन के भीतर अधिकांश मामलों में निर्णय करने की शक्ति निम्न अधिकारियों के हाथों में रहती है तथा अपेक्षाकृत कम मामले उच्चतर अधिकारियों के पास भेजे जाते हैं उच्चतर अधिकारियों के पास केवल वे ही मामले भेजे जाते हैं जो बड़े तथा महत्वपूर्ण होते हैं। निर्णय के जितने अधिक केन्द्र किसी संगठन में होते हैं वह उतना ही अधिक विकेन्द्रित माना जाता है।”¹⁷

हरमन फाइनर के अनुसार “विकेन्द्रीकरण व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकार के विभिन्न केन्द्र स्थानीय राज्य और केन्द्र होते हैं, प्रत्येक को स्वतंत्र अस्तित्व तथा कार्यों के आधार पर जाना जाता है।”¹⁸ आचार्य विनोद भावे ग्रामदान प्रारूप को विकेन्द्रीकरण का यथार्थ स्वीकारते हुए कहते हैं कि पहले ग्रामदान हो फिर प्रखण्डदान तत्पर्यात् अनुमण्डलदान एवं जिलादान के पश्चात् प्रान्तदान हो।

स्वशासन को ग्रामदानी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्ता, कल्याण एवं विकास का समग्र व अपनत्व से ध्यान रखे तभी सच्चा राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक आर्थिक विकेन्द्रीकरण संभव हो सकेगा।¹⁹

विनोद भावे की सोकतंत्र एवं विकेन्द्रीकरण की सकल्पना इस प्रकार है—



अहिसा सत्य एवं प्रेम पर आधारित गांधी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना विकेन्द्रीकरण की भारतीय अवधारणा का यथार्थ है। उनका द्रष्टव्यशिष्ठ एवं सर्वोदय, का विचार इस अवधारणा के आधार स्तम्भ है तो अत्योदय का विचार इसकी आत्मा है। किसी भी व्यवस्था

के विकास में अविकेन्द्रीकरण एवं अतिविकेन्द्रीकरण दोनों अलाभकारी हैं अतः दोनों का सम्मिलित उपयोग ही ब्रेयस्कर है।

चालसं बर्धे के अनुसार विकेन्द्रीकरण से प्रशासकीय कुशलता बढ़ती है तथा नगरिकों में व्यक्तिगत औचित्य की भावना का विकास होता है। इसमें कुछ आध्यात्मिक गुण होते हैं ३७ विकासशोल देरों एवं नवस्वत्र प्रजातात्रिक देरों में जहाँ आर्थिक, सामाजिक न्याय तथा विकास एक महत्वपूर्ण घटेय है वहाँ इस सबके लिए योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन केन्द्रीकृत व्यवस्था में कुशलता से न होने के कारण विकेन्द्रीकरण व्यवस्था एवं विचार ही एक मात्र समाधान स्वीकार किया गया। सरकार की बढ़ती जिम्मेदारियों एवं जन अपेक्षाएँ विकास एवं परिवर्तन की चुनौतियों का केन्द्रीयकृत व्यवस्था में समाधान असम्भव ही गया है जिसकी परिणिति विकेन्द्रीकरण को स्वीकृति ही एक मात्र समाधान के माध्यम के रूप में अगोकार की गई।

सत्ता, सगठन निर्णयन, विकास, कल्पण, परिवर्तन, नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन, मूल्याकन तथा उत्तरदायित्वों में बहुजन की सहभागिता ही विकेन्द्रीकरण है। विकेन्द्रीकरण के अभिप्राय एवं अभिव्यक्ति के अवधारण एवं दर्शन में निहित है रसकिन का “अन दु दी लास्ट” गाँधी का सर्वोदय, अत्योदय विचार तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक, आर्थिक जन सहभागिता पर आधारित “सहभागी लोकतत्र” का विचार एवं विनोबा भावे का ‘भूदान दर्शन’ दादा धर्माधिकारी का समग्रता पर “अपना” “अपन का” “हमरा” विचार की यथार्थ क्रियान्विती।

विकेन्द्रीकरण के भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में योड़ा अन्तर हमें दिखाई देता है। विकेन्द्रीकरण का भारतीय दर्शन जहाँ, मूल्यों, परम्पराओं नीतिकता, सहयोग, सौहार्द, प्रेम, अहिंसा सत्य के साथ विकेन्द्रीकरण के पाश्चात्य दर्शन से सामजिक्य की बात करता है। वहाँ दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण का पाश्चात्य दर्शन सिद्धान्तों, नियमों प्रक्रियाओं पर आधारित है जिसमें लोकभावनाओं एवं मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। अत विकेन्द्रीकरण की भारतीय अवधारणा जहाँ जीवता तिए हुए है वहाँ पाश्चात्य अवधारणा विशुद्ध सिद्धान्तिकता पर आधारित सिद्धान्तवादी मात्र है। भारतीय व्यवस्था व विचार में विकेन्द्रीकरण भारतीय मूल्याधारित जीवता एवं पाश्चात्य सिद्धान्तिकतापरित विकेन्द्रीकरण की विचारधारा का सम्मिलित स्वरूप है। गाँधी जी राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के ग्रामीण समुदायों को उनके कार्य प्रबन्धन में व्यापक स्वायत्तता को सर्वोपरी भानते हैं। विकेन्द्रीकरण पर जयप्रकाश नारायण विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि “राजनीति और आर्थिक ढांचे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वे समाज के एक ही भवन के अभिन अग हैं। दिना आर्थिक विकेन्द्रीकरण के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण कारगर नहीं हो सकता।”^{३८}

विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता क्यों?

वैसे तो लोकतत्रीकरण की प्रक्रिया के साथ ही विकेन्द्रीकरण के विचार की कल्पना एवं व्यवहार स्वाभाविक है। सामाज्यवादी तात्कार्तों के फासीवादी, नाजीवादी एवं शैवमयुक्त प्रवृत्तियों का ही परिणाम है कि दुनिया में स्थित राष्ट्रों को प्राथमिक आवश्यकता से कतत्र हो गई। विकसित एवं विकासशोल राष्ट्रों में विकास व कल्पण, परिवर्तन एवं आर्थिक, सामाजिक न्याय की धारा ने लोकतात्रिक सरकारों के समझ नीति निर्माण, निर्धारण एवं

क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ केन्द्रीकरण के कारण उत्पन्न कर दी गयी साथ ही जन भावनाएँ भी स्थायतात् एवं विकास में अपनी भागीदारी की मांग करने लगी ऐसे समय में शासन शासक एवं शासितों के हक में विकेन्द्रीकरण ही समस्याओं के भवाभाव का एक मात्र मार्ग दिया। निर्णयों नीतियों उत्तरदायित्वों सत्ता अतिकेन्द्रीकृत व्यवस्था ने सोकतत्र शासकों के समक्ष जटिल समस्याएँ पैदा कर दी आत अच्छे परिणामों पर स्तर क्रियान्वयन घेहतर निर्णय एवं विकास कल्याण एवं सभी में जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के विचार का उदगम हुआ।

आज की विकेन्द्रित प्रजातात्रिक व्यवस्था अतीत की ओर निरकुश एवं साप्राञ्चयादी शासन व्यवस्था की असतुष्टि से उत्पन्न जनमानस की अभिव्यक्ति की स्थीकारोक्ति की परिणिति है।

लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण अभिप्राय एवं अवधारणा

सोकतत्र एवं विकेन्द्रीकरण दोनों एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण एवं अग्रासणिक हैं। यदि दोनों को जीवत य व्यायहारिक बनाये रखना है तो दोनों का आत्मवत् सहभागी सहयोगात्मक समन्वय सर्वस्थीकृत प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकृत ग्राहण आगीकार करना होगा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा का आधार आज सर्वाधिक लोकस्थीकृत एवं अपरिहार्य हो गया है। किसी भी जनतात्रिक व्यवस्था में शासन एवं प्रशासन की गतिविधियों के सचालन के एर स्तरों पर जन सहभागिता की सक्रियता का एक मात्र पार्थेय प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण ही है। जिसके माध्यम से जनता अपने व क्षेत्रीय विकास कल्याण सुकृता हेतु निर्णयों में अपनी अधिकतम सक्रिय भागीदारी से शासन में विश्वसनीयता पारदर्शिता एवं कुशलता तथा क्षमता उत्पन्न कर स्व के समग्रहितों को सरकित कर सकती है।

लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण दो शब्दों "लोकतंत्र" और "विकेन्द्रीकरण" से बना है। जिसमें जनता का शासन हो तथा जनता का शासन से प्रस्तुत और सजीव सम्पर्क हो। जिसमें जनता का शासन हो तथा जनता का शासन से अभिहित किया है। वेवर्टर्स की सोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण को ग्रास रूट हेपोक्रेसी के नाम से अभिहित किया है। वेवर्टर्स की "न्यूट्रनीयर्स सेंचुरी डिवरनरी ऑफ इलिश" "ग्रास रूट" से अभिप्राय आम व्यक्ति हारा उन्होंने के बीच ही दिया गया है अर्थात् यह राजनीतिक आन्दोलन जो सामान्य जन के हारा अपने स्तर पर शुरू किया जाये। ऐसिया एवं अफ्रीका नवव्यवतत्र नवोदित राष्ट्रों भे द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् लोकतत्र की जड़ों को मजबूत बनाने हथा आमजन को अपने नागरिक एवं अधिकतम विकेन्द्रीकरण के प्रायोगिक प्रयास शुरू किये।

"विकेन्द्रीकरण" के पूर्व "लोकतात्रिक" शब्द के उपयोग करने से इसका अर्थ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को पृथक् से समझाने में भी सहायता करता है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा प्रशासन में कुशलता लाने के विचार से अभिप्रैति है। प्रशासन में विकेन्द्रीकरण की अवधारणा प्रशासन में कुशलता लाने के विचार से अभिप्रैति है। प्रशासन में विकेन्द्रीकरण की गतिवृद्धि के माध्यम से उनकी कुशलता बढ़ाने से होता निष्ठति और प्रशासनिक कार्यकों की गतिवृद्धि के माध्यम से उनकी कुशलता बढ़ाने से होता है। जबकि लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य शासन के कार्यों में सरकार के प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रान्तीय और विशेषत स्थानीय स्तर पर जनता की अधिकतम सहभागिता प्राप्त करना होता है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण में प्रशासन के निवृत्ति स्तरों पर किसी योजना को

अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कार्यान्वित करने का अधिकार निहित देखा जा सकता है। इसमें दोडना उच्च स्तर के लोगों द्वारा बनाये जाते हैं और उसकी क्रियान्वितों को प्रक्रिया में नीचे के स्तर को स्वतंत्रता अभीष्ट होती है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को स्थानीय स्तर पर लोगों का अपने कल्पान की दोडनाओं को बनाने एवं पहल करने तथा स्वायत्तापूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने के अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण" प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की तुलना में अधिक व्यापक है और दोनों में अन्तर उनके उद्देश्य को सेकर किया जा सकता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण जहाँ लोगों की सहभागिता पर बल देता है वहाँ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य कुशलता को बढ़ावा देना होता है।²³

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार को प्रत्यायोजन या विसंकेन्द्रन के समानार्थक समझकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। यद्यपि इन तीनों शब्दों में कुछ समान गुण हो सकते हैं फिर भी ये समानार्थक नहीं हैं। प्रत्यायोजन में सत्ता का उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को हस्तांतरण होता है जो उस सत्ता के उपयोग के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र नहीं होता अपितु उसका निर्वाह उच्च अधिकारी के निर्देशों और मोद या प्रत्याद की सीमाओं के अन्तर्गत करना होता है।

जबकि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लोकतांत्रिक सिद्धान्त का विस्तार है, इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों का अपने कार्यों के बिना हस्तहेप के प्रबन्ध का अधिकार निहित है। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार में जहाँ लोगों का अधिकार अन्तर्निहित देखा जा सकता है वहाँ प्रत्यायोजन उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त सुविधा मात्र है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक ऐसा सिद्धांत है जो स्थानीय लोगों को मौलिक सत्ता के उपयोग का अधिकार प्रदान करता है। जबकि प्रशासनिक प्रत्यायोजन या विसंकेन्द्रन, किसी भी प्रशासनिक संगठन में प्रशासनिक कुशलता प्राप्त करने का उपायम् मात्र है जिससे अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसी सत्ता का उपयोग किया जाता है जो उसे उच्च अधिकारी द्वारा दी गई है।²⁴

चौन जैसे साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के स्थान पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है। साम्यवादी व्यवस्था में लोकतंत्र नीतियों के निर्धारण की प्राथमिक प्रक्रिया तक सीमित है। तत्परतात् समस्त प्रक्रियाओं पर केन्द्रीय नेतृत्व का केन्द्रीकरण स्थापित हो जाता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में जहाँ लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता व स्वायत्ता पर बल दिया जाता है वहाँ लोकतांत्रिक केन्द्रीकरण में लोगों की सहभागिता तथा सत्तावाद दोनों पर बल होता है, यद्यपि यह बल सत्तावाद पर अधिक होता है।²⁵

सत्ता एवं संगठन के सिद्धांतों का जन सहभागिता, जन सहयोग, जनस्वायत्ता द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिषेष में व्यवहार में लाना ही सच्चा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण है। "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक ऐसी राजनीतिक धारणा है जो शासन के कार्यों और निर्णय में लोगों की भागीदारी का विस्तार करती है। यह धारणा उच्च स्तर से जोचे के स्तर के जनप्रतिनिधियों को सत्ता को स्वायत्ता सहित विकेन्द्रीकरण करती है। सत्ता का यह

विकेन्द्रीकरण उपर्युक्त इंगित तीन दिशाओं में राजनीति निर्णय निर्माण, वित्तीय नियन्त्रण और प्रशासकीय प्रबंध में होता है।²⁵

लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण को रामभनोहर लोहिया अपने चतुरसम्भी (चार स्थानों वाले) राज्य की कल्पना के रूप में साकार पाते हैं तथा "पाँचवें स्थान" के रूप में वे विश्वसरकार की कल्पना करते हैं। चौथा भा राज्य में केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण की परम्परा विरोधी धारणाओं को समन्वित करने का प्रयत्न किया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एकीकृत कर दिया जायेगा; कार्यों का सम्मान ढहने एक सूत्र में बाध कर रखेगा। इस चौलभा राज्य में जिलाधीश का पद समाप्त कर दिया जायेगा, क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति के केन्द्रीकरण की बदनाम स्थिता है। इसके अतिरिक्त मण्डलों, गाँवों तथा नगरों की पचायतें कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यों का उत्तरदायित्व अपने कंपर ले लेंगी।²⁶

भारत विश्व की प्राचीनतम् समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भूमि रहा है जिसने सांस्कृति, साहित्य, दर्शन, राजनय एवं धर्म के क्षेत्र में सभ्यता को अतुलनीय योगदान अदा किया है। प्रेम, अहिंसा और सत्य के साथे में यहाँ का राजनय पर्त्तिवित मुष्टित होकर जनतत्र एवं गणतत्र के अंकुरण का कारण यन। वैदिककालीन सभा समिति, रामराज्य, जनपद काल आदि ऐसे प्रमाण हैं जो प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के मूलाधार कहे जा सकते हैं। हो सकता है कि सुव्यवस्थित, विस्तित तथा प्रचारित करने के अवसर का साध पाश्चाल्यों को मिल गया हो। पचैसलों पढ़ति आज भी भारतीय समाज में व्याप्त है जिसमें पचायतो राज व्यवस्था के प्रजातात्रिक अवधारणा का दर्शन अतनिहित है। आश्रम व्यवस्था एवं श्रम के आधार पर जन समूहों का विकेन्द्रीकरण भारतीय संस्कृति को परम्परा का महत्वपूर्ण तत्व रहा है। राम की रथयात्रा, कृष्ण की कस पर तथा पाण्डवों को कौरवों पर निरकुश राजतत्र पर सोकप्रिय जनतत्रात्मक राजतत्र की विजय का प्रमाण प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के सटीक प्रमाण घड़ाहरण प्रतीत होते हैं। जो आज के प्रजातात्रिक युग में भी शायद ही मिले।

भारत में पचैसलों की परम्परा मुग्धतन काल से चली आ रही है जिसमें पचायतो राज व्यवस्था की प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा प्रमाणित होती है तथा प्रत्येक काल खण्ड में इस प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के प्रमाण हमें मिलते हैं।

इस्लाम धर्म में भी 40 व्यक्तियों की सभा द्वारा अपना नेता चुनने की व्यवस्था सोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का ही उदाहरण है।

पी.आर. दुभाषी के अनुसार सामाज्य अध्यों में "लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय" स्थानीय मुद्दों या मामलों का स्वतंत्र सोकप्रिय प्रबंधन है। ("Free Popular management of Local Affairs") लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यों में जनभागीदारी का एक सशक्त माध्यम है। जिसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :—

- 1 विभिन्न स्तरों पर सत्ताओं का अस्तित्व हो जिसकी अतत सम्प्रभुता जनता के करीब हो।
- 2 इन सत्ताओं के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य सीधे जाने चाहिए।

- 3 इन सत्ताओं को सरचना प्रजातात्रिक हो।
- 4 इन सत्ताओं का कार्यकरण प्रजातात्रिक हो।
- 5 इनके सीमित कार्य (लक्ष्य) क्षेत्र में प्रजातात्रिक उच्च सत्ता द्वारा इन्हें स्वायत्तता प्रदत्त हो ॥२॥

ग्रो इकवाल नारायण के अनुसार “लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण को अधिकारण के मुख्य संघटक (Ingredients)” निम्न है—

- 1 जैसा कि इब्द लोकतात्रिक स्वयं लक्ष्य अभिधारण में जनता का ठनको अपनी सरकार के साथ व्यापक और निकटस्थ सम्बन्ध का भाव रखता है।
- 2 इसमें सत्ता के फैलाव (विस्तार) का हस्तातरण सरकार के उच्चतर स्तरों से निम्नतर स्तरों पर होता है।
- 3 सत्ता का यह फैलाव मानकर चलता है कि जनता के लिए स्वायत्तता का अभिप्राय नीति निर्माण और कार्यों द्योजनाओं के सम्बन्ध में राजनैतिक नियम लेना ठनको क्रियान्वित करने के तरीके तथा दण का युक्ति है। इसके लिए आवश्यक वित्त का प्रबल और नियन्त्रण तथा अन्ततः इसके प्रशासन को दिना देना तथा नियन्त्रण है।
- 4 इस प्रकार विकेन्द्रीकृत सत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्षतः अधिका अपने प्रतिनिधियों द्वारा सचालित हो और निश्चित रूप से लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का सम्भव्यता तत्र चुना हुआ हो।


इस प्रकार पचायतीराज सम्भारे न तो पूर्ण रूपेण राजनीतिक पौधरातारे (नसरो) है और नहीं केवल राज्य प्रशासन यत्र का स्थानीय स्तर पर ‘विस्तार’। वे तो आर्थिक क्षेत्र में ऐसे निर्माण के यत्र के रूप में प्रतिबद्ध हैं ॥३॥

विश्व की प्राचीनतम सम्भारों के उत्थान पतन सम्पर्क एवं विकास के दैर्घ्यात्रिक एवं भौतिक भानावशय अत्याधुनिक मानव सम्भाता की प्रगति के मूल प्रेरक रहे हैं। धर्म जाति एवं भूखण्ड में बटो मानव सम्भाता को ये भानवशय एक सत्ता की छत के नीचे अनुशासित रहकर जीने को कला के अनेक प्रारूपों को प्रेरणा देते रहे हैं। निनका आधार सर्वथा सर्व की सत्ता सर्व का विकास सर्व का कल्याण की भावना रहा है जिसमें वो अकुरित पल्लवित पुष्टि रहती रही है। व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाओं एवं दुर्भावनाओं एवं सकीर्णताओं एवं स्वदों ने अवश्य सम्भय-समय पर विचारों एवं स्थितियों को अपने हितों में विकृत करने का प्रयास किया मगर उसका मूल कहाँ न कहीं जिन्दा रहा हो आज UNO विश्व पचायत या विश्व सम्बद के रूप में हमार समक्ष है। “लोकतत्र केवल सरकार का स्वरूप एवं विचार ही नहीं एक जीवन दर्शन एवं पद्धति है जिसमें समग्र के समान कल्याण की सभी सभावनाएँ व्याप्त हैं।

गाँधी का ग्राम स्वराज्य विनोदा का ग्रामदान तथा जयप्रकाश नायदण का सर्वोदय एवं सहभागी लाकतत्र लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के चरम आदर्श हैं। सम्पर्क एवं चुनौती की समाप्ति एवं सभाव एवं सहयोग हो इसके मूल मत्र का भारताय दर्शन है जो सही मायनों में सच्चे एवं सही लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रहरी हैं।

आरेख 2 ।
ग्रामीण भारत में

प्रजातात्त्विक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा व दर्शन सास्थात्मक, विचारात्मक एवं प्रक्रियात्मक आधार



ग्रामीण भारत में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एवं दर्शनः एक सिहाबलोकन

प्रजातत्र, विकेन्द्रीकरण एवं लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के अभिप्राय एवं अवधारणा द्वा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करने से ज्ञात होता है कि लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का वैचारिक एवं व्यावहारिक दर्शन भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। “पूर्व ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन ऐतिहासिक काल में भी आदिवासी कबोलों के मुखियाओं की समिति द्वारा दिन-प्रतिदिन के कार्यों के सचालन का उल्लेख मिलता है।”²⁹ भारत में भेषालय, नागलैण्ड, मिजोरम, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, आध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा भोल प्रभावित मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात के प्रदेशों में आज भी अपने भागलों के स्वसचालन व निर्णयन की परपराएँ अस्तित्व में हैं।

वैदिक काल

वेदों में उल्लेखित “अदिति-पचजना:” अर्थात् समाज के विभिन्न वर्गों के पाच व्यक्ति मिलकर न्याय आदि कार्यों की व्यवस्था करते थे। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के कारण “पच-परमेश्वर” के भाव का भविर्भाव हुआ तथा पचायत के निर्णयों को ईश्वरीय फैसलों के समकक्ष मान्यता मिली। इसमें जातीय पचायतों एवं ग्राम पचायतों को अपनी-अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने सस्थाओं के सन्दर्भ में भारतीय वैदिक ग्रन्थों में सभा एवं समिति नामक लोकतात्रिक सस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के इस सूक्त से यह ज्ञात होता है कि इन सस्थाओं की कार्यप्रणाली की निष्पक्षता एवं पावनता पर कितना ध्यान दिया जाता था।

“समानो मत्रः समिति समानो, समान मन सह चित्तमेषाम्।”³⁰

पुराअभिलेखों तथा शुक्रनीतिसार में ग्राम समिति के सदस्यों के चुनाव को प्रक्रिया तथा उनके लिए अहंताओं का उल्लेख मिलता है। जिस शासन से करोड़ों भारतीय शताब्दियों से शासित एवं स्वाशासित रहते आये हैं। उन्हें पचायत अर्थात् “पच-आयत” शाब्दिक दृष्टि से गाँव वालों द्वारा चयनित पाच व्यक्तियों का समूह है। जिसमें ‘स्वशासन’ की भावना परिलक्षित होती है। सस्कृत भाषा के ग्रन्थों में “पचायतन” शब्द का अभिप्राय आध्यात्मिक पुरुष सहित पाच पुरुषों के समूह अथवा वर्ग से है। पश्चात्वर्ती समय में पचायतीराज का आध्यात्मिक अभिप्राय तो लुप्त हो गया तथा अपने नये अर्थों में पाच जनप्रतिनिधियों की सभा जो स्थानीय विवादों के समाधान में अहम् भूमिका निभाती है के रूप में रह गया।

सभा और समिति को समान स्तरीय माना गया और दोनों को प्रजापति की कम्या कहा गया है।³¹ ऋग्वेद में समिति और सगति को एक ही कहा है और उनके सगठन के समान ही सभा का भी सगठन माना है।³² के पी जायसवाल समिति को राष्ट्र के सभी सदस्यों की राष्ट्रीय सभा मानते हैं उसका सगठन प्रतिनिधित्व पर आधारित होता था। यह सावर्भौम सस्था थी। राजा को चुनने, पदच्युत करने एवं पुनर्नियुक्त करने का उसे अधिकार था। समिति के समान सभा भी सार्वजनीन सस्था थी। तथ सभा ग्राम के वरिष्ठ नागरिक की सभा थी जो दण्ड विधि की अन्तिम सभा थी।³³ जिम्मर महोदय सभा को ग्राम सभा मानते हैं जिसका प्रधान ग्रामणी होता था।³⁴

भारत में "रामराज्य" जनकल्पणा य जनतत्र का एक आदर्श प्रारूप है। "रामायण काल में प्रशासन पुर तथा जनपद दो भागों में विभाजित था। ग्रामों की गणना जनपद में की जाती थी तथा वहाँ के निवासी जानपदा कहलाते थे। ग्राम, महाग्राम तथा धोष का उल्लेख रामायण में मिलता है।"³⁵ महाभारत में भी ग्राम का छोटी स्वायत्तशासी संस्था के रूप में उल्लेख मिलता है। "महाभारत के शातीपर्व के अनुसार शासन की सर्वसे छोटी इकाई ग्राम थी। उसके ऊपर क्रमशः दस बीस शत तथा सहस्र ग्राम समूहों की इकाई होती थी। ग्राम शासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक था। अपने ग्राम तथा उसके निवासियों को स्थिति विशेषत कठिनाईयों की सूचना वह अपने से ब्रेच्ट दस ग्रामाधिकारी (दशप) को देता था। इसी प्रकार दशप विश्वात्यधिप को विश्वात्यधिप शत ग्रामपाल को और शतग्रामाध्यक्ष सहस्र ग्रामपति को अपने-अपने शेषों से संबंधित आवश्यक सूचनाएँ देते थे और उनके आदेशानुसार शासन करते थे।"³⁶ आदित्य पर्व में ग्राम मुख्य का उल्लेख मिलता है जो सभवत् ग्रामीण जनता का प्रतिनिधि था। सभा पर्व में ग्राम पचायतों का उल्लेख मिलता है लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि पच जनता द्वारा निर्वाचित होते थे या राजा द्वारा मनोनीत।"³⁷

मनुस्मृति न केवल स्थानीय स्वायत्तशासन की संस्थाओं के अस्तित्व की चर्चा करती है वरन् उनके अतरसम्बन्धों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। मनु के अनुसार शासन की शक्तियों एवं कार्यों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए तथा प्रजा में स्थितासन की प्रकृति होनी चाहिए। इस हेतु राजा को पृथक् उत्तरदायी मन्त्री की नियुक्ति का परामर्श दिया है। मनु ने शासन की सर्वसे छोटी इकाई ग्राम को माना तथा उसके ऊपर क्रमशः दस बीस शत तथा सहस्र ग्राम समूहों के संगठन की व्यवस्था की प्रत्येक ग्राम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी को भनु ने रक्षक कहा जिसका कार्य प्रजा से कर एकत्रित करना तथा ग्राम में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था।³⁸

"कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जिस ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख किया है वह व्यवस्था भास्त्राट के हस्तक्षेप से मुक्त रहती थी। यह राजा को ऐसे गाँवों की रचना का सुझाव देता है जिसमें कम से कम 100 परिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार रहते हो। जिससे गाँवों के संगठन की व्यवस्था इस प्रवार हो कि प्रत्येक 800 गाँवों के केन्द्र में एक स्थानीय 400 गाँवों के केन्द्र में एक द्वोषमुख कार्बटिक 200 गाँवों के केन्द्र में तथा सग्रहण दस गाँवों के समूह में हो।"³⁹

इस काल में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रमाण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। गुप्तकाल में ग्राम का मुखिया "ग्रामिक" कहलाता था।

बौद्धकाल अपने गणतात्रम् शासन पद्धति के लिए मशहूर रहा है। "जातक कथाओं में बौद्धकाल में सुस्थापित पचायत तत्र का वर्णन मिलता है। इस काल में ग्राम की सभा के प्रधान को ग्रामभोजक कहा जाता था जिसका निर्वाचन ग्रामाधिकारीयों द्वारा किया जाता था। ग्राम सभा में ग्राम-घुद के रूप में ग्राम के मुखिया लोग भाग लेते थे परन्तु उनके अलावा गाँव के अधिकाश व्यक्ति भी सम्मिलित हुआ करते थे।"⁴⁰ ग्रामीणकाल में राजस्थान में ग्राम पचायतों की विद्यमानता के सन्दर्भ में ए एस अल्लेकर का कहना है कि "राजस्थान से प्राप्त लोडों से जात होता है कि यहां पर वे कार्यकारिणी समितियों या इन्हें ग्राम पचायत कहना अधिक उचित होगा विद्यमान थी। वे "पचकुलि" कहलाती थीं और ये मुखिया की अध्यक्षता

मेरे जिसे महत्त्व कहा जाता था। कार्य करती थी।”⁴¹ सातवाहन व शुगकाल मेरे भी ग्रामीण स्वशासी संस्थाएँ थीं।

प्राचीन काल मेरे भारत विकेन्द्रीकृत प्रजातात्रिक संस्थाओं के सन्दर्भ में अत्यत सम्पन्न रहा है। स्मरणातीत काल से पचायतीराज को मूल भावना प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के धरातल पर सक्रिय थी एवं तत्कालीन भारतीय राजनय का महत्वपूर्ण अग्रणी थी।

मध्यकालीन शासन सल्तनत काल एवं मुगलकाल महत्वपूर्ण काल खण्ड रहे हैं। युद्धों एवं राजनीतिक उठा-पटक के साक्षी इन कालों मेरे ग्रामीण संस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वे अपने भाग्य भरोसे हालातों पर निर्भर अपनी स्थिति बनाये हुए थीं।

सल्तनत काल में परगने के बाद को इकाई भोगा अथवा गाँव थी। परगना का मुखिया चौधरी तथा लेखाकार कानूनगों कहलाता था तथा ग्राम का मुखिया मुकदम तथा लेखाकर पटवारी कहलाता था।⁴² इससे ज्ञात होता है कि ग्राम प्रशासन को छोटी इकाई तो थी पर स्वायत्तशासी नहीं।

मुगल काल के ऐतिहासिक सांकेतिकों के अनुसार भी ग्राम प्रशासन को छोटी इकाई तो था ही साथ ही आय एवं नियन्त्रण का साधन मात्र बनकर रह गया था। पचायतीराज को मूल भावना दिरोहित हो गयी थी। जैसा कि आईने अकबरी के इस वर्णन से ज्ञात होता है—“ग्राम का अस्तित्व एवं ग्रामीण समाज की समृद्धि मध्यकाल के प्रत्येक शासन का उद्देश्य था, विशेषकर इसलिए कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था का आपार ग्रामीण उत्पादन था। सामान्यत प्रत्येक पुराने एवं व्यवस्थित गाँव में तीन प्रमुख व्यक्ति मुकदम या पटेल पटवारी तथा महाजन हाते थे जो सामान्य प्रशासन एवं आर्थिक विषयों से सबधित कार्यों को करते थे। मुकदम या पटेल गाँव का मुखिया होता था वह राज्य द्वारा राजस्व को सकलिन् कर उसे राज्य को भेजने के लिए उत्तरदायी था। मुकदम खेतों के लिए किसानों को भूमि देने, गाँवों का मुखिया होता था वह राज्य द्वारा राजस्व को सकलित कर उसे राज्य को भेजने के लिए उत्तरदायी था। मुकदम खेतों के लिए किसानों को भूमि देने, गाँव मेरी सीमा सम्बन्धी विवादों का निर्णय करने गाँव की सुरक्षा व अपराधों को रोकने के लिए भी उत्तरदायी था। ग्रामीण व्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति पटवारी था जिसका अस्तित्व एवं महत्व सल्तनत काल में भी देखने को मिलता है। वह ग्रामीण समाज का सेवक माना जाता था। अत उसे गाँव के भू राजस्व मेरी सेवतन मिलता था। पटवारी का कार्य गाँव के आय-व्यय का विवरण रखना तथा भू-राजस्व का सकलन कर शाही खजाने मेरी सेवतना था। महाराज न केवल किसानों के लिए अपितु राज्य अधिकारियों के लिए साधन जुटाने वाला व्यक्ति था।⁴³

द्विटिश शासन से पूर्व एवं मध्यकाल में पचायतों की स्थिति के बारे में लाड़ हैली ने लिखा है “सम्भव है छठों और नवों सदी के बीच कुछ समय ऐसा रहा हो जब पचायत एक जीवित संस्था थी और उसके ऊपर कुछ विशेष कार्यों का दायित्व था किन्तु यह स्थिति भी देश के कुछ गिने-चुने भागों मेरी रही होगी।

अन्यत्र सब स्थानों में पचायत वयोवृद्ध लोगों की समिति के रूप में चाको रह गयो थी जिसका कार्य और अधिकार गाँव की परम्परा और स्थिति पर निर्भर था। बहरहाल द्विटिश शासनकाल में बहुत पहले ही भारत के अधिकार भागों में पचायतों निष्क्रिय हो चुकी थी।⁴⁴

विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं शोधों के उपरान्त यह तथ्य उजागर होता है कि ग्राम प्रशासनिक नियन्त्रण एवं आय के स्वतंत्र के माध्यम तो रहे लेकिन पूर्णत स्वायत्त इकाई के रूप में नहीं। हालांकि "सर्वसाधारण के हित के मसले पर पूरे ग्रामीण सम्प्रदाय की बैठक बुलायी जाती थी, और सामान्य परिस्थितियों में रोजमर्रा का कार्य एक छोटी परिषद् द्वारा उपसमितियों के माध्यम से किया जाता था।"⁴⁵

ब्रिटिश शासनकाल में भी शासकों की नीति ग्रामों से मालगुजारी वसूल करने तक ही सीमित रही। लेकिन लार्ड रिपिन ने 1882 में स्थानीय सम्प्रदायों को लोकत्रीय आधार पर स्थापित करने के लिए व्यापक कदम उठाये। लेकिन ग्रामीण सम्प्रदाय इस प्रयास से वचित रही तथा शासकों की अनिच्छा का शिकार हो गई।

1907 में लार्ड रिपिन के प्रस्तावों की प्रगति की जाच हेतु एक शाही कमीशन बैठा जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लार्ड रिपिन के प्रस्तावों के तहत जो सम्प्रदायें स्थापित की गई थी उनका कार्य नगण्य रहा। साथ ही इस आयोग ने सिफारिश की कि ग्राम पचायतों की फिर से स्थापना की जाए। लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। 1991 एवं 1935 के अधिनियमों के तहत स्थानीय स्वशासन को बढ़ाया तथा ग्रामों को स्वायत्ता दी गई तथा 1937 में अनेक ग्रामों में कांग्रेस ने सत्ता सभाली लेकिन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने के कारण पचायती राज सम्प्रदाय गठित तो हुई लेकिन इन पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया और अतः 1947 में ब्रिटिश शासन का अन्त हो गया तथा पचायती राज स्थानीय स्वशासन जैसे प्रश्न की भविष्य की उम्मीदों पर छोड़ दिये गये।

ब्रिटिश काल में पचायतों की स्थिति के बारे में जेम्स टॉड सही ही लिखते हैं कि "इस काल में पचायतों थी लेकिन इनके अवशेष मात्र ही रह गये थे।"⁴⁶ जेम्स टॉड एवं लार्ड हैली के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि मुगलकाल एवं ब्रिटिश काल पचायतों की निष्क्रियता व अवनति काल रहा है और उसने जिस भी रूप में बैंची रही है वो भारतीय पचायती राज परम्परा एवं दर्शन के कारण जिसे स्वतंत्र भारत ने पुन जीवित कर प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में हम अपनाये हुए हैं।

सन्दर्भ

- फतेह सिह, लोकत्र की वैदिक अवधारणा, राजस्थान पत्रिका, दिनांक 19 2 99 सोम, पृ 8
- जवेदी बारबु, डैमोक्रेसी एण्ड डिकटेटरशिप लन्दन, रोटज एण्ड केगन पॉल लि, 1956, पृ 63
- हुमायूँ कबीर, विज्ञान जनतत्र और इस्लाम एवं अन्य निबध्द, अनुवादक रघुराज गुप्त, अभिताप्रकाशन, लखनऊ, 1946 पृ 18
- ब्राइस, मॉर्डन डैमोक्रेसीस, न्यूयॉर्क, मैक मिलन याल्यूम फस्ट, 1921, पृ 130
- डायसीज लॉ एण्ड ऑपरेशन इन इंग्लैण्ड, उद्यत पीडी शर्मा तुलनात्मक धर्मनीतिक सम्प्रदाय कॉलेज बुक हिपो जयपुर 1969, पृ 25
- चाल्स बुइस, अश्राहीम लिकन, उपरोक्त पृ 146

- 7 श्राईंस पूर्वोक्त पृ 26
- 8 शूम्हीटर जोसेफ ए., कैनिटललिम्ब, सरियातिल्म एण्ड डेन्सेक्टेन्टे पृ 269, उदृत रथुकुल तिलक लोकतत्र स्वरूप एव समस्याएँ, पृ 5 उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ
- 9 बो के गोयल, देवत ऑफ गाँधी, नेहरू एण्ड टैगेट सो बो एस. पब्लिशर्सर्स, दिल्ली, 1984, पृ 78
- 10 उपरोक्त इलोक प्रकार्त्तिक (सुभाषित है) तथा परम्परात मृति परम्परा का हिस्सा है।
- 11 दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन, सर्वसेवा संघ प्रकाशन बाराणसी, 1971, पृ 144
- 12 भारत सरकार द्वारा भारत का सविधान, 1950, पृ 1, उदृत ईलमठक लोकतत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किलाब महल, इलाहाबाद, 1953, पृ 122
- 13 व्हाइट एल.डो., इन्डोइन्डियन टू द स्टैडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूरेशिया पब्लिशिंग हाऊस, लि., दिल्ली, 1982, पृ 37
- 14 रुमकी बासु, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कानकेन्ट एण्ड घोरेज, स्ट्रिटिंग पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1996, पृ 195
- 15 धी डो शार्मा, लोकप्रशासन सिद्धात और व्यवहार, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1969 पृ 241
- 16 एम धी शार्मा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, घोरेज एण्ड प्रेस्क्रिप्शन, किलाब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, 1990, पृ 166
17. एम.धी शार्मा, उपरोक्त, पृ 165
- 18 हरमन फाईनर, घोरेज एण्ड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, बोम्बे एशिया, 1966, पृ 157
- 19 सुरेश राम, त्रुक्तन यात्रा, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, बाराणसी, 1966, मुख पृष्ठ
- 20 जे सो चाल्स बर्ध, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उदृत धी शार्मा, लोकप्रशासन सिद्धात एव व्यवहार, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1999, पृ 207
- 21 अन्जनी कुमार जनदम्नी, जयप्रकाश नारायण लोकस्वराज्य प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1987, पृ 34-35
- 22 इकबाल नारायण, डेन्सेक्टेन्टोक डिसेन्टलाइजेशन, द आईडिया, द इमेज एण्ड रिकलिटी, सकलित द्वारा आरबी जैन, बल्ट्यूम फ्रॉम अई अई ए. न्यू देहली, पृ 11-12, फरवरी, 1981
- 23 इकबाल नारायण, उपरोक्त पृ 12-13
- 24 उपरोक्त पृ 14

- 25 पॉल मेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव और गेनरल जेशन, पृ 114, उदृत इकबाल नारायण, पूर्खोंका, 1981
- 26 राममनोहर लोहिया विल टू पॉवर एण्ड अदर राईटिंग्स हैदराबाद, नवहिन्द पब्लिकेशन, 1956, पृ 132
- 27 परमात्माशारण, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृ 467
- 28 इकबाल नारायण, पूर्खोंका, पृ 10-11
- 29 रामपाण्डे, ऐ हिस्टोरिकल डेस्क्रिप्शन, उदृत पचायतीराज सम्पादित लेख, रामपाण्डे, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1989, पृ 9
- 30 चौधरी-तिवारी एवं चौधरी ब्रह्मदेव, 10/111/3 उदृत राजस्थान में पचायत कानून, ब्रह्मा प्रकाशन, जयपुर, 1995
- 31 सभा च मा समितिश्चावता प्रजापतेर्दुष्टि तौ सविदाने ॥ अथवैद 07/13/1
- 32 ब्रह्मदेव, 10/141/4
- 33 के पी जायसबाल, हिन्दू फॉलिटी, बैंगलौर प्रिन्टिंग एवं पब्लिशिंग कम्पनी, 1978, पृ 12-201
- 34 धू.एन घोषाल, स्टैडी इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, कोलकाता, 1957, पृ 354
- 35 प्रेमकुमारी दीक्षित, महाभारत में राज्य व्यवस्था, अर्चना प्रकाशन लखनऊ, 1971, पृ 115
- 36 प्रेमकुमारी दीक्षित, महाभारत में राज्य व्यवस्था, अर्चना प्रकाशन लखनऊ, 1970, पृ 245-249
- 37 उपरोक्त पृ 245-249
- 38 आर रामशास्त्री, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, प्रिटस प्रेस मैसूर 1956, पृ 45
- 39 आर रामशास्त्री, उपरोक्त, पृ 45
- 40 तिवाडी, चौधरी एवं चौधरी, राजस्थान में पचायत कानून ब्रह्मा प्रकाशन, जयपुर, 1995, पृ 3
- 41 ए.एस अलोकर, भारतीय शासन पद्धति, देहली मोतीलाल बनारसीदास 1949, पृ 171-172-173
- 42 घनश्याम दत्त शर्मा, मध्यकालीन भरतीय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सत्थाएँ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, 1992, पृ 21-24
- 43 पूर्खोंका, पृ 45

- 44 स्लार्ड हेली फोरवर्ड दु हयू टीकर्स फाउंडेशन ऑफ लौकल सैल्फ गवर्नमेंट इन इण्डिया, पाकिस्तान एण्ड बर्मा, पृ XII वो, महेश्वरी द्वारा स्टैज इन पचादतीराज, देहली मेट्रोपोलेटन, 1963, पृ 4 पर उद्धर
- 45 पी शरण, प्रोविशियल गवर्नमेंट ऑफ दो मुगल्स, मोनाषो प्रकाशन, मेरठ पृ 144-145
- 46 जेम्स टॉड, एनाल्स एण्ड एटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स, प्रा. लि., 1994 बोल्प्यूम 2, पृ 130-131

□□□

3

पंचायतीराज व्यवस्था : 73वें संवैधानिक संशोधन पूर्व प्रारूप : संरचनात्मक-कार्यात्मक विवेचना

भारत भूमि सदैव हो विभिन्न समूहियों सञ्जनतिक विचारधाराओं एवं सत्ताओं की भूमि रही है। स्वतन्त्रतापूर्व के भारत की दशा का यही भोग यथार्थ रहा है। सहिष्णुता सहकार आमसहमति की धारणा हमारे सास्कृतिक एवं राजनीतिक आचरण का मुख्य आधार रही है जो होकरत्र की भावना का गोदहण्ड थी। मुगल काल एवं ग्रिटिश काल में हालाकि पचपरमेश्वर एवं आमसहमति कि सहिष्णु विचारधारा कमज़ोर अवश्य हुई लेकिन भारतीय जनमानस में जड़ें जमायें रही।

1947 में स्वतन्त्रता के पश्चात् बैंदिक कलीन प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की पचायती राज अवधारणा के बीजों को पुन रैपित एवं सिचित किया गया। महात्मा गाँधी विनोदा भावे जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू स्वतन्त्र भारत के समग्र विकास को व्यापक जनसहभागिता के माध्यम से करने के पथश्वर थे। ये जनते थे कि लोकतन्त्र में जनभागीदारी की प्रवृत्ति ही प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण एवं प्रजातन्त्र दोनों का मुख्य अनुलक्षण है।

1957 में यलपत्तराय मेहता की अध्यक्षता में गठित उपसमिति ने अनुशसा में ग्राम खण्ड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पचायती राज सम्भालों के गठन करने तथा नव निवार्चित जनप्रतिनिधियों को इन सम्भालों के संचालन का अधिकार देने की बात कही। यलपत्तराय मेहता समिति को रिपोर्ट के आधार पर देश में प्रशासन के प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण का महत्यपूर्ण परियोग हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था का आरम्भ भारत के प्रथम अधिनियमी पद्धित जवाहरलाल नेहरू से करवा राजस्थान ने इस दिना में पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया।

राजस्थान में पचायतोराज व्यवस्था का पुरातन प्रारूप मूलतः 1953 के पचायत अधिनियम, 1959 के पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम तथा 1964 के सादिक अली समिति प्रतिवेदन आधारित था तथा 1959 में जिस त्रिस्तरीय पचायतोराज व्यवस्था का शुभारम्भ राजस्थान में किया गया वह व्यवस्था मूलतः बलवत राय मेहता समिति द्वारा प्रदत्त सिफारिशों पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 तथा 1982 जनवरी में बीकानेर में हुआ पचायतोराज सम्मेलन राजस्थान में पचायतोराज व्यवस्था को नयी एवं प्रगतिशील दिशा प्रदान करने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रदान किये जिनमें से अधिकांश सुझाव सरकार द्वारा स्वीकार कर लगू भी कर दिये गये थे।

73वें संविधान प्रदत्त पचायतोराज अधिनियम से पूर्व अधिक सहभागिता लाने हेतु अनेक आयोग एवं समितियां गठित की जो 73वें संविधान सशोधन प्रदत्त पचायतोराज व्यवस्था के प्रारूप का आधार बनी जैसे बलवतराय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी वी के राव समिति 1985¹ लक्ष्मीमल सिध्वी समिति 1986, सरकारिया आयोग 1988, पी के थूगन समिति 1989, हरलाल सिंह खर्चा समिति 1990, 64वा संविधान सशोधन विधेयक 1989 आदि।

उपर्युक्त समितियों, आयोगों एवं संविधान सशोधनों द्वारा पचायतोराज व्यवस्था हेतु जो सुझाव दिये गये नवीन पचायतोराज अधिनियम प्रदत्त पचायतोराज व्यवस्था का प्रेरणापथ एवं मुख्याधार बने। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को आरम्भ त्रिस्तरीय पचायतोराज व्यवस्था 73वें संविधान सशोधन पूर्व संगठन एवं कार्यों की दृष्टि से अग्रोल्लोखित है।

ग्राम सभा

ग्राम-सुराज, ग्राम-स्वराज, ग्राम-स्वायत्त शासन, ग्राम-स्वशासन आदि विचारों का सूजन प्रजातात्त्विक विकेन्द्रीकरण को नीव के प्रथम प्रस्तर के रूप में हुआ। जो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण तथा विनोद भावे के हृदय के अतःस्थल के उद्गारों को अभिव्यक्त करती हुई सत्ता, शासन, विकास, निर्णय व नीति निर्माण में प्रत्येक ग्रामवासी की सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करने का एक मात्र सशक्त माध्यम है। ग्राम सभा इन मूल भावों की सतती है जो पचायतोराज के समस्त वयस्क नागरिकों के समूह द्वारा उनके नियम स्थान पर समामेलन के रूप की घोतक है।

महात्मा गांधी का यह विचार ग्राम सभा की महत्ता का स्वतः प्रतिपादन करता है कि “सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में वैठे हुए यीस व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गाँव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।”²

1964 में पचायतोराज पर सादिक अली समिति अध्ययन दल ने ग्राम सभा के संदर्भ में अपनी अनुशासा में कहा कि “ग्राम स्तर पर पचायत ग्राम सभा से ही अपना अधिकार ग्रहण करे और ग्राम सभा के प्रति निरन्तर उत्तरदायी रहे, क्योंकि ग्राम सभा में गाँव के सभी वयस्क नागरिक सम्मिलित होते हैं।”³ हालांकि यह एक दुखद सत्य है कि 1957 में जिस बलवतराय मेहता समिति को सिफारिशों के आधार पर जो पचायतोराज का त्रिस्तरीय दाँचा अपनाया गया था उसमें ग्राम सभा का कोई स्थान नहीं था। जबकि ए एस अल्टेकर प्राचीन भारत में ग्राम सभा के अस्तित्व की प्रामाणिकता के सन्दर्भ में कहते हैं कि “लोगों की सामान्य सभा का विचार हमारे गाँवों के लिए नया विचार नहीं है। सामान्य सभा का विचार प्राचीन

भारत में था, जिसको क्षमता का कालातंत्र में लोप हो गया।¹³ प्राचीन भारत में ऐसी जन सभाएँ ग्रामीण प्रजातंत्र की थुरी थी।¹⁴ पचायती राज संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के भारतीय प्रजातंत्र के इस चरित्र से पचायतों में जननियत्रण एवं जन सहभागिता को सम्बल मिला है। हालांकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण मौजूदा प्रजातात्रिक व्यवस्था को अभी भी उसके लोकहितैषी रूप में नहीं स्वीकार करते उनका मानना है कि वयस्व मताधिकार देने मात्र से ही प्रजातात्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। भारतीय प्रजातात्रिक व्यवस्था की सरचना तथा स्वरूप को ऊपर से नीचे की ओर सशक्त आधार प्रदान करने की आवश्यकता है। उनका मत था कि शक्तिया व कार्य संसद की अपेक्षा ग्रामीण संस्थाओं को अधिक प्रदत्त की जानी चाहिए।¹⁵ शायद यही उचित मार्ग जिससे पचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकती हैं। सशक्त ग्राम सभा का निर्माण सशक्त लोकतंत्र एवं लोकतात्रिक राष्ट्र का निर्माण है तथा पचायती राज संस्थाओं को जीवतता तथा सफलता की गारंटी है जो जननियता, कल्याण एवं जनसहभागिता को कर्म स्थली भी है।

"पचायती राज का ढाचा अपनाने के पश्चात् उसके एक अग के रूप में ग्राम सभा को नियमित और सुनियोजित ढग से आयोजित करने को परम्परा को पुनर्जीवित करने से, ग्रामीण सोगों के उत्साहवर्द्धन से यही मदद मिली है।"¹⁶ ग्राम पचायत के पथ-प्रदर्शक का कार्य ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा के माध्यम से जनता से प्रत्यक्ष साक्षात् हो उनकी समस्याओं के बारे में आप राय स्पष्ट होती है जो जनकल्याण व विकास में पचायती राज संस्थाओं का मार्गदर्शन करती है।

ग्राम सभा [वयस्क नागरिकों की सभा] का गठन


पचायती राज संस्थाओं की स्थापना से प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण को सम्बल मिला सेकिन थे संस्थाएँ जनता के भागीदारी के यथार्थ से परे ही रही।¹⁷ राजस्थान में पचायती राज में अधिक जन सहयोग प्राप्त करने के लिए गाँव के सोगों की साधारण सभा का उपयोग किया गया। प्रारम्भ में यह आशा की गई कि ग्राम सभा को पचायती राज व्यवस्था के अग के रूप में सुनियमित और सुनियोजित ढग से सचालित करने की परम्परा को पुनर्जीवित करने से ग्रामीण सोगों में उत्साह जागृत करने से यही मदद मिलेगी।¹⁸ महात्मा गांधी के ये विचार भी ग्राम सभा की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हैं कि "ग्राम गणराज्य को पाच व्यक्तियों की एक पचायत सचालित करेगी और जिनका चुनाव सभी प्रौढ़ नर-नारी हर वर्ष करेगे।"¹⁹

आप जन की विकास, कल्याण, स्वशासन, निर्णयन एवं नीति निर्माण में प्रत्यक्ष एवं सहज भागीदारी के लिए राजस्थान सरकार ने सराहनीय प्रयास व पहल की। राजस्थान पचायत अधिनियम, 1953 की धारा 23(क) में वयस्क नागरिकों की सभा (ग्राम सभा) का 1959 की पचायती राज व्यवस्था के आरम्भ के समय ही प्रावधान कर दिया था।²⁰ हालांकि घरेलू प्रावधानों के अधीन वयस्क नागरिकों की इस सम्बन्ध सभा को कोई कानूनी मान्यता नहीं दी गई।²¹ हालांकि अधिनियम में "ग्राम सभा" शब्द को कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सेकिन ग्राम सभा नाम से सम्बोधित किया जाता रहा है। पचायतीराज अधिनियम 1953 की धारा 23(क) जोड़ी गई जिसके नियम 65 से 69 तक में समग्र प्रावधान इस प्रकार है :

- प्रत्येक ग्राम पचायत ऐसी रीति से तथा ऐसे समय पर और ऐसे अतरालों पर जो सरकार द्वारा तय किये जाएं पचायत वृत्त के सभी वयस्क निवासियों को बैठक आहूत करेंगी।
- ऐसी बैठकों में पचायत द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यक्रम तथा कार्यों का व्यौरा और उनकी प्रकृति स्पष्ट की जायेगी तथा इस सदर्भ में वहाँ से निवासियों के विचारों से पचायत को उसकी अगली बैठक में अवगत कराया जायेगा।

आरेख 3.1

*ग्राम सभा सरचना : पूर्ववर्ती प्रारूप



पचायती राज अधिनियम 1953 मे सेक्षण 23(A) जोड़कर "वयस्क नागरिकों की सभा" का उल्लेख किया गया है जो कि ग्राम सभा के रूप मे जानी जाने लगी है।

ग्राम सभा की बैठकें

अधिनियम के अनुसार बैठकों का समय निर्धारित किया गया है। जिसमे पचायत के सभी वयस्क नागरिकों को बैठक वर्ष में दो बार सामान्यतः बैठकें क्रमशः मई तथा अक्टूबर में सरपंच तथा उपसरपंच द्वारा आहूत की जायेगी। बैठकों का स्थान साधारणतः ग्राम पचायत मुख्यालय पर होगा। ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पचायत द्वारा बैठक के दिन से पन्द्रह दिन (15) पूर्वं पचायत वृत्त के सभी गाँवों के प्रमुख स्थानों पर चस्पा कर या ढोल बजाकर दी जायेगी।¹¹

अध्यक्षता

ग्राम सभा की बैठकों का संभापतित्व सरपच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपच करेगा और जहाँ ये दोनों अनुपस्थित हो वहा उपस्थित पचों में से जो पच उपस्थित निवासियों द्वारा चुना गया हो, करेगा।¹²

ग्राम सभा के कार्य

सादिक अली प्रतिवेदन में ग्राम सभा के जिन कर्तव्यों को चिह्नित करने का प्रयास कर उन्हे लागू करने की सिफारिश की थी उनमें से काफी सरकार द्वारा स्वीकार भी कर लिये गये थे। इस प्रतिवेदन के अनुसार धोरे-धोरे काम करने के माध्यम से एक परम्परा विकसित होगी और ग्राम सभा यह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगी जिससे पचायतीराज की ऊपर की स्थायर्द्ध शक्ति प्राप्त करेगो। हमारे विचार में ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों पर ग्रामसभा को विचार करना चाहिए। लोगों को यह अनुभव होना चाहिए कि ग्रामसभा स्थानीय विकास में उनकी आवाज को बुलन्द करने के लिए है।

विशेष बैठक

ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने में नियमों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने में जनता को पहल करने एवं बैठक आहूत करने का प्रावधान किया गया है। पचायत युत के 100 वरिष्ठ नागरिक या कुल वयस्क निवासियों का 25 प्रतिशत सरपच को लिखित में ग्राम सभा की बैठक का समय व कार्यसूची भी जनता को स्पष्ट करती होती है। सरपच यदि ऐसी बैठक आहूत करने की असहमति व्यक्त कर दे तो स्वयं नागरिक उस बैठक को आहूत कर सकते हैं। यह बैठक केवल ग्राम पचायत मुख्यालय पर ही होगी।¹³

बैठक की कार्यवाही लिखना और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

"पचायती राज अधिनियम की धारा 23(क) के नियम 67 व 68 में ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही को लिखित में तैयार करने व उसका प्रतिवेदन करने का प्रावधान है—

- 1 ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सक्षिप्त घौरा हिन्दी में लिखा जायेगा तथा उस पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- 2 पचायत द्वारा बैठक की अंतिम तिथि के बाद करवाये गये कार्यक्रम एवं अभिलिखित कार्यों के बारे में या उनको प्रगति के बारे में नागरिकों द्वारा अभिव्यक्त विचारों को सक्षिप्त में लिपिबद्ध किया जायेगा।
- 3 किसी भी वित्तीय वर्ष में होने वाली प्रथम बैठक में पचायत का बजट प्रस्तुत किया जायेगा। साथ हो नये कर सागे तथा वर्तमान करों में वृद्धि के प्रस्ताव लाये जायेंगे। स्थानीय जनता के प्रोत्साहन हेतु नये कार्यक्रम तथा सामुदायिक सेवा स्वैच्छिक श्रमदान और वार्षिक या पूरक कार्यक्रम में शामिल कोई विशेष कार्य के प्रस्ताव।
- 4 पचायत के अकेशण व प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे।

- 5 ग्राम सभा को बैठकों में पचायतो द्वारा हाथ में लिये गये कार्यक्रमों तथा सामुदायिक कार्यों, विशेष तौर से कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य शिक्षा, सहकारिता एवं कुटीर उद्योग जैसे कार्यों को समझाया जायेगा तथा उनकी प्रगति का पुनरावलोकन किया जायेगा।
- 6 ऐसी सभी बैठकों में पचायत द्वारा विकास कार्यों की जिम्मेदारी के लिए नागरिकों के विचारों को भय उनके सुझावों के लिपिबद्ध किया जायेगा तथा उसको एक प्रति पचायत समिति के विकास अधिकारों को बैठक को दिनांक से 15 दिन के भीतर भेजो जायेगो।¹⁴

ग्रामसभा की बैठक में सामान्य विचार-विमर्श के लिए जो विषय कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने चाहिए, वे इस प्रकार हैं—

- 1 पचायत का बजट
- 2 पचायत को आँडिट रिपोर्ट और इसका अनुपालन
- 3 पचायत की योजना
- 4 योजना की प्रगति और विकास को विभिन्न प्रवृत्तियों को रिपोर्ट
- 5 पचायत के कामकाज का व्यौरा
- 6 ग्राम सभा के निर्णयों को क्रियान्वित का लेखा-जोखा
- 7 ऋण और सहायता के रूप में प्राप्त धन राशि के उपयोग की रिपोर्ट
- 8 सहकारी आन्दोलन, सहकारिताओं से सम्बन्ध रखने वाले आम विषय तथा सहकारी समितियों द्वारा सुझाये गये मुद्दों का विवरण
- 9 ग्रामीणों के सामान्य हितों के मामले जैसे ग्रामीण चरागाह, जलाशय, सार्वजनिक कुओं आदि,
- 10 ग्राम पाठशाला का कार्य संचालन
11. महत्वपूर्ण सूचनाओं और निर्णयों को जानकारी¹⁵

ग्राम सभा के कार्य सूची में सम्मिलित विषयों के अतिरिक्त जन अभाव अभियोगों से सम्बन्धित विषय भी शामिल करने की सादिक अलो प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है। जिसके अनुसार वास्तविक शिकायतों पर ही विचार-विमर्श को अनुमति होनी चाहिए, अनावश्यक और अनर्गत टिप्पणिया करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि शिकायतें ऐसी हों जिनको दूर करना स्थानीय पचायत के अधिकारों में न हो तो ग्रामसभा को चाहिए कि ग्राम पचायत से आग्रह करे कि वह इस शिकायत को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाए। ग्राम सभा की बैठकों में, प्रारम्भिक एक घट्टे का समय प्रस्तोतर के लिए दिया जाना चाहिए।¹⁶

ग्राम पचायत

राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार को बल प्रदान करने हेतु पचायतो राज व्यवस्था का श्री गणेश किया। 2 अक्टूबर, 1959 में जब

यलवतराय मेहता द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था का आरम्भ हुआ उससे पूर्व राजस्थान पचायत अधिनियम 1953 द्वारा राजस्थान में पचायतों की स्थापना का सफल प्रयोग हो चुका था। पचायतों की जनता से निकटता पचायती राज की सामान्य व्यवस्था में उनके महत्व को भी बढ़ा देती है। यह लोगों के प्रति उनकी सीधी जिम्मेदारी को भी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त पचायते ही प्रत्यक्ष प्रणाली से बनी हुई एक यात्र अतिनिधि संस्थाएँ हैं और वे ऊपर की संस्थाओं के अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा घटन का आधार बनाती हैं। इसलिए पचायतों की कार्यकुशलता का पचायतीराज की ऊपर की संस्थाओं के कार्य से बड़ा महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।¹⁷

ग्राम पचायत की स्थापना व गठन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्रावथान किया गया है कि राज्य ग्राम पचायतों का समर्थन करने के लिए कदम उठायेगा और उसको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्तशासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इसी योजना के अधीन ग्राम स्तर पर "पचायत" बनाई गई। पचायतों की कानूनी व्यवस्था के लिए राजस्थान में 1953 में यह "राजस्थान पचायत अधिनियम 1953"¹⁸ बनाया गया। जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहा है।¹⁹ राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी गाँव या गाँव के किसी भाग या गाँव समूह के लिए जिसे किसी नगरपालिका की सीमाओं में सम्प्रसित किया गया है पचायत की स्थापना कर सकेगी।²⁰ इसी प्रकार ग्राम पचायत गठन हेतु राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1953 में निमानुसार व्यवस्था की गई है।²¹

- 1 निर्वाचित सदस्य
- 2 सहवरित (सहयोजित) सदस्य
- 3 सह (सहयोगी) सदस्य
- 4 सरपञ्च
- 5 उप-सरपञ्च।

1 निर्वाचित सदस्य

प्रत्येक ग्राम पचायत जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर कुछ वाडों (निर्वाचन) क्षेत्रों में बँटी हुई है जिनकी संख्या 5 से 20 तक हो सकती है। इन्हीं वाडों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को पच कहा गया है। जिलाधीश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारी प्रत्येक पचायत क्षेत्र को वाडों में विभक्त कर सकेगा। इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों से गुज भवदान द्वारा पचायत क्षेत्र व्यवस्क मतदाताओं द्वारा पचों का चुनाव किया जाता है।²² पचायत अधिनियम की धारा 4 के अनुसार पचों की संख्यानुसार ही निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण होगा तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र (वाड़े) से एक पच निर्वाचित क्षेत्र धारा 5 में कहा गया है कि वाडों का निर्धारण करते समय (वाड़े)

विधानसभा को सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उत्तरेखिंड क्रम के अनुसार मकानों और निवासियों को समिलित करेगा ।²

विसो भी निर्वाचन हेत्र में उम्मोदवारों के मर्तों में सजाना पाये जाने पर निर्वय भग्य-पत्रक द्वारा तय किया जायेगा । यदि किसी निर्वाचन हेत्र के मतदान पच का निर्वाचन नहीं कर पाने की स्थिति में हो तो सरकार छः मह तक किसी भी निर्वाचन योग्य व्यक्ति को पच नियुक्त कर सकती है लेकिन तत्पश्चात् उस निर्वाचन हेत्र में चुनाव करवाना आवश्यक होगा । पच द्वारा त्या पत्र, मृत्यु या पद से हटा दिये जाने के कारण रिक्त स्थान पर पच हेतु उप चुनाव करवाया जाता है ।³

पचों के लिए योग्यता

पचों के लिए योग्यता सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान पचायत अधिनियम, 1953 में निषेधात्मक रूप दिये गये हैं । इस अधिनियम के अनुसार पचायत चुनाव में जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है वे पच के रूप में तब निर्वाचित होंगा जब कि वह⁴

- 1 केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अपार किसी स्थानीय निकाय के अधीन पूर्णकालीन या अरकालीन वैतनिक नियुक्ति पर न हो,
- 2 राज्य सरकार को सेवा में नैतिक हुग्रचार के कारण राजकीय सरकार को सेवा से मुक्त न किया गया हो एवं लोकसेवा हेतु अद्येय घोषित किया गया हो,
- 3 ग्राम पचायत में वैतनिक या लाभ के पद पर कार्यरत न हो,
- 4 आयु 25 वर्ष से कम न हो, ग्राम पचायत के लिए या उसके द्वारा किये गये किसी कार्य या किसी अनुबन्ध में स्वयं या अपने साझेदार मौतिक या नैकर के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साझेदारी या हित नहीं रखता हो,
- 5 किसी ऐसी शारीरिक अयोग्यता, मानसिक रोग या दोष से प्रसित नहीं हो जो उसे काय करने के लिए अयोग्य बनती हो,
- 6 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो,
- 7 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो,
- 8 अस्वशस्त्रा निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो,
- 9 पचायत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 (ख) के अधीन या राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन चुनाव के लिए अद्याय घोषित नहीं हो,
- 10 पचायत अधिनियम या पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये किसी कर या फीस की रकम, उनका बिल प्राप्त होने की ताराख से 2 माह तक चुकाने में विकल न रहा हो,

- 11 पचायत की ओर से या उसके विरुद्ध यकील नियुक्त नहीं हो
- 12 राजस्थान मूल्यभोज नियाण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत इण्डोनीय अपाराध का दोषी नहीं ठहराया गया है।

जब कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अपाराधों के अन्तर्गत अयोग्य ठहराया जाता है तो वह छ वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड सकता हालांकि राज्य सरकार इस अवधि को कम भी करने का अधिकार रखता है। यकाया कर का फीस नापाकन पत्र भाने से पूर्व यदि कोई नागरिक जमा करा देता है तो वह अयोग्य नहीं माना जाता है। एक से अधिक ग्राम पचायतों में एक ही व्यक्ति कोई पद धारण नहीं कर सकता।

2 सहयोजित (सहयोजित) सदस्य

पचायत अधिनियम 1953 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन पचों के सहयोजित हेतु व्यवस्था को गई है जो निम्नानुसार है—

- 1 दो महिलाएं यदि पचायत में कोई महिला नहीं चुनी गई हो
- 2 एक महिला यदि एक ही महिला इस प्रकार चुनी गई हो
- 3 अनुसूचित जातियों में से एक व्यक्ति यदि पचायत में वैसा कोई व्यक्ति नहीं चुना गया हो तथा
- 4 अनुसूचित जनजाति में से एक व्यक्ति यदि वैसा कोई व्यक्ति इस प्रकार नहीं चुना गया हो तथा पचायत क्षेत्र में ऐसी जन जातियों की जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या की पांच प्रतिशत से अधिक हो।

सहयोजित किये गये सदस्यों के नामों का बैठक की समाप्ति पर प्रकाशन कर दिया जाता है और उसकी एक प्रतिलिपि निर्वाचन के समस्त अभिलेखों के साथ जिलाधीश को प्रेषित कर दी जाती है 25

3 उपसहयोजन

अधिनियम की धारा 9 के अधीन यदि सहयोजित पच का कोई पद रिक्त हो जाता है और सहयोजन की आवश्यकता रहती है तो इस प्रकार के रिक्त स्थान को भरने के लिए जिलाधीश द्वारा नामित अधिकारी निर्देशित तिथि तथा समय पर उप सहयोजन की कार्यवाही करता है 26

4 सहसदस्य

ग्राम पचायत क्षेत्र में कार्यशील सभी सहकारी समितियों के अध्यक्ष पचायत के सहसदस्य होते हैं। सहकारी समिति से अभिप्राय है जो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1953 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इन सहसदस्यों को पचायत की कार्यवाही में भाग हेतु का अवसर ही प्राप्त होता है किन्तु नियंत्रित करने का अवसर होता है 27

5. सरपच

पचायती राज अधिनियम को धारा 3(1) के अनुसार प्रत्येक पचायत में एक सरपच होगा जो ऐसा व्यक्ति होगा, जिसमें पच निर्बाचित होने की योग्यता हो और हिन्दू पढ़-लिख सकता हो तथा वह समग्र पचायत वृत्त के मतदाताओं द्वारा विहित रूप से निर्बाचित किया जायेगा ३४ ग्राम पचायत का मुख्याधार है अतः सरपच स्वतः पचायत का मुख्यिया होने के नन्ते प्रभावशाली स्थिति में आ जाता है। पचायत के सरपच को निर्बाचन उसके पदों के निर्बाचन के साथ ही करवाने का अधिनियम में प्रावधान किया गया है ३५ पच एव सरपच के लिए मतदान एक ही दिन और एक ही समय में होते हैं अतः पचायत नियमों में व्यवस्था को गई है कि दोनों के लिए मतदान एक ही पेटी में किया जा सकता है जब तक कि अलग मतपेटी को व्यवस्था न कर दी गई हो।

यदि कोई विभानसभा या ससद सदस्य सरपच निर्बाचित हो जाता है तो चुनाव परिणम घोषित होने के चौदह दिन समाप्ति पर से अपने द्वारा धारण किये जाने वाले दूसरे पद से त्याग पत्र देना होता है। अन्यथा वह सरपच नहीं रह सकता है यदि किसी पचायत क्षेत्र के मतदाता सरपच का चुनाव करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार पचायत अधिनियम को धारा 13 के तहत उस व्यक्ति को सरपच नियुक्ति करेगी जो पूरी योग्यता रखना हो। किन्तु 6 माह की अवधि में सरपच का नियमित चुनाव करा लिया जायेगा ३०

सरपच का उपनिर्बाचन

पचायती राज अधिनियम को धारा 13 के नियम 49 के सरपच के उपनिर्बाचन की व्यवस्था निम्नलिखित स्थितियों में करवाने का प्रावधान किया गया है—

- 1 जब कभी राज्य सरकार द्वारा नियम 48 के उपनियम (5) के अधीन किसी सरपच को नियुक्ति की जाये, या
- 2 जब कभी किसी सरपच को मृत्यु हो जाये या वह धारा 18 के अधीन अपना पद त्याग कर दे, या
- 3 जब कभी सरपच अपना स्थान रिक्त कर दे या धारा 17 के अधीन उसकी उसके पद से हटा दिया जाये, या
- 4 जब कभी धारा 19 के अधीन किसी सरपच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाय,

सरपच पचायत की अवधि समाप्त होने तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि दसे उपरोक्त वर्णित किसी धारा के अनुसार हटा न दिया जाये। नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सरपच अपने पद पर तब तक बन रहेगा जब तक कि नव निर्बाचित सरपच कार्यभार नहीं सभालता है ३१

उपसरपच

ग्राम पंचायत में जहाँ पच एवं सरपच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वहाँ उपसरपच का चुनाव पर्चों में से घृमत द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। नियमानुसार उपसरपच का निर्वाचन उसी दिन किया जाना चाहिए जिस दिन पंचायत के लिए याचित संख्या में पर्चों का सहवरण किया जाता है। सहवरित पर्चों को उपसरपच के निर्वाचन में भत्ताधिकार नहीं है। केवल निर्वाचित पच एवं सरपच ही मतदान में भाग से सकते हैं। सरपच के चुनाव परिणाम के तत्काल पश्चात् निर्वाचित पर्चों एवं सरपच की बैठक युलायी जाती है।

बैठक में कोई भी निर्वाचित पच या सरपच लिखित में एक पच का नाम उपसरपच पद के लिए प्रस्तावित करेगा। यदि यह पच जिसका नाम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है, बैठक में उपस्थित नहीं है तो उसकी लिखित सहमति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जायेगी किन्तु यदि ऐसा पच बैठक में उपस्थित हो तो उसकी लिखित सहमति आवश्यक नहीं होती अतिक मौतिक सहमति ही पर्याप्त भानी जा सकती है। निर्वाचन अधिकारी प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगा, साथ ही पाये गये प्रस्तावों को निर्वाचकों के सामने पढ़कर धोणा करेगा और उपस्थित पर्चों एवं सरपच को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करेगा। यदि चुनाव के दैदान में कुल एक ही प्रत्यारोपी है तो उसे उपसरपच निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा; किन्तु उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर मत हाथ ढाकर लिए जायेंगे य सबसे अधिक मत आने की परिस्थितियों में परिणाम भाग्य-पत्र (पर्ची छासकर) द्वारा घोषित किया जायेगा। यदि कोई पंचायत उपसरपच चुनने में असफल रहे, तो निर्वाचन अधिकारी, नव निर्वाचित पर्चों में से किसी को भी, जो योग्य हो, उपसरपच के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार नियुक्त उपसरपच यूर्ध्वरूप से उसी प्रतिष्ठा और शक्तियों का उपयोग करेगा जो किसी निर्वाचित उपसरपच के द्वारा की जाती है किन्तु छ याह की अवधि के अन्तर्गत नियमित उपसरपच के निर्वाचन की व्यवस्था की जायेगी।

अधिनियम में उपसरपच के उपचुनाव की व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। उपसरपच का चुनाव आवश्यक होने की स्थिति में जिलापीश इस सम्बन्ध में एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो इस उपचुनाव के लिए पंचायत के पर्चों एवं सरपच को निरिचित तिथि, समय और स्थान पर बैठक बुलायेगा और निर्धारित नीति से उप सरपच का चुनाव सम्पन्न करायेगा।¹²

पंचायत का कार्यकाल

राजभूमि पंचायत अधिनियम की धारा (7) के अनुसार पंचायत की कार्यविधि (तीन वर्ष) तक होगी जो राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्ति या संगणित की जाने वाली तिथि से होगी।¹² सादिक अली समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर हालांकि सरकार ने 1970 में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया था। लेकिन तुन यह तीन वर्ष कर दिया

गया। पचायतो का कार्यकाल ही सरपच पच व उप सरपच का कार्यकाल होता था सामान्यतय स्थितियो में^३

अविश्वास प्रस्ताव

पचायतोराज सम्बन्धीय अधिकारी अपनी मनमानी करें तो जनता द्वारा उन्हें पदच्युत करने का प्रावधान अधिनियम को धारा 19 के नियम 14 से 19 के अनुसार अविश्वास मत द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। सरपच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सरपच को सम्मिलित करते हुए निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई बहुमत (सहवरित व सहसदस्य) को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मतदान करने का अधिकार नहीं है) द्वारा पारित किया जाता है। जबकि उप सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इस विधि से पारित अविश्वास प्रस्ताव के तीन दिवस की अवधि में सरपच एव उपसरपच द्वारा पचायत के प्रभावी अधिकारी को अपना त्याग पत्र सौंप अपना पद त्याग देते हैं^४ इस अविश्वास प्रस्ताव के भय से अधिकारात् सरपच उपसरपच अपनी भूमिका का निर्वहन नियमानुसार जन अपेक्षानुकूल करने के सद्प्रयत्न करते हैं।

न्याय उपसमिति का गठन

पचायते न केवल विकास कल्याण एव जनसहकार की ही कमस्थली बने वरन् स्थानीय ग्रामीण जनसमुदाय के सामान्य विवादों के निपटारे की न्यायस्थली भी बने। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के छोटे छोटे झगड़े निपटाने और सस्ता व शीघ्र न्याय^५ के उद्देश्य से राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर अप्रैल 1961 में न्याय पचायतों की स्थापन छोड़ गई। ये न्याय पचायते पाच से सात पचायत क्षेत्रों के लिए गठित की जाती थी^६ जनआकाशाओं के अनुकूल नहीं होने के कारण ये न्याय पचायतें शीघ्र ही अपनी उपादेयता छोड़ लीं। इनकी असफलता को देखते हुए राजस्थान में पचायतों राज पर नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त गिरिधारी लाल व्यास समिति ने 1973 में यह अनुशासा की कि न्याय पचायतों की असफलता को देखते हुए इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए^७

न्याय पचायतों को असफलता को देखते हुए तथा इनको समाप्ति की सिफारिश के पश्चात् इनके विकल्प के रूप में जनसाधारण को सर्वसुलभ सस्ता तथा पक्षपात विहीन न्याय दिलाने के उद्देश्य से गिरधारी लाल व्यास समिति ने ग्राम पचायतों में न्याय उप समिति के गठन का सुझाव दिया जिसे राज्य सरकार ने स्वीकारते हुए 1978 में ग्राम पचायतों के चुनाव के तुरन्त पश्चात् ही न्याय उपसमितियों का गठन किया गया है। न्याय पचायतों का सम्पूर्ण कार्यभार न्याय उपसमितियों का सौंप दिया गया। प्रत्येक ग्राम पचायत ये गठित ये न्याय उपसमितियाँ पचायत क्षेत्र के छोटे-छोटे फौजदारी व दीवानी दावे सुनकर उनका निस्तारण करती है। नियमानुसार इसके कार्य क्षेत्र में दावे को सुनवाई की प्रक्रिया और उसके द्वारा दिये जाने वाले दण्ड इत्यादि के प्रावधान किये गये हैं^८ सागरनिक दृष्टिकोण से अधिनियम को धारा 27क अनुसार न्याय उप समिति के कुल पाच सदस्य हाते हैं इनमें से चार सदस्य पचायत के निर्वाचित अधिकारी सहवरित पदों में से निवाचित किये जाते हैं।

एक पंच इनम से अनुसूचित जाति य अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है तथा कम से कम एक महिला पंच होती है। पाचया सदस्य पंचायत का सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में रूप सरपंच पदन सदस्य के रूप में होगा। नियमानुसार सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच न्याय उपसमिति का पदेन अध्यक्ष होगा ३४ गिरधारी लाल व्यास समिति की अधिकारियों के आधार पर अधिनियम म यह भी प्रावधान कर दिया गया कि न्याय उपसमिति के दो सदस्य बारी-बारी से प्रति वर्ष नियुक्त होग जिनके स्थान पर याम व्यवायत दो नये सदस्य समिति हेतु चुन कर देगी ३५

न्याय उपसमिति के सदस्यों की योग्यता के सन्दर्भ म व्यवस्था की गई है कि उन्हें पंचायत के पंच योग्यता के अलावा य स्पष्टता से हिन्दी पढ़ने लिखने की योग्यता होनी चाहिए तथा इनकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। न्याय उपसमिति का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के बाहर होता है। ३६

समिति व्यवस्था

पचायती राज संस्थाओं के बायों निर्णयों व नीति निर्माण में सहजता सुगमता तथा प्रभायात्पादकता के उद्देश्य से तथा इन संस्थाओं के जनशक्तिनिधियों व अधिकतम सक्रिय प्रभायात्पादी भागीदारी य सहयोग प्राप्त करने के लिए समिति व्यवस्था का प्रावधान सादिक अली प्रतियोदेन यो अधिकारियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया गया। हालांकि 1953 के पचायतीराज अधिनियम व 1959 के ग्रिस्तरीय पचायतीराज प्रारूप में इनका कोई स्थान पंचायतीराज व्यवस्था में नहीं था।

समिति व्यवस्था की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सादिक अली समिति ने ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति ढलादान समिति और निर्माण कार्यों के लिए समिति के गठन या सुझाय दिया था जिसे राजस्थान सरकार के स्वीकार करते हुए ग्राम पचायती भ इन समितियों के गठन के प्रशासनिक आदेश जारी किये। ३७ जय प्रदय समितिया भी कुछ पचायतों में गठित थी गई।

सादिक अली प्रतियोदेन के अनुसार उपर्युक्त समितियों का कार्य सबधित विषयों पर केवल सिफारिश पेश करना मात्र नहीं है। नीति निर्माण और विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारण में समितिया सलाहकार संस्था को भाति कार्य करें। विभिन्न विषयों पर अतिम निर्णय स्वयं ग्राम पचायत द्वारा लिया जाए।

प्रत्येक समिति के सदस्यों की साझा पाच हो जिनमें से हीन का चुनाव पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र के व्यवस्क भताधिकारियों में से किया जाए। ग्राम पंचायत क्षेत्र की पाठशाला का प्रधानाध्यायक शिक्षा एव सामाजिक शिक्षा समिति का यदेन सदस्य होना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति दो से अधिक समितियों का सदस्य तथा एक से अधिक समिति का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। ३८ प्रशासनिक समन्वय एव प्रशासन मे गत्यात्मकता तथा परिणामेत्पादकता तथा पचायती राज संस्थाओं के केन्द्र जनआस्था का आधार निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम इन समितियों को माना गया।

ग्राम पंचायत संचिय


ग्राम पंचायत संचिय या ग्राम संचिय जो कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है ग्राम पंचायत के सभी कायों का सेखन-जोखा रखने की जिम्मेदारी इसी की होती है। ग्राम पंचायत

प्रशासनिक क्रिया-कलाप दहो सम्बन्ध करता है। अधिनियम को धरा 23(1) में पद्धतों के लिए नियन्त्रित अनुसार प्रक्रिया द्वारा एक प्रामाण सचिव को नियुक्ति का प्रबोधन करने हैं।¹³

राजस्थान में ग्राम पंचायत का संगठनात्मक आरेख

[पूर्ववर्ती प्रारूप]

आरेख 3.2



* ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953 एवं 1959 को पंचायती राज सरचना के अनुसार पद्धति को संरक्षण।

ग्राम पंचायत के कार्य

कार्यों की दृष्टि से ग्राम पंचायतों को व्यापक दायित्व सौंपे गये हैं। जिनका उल्लेख पंचायत अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट में किया गया है। जिनमें सभी कार्य ऐच्छिक प्रकृति के हैं अनिवार्य प्रकृति के नहीं। तृतीय अनुसूची में उल्लेखित कार्य अग्राकृत हैं—

1. स्वच्छता एव स्वास्थ्य के क्षेत्र में—

- (क) गृह कार्य अथवा मवेशी के लिए जल प्रदान करने की व्यवस्था।
- (ख) सार्वजनिक कार्यों, नालिया, बाधो, तालाबों तथा कुओं (सिंचाई के उपयोग में आने वाले कुओं तथा तालाबों के अलावा) तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई अथवा निर्माण आदि।
- (ग) स्वच्छता, मलबहन, कुष्ठ आदि कारणों की रोकथाम, उनको हटाना और मृत पशुओं की साशंका का निपटारा करना।
- (घ) स्वास्थ्य का संरक्षण तथा सुधार करना।
- (ङ) चाप, काफी तथा दूध की दुकानों का साइंसेस द्वारा अथवा अन्य प्रकार से नियमन।
- (च) शमशान तथा कच्चिस्तान की व्यवस्था, स्थारण तथा नियमन।
- (छ) खेल के मैदानों तथा सार्वजनिक यागों का अभिन्वास तथा संधारण।
- (ज) किसी सक्रामक रोग के आरम्भ होने, फैलने या पुनराक्रमण के विरोध के लिए उपाय करना।
- (झ) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा उनका संधारण और निजी शौचालयों का नियमन करना।
- (ट) स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर घसितों का सुधार करना।
- (ठ) कूड़ा-काकट के ढेरो, गन्दे तालाबों, पोखरों, खाईयों, गढ़ों व खोखली जगहों को भरना सिंचित क्षेत्र में पानी इकट्ठा होने से रोकना तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सुधार करना।
- (ड) प्रसूति एव शिशु कल्याण।
- (ढ) चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करना।
- (ण) मनुष्यों तथा पशुओं के टीका लगाने के लिए प्रोत्साहन।
- (त) नवे भवनों के निर्माण तथा धर्तमान भवनों के विस्तार अथवा परिवर्तन का नियमन।

2. सार्वजनिक निर्माण कार्यों के क्षेत्र में :

- (क) जन मार्गों में अथवा ऐसे स्थानों और स्थलों में, जो किसी निजी सम्पत्ति न हो, और जो जनता के लिए खुले हुए हो, आने वाले अवरोध तथा उन पर दूसरे हुए हिस्सों को हटाना चाहे ऐसे स्थान पंचायत में निहित हो अथवा सरकार के हों।

- (ख) सार्वजनिक मार्गों, नालियों, बाधों तथा पुलों का निर्माण एव सधारण तथा मरम्मत किन्तु शर्त यह है कि ऐसे मार्गों, नालियों, बाधों और पुलों के कार्य अन्य सार्वजनिक अधिकारी को स्वीकृति के बिना हाथ में नहीं लिये जायें।
- (ग) पचायतों में निहित या उनके नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक भवनों चरागाहो, वन भूमियों, जिनमें राजस्थान वन अधिनियम 1953 (राजस्थान अधिनियम 13 सन् 1953) की धारा 28 के अन्तर्गत सौंपी गई वन भूमिया सम्मिलित हैं, तालाबों तथा कुओं (सिचाइ के उपयोग में आने वाले तालाब तथा कुआ के अलावा) का सधारण तथा उनके प्रयोग का नियमन।
- (घ) पचायत क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था।
- (ङ) पचायत क्षेत्रों में भेलो, बाजारो, क्रय-विक्रय स्थानों, हाटों, तागा स्टेण्डों तथा गाडियों के ठहरने के स्थानों का नियमन एव नियत्रण (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा पचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है)।
- (च) शराब की दुकानों तथा बूचड-खानों का नियमन तथा नियत्रण।
- (छ) सार्वजनिक मार्गों तथा क्रय-विक्रय स्थानों एव अन्य सार्वजनिक स्थानों में पेड लगवाना तथा उनका सधारण और परीक्षण।
- (ज) आवारा और स्वामी विहीन कुत्तों को समाप्त करना।
- (झ) धर्मशालाओं का निर्माण एव सधारण।
- (ঁ) स्नान करने या कपडे धोने के ऐसे घाटों का प्रबन्ध एव नियत्रण जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।
- (ঁ) पचायत के मलवाहन सम्बन्धी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण एव सधारण।
- (ঁ) शिविर मैदानों की व्यवस्था एव उनका सधारण।
- (ঁ) काजी हाऊसों (Cattle compound) को स्थापना, नियत्रण एव प्रबन्ध।
- (ঁ) अकाल अथवा अभाव के समय निर्माण कार्यों का आरभ, उनका सधारण तथा रोजगार की व्यवस्था।
- (ঁ) ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो कि निर्धारित किये जावें, आवादी स्थलों का विस्तार तथा भवनों का नियमन।
- (ত) गोदामों की स्थापना और उनका सधारण।
- (থ) पशुआ के लिए पानी की व्यवस्था हेतु पोखरों को खुदाई एव सधारण।
- 3 शिक्षा एव संस्कृति के क्षेत्र में**
- (ক) शिक्षा का प्रसार।
- (খ) अखाडो, क्लबों तथा मनोरजन एव खेलकूट के अन्य स्थानों की स्थापना एव उनका सधारण।
- (গ) कला एव संस्कृति की उन्नति के लिए चियेटरों की स्थापना एव उनका सधारण।

- (ष) पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को स्थापना एवं उनका संधारण।
- (ठ) सार्वजनिक रेडियो सेट्स एवं ग्रामो-फोनों का लगाना।
- (च) पचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं नैतिक उत्थान करना, जिसमें स्थिति में सुधार, भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा जुआ एवं निर्धक मुकदमेवाजी को निहत्साहित करना सम्मिलित है।

4 आत्मरक्षा एवं पंचायत क्षेत्र की सुरक्षा

- (क) पचायत क्षेत्र और उसके अन्तर्गत फसलों की चौकीदारी का प्रबन्ध, किन्तु शर्त यह है कि चौकीदारी का व्यय पचायत द्वारा पचायत क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों से और ऐसे ढग से लिया एवं यस्तूल किया जायेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।
- (ख) कट कारक (Offensive) एवं खत्तनाक व्यापारों अथवा व्यवहारों का नियम, एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- (ग) आगजनी होने पर आग बुझाने में सहायता करना तथा उसके जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

5. प्रशासन के क्षेत्र में :

- (क) भू-गृहादि पर अक संग्रह।
- (ख) जनगणना करना।
- (ग) पचायत क्षेत्र के कृषि एवं कृषि भिन्न उत्पादन की युद्धि के लिए कार्यक्रम बनाना।
- (घ) ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में आने वाली रसद एवं वित्तीय आयशक्तियों का विवरण तैयार करना।
- (छ) एक ऐसे माध्यम में कार्य को करना जिसमें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पचायत क्षेत्र में पहुँच जाये।
- (च) सर्वेक्षण करना।
- (ट) पर्यावरण के खड़े रहने के स्थानों, घलिहानों, चरागाहों तथा सामुदायिक भूमियों का नियन्त्रण।
- (ज) भेलों, तीर्थ यात्राओं तथा त्यौहारों (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा पचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता हो) स्थापना संधारण तथा नियमन।
- (झ) घेरोजगारी से सम्बन्धित आकड़े तैयार करना।
- (ঘ) जिन शिकायतों का पचायत निरीक्षण नहीं कर सके, उनके बारे में समुदायक प्राधिकारी को रिपोर्ट करना।
- (ঠ) पचायत अभिलेखों को तैयार करना, उनका संधारण एवं देखभाल।
- (ঠ) जन्मो तथा विवाहों को ऐसी रीतियों से तथा ऐसे प्रपत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा इस नियमित सामान्यतया दिशेप आज्ञा द्वारा निर्धारित किये जाएं, पञ्जियन (Registration) করনा।

(ड) पंचायत क्षेत्र में स्थित गाँवों के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

6. जनकल्याण के क्षेत्र में :

- (क) भूमि सुधार योजनाओं को कार्यान्वय करने में सहायता करना।
- (ख) अपर्गों, निराकृतों तथा रोगियों को राहत दिलाना।
- (ग) देवी-प्रकोप के समय क्षेत्र के निवासियों की सहायता करना।
- (घ) पंचायत क्षेत्र में भूमि तथा संसाधनों के सहकारी प्रबन्ध को व्यवस्था करना और सामूहिक खेतों, खण्डालों समितियों तथा बहुदेशीय सहकारी समितियों का संगठन।
- (ड) राज्य सरकार को पूर्व अनुमति से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और ऐसी भूमि पर खेती करवाना।
- (च) सामुदायिक कार्यों तथा पंचायत क्षेत्र के उन्नति कार्यों के लिए स्वैच्छिक ऋण को आदेशित करना।
- (छ) सस्ते भाव को दुकान खोलना।
- (ज) परिवार नियोजन का प्रचार करना।

7. कृषि तथा परीक्षण के क्षेत्र में :

- (क) कृषि उन्नति तथा आदर्श कृषि फार्मों की स्थापना।
- (ख) धान्यागारों (Grainaries) की स्थापना।
- (ग) राज्य सरकार द्वारा पंचायत में निहित बंजर तथा पड़त भूमियों पर खेती करवाना।
- (घ) कृषि उपज बढ़ाने की दृष्टि से पंचायत क्षेत्र में कृषि के न्यूनतम निर्धारित स्तरों को प्राप्त करना।
- (उ) खाद के संधारणों का संरक्षण करना, मिश्रित खाद (compost) तैयार करना और खाद को बिक्री करना।
- (च) उन्नत बोजों के लिए पौधर (नर्सरीज) स्थापित करना तथा उनका संधारण करना और औजारों तथा सामान्य (स्टर्टर्स) के लिये व्यवस्था करना।
- (छ) उन्नत बोजों का उत्पादन तथा प्रयोग।
- (ज) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन।
- (झ) फसल-परीक्षण तथा फसल रक्षा।
- (ञ) छोटे सिंचाई कार्य जिसमें पचास एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई नहीं हो और जो पंचायत समिति के कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हों।
- (ट) ग्राम घनों का वर्धन, परीक्षण तथा सुधार।
- (ठ) डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन।
- 8. पशु अभिजनन तथा पशु रक्षा के क्षेत्र में :
- (क) पशु सुधार तथा पशु नस्त सुधार और पशु-धन की सामान्य देखभाल जिसके तहत जानवरों को चिकित्सा तथा उनमें रोग फैलने को रोकदाम समिलित है।

(ए) नस्ली साड रखना और उनका पालन करना।

9 ग्राम उद्योग के क्षेत्र में

(क) कुटीर तथा ग्राम उद्योगों वा विकास उनमें सुधार तथा प्रोत्साहन।

10 विविध कार्य

(क) विद्यालयों के भवनों तथा उनसे अनुरूपता समस्त भवनों का निर्माण तथा उनकी बरम्पत करना।

(ख) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आवासों का निर्माण करना।

(ग) भारत सरकार के टाक विभाग के लिए और उसकी ओर से उस विभाग के साथ तथा हुई शर्तों पर टाक-सेवा हाथ में लेना तथा निष्पादित करना।

(घ) जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा कारबाह प्राप्त करना।

(ट) अभिकर्ता के रूप में या अल्पयचत प्रमाण-पत्रों की विक्री⁴⁴

पचायत समिति गठन व कार्य

“राजस्थान में पचायत समिति एवं जिला परिपद् अधिनियम के 1959 के तहत चलायत राय मेहता द्वारा अनुमोदित प्रिस्तरीय पचायतीराज व्यवस्था में पचायत समिति मध्यवर्ती सोपान है। ग्रामीण विकास को गति व दिशा प्रदान करने के लिए तथा प्रत्येक जिलों को कुछ विकास घट्टों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक खण्ड स्तर पर एक पचायत समिति का गठन किया गया है। पचायत समितियों वो तहसील की सीमा के साथ विभक्त किया गया है कि पचायत समिति राजस्थ तहसीलों के साथ समसीमात हो।”⁴⁵

राजस्थान में लागभग 237 पचायत समितियां हैं जो प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की धूरी हैं जिसके चारों ओर पचायतीराज की समग्र गतिविधिया संकेन्द्रित है। जिनमें कार्यकारी शक्तिया एवं दायित्व समाहित हैं। विभागीय स्तर पर निर्मित होने वाली सभी योजनाएं पचायत समितियों को हस्तातित कर दी गईं। इससे पचायत समितिया थोड़ी सशक्त हुई है।

पचायत समिति का गठन

राजस्थान में पचायत समिति की सरचना पचायत समिति अधिनियम 1959 के आधार पर की गई है। इस अधिनियम की पारा 6 द्वारा राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी जिले के अन्तर्गत पचायत समिति का गठन पुनर्गठन तथा परिसीमन करने के लिए किसी जिले के अन्तर्गत पचायत समिति का गठन पुनर्गठन तथा परिसीमन करने के लिए वह गठित की गई है। जैसे मालपुरा खण्ड के लिए गठित पचायत समिति का नाम पचायत समिति मालपुरा होगा। अधिनियम में कहा गया है कि राजपत्र में अधिसूचना निकालकर राज्य सरकार किसी पचायत समिति का नाम बदला सकती है।⁴⁶

अधिनियम के अनुसार पचायत समिति का कानूनी स्वरूप निम्नानुसार है—

1 पचायत समिति का नाम उस खण्ड के नाम पर होगा जिसके लिए वह गाठा⁴⁷ की गई है।

2 यह एक नियमित निकाय होगा जिसका

- (क) शाश्वत उत्तराधिकार होगा,
- (ख) उसकी सम्मति मुद्रा होगी,
- (ग) वह सम्मति अंजित कर सकेगी, उसे रख सकेगी और उसे बेच सकेगी अथात् पचायत समिति को सम्मति सम्बन्धी पूरे अधिकार हैं,
- (घ) अपने निर्णयित नाम से वह किसी के विरुद्ध कोई बाद (दावा) न कर सकेगी या उसके विरुद्ध कोई दावा किया जा सकेगा।⁴⁹

राजस्थान में पचायत समिति का गठन अधिनियम के अनुसार अग्रोल्लेखित है—

1. पदेन सदस्य

- 1 पचायत समिति क्षेत्र के सभी पचादनों के सरपच,
- 2 पचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा सदस्य,
- 3 उपखण्ड अधिकारी, [एस.डी.ओ.] जिसको अधिकारिता में वह खण्ड स्थित है, [पदेन सदस्य] भर्ताधिकार नहों होगा।⁵⁰

2. निर्वाचित सदस्य

अधिनियम के अनुसार खण्ड को सभी ग्राम सभाओं के अध्यक्षों द्वारा अपने में से विहित रौति से निर्वाचित सदस्य पचायत समिति में प्रतिनिधित्व द्वरोगे। इस प्रकार निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों को सख्ता सम्बन्धित बिलाधीश द्वारा निर्धारित को जावेगी। जिलाधीश के लिए इस सम्बन्ध में यह निर्देश अभिलिखित किये गये हैं कि यदि ग्राम के समूह को कुल जनसंख्या एक हजार से अधिक न हो तो उन पर एक प्रतिनिधि और यदि एक हजार से अधिक हों तो प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों पर एक और प्रतिनिधि चुना जा सकेगा। यदि किसी पचायत समिति क्षेत्र में केवल एक ही ग्राम सभा हो तो उसका अध्यक्ष उस पचायत समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ समझा जायेगा।⁵¹

3. सहवरित या सहयोजित सदस्य

- 1 दो महिलाएँ,
- 2 दो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि,
- 3 दो अनुसूचित जन जाति के सदस्य, यदि पचायत समिति क्षेत्र में इनको सख्ता, कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से अधिक हो, और
- 4 एक प्रतिनिधि सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों के द्वारा निर्वाचित।⁵²

4 सह सदस्य

- 1 कृषि निपुण कृपक एक,
- 2 पचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं उन्होंने में से चयनित किया जाये,
- 3 पचायत समिति क्षेत्र में कार्य कर रही विद्यान समितियों के अध्यक्षों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों के अध्यक्षों द्वारा उन्होंने में से निर्वाचित हो,

4 ग्राम सेवा तथा विषयन समितियों के अतिरिक्त पचायत समिति क्षेत्र में कार्यकारी समितियों के अध्यक्षों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों के अध्यक्षों द्वारा उन्होंने मे से निर्वाचित हो⁵²

5 अपर (अतिरिक्त) सदस्य

किसी सरपञ्च या उप सरपञ्च को प्रधान चुन लिया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत पचायत समिति का अपर सदस्य होता है⁵³

पचायत समिति सदस्य के लिए योग्यताएँ


पचायत समिति सदस्यता के लिए योग्यता की व्याख्या के सन्दर्भ में राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिपद अधिनियम 1959 में नियेधात्मक रीति को स्वीकारा गया है। उसके अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति पचायत समिति सदस्यता हेतु अयोग्य होंगे। यदि वे—

- 1 केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सास्था के अधीन वैतनिक पद पर कार्यरत हो
- 2 आयु 25 वर्ष से कम हो
- 3 दुराचार के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो
- 4 वैतनिक या लाभ के पद पर पचायत समिति के अधीन कार्यरत हो
- 5 पचायत समिति को सामग्री आपूर्ति के लिए किसी संविधा में हिस्सा रखता हो
- 6 शरीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित हो
- 7 नैतिकता छुआछूत एवं अन्य अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो
- 8 दिवालिया हो
- 9 राजस्थान पचायत राज कानून 1953 व पचायत समिति अधिनियम 1959 के अधीन आरोपित किसी कर या फीस की रकम का भुगतान भुगतान विवरण (बिल) प्रस्तुत करने की तिथि के 2 माह के भीतर नहीं जमा किया हो।
- 10 पचायत समिति के पक्ष विषय में अभिभावक हो
- 11 राजस्थान पचायत कानून की धारा 17(4) के अनुसार सरपञ्च उप सरपञ्च या न्याय उप समिति के अध्यक्ष या सदस्य बनने के अयोग्य हो
- 12 पचायत समिति अधिनियम धारा 40 (3) के अनुसार प्रधान या उप प्रधान के रूप में निर्वाचन के अयोग्य हो⁵⁴

प्रधान का चुनाव

राजस्थान में प्रधान के चुनाव का निर्वाचक मण्डल वर्तमान में इस प्रकार है—

- 1 पचायत समिति के सभी सदस्य (सब डिविजनल ऑफीसर को छोड़कर)
- 2 पचायत समिति क्षेत्र की सभी पचायतों के निर्वाचित एवं सहवरित सदस्य
- 3 पचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं के अध्यक्ष।



जिले का जिलाधीश पचायत समिति से सहबरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधान के चुनाव के लिए पचायत समिति की बैठक आमन्त्रित करता है। चुनाव हेतु चुलायी गयी इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं जिलाधीश या उसके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त जिलाधीश करता है। प्रधान पद का निर्वाचन, "राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् (प्रधान तथा प्रमुख निर्वाचन) नियम, 1979" में दिये गये तरीके से गुप्त मतदान प्रणाली से होता है ५५

प्रधान के लिए योग्यताएँ

राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 में प्रधान पद के लिए योग्यता के लिए जो दो शर्तें निर्धारित की गयी वो इस प्रकार हैं—

- 1 वह व्यक्ति पचायत का नागरिक व मतदाता हो,
- 2 वह हिन्दौ पढ़ने व लिखने की योग्यता रखता हो।

राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 12 (1) (क) के परन्तुक में प्रधान पद के लिए योग्यता की शर्त निम्न है—

- 1 इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति प्रधान और संसद सदस्य दोनों पदों पर एक साथ नहीं रह सकता और यदि यो इनमें से किसी दो सभाओं में निर्वाचित हो जाता है तो चुनाव परिणाम के 14 दिन तक उसे किसी एक पद से त्याग-पत्र देना अनिवार्य है।
- 2 वह दो पचायत समितियों का प्रधान एक साथ नहीं रह सकता है। उसे एक जगह से त्याग-पत्र देना होगा। अन्यथा 14 दिन पूरे होने पर वह किसी भी पचायत समिति का प्रधान नहीं रहेगा ५६

कार्यकाल तथा रिक्त स्थान

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निर्वाचित प्रधान को पदाधिकारी का कार्यकाल वही होगा जो पंचायत समिति का है। परन्तु यदि प्रधान का पद बीच में रिक्त हो जाये तो उसके स्थान पर चुने गये प्रधान का कार्यकाल उसके पहले वाले प्रधान की अधी छुई अवधि के लिए ही होगा ५७

उपप्रधान का निर्वाचन तथा कार्यकाल

उपखण्ड अधिकारी (एस डी ओ) एवं सह सदस्यों के अतिरिक्त पचायत समिति के शेष सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान चुना जाता है। जिसका निर्वाचन निम्नलिखित सदस्यों द्वारा होता है—

- 1 खण्ड को समस्त ग्राम पचायतों के संघरण,
- 2 खण्ड से निर्वाचित विधान सभा सदस्य
- 3 ग्राम सभाओं से निर्वाचित सदस्य, तथा
- 4 सहयोगित सदस्य।

निर्वाचित उप प्रधान का कार्यकाल पचायत समिति के कार्यकाल के समान होता है किन्तु नियमानुसार यदि उप प्रधान का पद बोच में रिक्त हो जाये, तो उसके स्थान पर चुने गये उपप्रधान का कार्यकाल उसके पहले बाले उप प्रधान को बच्ची हुई अवधि के लिए ही होगा ८१

अविश्वास प्रस्ताव

पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा (39) (40) में प्रधन एवं उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार प्रस्ताव करने के आशय का एक लिखित नोटिस, जिस पर पचायत समिति के कुत सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और जिसके साथ प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सलग्न होगी और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक सदस्य द्वारा वह उस जिलाधीश को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह पचायत समिति है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन को अवधि में, सदस्यों को 15 दिन का नोटिस देते हुए जिलाधीश उस प्रस्ताव पर विचारार्थ पंचायत समिति की बैठक बुलाता है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश स्वय करता है। इस प्रकार बुलायी गयी पचायत समिति की बैठक के सम्मुख अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाता है। प्रस्ताव पर दो घण्टे को बहस के पश्चात् सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाये तो उसके पारण की सूचना पचायत समिति के सूचना पट्ट पर लगायी जाती है और इसी के साथ प्रधान या उप प्रधान, जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ है, पर मुक्त हो जाता है।

गणपूर्ति के अभाव में अथवा उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता है तो उसी प्रधान या उप प्रधान में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी पश्चात्कर्त्ता प्रस्ताव का नोटिस तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि पूर्व बैठकों को तारीख से 6 महीने व्यतोत न हो जाये। ऐसा प्रस्ताव जब दुवारा लाया जाता है तो उसके समर्थन में दो तिहाई सदस्यों के मत की अनिवार्यता के स्थान पर निर्वाचक भण्डल के साधारण बहुमत का समर्थन प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत मान लिया जाता है।

इस हेतु राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् (प्रधान, उप प्रधान प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव) नियम 1961 बनाये गये हैं। इन्हों नियमों में यह प्रावधान किया जाते वाला अविश्वास प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति द्वारा पद भार सभालने के 6 महीने के भोतर नहीं लिया जायेगा। इसी प्रकार गणपूर्ति के लिए यह प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार बैठक में मन देने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को कुल सर्वान् एक तिहाई सर्वान् गणपूर्ति हेतु आवश्यक होगी ८२

प्रधान या उपप्रधान का पदच्युत या निलम्बन करना

पचायत समिति का प्रधान, उप प्रधान, या सदस्य राज्य सरकार की नजर में पचायत समिति के कार्य सचालन में राज्य सरकार की जानबूझकर अवहेलना करे तथा शक्तियों की दुरुपयोग करे और दुराचरण कार्य का दोषी पाया जाये तो राज्य सरकार उसे अपने पक्ष में इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् जिला परिषद् से विचार-विमर्श कर इस सन्दर्भ में उसे पदमुक्त कर सकती है।

यदि किसी प्रधान, उपप्रधान के विरुद्ध वैतिक पतन या अपराध के लिए जाच चल रही हो या न्यायालय में कार्यवाही सम्भव हो तो उसे राज्य सरकार अपने पद से निलम्बित कर सकेगी तथा ऐसी परिस्थिति में यह पचायत समिति के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने के अद्योग्य होगा तथा पद से हटाये जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधान या उप प्रधान के रूप में पुनः निर्वाचन के योग्य नहीं होगा।⁶⁰

विकास अधिकारी

पचायत समिति के प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए तथा पचायत समिति के नियंत्रक अधिकारी के रूप में पचायत समिति अधिनियम, 1959 में विकास अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार सरकार किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन किस पद पर कार्यरत है पचायत समिति में प्रतिनियुक्त पर विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी, प्रसार अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।⁶¹

पंचायत समिति के कार्य

प्रत्येक पचायत समिति को पचायती समिति अधिनियम, 1959 की धारा 23 (2) की अनुसूची के अनुसार अपने क्षेत्र में कायों की व्यापक जिम्मेदारिया दी गई है जो निम्नानुसार है—

1. सामुदायिक विकास

- 1 अधिक, नियोजन, उत्पादन तथा सुख-सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ग्राम सम्बन्धीयों का समर्थन।
2. पारस्परिक सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित ग्राम समुदाय में आत्मसम्मान तथा स्वायत्लभ्यत की प्रवृत्ति उत्पन्न करना।
- 3 समुदाय की भलाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम में नहीं लिए जाने वाले समय तथा शक्ति का प्रयोग।

2. कृषि

- 1 परिवार, ग्राम तथा खण्ड के लिए अधिक कृषि उत्पादन के लिए योजनाएँ बनाना तथा उनको पूरा करना।
- 2 धन तथा जल के साधनों का प्रयोग तथा नवीनतम शोध पर आधारित खेती की सुधारी हुई रीतियों का प्रसार।
- 3 ऐसे सिंचित कायों जिनकी लागत ₹ 25 000 से अधिक न हो, का निर्माण तथा संधारण।
- 4 सिंचाई के कुओं, घाधों, एनोवटों तथा मोड-घधों के निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान।
- 5 भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा कृषि भूमियों पर भू-संरक्षण।
- 6 बीज बूटि के फार्मों का संधारण-पजीकृत बीज उत्पादकों को सहायता तथा बीज वितरण।

- 7 फल तथा सम्बद्धों का विकास।
- 8 खाद्य तथा उत्पादकों को स्थोक्षिय बनाना रुपा उनका वितरण।
- 9 स्थानीय खाद्य सबधों साधनों का विकास।
- 10 सुधरे हुए कृषि औजारों के प्रयोग खरीद तथा निर्माण को बढ़ावा देने रुपा उनका वितरण।
- 11 दैधों की रक्षा।
- 12 राज्य योजना नीति के अनुसार व्यापारिक फसलों का विकास।
- 13 सिंचाई तथा कृषि के विकास के लिए उधार तथा अन्य सुविधाएँ।

3 पशुपालन

- 1 अभिजात अभिजनन साड़ों की व्यवस्था करके शुद्ध साड़ों को बढ़िया करके और कृत्रिम गर्भांधान केन्द्रों को स्थापना तथा संधारण हुए स्थानीय पशुओं की क्रमोन्नति करना।
- 2 ढोर भेड़ सूअर कुकुटादि तथा ऊटों को सुधरी नस्लों को प्रस्तुत करना, इनके लिए सहायता देना तथा लघु आधार पर अभिजनन फार्मों को चलाना।
- 3 छूत की बोनारियों को रोकना।
- 4 सुधरा हुआ चारा तथा पशु खाद प्रस्तुत करना।
- 5 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा छोटे पशु-औषधालालों की स्थापना का संधारण।
- 6 दुग्धशर्लालों की स्थापना व दूध भेजने का प्रबन्ध।
- 7 छन व श्रेणीबद्ध करना।
- 8 शुद्ध ढोर की समस्या सुलझाना।
- 9 पचायतों के नियन्त्रणधीन तालबों में मछली पालन का विकास करना।

4 स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई

- 1 टीका लगाने सहित स्वास्थ्य सेवाओं का संधारण तथा विस्तार और व्यापक रोगों की रोकथाम।
- 2 जीने योग्य सुरक्षित घानी की सुविधाओं का प्रबन्ध।
- 3 परिवार आयोजन।
- 4 औषधालालों दवाखानों डिस्पेन्सरियों प्रसूति केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण।
- 5 व्यापक स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाना तथा (क) झाहर फैटिक्टा (ख) प्रसूति तथा शिशु तथा (ग) छूत की बोनारियों के सम्बन्ध में लोगों को रिहित करना।

5 शिक्षा

- 1 अनुसूचित जातियों और अनु जनजातियों के चलाए जाने वाले विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक विद्यालय।

- 2 प्राथमिक पाठ्यालाओं को बुनियादी पढ़नि में परिवर्तन करना।
- 3 माध्यमिक स्तरों तक छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों के लिए छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ समिलित हैं।
- 4 बच्चियों की शिक्षा वा विकास करना तथा शाला-मादाओं (स्कूल-मदर्स) का नीकरी में रखा जाना।
- 5 कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिया तथा बजाएँदेना।
- 6 अध्यापकों के लिए क्वार्टर का निर्माण करना।

6. समाज शिक्षा

- 1 सूचना सामुदायिक व विनोद केन्द्रों की स्थापना।
- 2 युवक संगठनों की स्थापना।
- 3 पुस्तकालयों की स्थापना।
- 4 ग्राम काकियों तथा ग्राम साथियों के प्रशिक्षण तथा उनको सेवाओं के उपयोग की विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महिलाओं और चांलकों के थोच काम करना।
- 5 प्रौढ़ शिक्षा।

7. सचार साधन

अतः पचायत साधन सङ्कों द्वारा ऐसी सङ्कों पर पुलियों का निर्माण तथा संभारण।

8. सहकारिता

- 1 सेवा सहकारी समितियों, औद्योगिक, सिवाई, कृषि तथा अन्य सहकारी सम्याओं की स्थापना में तथा उन्हें शक्तिशाली बनाने में सहायता देकर सहकारी कार्य को ओत्साहित करना।
- 2 सेवा-सहकारी सम्याओं में भाग लेना तथा उन्हें सहायता देना।

9. कुटीर उद्योग

- 1 रोजी कमाने के अधिकार अवसर देने के लिए तथा गाँवों म आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए कुटीर एवं छोटे ऐमाने के उद्योगों का विकास।
- 2 उद्योगों तथा नियोजन सम्बन्धी सम्भाव्य साधनों का सर्वेक्षण।
- 3 उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
- 4 कारीगरों तथा शिल्पकारों की कुशलता को बढ़ाना।
- 5 सुधरे हुए औजारों को लोकप्रिय बनाना।

10 पिछड़े वर्गों के लिए कार्य

- 1 अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों का प्रबन्ध।

- 2 समाज कल्याण स्वयंसेवी संगठन मजबूत बनाना तथा उनको गतिविधियों का समन्वय करना।

11. आपातिक सहायता

आग, बाढ़, महामारियों तथा अन्य व्यापक प्रभावशाली आपदाओं को दशा में आपातिक सहायता का प्रबन्ध।

12. आकड़ों का सग्रह

ऐसे आकड़ों का सग्रह तथा सकलन जो कि पचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जावे।

13. न्यास

ऐसे किसी ठहेश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए न्यासों का प्रबन्ध जिसके, जिला पचायत समितियों की निधि का प्रयोग किया जाय।

14. वन

- 1 ग्राम वन।
- 2 चारी-चारी से चाराई।

15. ग्राम भवन का निर्माण


16. प्रचार

- 1 सामुदायिक रूप से सुनाने को योजना।
- 2 प्रदर्शनियाँ।
- 3 प्रकाशन।

17. विविध

- 1 पचायतों की समस्त गतिविधियों का धर्यवेक्षण तथा उनका यथ-प्रदर्शन एवं ग्राम व पचायत योजनाओं का निर्माण।
- 2 घृणास्पद, भयानक अथवा हानिकर, व्यापारों, धन्यों तथा रिवाजो का नियमन।
- 3 गन्दी बस्तियों का पुनरुद्धार।
- 4 हाटों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं-उदाहरणार्थ सार्वजनिक पाकों, बागों, फलोद्यानों व फार्मों आदि की स्थापना, प्रबन्ध, संधारण तथा निरीक्षण।
- 5 रगमर्दों की स्थापना तथा प्रबन्ध।
- 6 खण्ड में स्थित दिदिलालयों, आश्रमों, अनाथालयों, पशु चिकित्सालयों तथा अन्य संस्थाओं का निरीक्षण।
- 7 अल्प व बहुत तथा बीमा के जरिए मितव्ययता को प्रोत्साहन।
- 8 लोक कला तथा संस्कृति को प्रोत्साहन।
- 9 पचायत समिति के मेलों का आयोजन एवं प्रबन्ध।
- 10 डाक तथा ताराविभाग के प्रतिदेय अधिदाय के भुगतान का उपबन्ध करके पचायत समितियों के किसी भी ग्राम में जहाँ कहाँ भी आवश्यक हो तथा जहाँ पचायतें समुचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐसा करने में असमर्थ हो, प्रयोगात्मक डाक घरों सम्बन्धी डाक सुविधायें सुनिश्चित करना।⁶²

प्रावस्त्रान वे नियम बनाए कि साधारणक ओल ३४
[प्रृष्ठांती प्रावस्त्र]



* राजस्वन में 1959 के नियमपरिवर्तन प्रावस्त्र के अनुसार विस्तारित

जिला परिषद्

राजस्थान में 1959 के पदायन समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के तहत 2 अक्टूबर, 1959 में जिस त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का श्री गणेश किया उसमें ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों पर नियंत्रण, संयंवेक्षण, समन्वय एवं सहकार का माध्यम जिला परिषदों को बनाया गया तथा निष्पादकोय कार्यों से इन्हें परे रखा गया। जिला परिषद् एक शोर्षस्थ संगठन है और सम्पूर्ण जिले के विकास के लिए उत्तरदायी है^{५३} जिला परिषद् को बलवत्तराय भेदहा समिति ने अपने प्रतिवेदन में शोर्षस्थ प्रशासकीय निकाय बनाने का सुझाव दिया था^{५४} जिसे अधिकतर राज्यों ने स्वीकार कर क्रियान्वित किया।

पंचायती राज व्यवस्था में लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की इस सर्वोच्च सत्त्वा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा राजस्थान राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना दिनांक से किसी जिले के लिए एक जिला परिषद् का गठन कर सकती है। जिला परिषद् एक नियम निकाय है उसका शाश्वत उत्तराधिकार है। उसको अपनी मोहर होती है, वह किसी पर बाद-दायर कर सकती है तथा उस पर भी बाद दायर किया जा सकता है उसे संविधा करने का अधिकार होता है^{५५} जिला परिषद् लोकतात्रिक निकाय नहीं है, बल्कि एक सरकारी संस्था है, क्योंकि प्रदेन तथा सहयोगित सदस्यों को संछया अधिक है। इससे नये नेतृत्व के उभारने में बाधा पड़ती है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली ने इस संस्था को कम लोकतात्रिक बना दिया है^{५६} राजस्थान में जिला परिषद् की सरचना अधिनियम की धारा 42 के अनुसार राजस्थान राज्य की सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी जिले के लिए उसमें अंकित दिनांक से एक जिला परिषद् का गठन कर सकती है^{५७}—

प्रत्येक जिला परिषद् उस जिले का नाम धारण करेगी जिसके लिए वह गठित की जाएँ और शाश्वत उत्तराधिकार तथा मुद्रा से युक्त एक नियमित निकाय होगा, जो सम्पत्ति वा आवास करने, धारणा करने तथा उसके निपटने एवं संविधा करने को शक्ति से सम्पन्न होगा और वह अपने नियमित नाम से बाद संस्थित कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध भी बाद-संस्थित किया जा सकेगा^{५८}

प्रत्येक जिला परिषद् का गठन चार प्रवार के सदस्यों से होता है जो निम्नानुसार है^{५९}—

पदेन सदस्य

1. जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान,
2. जिले में रहने वाला राज्यसभा का सदस्य,
3. जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य,
4. जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य,
5. जिला विकास अधिकारी (जिलाधीश)।

उपरोक्त सभी सदस्यों में से जिला विकास अधिकारी को जिला परिषद् को बैठक में योग्यता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

सहयोगित (सहवृत) सदस्य

1. दो महिलाएँ : यदि पदेन सदस्यों की क्रम संख्या एक से चार तक कोई भी महिला, जिला परिषद् की सदस्य नहीं है या एक महिला, यदि उपरोक्त ब्रेंपी में केवल एक ही महिला ऐसी सदस्य है।

- 2 एक अनुसूचित जाति का सदस्य : यदि पदेन सदस्यों में, एक से चार तक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिला परिषद् का सदस्य नहीं है।
- 3 एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य , यदि इस प्रकार की जनजातियों की जनसंख्या जिले की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से अधिक हो ॥०

सहसदस्य

- 1 केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष या उसका मनोनीत प्रतिनिधि,
- 2 जिला सहकारी संघ का अध्यक्ष (यदि जिले में सहकारी संघ हो) ॥१

अणा (अतिरिक्त) सदस्य

किसी पचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान यदि प्रमुख पद पर निर्वाचित किया जाता है तो अपने पद पर रहने तक अधिनियम के अनुसार जिला परिषद् का अपर सदस्य माना जावेगा ॥२

जिला परिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ

जिला परिषद् के सदस्यों के लिए योग्यता के सम्बन्ध में नियमों में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सदस्यता मन्त्रन्यायी अयोग्यता का विवरण दिया गया है। निम्नलिखित अयोग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को जिला परिषद् की सदस्यता के लिए अपावृ ठहराया गया है—

- 1 यदि वह केन्द्र या राज्य सरकार की नियमित सेवा में है,
2. यदि उसको आयु 25 वर्ष से कम है,
- 3 जिला परिषद् या पचायत समिति में वैतनिक पद पर है,
- 4 पचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा दिये किसी ठेके में प्रच्छक या अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार है,
- 5 यदि दुराचरण के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया है,
- 6 यदि शारीरिक या मानसिक रोग या कोदू के कारण कर्त्तव्य करने के अयोग्य हो,
- 7 किसी न्यायालय द्वारा दुराचरण या अस्थृत्यता निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया हो,
- 8 पचायती राज संस्थाओं द्वारा भेजे गये बिल के अन्तर्गत कर या भुगतान दो माह से अधिक समय तक न किया गया हो,
- 9 किसी मुकदमे में पचायत समिति या जिला परिषद् या उसके विरुद्ध अधिवक्ता हो,
- १० लर्एंज, उप-लर्एंज, प्रशान्त या उप-प्रधान के पद के लिए अयोग्य हो जाय ॥३

अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति किसी पचायत या नगर पालिका का निवासी या भताता न हो या राजस्थान ग्रामदान अधिनियम की धारा 13 के अधोन स्थापित जिले की ग्राम सभा का सदस्य न हो या उसमें हिन्दी पढ़ने तथा लिखने को योग्यता न हो, जिला प्रमुख निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होगा। नियमानुसार एक

व्यक्ति दो संस्थाओं में दोनों एक साथ धारण नहीं कर सकता। यदि ऐसा व्यक्ति जिला प्रमुख निर्वाचित हुआ हो, तो पहले से ही संसद या विधान मण्डल का सदस्य या नगरपालिका अध्यक्ष नगरपरिषद् का सदस्य है, तो प्रमुख के वरिणाम की घोषणा की तारीख से 14 दिन समाप्त होने पर वह प्रमुख नहीं रहेगा जब तक कि उसने संसद या राज्य विधान मण्डल या नगर परिषद्, यथा स्थिति, की अपनी सीट से पहले ही त्याग-पत्र दे दिया हो ।⁴

जिला परिषद् अधिनियम 1959 की धारा 16 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में जिला परिषद् सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है—

- 1 यदि उपर्युक्त वर्णित किसी अयोग्यता से युक्त हो।
- 2 यदि जिले में रहने बन्द कर दे। नियमों में यह अपेक्षित है कि चुनाव, संघरण या नामजदगी के पश्चात् प्रतिवर्ष प्रधान और प्रमुख को उस जिले में 240 दिन और अन्य सदस्यों को 180 दिन रहना आवश्यक है।
- 3 जिला परिषद् की बैठकों में लागातार पाच बार प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर।
- 4 यदि सदस्यता से त्याग-पत्र दे द और ऐसा दिया हुआ त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया हो।
- 5 मृत्यु हो जाने पर ।⁵

प्रधान हेतु विशेष उपबंध

पचायत समितियों के प्रधान की जिला परिषद् की सदस्यता के बारे में निम्नलिखित विशेष उपबंध किये गये हैं—

- 1 जिला परिषद का सदस्य बनने से इकार करने पर या ऐसी सदस्यता से त्याग-पत्र देने पर या अन्य कारणों से सदस्य नहीं रहने पर पचायत समिति का कोई प्रधान ऐसा करने की तिथि से प्रधान भी नहीं रहेगा। उसके स्थान पर आने वाला व्यक्ति प्रधान होने से जिला परिषद का पदों सदस्य हो जावेगा।
- 2 जब प्रधान का पद रिक्त हो, तो उप-प्रधान जिला परिषद् का सदस्य होगा।
- 3 जब प्रधान और उप-प्रधान दोनों के पद रिक्त हो, तो पचायत समिति द्वारा निर्वाचित व्यक्ति (अस्थायी प्रधान) जिला परिषद् का सदस्य होगा ।⁶

सहयोजन हेतु निर्वाचिक मण्डल

जिला परिषद के लिए नियमानुसार सहवित किये जाने वाले सदस्यों के निर्वाचन में जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य भाग लेते हैं—

- 1 समस्त प्रधान,
- 2 जिले में रहने वाला राज्यसभा का सदस्य,
- 3 लोकसभा के सदस्य,
- 4 विधानसभा के सदस्य।

इस प्रकार केवल इन्हों सदस्यों को सहयोजन में मत देने का अधिकार दिया गया है ।⁷

सहयोजन हेतु पात्रता

सहयोजन के लिए निम्न व्यक्ति चुनाव में पात्र माने गये हैं—

- 1 जो छण्ड के निवासी हो,
- 2 पचायतों निर्वाचकों और ग्रामसभा के सदस्यों में से हो ।⁸

जिला प्रमुख

जिला प्रमुख जिला परिषद् का एजनेशन अधिनियम के सशोधित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित निर्वाचिक घण्टल द्वारा होता है⁷⁹—

- 1 जिला परिषद् के सदस्यों में जिले की समस्त पचायत समितियों के प्रधान, जिले में रहने वाला राज्यसभा का सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा का सदस्य, जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य तथा जिला परिषद् के सभी सहयोजित सदस्य।
- 2 जिले की पचायत समितियों के सदस्य जिसमें समस्त सरपञ्च, विधानसभा के सदस्य, ग्रामसभा के अध्यक्षों द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा सभी सहयोजित सदस्य।

इस प्रकार सहयुक्त सदस्य तथा सरकारी प्रतिनिधियों (जिलाधीश तथा उपखण्ड अधिकारी) के अतिरिक्त जिला परिषद् तथा पचायत समितियों के अन्य सभी सदस्य जिला प्रमुख निर्वाचन हेतु मतदाता होते हैं।

जिला प्रमुख पद हेतु उम्मीदवार को पात्रता सम्बन्धी दो शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है⁸⁰—

- 1 यह किसी पंचायत या नगरपालिका का नियासी तथा मतदाता हो अथवा राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अधीन स्थापित जिले की किसी ग्रामसभा का सदस्य हो, और
- 2 हिन्दू पढ़ने तथा लिखने की योग्यता रखता हो।

यदि कोई व्यक्ति दो जिला परिषदों का अप्यक्ष चुन लिया जाता है तो भी उसे चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 14 दिन की अवधि में एक जिला परिषद् की सदस्यता को त्यागना होता है⁸¹।

उप जिला प्रमुख

राजस्थान जिला परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उप जिला प्रमुख पद हेतु उम्मीदवार निम्नलिखित सदस्यों में से होगा और वहीं सदस्य उसके निर्वाचन हेतु मतदाता होंगे⁸²—

- 1 जिले की समस्त पचायत समितियों के प्रधान,
- 2 जिले में रहने वाला राज्य सभा का सदस्य,
- 3 जिले से लोकसभा के सदस्य,
- 4 जिले के विधानसभा सदस्य,
- 5 जिला परिषद् के सहयोजित सदस्य।

उप-प्रमुख का यह निर्वाचन विहित रीति से "राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् (उप-प्रधान तथा उप-प्रमुख निर्वाचन) नियम, 1979" के अनुमार आयोजित किया जाता है⁸³

उप-प्रमुख की पदाधित तथा रिक्त स्थानों की भूर्ति, निर्वाचन की वैधता तथा निर्वाचन आयिका सम्बन्धी उपबन्ध, को प्रमुख के बारे में लागू होते हैं, उप-प्रमुख के बारे में भी प्रभावी होगे⁸⁴

जिला परिषद् का कार्यकाल

राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 मे धर्णित उपबन्धो के अनुसार जिला परिषद् की पदावधि ऐसी दिनाक से, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, तोन घर्ष को निश्चित की गयी थी। अधिनियम मे यह व्यवस्था भी की गई थी कि राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना के द्वारा इस अवधि को समय-समय पर कुल मिलाकर एक बार में एक घर्ष की अवधि के लिए बड़ा सकेगा ५५

इसके सदस्यों की पदावधि के बारे मे अधिनियम, यह उपबन्ध करता है कि पचायत समिति के प्रधान तब तक जिला परिषद् के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे प्रधान के पद पर बने रहते हैं ५६

इसी तरह राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा के सदस्य या केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला सहकारी सम के अध्यक्ष, ये सब अपने पद के आधार पर जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। अत. जब कभी वे अपने मूल पद से हट जाते हैं, वे जिला परिषद् के सदस्य भी नहीं रहते हैं ५७ सहयोजित सदस्य भी जिला परिषद् की पूरी पदावधि तक सदस्य रहते हैं और सहयोजित सदस्य का पद रिक्त होने पर अधिनियम मे दिये गये तरीके से, उस खाली स्थान को अन्य व्यक्ति को सहयोजित कर भर लिया जाता है ५८

अविश्वास प्रस्ताव

जिला परिषद् के सदस्यों को अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रमुख या उप जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। अधिनियम के प्रावधान इस सम्बन्ध मे यह व्यवस्था करते है कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय का एक लिखित नोटिस जिस पर जिला परिषद् के कुल सदस्यों मे से कम से कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर होगे और जिसके साथ प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सलान होगी, और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों मे से किसी एक सदस्य द्वारा निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पचायतो राज विभाग को दिया जायेगा। निर्देशक इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा। इस तरह प्रस्तुत प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिन को अवधि के भीतर, 15 दिन का एक नोटिस सदस्यों को देते हुए निदेशक द्वारा जिला परिषद् की बैठक अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए बुलाई जायेगी। यदि अविश्वास का प्रस्ताव प्रमुख के विरुद्ध विचारणीय है तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पचायतो राज विभाग और यदि प्रस्ताव उप-प्रमुख के विरुद्ध हो तो उस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख करेगा। प्रथम बार प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन मे, चाहे वह प्रमुख के विरुद्ध हो या उप प्रमुख के विरुद्ध 2/3 बहुमत आने पर ही पारित हुआ माना जायेगा। ऐसा प्रस्ताव यदि गणपूर्ति पूर्ण न होने पर वार्ड बहुमत प्राप्त न करने के कारण पारित नहीं होता है तो इस तरह का कोई आगामी प्रस्ताव छः माह की समाप्ति के पश्चात् ही प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसे केवल सामान्य बहुमत प्राप्त हो जाने पर ही पारित मान लिया जायेगा। अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि प्रमुख या उप प्रमुख द्वारा कार्यभार सभालने के प्रथम छः माह की अवधि में उनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ५९

जिला परिषद् में समिति व्यवस्था

जिला परिषद् को प्रशासन य व्यवस्था मे सलाह य सहायता हेतु कुछ विषय पर समितियों के गठन का प्रावधान जिला परिषद् की धारा 20(1) के अनुसार निम्नानुसार किया गया है—

1 प्रशासन, वित्त करारोपण तथा कमज़ोर वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों का कल्याण,

- 2 उत्पादन कार्यक्रम जिसमें कृषि पशुपालन सिचाई सहकारिता कुटीर उद्योग तथा अन्य सम्बद्ध विषय समिलित है।
- 3 शिक्षा जिसमें सामाजिक शिक्षा समिलित है
- 4 सामाजिक सेवाये जिनमें ग्रामीण जलप्रदाय स्वास्थ्य तथा सफाई ग्रामदान यातायात तथा सामुदायिक कल्याण से सम्बन्धित अन्य विषय समिलित हैं।

जिला परिषद् उपरोक्त विषयों के लिए चार स्थाई समितियाँ गठित करेगी तथा पांचवीं स्थाई समिति भी उनमें से किसी विषय पर बना सकेगी १० राजस्थान में सादिक अली समिति के सुझावों के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य में कार्यत जिला परिषदों के लिए निम्नलिखित चार समितियों के गठन का प्रावधान किया है—

- 1 प्रशासन एवं वित्त समिति
- 2 उत्पादन समिति
- 3 शिक्षा समिति
- 4 सामाजिक कल्याण समिति।

राज्य सरकार का यह भी निर्देश है कि यदि आवश्यक हो तो जिला परिषद् उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त एक और समिति का गठन कर सकती है। इस प्रकार इन समितियों की अधिकतम सख्ता पांच निर्धारित की गई है ११ जिला परिषद् अधिनियम की धारा 20(3) के अनुसार प्रत्येक स्थाई समिति में कुल सात सदस्य होंगे जिनमें से पाँच सदस्य पचायत समिति के सदस्यों में से चुने जायेंगे तथा दो सदस्य उस विषय के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों में से सहयोगित किये जायेंगे १२ प्रत्येक स्थाई समिति के सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष पद नियुक्ति हो जायेंगे। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि अध्यक्ष वी सदस्य प्रति वर्ष पद नियुक्ति हो जायेंगे। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि अध्यक्ष वी पूर्णानुमति लिए बिना लगातार पांच बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को रिक्त पोषित कर दिया जायेगा। ऐसी रिक्त की घोषणा हेतु नियमानुसार सूचना सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक या सदेशवाहक के द्वारा भेजी जायेगी और यदि ऐसी सूचना उसे व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के साथ रहने वाले प्रीढ़ पुरुष को दे दी गई हो तो वह विधिवत तामील हुई मानी जायेगी १३

जिला परिषद् की बैठक

आवश्यकतानुसार जब भी जिला परिषद् अपनी बैठकें करेगी किन्तु दो बैठकों के बीच का अन्तराल तीन महीने से अधिक नहीं होगा १४ अर्थात् जिला परिषद् की बैठक तीन माह में करना अनिवार्य है।

जिला परिषद् सचिव

राज्य सरकार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए एक सचिव नियुक्त करेगी जो राज्य सद्या या भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या राज्य सरकार के अधीन कार्ड पद धारण करने वाला

ध्यक्ति होगा और वह राज्य सरकार द्वारा प्रमुख के भागीरथी से, स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।⁹⁵

जिला विकास अधिकारी

जिला परिषद् अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जिला विकास अधिकारी जिला परिषद् को जिला परिषद् को उपसमितियों को बैठक में उपस्थित होने और उनके विचार-विमर्श में हिस्सा लेने का अधिकार होगा ।⁹⁶

जिला परिषद् के कार्य

जिला परिषद् का मुख्य कार्य पंचायत एवं पंचायत समितियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करना जिले की पंचायत समितियों की सामान्य देख-रेख रखना है। इसे राज्य सरकार को पचायतों और पचायत समितियों से सम्बन्धित मामलों में सलाह देने तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले को विभिन्न योजनाओं के अधीन जिला परिषदों को किसी प्रकार के कार्यान्तक अधिकार नहीं है।

राजस्थान में जिला परिषद् को अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित दायित्व संभव गये है—

1. इस सम्बन्ध में निर्मित जिले की पंचायत समितियों के बजटों की नियमों के अनुसार जांच करना।
2. राज्य सरकार द्वारा जिले को आवंटित किए गए तदर्थ अनुदानों की पंचायत समितियों में वितरित करना।
3. पचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का सम्बन्ध तथा समेवन करना।
4. पचायतों तथा पंचायत समितियों के कार्यों का सम्बन्ध करना।
5. किसी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में ऐसी अन्य शक्तियों का प्रदोष तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन, जो राज्य सरकार, विज्ञाप्ति द्वारा उसे प्रदान करे या संचालित करे।
6. ऐसी शक्तियों का प्रदान तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदान की जाए तथा उसे संचालित करना।
7. ऐसे मेलों और उत्सवों को छोड़कर, जिनको प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या अब आगे किया जायेगा, अन्य मेलों और उत्सवों का पंचायत के मेलों और उत्सवों के रूप में वर्गीकरण करना और इसके बारे में किसी पंचायत या पंचायत समिति द्वारा अभावेदन किये जाने पर, उक्त वर्गोंकरण का पुनर्विनोक्त करना।

8. राष्ट्रीय राजपथों, राज्य राज्यपथों और जिले की मुख्य सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कों का पचायत समिति की सड़कों और गाँवों की सड़कों के रूप में घोषकरण करना।
9. जिले में पचायत समितियों की गतिविधियों की सामान्य देख-रेख करना।
10. जिले में पचायत और पचायत समितियों के सभी सरपत्तों, प्रधानों और अन्य पदों व सदस्यों के कैप्प, सम्मेलन और सेमीनार आयोजित करना।
11. पचायत तथा पचायत समितियों की गतिविधियों से सम्बन्धित सब मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना।
12. राज्य सरकार हारा जिला परिषद् को विशेष रूप से निर्दिष्ट की गई किसी वैधानिक अधिका कार्य निष्पादन सम्बन्धी आङ्ग को कार्यान्वयित करने सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना।
13. पचकर्पाय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को जिले के भौतिक कार्यान्वयित करने सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना।
14. जिले के लिए निर्धारित सभी कृषि व उत्पादन कार्यक्रमों, निर्माण कार्यक्रमों नियोजनों तथा अन्य लक्ष्यों को ध्यान में रखना और वह देखते रहना कि वे यथोचित रीति से कियान्वित, पूर्ण और निष्पादित किये जा रहे हैं तथा वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे कार्यक्रमों और लक्ष्यों को प्रगति की समीक्षा करना।
15. ऐसे आकड़े इकट्ठे करना जो वह आवश्यक भमझे।
16. जिले में स्थानीय अधिकरणों की गतिविधियों सम्बन्धी साइरकरी व्यौरों अधिकारों अन्य सूचना प्रकाशित करना।
17. किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में हालात प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ॥⁷

सन्दर्भ

1. महात्मा गांधी, ग्राम स्वराज्य, नवजीवन, प्रकाशन अहमदाबाद, 1963 पृष्ठ 15
2. सादिक अली पचायतीराज अध्ययन दल की रिपोर्ट पचायत एवं विकास विभाग राजस्थान सरकार, 1964, पृ 44
3. ए एस अल्तैकर, ग्रामीन भारतीय शासन पद्धति, देहली मौतीताल बनारसीदास 1949, पृ 171-180
4. ए डॉ मालविया, विलोज पचायत इन इण्डिया, न्यू देहली आल हाइडरा काप्रेस कमेटी, 1956, पृष्ठ 42-44
5. जयप्रकाश नारायण, ए प्लॉ कॉर्प रिकर्ट्सक्लान ऑफ इण्डियन पालिटिक्स, काशी सर्वसेवा संघ प्रकाशन, 1959 पृ 81-91

- 6 सादिक अली प्रतिवेदन, पूर्वोक्त
- 7 सादिक अली पचायती राज अध्ययन दल प्रतिवेदन पचायत एवं विकास विभाग, राजस्थान सरकार, 1964, पृ 52
- 8 भगतमा गांधी "ग्राम स्वराज्य" नव जीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1963, पृ 42-43
- 9 सादिक अली, पूर्वोक्त पृष्ठ 44
- 10 श्री कृष्ण दत्त शर्मा एवं श्रीमती सुनीता दाधीच, राजस्थान पचायत अधिनियम तृतीय संस्करण एवन एजेसीज, जयपुर, 1992 पृष्ठ 59 एवं 162, 163, 164 धारा सैक्सन 23(क) के नियम 64 से 69 तक
- 11 उपरोक्त, धारा 65 पृष्ठ 162
- 12 उपरोक्त, धारा 67, पृष्ठ 163
- 13 उपरोक्त, धारा 69, पृष्ठ 164
- 14 उपरोक्त, धारा 68, पृष्ठ 163-164
- 15 सादिक अली, उपरोक्त, पृष्ठ 46, 47
- 16 उपरोक्त, पृष्ठ 46, 47
- 17 उपरोक्त, पृष्ठ 50
- 18 श्री कृष्ण दत्त शर्मा एवं श्रीमती सुनीता दाधीच, राजस्थान पचायत अधिनियम एवन एजेसीज जयपुर, 1992, पृष्ठ 2
- 19 उपरोक्त, धारा 3, पृष्ठ 3
- 20 उपरोक्त, धारा 4, पृष्ठ 19
- 21 उपरोक्त, धारा 6 के नियम, 14 से 47, पृष्ठ 276 से 286
- 22 उपरोक्त धारा 4-5, पृष्ठ 271-272
- 23 उपरोक्त, धारा 6 के नियम, 14 से 47, पृष्ठ 276 से 286
- 24 उपरोक्त, धारा 11, पृष्ठ 25
- 25 उपरोक्त, धारा 9 पृष्ठ 23
- 26 उपरोक्त, धारा 9, पृष्ठ 288
- 27 उपरोक्त, धारा 4, पृष्ठ 19
- 28 उपरोक्त, धारा 13, पृष्ठ 33
- 29 उपरोक्त, धारा 13, नियम 48, पृष्ठ
- 30 उपरोक्त, धारा 13, नियम, 48 पृष्ठ 286
- 31 उपरोक्त, धारा 13, नियम, 49, पृष्ठ 286
- 32 उपरोक्त, धारा 13, नियम 56-57, पृष्ठ 289-290

- 33 उपरोक्त, धारा 7, पृष्ठ 21-22
- 34 उपरोक्त, धारा 19, नियम 14 से 19, पृष्ठ 51, 147-150
- 35 सादिक अली पचायती राज अध्ययन दल की रिपोर्ट, पचायत एवं विकास विभाग, राजस्थान सरकार, 1964, पृष्ठ 87-88
- 36 गिरधारी लाल व्यास समिति प्रतिवेदन, सामुदायिक विकास और पचायत विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर 1973, पृष्ठ 44545 और 160
37. शर्मा एवं दाधीच, पूर्वोक्त धारा 27, पृष्ठ 72
- 38 उपरोक्त, धारा 27, पृष्ठ 71
- 39 उपरोक्त, धारा 27, पृष्ठ 72
- 40 उपरोक्त, धारा 27 (ग), पृष्ठ 72
- 41 सादिक अली प्रतिवेदन-पूर्वोक्त, पृष्ठ 339-334
- 42 रघोन्द शर्मा विलेज पचायतस इन राजस्थान, आलेख पब्लिशर्स, 1974, पृष्ठ 21-22
- 43 कृष्ण दत शर्मा एवं श्रीमती सुनीता दाधीच पूर्वोक्त, पचायत अधिनियम, 1953, धारा 23, पृष्ठ 58
- 44 उपरोक्त, धारा 24, पृष्ठ 137-140
- 45 सादिक अली प्रतिवेदन पूर्वोक्त, पृष्ठ 11
- 46 आर के बाफना एवं पारस जैन, राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959, बाफना पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ 26-86
- 47 उपरोक्त, धारा 6, पृष्ठ 26
- 48 उपरोक्त, धारा 7, पृष्ठ 27-28
- 49 उपरोक्त, धारा 8, पृष्ठ 33-34
- 50 उपरोक्त, धारा 8(2), पृष्ठ 34
- 51 उपरोक्त, धारा 10, पृष्ठ 37-38
- 52 उपरोक्त, धारा 9, पृष्ठ 37
- 53 उपरोक्त, धारा 15, पृष्ठ 54-55
- 55 उपरोक्त, धारा 12, पृष्ठ 41, 42, 43, 44
- 56 उपरोक्त, धारा 12, पृष्ठ 43-44
- 57 उपरोक्त, धारा 12, पृष्ठ 41
- 58 उपरोक्त, धारा 12, पृष्ठ 44
- 59 उपरोक्त, धारा 39-40, पृष्ठ 79-84

60. उपरोक्त, धारा 40, पृष्ठ 84-86
 61. उपरोक्त, धारा 26, पृष्ठ 69-70
 62. उपरोक्त, धारा 23(2) अनुसूची, पृष्ठ 133-136
 63. एस आर. माहेश्वरी : भारत मे स्थानीय शासन : लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, 1990, पृष्ठ 107
 64. रिपोर्ट ऑफ दे फॉर दे स्टडी ऑफ कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स एण्ड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, भाग-1, नयी दिल्ली, कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट्स, 1957, पृष्ठ 17
 65. आर के बाफना एव पारस जैन, राजस्थान पचायत, पचायत समिति एव जिला परिषद कानून, बाफना पब्लिकेशन्स, 1987, धारा 42, पृष्ठ 87
 66. एस आर. माहेश्वरी-पूर्वोक्त, पृष्ठ 107
 67. आर के बाफना एव पारस जैन, पूर्वोक्त, धारा 57, पृष्ठ 100
 68. उपरोक्त, धारा 42(2), पृष्ठ 87
 69. उपरोक्त, धारा 40, पृष्ठ 71
 70. उपरोक्त, धारा 42(6), पृष्ठ 91
 71. उपरोक्त, धारा 42(4), पृष्ठ 88
 72. उपरोक्त, धारा 43, पृष्ठ 92
 73. उपरोक्त, धारा 14, 15, 16, पृष्ठ 54-59
 74. उपरोक्त, धारा 45, पृष्ठ 92-93
 75. उपरोक्त, धारा 16 पृष्ठ 59-60
 76. उपरोक्त, धारा 42(3) (1), पृष्ठ 91
 77. उपरोक्त, धारा 44, पृष्ठ 92
 78. उपरोक्त, धारा 42(4), पृष्ठ 88
 79. उपरोक्त, धारा 45(2), पृष्ठ 44-45
 80. उपरोक्त, धारा 45(1), पृष्ठ 92
 81. उपरोक्त, धारा 45(3), पृष्ठ 93
 82. उपरोक्त, धारा 45(ख), पृष्ठ 93
 83. उपरोक्त, धारा 45 ख, (2), पृष्ठ 94
 84. उपरोक्त, धारा 45 ख (3), पृष्ठ 94
 85. उपरोक्त, धारा 46, पृष्ठ 96
 86. उपरोक्त, धारा 42(3) (1), पृष्ठ 87
 87. उपरोक्त, धारा 42 की उपधारा 3(2). पृष्ठ 87-88
 88. उपरोक्त, धारा 42 उपधारा 3(4), पृष्ठ 88

89. उपरोक्त, धारा 39, पृष्ठ 79-81
90. उपरोक्त, धारा 20(1), पृष्ठ 63-64
91. सादिक अली, पूर्वोक्त, पृष्ठ 89
92. भाफना एवं पारस जैन पूर्वोक्त, धारा 20 (3), पृष्ठ 65
93. उपरोक्त, धारा 20(6) (7), पृष्ठ 65
94. उपरोक्त, धारा 51, पृष्ठ 98
95. उपरोक्त, धारा 55 (1) (2), पृष्ठ 99
96. उपरोक्त, धारा 53 (1) (2), पृष्ठ 98
97. उपरोक्त, धारा 57, पृष्ठ 100

□□□

4

पंचायती राज व्यवस्था : 73वें संविधान संशोधन प्रदत्त तंत्र : संरचना एवं कार्य

20वें सदी विश्व में स्लोकर्टन्श्रीकरण की सदी के रूप में जानी जायेगी तो 21वें सदी स्लोकतत्र को मजबूत आधारों की गवेषणा के प्रयासों एवं प्रयोगों के रूप में जानी जायेगी। भारत विश्व का विशालतम सफल स्लोकतात्रिक गणराज्य है। जहाँ पिछले 50 वर्षों में स्लोकतात्रिक संस्थाओं का विकास व हास तथा सफलता एवं असफलता का ग्राफ समान रूप से परिस्थित होता है। भारत का 80% भूभाग व जनशक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्ड्रीकरण के माध्यम से स्थायीत शासन की कावायद पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से की गई। जिस लक्ष्य एवं उत्साह के साथ इस व्यवस्था को सागृ किया गया था। ये संस्थाएँ उसके अनुकूल अपने उद्देश्य में खरी नहीं ढारी। विभिन्न आयोगों, समितियों एवं शोधों एवं विद्वत गोष्ठियों में सुझावी और विश्लेषणप्रक्रम धनरमय प्रयासों से भी उनमें सुधार नहीं आ सका।

पंचायती राज संस्थाओं का पूर्ववर्ती रूप सम्पूर्ण भारत में एक समान नहीं था तथा राज्य सरकारों के हितपूर्ति का माध्यम इन संस्थाओं को था। चुनावों की अनिश्चितता, प्रधानाचार, राजनीतिक दखलदाजी, अयोग्य एवं अधकम जनप्रतिनिधियों के कारण पंचायती राज संस्थाएँ घटरात स्थिति में आ गयी। 21वें सदी के आते-आते राजनीतिक नेतृत्व को इन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व दशा सुधारने की उत्कण्ठ अभिलाषा जागी और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में ऊपरक परिवर्तन द्वारा समग्र राष्ट्र में एक समान प्रारूप के तहत संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। यह संशोधित पंचायती राज संविधान संशोधन 23 अप्रैल, 1992 को सम्पूर्ण भारत में एक साथ लागू किया गया जिसकी अप्रोल्सेप्ट शारित्रिकताएँ राजस्थान सरकार द्वारा लाये गये राजस्थान पंचायती अधिनियम, 1994 में दृष्टिगोयर होती है।

- ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया।
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया वह क्रिस्टरोय व्यवस्था समान रूप से सनन्न भारत में तहाँ की गई।
- जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को संरचना में प्रमुख स्थान प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का रखा गया है तथा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के गठन में निम्न संस्थाओं के निर्वाचित व्यक्तियों को उच्च संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने को परिपाठ्य समाप्त कर दी गई है।
- पटों का आरक्षण—महिलाओं के लिए सभी स्तर के पटों के लिए न्यूट्रिन एक-तिहाई स्थान आरक्षित करने सम्बन्धी प्रावधान इस अधिनियम की बल्लेखनीय विरोपता है। इस अधिनियम की धारा 15 के अनुसार महिलाओं के लिए एक-तिहाई पद आरक्षित करना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रत्येक पंचायत के पंचों व सरनंचों, पंचायत समिति के प्रधानों तथा जिला परिषद् के प्रमुखों के कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संघर्ष के अनुसार में पंचों, सरनंच, प्रधान तथा प्रमुख के पद भी आरक्षित करने की व्यवस्था इसी धारा में की गई है। इसके अटिरिक्त पिछड़े बांग के लोगों के लिए भी आरक्षण-नीति सात्तु किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। पटों का आरक्षण भाग्य-पत्रक (लाटरो) द्वारा चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) का आरक्षण—महिलाओं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े बांगों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण नियमानुसार भाग्य-पत्रक (लाटरो) द्वारा चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- कार्यकाल—पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल इस नवे अधिनियम के अधीन 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
- परिवार कल्याण कार्यक्रमों को महत्ता—इस नवीन अधिनियम में दो से अधिक वर्षों के माता-पिता को पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव सहने हेतु अनहें या नियोग्य माना है इस प्रकार इन अनिवार्य प्रावधानों से परिवार समिति रखने के राष्ट्रीय अभियान में जनसहभागिता की अनिवार्यता व परिवार कल्यान को महत्ता स्थोकारी गयी है।
- कारोणण की शक्तियाँ—पंचायती राज संस्थाओं के लिए विदीय संसाधन उत्पन्ने हेतु इस अधिनियम में करतेरेपन के आधार को अधिक व्यापक बनाया गया है। इससे पंचायती राज संस्थायें अधिक रूप से अत्म-निर्भर एवं स्वायत्र स्वरूप प्रहृण करने में सक्षम हो सकेंगी।

- 9 वित्त आयोग की स्थापना—73वें संविधान सशोधन विधेयक की अपेक्षाओं के अनुसार इस अधिनियम में भी वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें आयोग के सदस्यों की नियोगिता, कार्य एव अधिकार आदि के सम्बन्ध में प्रावधान प्रमुख है।
- 10 निर्वाचन अयोग का गठन—पचायती राज संस्थाओं में राज्य में चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है।
- 11 पचायती राज संस्थाओं में अनियमितताओं पर नियन्त्रण पाने के लिए समुचित एव सशक्त सेखा एवं अकेश्वण की व्यवस्था की गयी है।
- 12 ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित और सनुलित विकास के लिए जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान भी ठिलेखनीय है।

उपर्युक्त चारित्रिकताओं के सदर्भ में ही 73वें संविधान सशोधन प्रदत्त प्रारूप के अनुरूप पचायती राज संस्थाओं के गठन एव कार्यों का व्यापक वर्णन अपेक्षित है जो अग्रोल्लेखित है।

वार्ड सभा

कल्याण एव विकास का लाभ पचायत के सभी लोगों को मिले तथा पचायत क्षेत्र का सनुलित विकास हो इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान पचायतीराज अधिनियम में सशोधन धारा 2 की उपधारा (1) के तहत पचायत के प्रत्येक वार्ड में ग्राम सभा की तरह ही वार्ड सभा करने का प्रावधान किया। जिसमें पचायत वृत के वार्ड के भी वयस्क नागरिक होंगे ॥

बैठके—

अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि वार्ड सभा की प्रतिवर्ष दो बैठकें होंगी अर्थात् वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही में एक। यदि राज्य सरकार, पचायत, पचायत समितियों, जिला परिषद् और वार्ड सभा के सदस्यों के दशारा (1/10) द्वारा लिखित में चाहने पर वार्ड सभा बैठक अध्यपेक्षा के पद्धति दिन के अन्दर-अन्दर बुलायी जायेगी ॥

विषय—

ऐसा कोई भी विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा वार्ड सभा की बैठक में रखना चाहे रखा जायेगा। वार्ड सभा इन विषयों पर चर्चा करने हेतु स्वतंत्र होगी तथा पचायत वार्ड सभा द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी ॥

बैठक की कार्यवाही—

वार्ड सभा की बैठकों में सम्बन्धित पचायत समिति का विकास अधिकारी या इसका प्रतिनिधि उपस्थिति रहेगा जो बैठकों की कार्यवाही लिखेगा। वह वार्ड यव के शारमर्श स वार्ड सभा की बैठकों की कार्यवाही लिखेगा। बैठकों की लिखित कार्यवहारी की एक-एक प्रति सम्बन्धित अधिकारियों की भेजी जायेगी। कार्यवाही बैठकों की समाप्ति पर सुनायी जायेगी जिसे वार्ड सभा के उपस्थिति सदस्यों द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया जायेगा ॥

अध्यक्षता—

वार्ड सभा को बैठक को अध्यक्षता पंच या उसकी अनुशस्ति में वार्ड सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चहमत से इस प्रयोजन हेतु निर्वाचित व्यक्ति करेगा ।


वार्ड सभा के कृत्य—

अधिनियम वार्ड सभा द्वारा निम्न दायित्व पूरा करने का प्रावधान करता है—

1. पंचायत को विकास योजना निर्माण हेतु आवश्यक सूचना संग्रह में सहायता करना।
2. वार्ड सभा क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार कर उनकी प्राथमिकताएँ तय करना।
3. वार्ड सभा क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हिताधिकारियों की प्रायोगिकता क्रम में पहचान करना।
4. विकास योजनाओं के प्रभावों क्रियान्वयन में मदद करना।
5. जन सुख-सुविधाओं और सेवाओं जैसे गासों में रोशनी, पेयजल हेतु सार्वजनिक नल को व्यवस्था, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक सफाई इकाईयाँ, सिचाई सुविधा आदि के लिए स्थान का सुझाव देना।
6. स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण निवारण तथा अन्य सामाजिक बुराईयों से सुरक्षा हेतु योजना बनाना तथा जागरूकता साना।
7. जन समूहों में सौहार्द् एवं एकता को बढ़ाना।
8. सरकारी सहायता एवं पेंशन पाने वाले व्यक्ति को पात्रता सत्पापित करना।
9. वार्ड सभा क्षेत्र में किये जाने वाले तथा किये गये कार्यों की सूचना प्राप्त करना तथा उनकी सामाजिक संपरीक्षा कर उनको उपयोगिता तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
10. वार्ड सभा क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं तथा किये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से लेना।
11. अध्यापक व माना-पिता संगम क्रिया-कलाओं में उस क्षेत्र में सहायता करना।
12. साधारणा, शिक्षा, स्वास्थ्य, घाल विकास और पोषण को प्रोत्साहित करना।
13. सभी सामाजिक क्षेत्रों को संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना।
14. ऐसे सभी कार्य जो समय-समय पर घटाये जाये ।

आरेख 4.1

आरेख 4.1



। सतर्कता समिति—

पचायतीराज अधिनियम, 1994 की भारा ४ के आधार पर ग्राम सभा, पचायत के कार्यों योजनाओं और अन्य क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण हेतु अपनी बैठक में उनसे सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक या एक से अधिक सतर्कता समितियाँ गठन करने का प्रावधान किया गया है जिसमें सदस्य ऐसे होंगे जो पचायत के सदस्य नहीं हों। ग्राम सभा पर नियन्त्रण रख सकेंगे। लेकिन पचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2000 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है⁶

ग्राम सभा

स्वतंत्र भारत के 50 वर्षों के प्रजातात्रिक शासन काल में ग्राम सभा जैसी जनोन्मुखी संस्था तिरस्कृत रही 73वें संविधान संशोधन की धारा 243(क) के माध्यम से प्रत्येक राज्य सरकार के लिए ग्राम सभा का गठन संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया। इसके अनुसार ग्रामसभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपयोग करे⁷

भारत सरकार के 73वें संविधान संशोधन के क्रम में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 द्वारा राजस्थान सरकार ने ग्राम सभा को संवैधानिक प्रारूप को स्थीकृत करते हुए उसे गठित कर संशोधित करण का प्रयास किया और इस संस्था को उसी मायनों में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण का आधार यनाने की कल्याणद आरम्भ की। ग्राम स्तर पर आम जन का प्रशासकीय दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु विकास व कल्याण की गतिविधियों में भी सहयोग व सहभागिता अपेक्षित व अनिवार्य है।

राजस्थान में ग्राम सभा का गठन पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार निम्न है।¹⁰

ग्राम सभा का गठन

प्रत्येक पंचायत संकिल के लिए एक ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव या गाँवों के समूह से सम्बन्धित निर्वाचिक भागावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होंगे। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर सेने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या लिंग का हो सभा का सदस्य हो सकता है।¹¹

ग्राम सभा की बैठके

प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें आयोजित किया जाना अनिवार्य है। पहली वित्तीय वर्ष प्रथम त्रिमास में तथा दूसरी अन्तिम त्रिमास में। ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से आधे सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से कोई अपेक्षा पर या यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ग्राम सभा की ऐसी अपेक्षा के 30 दिन के भीतर-भीतर ग्राम सभा की बैठके युलाने का उत्तरदायित्व प्रथमत-सरपंच पर तथा उसको अनुपस्थिति में उपसरपंच पर रखा गया है।¹²

अधिनियम में व्यवस्था को गई है कि बैठक उस गाँव में होगी जिसमें पंचायत का कार्यालय स्थित है।¹³

वह गाँव में पंचायत भवन या अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल पर होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की सूचना आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व पंचायत संकिल के प्रत्येक गाँव में एक या अधिक स्थानों पर घिपका कर ढोल यजाकर दी जानी चाहिए। इस सूचना में बैठक की तारीख समय एवं कार्यसूची का विवरण होना चाहिए अर्थात् ग्राम सभा की बैठक वी ग्रामीणों को जानकारी हेतु सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक है।¹⁴

ग्राम सभा के पीठासीन अधिकारी

ग्राम सभा की बैठक पंचायत के सरपंच के द्वारा या उसको अनुपस्थिति में, पंचायत के उपसरपंच के द्वारा युलाई जायेगी। बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जायेगी। सरपंच व उपसरपंच दोनों की ही अनुपस्थिति होने की दशा में ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षता बैठक

में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किये गये किसी सदस्य के द्वारा की जायेगी।¹⁵

ग्राम सभा की गणपूर्ति

ग्रामसभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशास से होगी, परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए किसी भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।¹⁶

संकल्प

ग्राम सभा को इस अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गये किसी भी विषय से सम्बन्धित संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित करने होंगे।¹⁷

ग्राम सभा की बैठकों हेतु कार्यसूची


राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 में ग्राम सभा की बैठकों में विचारार्थ लिए जाने वाले विषयों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें व्यवस्था की गई है कि वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की जाने वाली बैठक में पचायत, ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित विषय विचार हेतु रखेगी—

- 1 पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण
- 2 इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट,
- 3 वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम, और
- 4 पिछली सप्तरीका रिपोर्ट और उसके लिए दिये गये उत्तर।¹⁸

बैठकों की कार्यवाही का अभिलेखन

नवीन पचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का लिखित में अभिलेखन रखने की व्यवस्था की गई है। सम्बन्धित पचायत समिति की विकास अधिकारी या ऐसे विकास अधिकारी के द्वारा नाम निर्देशित क्षेत्र प्रसार अधिकारी ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित होगा। वह ऐसी बैठकों की कार्यवाही का पचायत के सचिव द्वारा सही-सही अभिलेखन किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार अभिलिखित कार्यवाहियों की एक-एक प्रति निर्धारित रीति से इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को भेजी जायेगी।¹⁹

आरेख 4.2



राजस्थान में नवीन पंचायतीरण अधिनियम, 1994 के अनुसार ग्राम सभा का आरेख। राजस्थान पंचायतीरण अधिनियम संशोधन 6 जनवरी, 2000 के अनुसार सदर्दला समिति अवस्था समाप्त कर दी गई है।

ग्राम सभा के कार्य

ग्राम सभा को प्रान्तिकित दायित्व दीये गये हैं—

- 1 पंचायत धोत्र सम्बन्धित विकास वे क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- 2 ऐसे धोत्र सम्बन्धित विकास योजनाओं वे क्रियान्वयन वे लिए हिताभिकारियों वाली पहचान गें विपल रहे तो पंचायत हिताभिकारियों वी पहचान परेंगी।
- 3 राष्ट्रगुदायित वर्त्याण चार्यक्रमों में दिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तुलय में या नारद अध्यक्षा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना।
- 4 ऐसे धोत्र वे भीतर प्रौद्य शिक्षा व पर्यावार पर्यावाण को प्रोत्तराहित करना।
- 5 ऐसे धोत्र में राजाज वे राष्ट्रीय समुदायों भें एकता और सौदार्थ बनाना।
- 6 विवारी भी क्रियावर्ताएं योजना आय और आय विशेष वे यारे में पंचायत वे राजपेय और सदस्यों रो स्वादीवरण आहा।
- 7 ऐसे अन्य वृत्त्य जो विहित विये जायें ॥०

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत प्रिस्तरीय पंचायतीराज वी आधारशिला तो है ही सेविन लोकतांत्रिक विरोद्धीवरण वी जारीकरण राखाहिनी भी है। ग्रामपालियों वे रापनों का ग्रामकालियों द्वारा प्रामीण वे विकास व पर्यावाण को सर्वजन सहायिता वे माध्यम से पूरा करने वा एक रार्टस्वीकृत राजशान आध्ययन है। 73वीं संविधान संशोधन भारत सरकार वी पंचायती राज संविधानों वे राजकिलाकरण वे प्रति माननिकता का धोतक तो है सेविन राज्य सरकारों को इसके प्रारूप व प्रतिक्रिया में अनुकूल परिवर्तन वी सूट रोशय ऐदा फरती है। राजस्थान पंचायती राज ज्ञानात्मा अपनारो भें अध्यार्थी रहा है और अभी भी भारत सरकार 73वीं नवीन राजपालियम प्रावधानों वे ग्राम में राजशान सालार ने नवीन प्रावधानानुकूल नया पंचायतीराज अधिनियम 1953 तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959 तथा अब तक विये हमाम 1953 तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959 तथा अब तक विये हमाम राशोधारों वे समेवित वरते हुए यह मया पंचायती राज अधिनियम निर्मित वर व्यवहार में होने वा सादप्रयत्न विया गया है। जिससे ज्ञानात्मा अनुकूल होने वी आशा की गई है। पंचायतीराज वे शान्दर्भ में 1957 में गठित घलायत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा वा वि जय तक हम एक ऐसी प्रतिनिधि संरक्षा का निर्माण तहीं करते जो लोगों में इतनी गाया में स्थानीय रुधि देखार एवं सारांता उत्पन वर दे और इस सम्बन्ध में आशवस्त कर दे वि राजनी वार्ता पर एक विया गया भन धोत्र वी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप होगा उत्तर संविधान को पर्याप्त शक्ति एवं समुदायित माया में धन हींपते हैं तथा तक हम विकास वे धोत्र में स्थानीय रुधि उत्पन वरने तथा स्थानीय प्रेरणा ज्ञाने में समर्प नहीं हो सकते हैं ॥१

23 अप्रैल 1994 वो लागू नयी पंचायतीराज अधिनियम वे अनुसार ग्राम पंचायत वी संरक्षण अधिनियम वी धारा 9 10 11 वे ग्रामपालियों वे अनुरूप प्रिस्तरीय वरने का प्रावधान विया है ॥२

ग्राम पंचायत की स्थापना

ग्राम पंचायतों की स्थापना के सन्दर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विध के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित नहीं किये गये किसी भी गाँव या गाँवों के किसी समूह को सम्मिलिट करने वाले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत संकिल पोषित कर सकेंगे और इस रूप में घोषित किये गये प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए पंचायत होंगी ५३

इस संशोधन द्वारा पंचायतों को विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस हेतु व्यवस्था को गई है कि—

1. पंचायतें निर्गमित निकाय होंगी।
2. उन्हें शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होंगा।
3. उनकी एक सामान्य मोहर होंगी।
4. वे क्रय दान द्वारा या अन्यदा चल व अचल दोनों प्रकार को सम्मति अर्जित, पारित, प्रशासित व अन्तरित करने को अधिकारिणी होंगी।
5. वे संविदा कर सकेंगी।
6. वे अपने नाम से वाद ले सकेंगी।
7. उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

राज्य सरकार स्वयं या पंचायत निवासियों के निवेदन पर विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के परचात् किसी भी पंचायत का नाम परिवर्तित कर सकती है ५४

ग्राम पंचायत का गठन

नवीन अधिनियम के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत में दो प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य रखे गये हैं, एक सरपंच एवं निर्धारित वाड़ों से चुने पंच। उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया है अर्थात् पंचों द्वारा उपसरपंच का चुनाव किया जाता है। पंचायत के गठन हेतु अधिनियम में प्रावधान किया गया है किसी पंचायत में—(क) एक सरपंच और (ख) अधिनियम द्वारा किये गये वाड़ों से प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच होंगे ५५

अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक पंचायत संकिल के वाड़ों की संछ्या के निर्धारण का अधिकार दिया गया है। इस हेतु राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि पंचायत संकिल को एकल सदस्य वार्ड में इस प्रकार विभाजित किया जाये कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या जहाँ तक सम्मुख हो, सम्मुख पंचायत संकिल में समान हों ५६

अधिनियम के अनुसार तीन हजार तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत संकिल में नी वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत संकिल के मापते में, जिसकी जनसंख्या तीन हजार से अधिक है; तीन हजार से अधिक की प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए, नी की उक्त संख्या में बढ़ोत्तरी कर दी जाएगी ५७

ग्राम पंचायत गठन के घटक

- 1 सरपंथ
- 2 उपसरपंथ
- 3 निर्वाचित याड़ों के पंथ

सरपंथ का निर्वाचन

राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में एक सरपंथ होगा जो पंथ के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो और वह सम्पूर्ण पंचायत संकिल के निर्वाचितों द्वारा शिहत रीति से निर्वाचित किया जायेगा।¹³

यदि किसी पंचायत संकिल वे निर्वाचक सरपंथ का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्त पद ऐसे रिक्ती के छ भास की कालावधि के भीतर भेजने निर्वाचन द्वारा भरे जाने तक विसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त सम्पक रूप से निर्वाचित सरपंथ समझा जायेगा।¹⁴

उपर्युक्त प्रत्रिया के तहत यदि विसी वारपवरा निर्वाचक मण्डल सरपंथ वा चुनाव करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार छ भास की अवधि के भीतर सरपंथ के पद पर विसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और ऐसा नियुक्त व्यक्ति सरपंथ के पद पर तब तक कार्य करेगा जब तक कि सरपंथ का पद निर्वाचन द्वारा नहीं भरा जाता।

उपसरपंथ का निर्वाचन

प्रत्येक पंचायत में एक उपसरपंथ होगा।¹⁵ इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर या तात्पश्पात् उसके पुनर्गठन पर पंचायत की एक यैठक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरना युलाई जायेगी जो स्वयं यैठक की आधिकारीता करेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसी यैठक में उपसरपंथ निर्वाचित किया जायेगा।¹⁶ यदि पंथ का अधिकार नहीं होगा और ऐसी यैठक में उपसरपंथ निर्वाचित किया जायेगा।¹⁷ यदि पंथ का अधिकार नहीं होगा और ऐसी यैठक में उपसरपंथ निर्वाचित किया जायेगा।¹⁸ यदि पंथ का अधिकार नहीं होगा और ऐसी यैठक में उपसरपंथ निर्वाचित किया जायेगा।¹⁹ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्पत्त रूप से उपसरपंथ समझा जायेगा।²⁰

उपसरपंथ वा निर्वाचन यद्यपि पापो द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है लेकिन यदि ये उपसरपंथ का चुनाव बरने में असफल रहे तो राज्य सरकार छ भास की अवधि के भीतर किसी व्यक्ति को उपसरपंथ के पद पर नियुक्त कर सकती है।

सरपंथ एवं पंथ या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताएँ

किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायत राज संस्था के पंथ या यथास्थिति सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होगा। यदि ऐसा व्यक्ति—

- 1 राजस्थान राज्य वे विधानमण्डल के निर्वाचन के लिए उस समय प्रभावी किसी भी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य नहीं है तथा उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

- २ किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई वैदेतिक पूर्वान्तिक या अंतर्राजिक नियुक्ति धारन न करता है।
- ३ दुरुचार विसमें नैतिक अधिनता भी सम्मिलित है के कारण राज्य सरकार की सेवा से घटन्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियुक्ति हेतु अपेक्ष देखित नहीं किया गया है।
- ४ किसी भी पदाधतीरुच सम्बन्ध के अधीन कोई भी वैदेतिक पद या सभ का पद धरण नहीं करता है।
- ५ सम्बन्धित पदाधत राज सम्बन्ध से उत्तर द्वारा या उत्तरकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार नियोजित या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अस या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अस या हित का स्वमित्र नहीं रखता है।
- ६ कुटी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शर्तीक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है।
- ७ नैतिक अधिनता वाले किसी अपराध के लिए किसी सहम न्यायलय द्वारा देखी नहीं ठहराया गया हो।
- ८ धर्य ३४ के निर्वाचन के लिए सभी अपात्र नहीं हैं (इस धारा में पदाधतीरुच सम्बन्धीयों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाये जाने एवं नियुक्ति सम्बन्धीय प्रावधान है)
- ९ सम्बन्धित पदाधतीरुच सम्बन्ध द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फौस की रकम को, उसके माँग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की दारीख से २ मह तक भुगड़न नहीं किया हो।
- १० सम्बन्धित पदाधतीरुच सम्बन्ध को ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवस्थायी के रूप में नियोजित नहीं है।
- ११ राजसमान मूल्यभोज निवारण अधिनियम, १९६० के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोपो सिद्ध नहीं ठहराया गया है (इस अधिनियम द्वारा मूल्य भेज का नियेत बरते हुए मूल्य भेज करने, देने व सम्मिलित होने को दण्डनीय अपराध माना है)।
- १२ दो से अधिक बच्चों वाला नहीं किन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति को तप तक अदोष नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चों को उस सम्बन्ध में बदोत्तरी नहीं होती जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की दारीख को है। अपर्युक्त अद्वैत, १९९४ १३

दोहरी सदस्यता पर प्रतिवाद

पदाधतीरुच अधिनियम, १९९४ को धरा २० के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या अधिक पदाधतीरुच सम्बन्धीयों का सदस्य नहीं बन सकता।^{१४} व्यक्ति एक पदाधतीरुच सम्बन्ध का सदस्य होने तु दूसरी भद्रम्भन के लिए अधिकारी के रूप में उहां ही सकता है और दूसरे

यह चुन लिया जाता है तो उसके द्वारा पहले से भारित पद उस तिथि को रिक्त हो जाएगा जिससे वह चुना जाता है ।⁵ यदि काई भी व्यक्ति एक साथ दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह व्यक्ति डस तारीख से जिसको यह चुना जाता है, 14 दिन के भीतर-भीतर, उन पंचायतीराज संस्थाओं में से किसी एक की सूचना जिसमें वह सेवा परना भाहता है, सक्षम अधिकारी को देगा तब जिस पंचायती राज संस्था में वह सेवा परना भाहता है, उससे भिन्न पंचायती राज संस्था ने उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।⁶

इसी प्रकार धारा 21 के अनुसार योई भी व्यक्ति किसी पंचायतीराज संस्था का अध्यक्ष और संसद या किसी राज्यविधानमण्डल या किसी नगरपालिका मण्डल या किसी नगर परिषद् या किसी नगर निगम का सदस्य, दोनों नहीं रहेगा । यदि योई व्यक्ति ऐसा है तो उसे चुने जाने की तारीख से 14 दिन की अवधि में एक स्थान से स्थानपत्र देना होगा यदि वह ऐसा नहीं बरता है तो वह 14 दिन की समाप्ति पर अध्यक्ष नहीं रहेगा ।⁷

स्थानों एवं यांगों का आरक्षण

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान (क) अनुसूचित जातियों, (ख) अनुसूचित जनजातियों, (ग) पिछड़े यांगों के लिए आरक्षित किये जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या उस इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ लागभग यही इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ लागभग यही अनुपात होगा जो उस पंचायती राज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों जनजातियों या यांगों द्वारा जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पंचायती राज संस्था में विभिन्न वाहों या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए घटकानुक्रम द्वारा आवृत्ति किये जा सकेंगे ।⁸

महिलाओं का आरक्षण

- 1 अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े यांगों हेतु आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान इन जातियों, जनजातियों एवं यांगों द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं ।⁹
- 2 सामान्य महिला वर्ग हेतु प्रत्येक पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों द्वारा कुल संख्या के एक तिहाई स्थान (जिनमें अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े यांगों की महिलाओं के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं और ऐसे स्थान राष्ट्रियित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न वाहों या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए घटकानुक्रम से वार्षित किये जायेंगे ।¹⁰

सरपंच के पद हेतु आरक्षण

सरपंच के पद के लिए भी अधिनियम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े यांगों तथा महिलाओं द्वारा आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है । परन्तु राज्य में ऐसी जातियों, जनजातियों एवं यांगों के लिए इस प्रकार आरक्षित पदों में से उठाने ही आरक्षित रहे

जायेगे जितना कि कुल जनसंख्या में इन जातियों व वर्गों का अनुपात है। ऐसे पदों में से प्रन्देक की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

आरक्षित पदों को संख्या विभिन्न पचायतों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवश्यित को जायेगी¹¹ राजस्थान सरकार द्वारा जून 1999 में जारी अध्यदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा।

सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पदावधि

इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय—

- (क) किसी पचायती राज संस्था के सदस्य, अध्यक्ष, सम्बन्धित पचायती राज संस्था की अवधि के दौरान पद धारण करेगे,
- (ख) किसी पचायती राज संस्था का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सम्बन्धित पचायती राज संस्था का सदस्य बना रहता है¹²

पचायत का कार्यकाल

पचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 73वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष निर्धारित कर इन संस्थाओं के कार्यकाल को सुनिश्चितता प्रदान को गयी है। इसी क्रम में राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है¹³ कोई भी पचायती राज संस्था 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यरत नहीं रह सकती। नई पचायती राज संस्थाओं के गठन हेतु निर्वाचन पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही करवाने आवश्यक हैं। यदि कोई पचायती राज संस्था 5 वर्ष की अवधि के पूर्व ही विघटित हो जाती है तो ऐसो विघटित संस्था के नये निर्वाचन ऐसे विघटन को तिथि से छः माह के भीतर करा दिये जाने आवश्यक होगे¹⁴ ऐसे निर्वाचन द्वारा गठित पचायती राज संस्था पांच वर्ष में बचे हुए उतने समय तक कार्यरत रहेगी। जितने तक वह पचायती राज संस्था रहती यदि वह विघटित नहीं होती¹⁵ इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य निर्वाचन नामाख्यालियों की तैयारी, उनके सचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गये हैं¹⁶

अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान

सरपंच एवं उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है किन्तु किसी पंच के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरपंच एवं उपसरपंच के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु इस आशय का लिखित नोटिस पचायन के प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसे प्रारूप में, जो निर्धारित किया जाये, प्रस्ताव को प्रति के सहित, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक के द्वारा सहन प्राप्तिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जायेगा¹⁷ अधिकारी नोटिस की एक प्रति प्रस्ताव को प्रति सहित पचायन को अप्रेयित करेगा तथा 30 दिन की अवधि में, नियन्त्रित तारीख को पंचायत के कार्यालय पर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलायेगा, जिसकी सूचना सदस्यों को बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है¹⁸

सक्षम प्राप्तिकारी ऐसी बैठकों को अध्यक्षता करेगा या उसके द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी¹⁹ ऐसी बैठक स्थगित नहीं को जा सकती²⁰ अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति

उपस्थिति सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा और उसे विचार-विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा ५१ इस प्रस्ताव पर कोई भी विचार-विमर्श स्थगित नहीं किया जा सकता ५२ बैठक प्रारम्भ होने से दो घण्टे की समाप्ति पर विचार-विमर्श स्थृत हो समाप्त हो जायेगा तथा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा ५३ अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा और न ही मतदान में भाग लेने का हकदार होगा ५४ बैठक की समाप्ति पर बैठक की कार्यवाही की एक प्रति, प्रस्ताव की प्रति तथा मतदाता के परिणाम सहित सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित पचायत तथा ऐसी पचायत पर अधिकारिता रखने वाली पचायत समिति को तुरन्त प्रेषित करेगा ५५ यदि अविश्वास का प्रस्ताव व पचायत के कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन से पारित हो जाये तो, इस तथ्य को अध्यक्षता करने वाला अधिकारी पचायत कार्यालय के सूचनापट पर उसका एक नोटिस चिपका करके और उसे राजपत्र में अधिसूचित करवा करके प्रकाशित करायेगा और सम्बन्धित सरपञ्च या उपसरपञ्च उस तारीख से जिसको उक्त नोटिस पचायत कार्यालय के सूचनापट पर चिपकाया जाता है, पद धारण करना बद कर देगा और पद रिक्त कर देगा ५६ यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं की जा सकी हो तो उसी सरपञ्च या उपसरपञ्च में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष तक नहीं लाया जा सकता ५७ अविश्वास का नोटिस सरपञ्च या उपसरपञ्च के पद छाप्त होने के दो वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता ५८ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक हेतु गणपूर्ति के लिए मतदान करने के हकदार व्यक्तियों की कुल सख्ता की एक तिहाई सख्ता आवश्यक है ५९

गणपूर्ति—

किसी भी पचायती राज संस्था की बैठकों की वैधानिकता हेतु गणपूर्ति निर्धारित की गई है। गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य सख्ता के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यदि बैठक के लिए नियम समय पर गणपूर्ति न हो तो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी 30 मिनट तक इतजार करेगा। इसके बावजूद गणपूर्ति न हो तो बैठक को अन्य किसी भावी तिथि के लिए स्थगित करेगा। इस प्रकार नियम बैठक का नोटिस सम्बन्धित पचायती राज संस्था के कार्यालय में चिपका दिया जायेगा। इस प्रकार स्थगित बैठक के बाद बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति पर विचार किये जाना ऐसे समस्त विषयों का निपटारा किया जायेगा जिन पर स्थगित बैठक में विचार किया जाना था ६०

बैठकों की अध्यक्षता—

बैठकों की अध्यक्षता सरपञ्च तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसरपञ्च करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य अपने भें से किसी एक को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे परन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी फँडे व सिखने में समर्थ होना चाहिए ६१

पचायत का कर्मचारीवृन्द

पचायती राज अधिनियम, 1994 में पचायतों के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। पचायत का युक्त जननवारी संविद होता है। एक पचायत के लिए एक मान्डिक नियुक्त किया जा सकता है या पचायतों के समूह के लिए एक ही सचिव की नियुक्ति की जा सकती है और समूह पचायत सचिव का नाम दिया जा सकता है। सचिव के अतिरिक्त पचायत में अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति पचायत द्वारा की जा सकती है।

1. सापारण कृत्य :

1. पचायत हेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना।
4. लोक सम्पत्तियों पर के अतिक्रमण हटाना।
5. सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदान का सामग्रण।
6. गाँव (गाँवों) की आवश्यक साड़ियां की रखना।

2. प्रशासन के क्षेत्र में :

1. परिसरों का सञ्चालन।
2. जनरणन करना।
3. पचायत संकिल में कृषि उपज के डत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना।
4. ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्य प्रदायों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना।
5. ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पचायत संकिल में पहुँचे।
6. सर्वेक्षण करना।
7. पशु स्टेट्डो, खलिहने, चरागाहों और सामुदायिक भूमियों पर नियन्त्रण।
8. ऐसे मेलों, सीर्धवात्राओं और उत्सवों की, जिनका प्रबंध राज्य सरकार या किसी पचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है, स्थापना, रख-रखाव और विनियमन।
9. घेरोजगारी की साड़ियां की तैयार करना।
10. ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, जो पचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हो।
11. पचायत अभिलेखों की तैयारी, संधारण और अनुरक्षण करना।
12. जन्म, मृत्यु और विवाहों का ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकथित किया जाये।
13. पचायत वृत्त के भीतर के गाँव के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

3. कृषि विस्तार सहित कृषि :

1. कृषि और याणवानी की शोन्ति और विकास।
2. बजर भूमियों का विकास।
3. चरागाहो का विकास और रख-रखाव और उनके अप्राधिकृत अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना।

4. पशुपालन, डेरी और कुकुट पालन :

- 1 पशुओं, कुकुटों और अन्य पशुधन की नस्त का विकास।
- 2 डेरी उद्योग, कुकुट-पालन और सुअर-पालन की प्रोन्ति।
- 3 चरणगाह विकास।

5. मत्स्य पालन

- 1 गांव (गाँवों) में मत्स्य पालन का विकास।

6. सामाजिक और फार्म बानिको, लघु बन उपज, ईधन और चारा :

- 1 गांव और जिला सड़कों के पासवां पर और उसके नियन्त्रण के अधीन की अन्य लोक भूमियों पर वृक्षों पर रोपण और परिरक्षण।
- 2 ईधन रोपण और चारा विकास।
- 3 फार्म बानिको की प्रोन्ति।
- 4 सामाजिक बानिको और कृषि पौधराशालाओं का विकास।

7. लघु सिंचाई

- 1 एक ड तक सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियन्त्रण और रख-रखाव।

8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :

- 1 ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्ति करना।
- 2 ग्रामीण खेतों के फायदे के लिए चेतना शिविरों, सेमोनतों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और अैथर्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन।

9. ग्रामीण आवास :

- 1 अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवटन।
- 2 आवासों, स्थलों और अन्य प्राइवेट तथा लोक समर्पितों से सम्बन्धित अभिलेख रखना।

10. पेय जल :

- 1 पेयजल कुओं, जलाशयों और तालबों का संनिर्णाय, मरम्मत और रख-रखाव।
- 2 जल प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण।
- 3 हैण्ड पम्पों का रख-रखाव और पम्प और जलाशय स्कोमें।

11. सड़कें, भवन, पुलियाए, पुल नीधाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन :

- 1 ग्राम सड़कों, नालियों और पुलियाओं का संनिर्णाय और रख-रखाव।
- 2 अपने नियन्त्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी सोक प्राधिकरण द्वारा उसे अतिरित भवनों का रख-रखाव।
- 3 नावों, नीधाटों और जल भागों का रख-रखाव।

12. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमे लोक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख-रखाव सम्प्रिलित है।

13. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत

- 1 गैर-परम्परागत ऊर्जा योजनाओं को प्रोन्ति और रख-रखाव,
- 2 सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियों का, जिसमे गोबर गैस समन सम्मिलित है, रख-रखाव,
- 3 विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार।

14. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

- 1 अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के सूजन के लिए गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी जन चेतना को और उसमे भागीदारी को प्रोन्ति करना,
- 2 ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन,
- 3 पूर्वोक्त के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुबोधन में भाग लेना।

15. शिक्षा (प्राथमिक) :

- 1 समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक चेतना प्रोन्ति करना और ग्राम शिक्षा समितियों में भाग लेना,
- 2 प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबन्ध में लड़कों का और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना।

16. प्रौढ़ और अनीपचारिक शिक्षा :

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्ति करना और उसका अनुबोधन।

17. पुस्तकालय :

ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय।

18. सास्कृतिक क्रियाकलाप :

सामाजिक और सास्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्ति करना।

19. बाजार और मेले :

मेलों (पशु मेलों सहित) और उत्सवों का विनियमन।

20. ग्रामीण स्वच्छता :

- 1 सामान्य स्वच्छता रखना,
- 2 लोक स्थानों, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक स्थानों को सफाई,
- 3 इमारत और किनिस्तान भूमियों का रख-रखाव और विनियमन,
- 4 ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पाकों और स्नान स्थलों और सोकपिटों इत्यादि का सन्निर्माण और रख-रखाव,

- ५ अदावकृत शबों और जीव-जनु शबों का निपटारा,
- ६ धोने और स्नान के घाटों का प्रबन्ध और नियन्त्रण।

२१. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण -

- १ परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,
- २ महामारी की रोक और उपचार के उपाय,
- ३ मास, मछली और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन,
- ४ मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना,
- ५ खाने और मनोरजन के स्थानों का अनुज्ञापन,
- ६ आवारा कुत्तों का नशन,
- ७ खालों और चमड़ों के सस्करण, चर्मशोधन और रगाई का विनियमन,
- ८ आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का विनियमन।

२२. महिला और बाल विकास

- १ महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना,
- २ विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना,
- ३ आगनबाड़ों के द्वारा कार्यवैक्षण।

२३. विकलांगों और मददुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण :

- १ विकलांगों, मददुद्धि वालों और निराकृतों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना,
- २ बृद्ध और विधवा पेशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना।

२४. कमज़ोर वर्गों और विशेषता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :

- १ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमज़ोर वर्गों के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्नत करना,
- २ कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भाग लेना।

२५. लोक विकास व्यवस्था :

- १ आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्नत करना,
- २ लोक वितरण व्यवस्था का अनुबोधन।

२६. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव :

१. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव।
२. अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रक्ष-रखाव।

- 27 धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का सन्निर्माण और रखरखाव।
- 28 पशुओंहो, पौछरो और गाड़ी टेंडर्झों का सन्निर्माण और रखरखाव।
- 29 धूबढ़खानों का सन्निर्माण और रखरखाव।
- 30 लोक स्थानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रखरखाव।
- 31 लोक स्थानों के खाद के भद्दों का विनियमन।
- 32 शाराय ची दुकानों का विनियमन।
- 33 पंचायती की सामाज्य शक्तियाँ

इस अधिनियम के अधीन उस सौपे समनुदिट या प्रत्यापोजित किये गये कृत्यों के प्रियान्ययन के लिए आवश्यक या आनुयायिक सभी कार्य करना और विशिष्ट तथा पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना इसके अधीन विनिर्दिट की गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करना ।³

पंचायत समिति सरचना व कार्य

पंचायतीराज व्यवस्था के मध्यवर्ती सोपान पंचायत समिति को भी विकासोन्मुखो व प्रभायी व जनोन्मुखी याने के प्रयास सागठनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टिकोण से करने का प्रयास भारत सरकार के 73वें संविधान सभाओंने प्रदत्त पंचायतीराज तत्र में किये गये हैं। 1959 में पंचायत समिति अधिनियम द्वारा विलोपित करते हुए राज्य सरकार में 23 अप्रैल 1994 को नया पंचायती राज अधिनियम लागू किया जिसके माध्यम से कई नवीन व ऋणीनिकारी प्रावधानों को पहली यार लागू किया गया।

पंचायत समिति का गठन

73वें भारतीय संविधान सभाओंने पंचायत समिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और ज़िला स्तरों पर पंचायती का गठन किया जायेगा। इस मध्यवर्ती स्तर का गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जायेगा जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है।⁴

पंचायत समिति की स्थापना

खण्ड स्तर पर पंचायत समितियों होगी। पंचायत समितियों के लिए खण्डों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किया जाएगा। ऐसे खण्डों में वह स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा जो पहले ही किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित कर लिया गया है। पंचायत समिति सम्पूर्ण खण्ड पर अधिकारिता रखेगी और अपने देश के किसी भी भाग में अपना कार्यालय रख सकेगी।⁵ पंचायतों के समान ही पंचायत समितियों को भी विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस हेतु व्यवस्था की गई है कि पंचायत समिति⁶

1 नियमित निकाय होगी

2 इन्हे शाश्यत उत्तराधिकार प्राप्त होगा।

3 इनकी एक सामाज्य मुहर होगी।

- 4 उन्हे क्रय अथवा दान द्वारा या चल और अचल दोनों प्रकार की सम्मिति अजिंत धारित प्रशासित एवं अन्तरित करने का अधिकार होगा।
- 5 वे सविदा कर सकेगी।
- 6 वे अपने नाम से बाद ला सकेंगी तथा उनके विरुद्ध बाद लाया जा सकेगा।

राज्य सरकार स्वयं या पचायत समिति या पचायत समिति क्षेत्र के निवेदन पर विटित रोति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी पचायत समिति का नाम परिवर्तित कर सकेगा।⁶⁷

पचायत समिति का गठन

- 1 प्रधान
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित]
- 2 उपप्रधान
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित]
- 3 निर्वाचित सदस्य
[प्रत्यक्ष निर्वाचित]
- 4 विधानसभा सदस्य
[पदेन सदस्य]
[पचायत समिति क्षेत्र]

राज्य सरकार नियमों का निर्धारण कर, उनके अनुसार, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित करेगी और ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जहाँ तक सम्पव हो, सम्मूर्ज पचायत समिति क्षेत्र में समान हो।⁶⁸ परन्तु एक साथ तक की जनसंख्या वाले किसी पचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। पचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होने पर प्रत्येक पन्द्रह हजार या उसके भाग के लिए पन्द्रह की संख्या में दो बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी।⁶⁹ किसी पचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य जो उक्त प्रकार से निर्धारित किये जायें।
2. ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनमें पचायत समिति क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं।

प्रधान एवं उपप्रधान हेतु निर्वाचन

प्रधान पचायत समिति का अध्यक्ष होता है और प्रधान को अनुपस्थिति में उप-प्रधान अध्यक्ष का कार्य करता है। राजस्थान पचायतोराज अधिनियम, 1994 में प्रधान एवं उप-प्रधान के निर्वाचन की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है—

- 1 पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य चुनाव के परचाल शीघ्र अपने में से दो सदस्यों का चुनाव क्रमशः प्रधान और उपप्रधान के लिए करेंगे और जब प्रधान या उपप्रधान के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति हो तब तब वे अपने में से किसी दूसरे सदस्य का चुनाव प्रधान या यथास्थिति उपप्रधान होने के लिए करेंगे परन्तु यदि कोई रिक्ति एक मास से कम की अवधि के लिए है तो कोई भी निर्वाचन नहीं कराया जायेगा ।
- 2 प्रधान और उपप्रधान का निर्वाचन और उफत पदों की रिक्तियों का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा जो चुनाव जारी ।

अत जाहिर है कि पंचायत समिति के प्रधान या उपप्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है ।

पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्यताएँ

निर्वाचन हेतु पंचायतराज संस्था सदस्यों के रूप का निर्धारण पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर समान है । ऐसे अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति सदस्यों हेतु निर्वाचन योग्यताएँ निम्नानुसार हैं—

- 1 राजस्थान राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन के लिए उस समय प्रभावी किसी भी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य नहीं है तथा उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर सी है ।
- 2 किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अशकालिक नियुक्ति धारण न करता हो ।
- 3 दुरावार जिसमें नैतिक अधिकार भी सम्मिलित है जैसे काल राज्य सरकार की सेवा से एदब्युत नहीं किया गया है और सोक सेवा में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।
- 4 किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है ।
- 5 क्षम्यनित पंचायत राज संस्था से उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविधा में प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत अपने द्वारा या अपने भागीदार नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अस या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अस या हित का स्वामिल नहीं रखता है ।
- 6 कुण्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ चनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है ।
- 7 नैतिक अधिकार याले किसी अपाराध के लिए किसी संधाम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो ।
- 8 धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए समय अपार नहीं है (इस धारा में पंचायती राज संस्थाओं के अधिक उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को इटाये जाने एवं नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान है)

- 9 सम्बन्धित पचायतीराज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फौस की रकम को, उसके माँग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 2 मह में भुगतान नहीं किया हो।
- 10 सम्बन्धित पचायतीराज संस्था द्वारा की ओर से या उसके विरुद्ध विभिन्न व्यवसायों के रूप में नियोजित नहीं हैं।
- 11 राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 1960 के अपीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं ठहराया गया है (इस अधिनियम द्वारा मृत्युभोज का नियेप करते हुए मृत्युभोज करने, देने व सम्मिलित होने को दण्डनीय अपराध माना है)।
- 12 दो से अधिक बच्चों वाला नहीं किन्तु दो से अधिक बच्चों ताले किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चों वी उस संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को है। अर्थात् 23 अप्रैल, 1994 ८२

दोहरी सदस्यता पर प्रतिवन्ध :

पचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या अधिक पचायतीराज संस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता ८३

स्थानों एवं वर्गों का आरक्षण

राजस्थान पचायतीराज अधिनियम, 1994 में व्यवस्था है कि प्रत्येक पचायतीराज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान (क) अनुसूचित जातियों, (ख) अनुसूचित जनजातियों, (ग) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या उस इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ लगभग वहीं इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ लगभग वहीं अनुपात होगा जो उस पचायतीराज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायतीराज संस्था में विभिन्न वार्डों या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किये जा सकेंगे ८४

महिलाओं का आरक्षण

- 1 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान इन जातियों, जनजातियों एवं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं ८५
- 2 सामान्य महिला वर्ग हेतु प्रत्येक पचायतीराज व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान (जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगे ८६

प्रधान के पद हेतु आरक्षण

प्रधान के पद के लिए भी अधिनियम में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं को आरक्षण की सुविधान प्रधान की गई है। पानु राज में ऐसी जातियों जनजातियों एवं वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित पदों में से उतने ही आरक्षित रखे जायेंगे जितना कि कुल जनसंख्या में इन जातियों व वर्गों का अनुपात है। ऐसे पदों में से प्रत्येक की कुल संख्या वे एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।⁷⁷

आरक्षित पदों की संख्या विभिन्न पचायतों समितियों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवृटित की जायेगी। राजस्थान सरकार द्वारा जून 1999 में जारी अध्यादेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा।

अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान

प्रधान एवं उपप्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है किन्तु किसी पचायत समिति सदस्य के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रधान या उपप्रधान के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु इस आशय का लिखित नोटिस पचायत समिति के प्रत्यक्षत निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षित हो ऐसे प्रारूप में जो निर्धारित किया जाये प्रस्ताव की प्रति के सहित नोटिस पर हस्ताक्षर होने वाले सदस्यों में से किसी एक के द्वारा संक्षेप प्राधिकारी को व्यक्तिश प्रस्तुत किया जायेगा।⁷⁸

यदि अविश्वास का प्रस्ताव पचायत समिति के कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन से पारित हो जाये तो इस तथ्य को अध्यक्षता करने वाला अधिकारी पचायत समिति कार्यालय के सूचनापट पर उसका एक नोटिस चिपका करके और उसे राजपत्र में अधिसूचित करवा करके प्रकाशित करायेगा और सम्बन्धित प्रधान या उपप्रधान उस तारीख से जिसको उसका नोटिस पचायत समिति कार्यालय के सूचनापट पर चिपकाया जाता है पद धारण करना बदल नोटिस एसी बैठक की तारीख से एक वर्ष तक नहीं लाया जा सकता।⁷⁹ प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या गणपूर्ति के कर देगा और पद रिक्त चर देगा।⁸⁰ यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या गणपूर्ति के कर देगा और पद रिक्त चर देगा।⁸¹ यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या गणपूर्ति के कर देगा और पद रिक्त चर देगा।⁸² यदि अविश्वास का नोटिस प्रधान या उपप्रधान के पद धरण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता।⁸³ अविश्वास का नोटिस प्रधान या उपप्रधान के पद धरण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता।⁸⁴ अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक हेतु गणपूर्ति के लिए मतदान करने के एकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या आवश्यक है।

पचायत समिति का कार्यकाल

पचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 73वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष निर्धारित कर इन संस्थाओं के कार्यकाल को सुनिश्चितता प्रदान की गयी है। इसी क्रम में राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 द्वारा इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।⁸⁵ राज कोई भी पचायती राज संस्था 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यत नहीं रह सकती। नई पचायती राज संस्थाओं के गठन हेतु निर्वाचन पर्चे वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही करवाने आवश्यक हैं। यदि कोई पचायती राज संस्था 5 वर्ष की अवधि के पूर्व ही विघटित हो जाती है तो ऐसी विघटित संस्था के नये निर्वाचन ऐसे विघटन की तिथि से 7 माह के भीतर करा

दिये जाने आवश्यक होगे ८४ ऐसे निर्वाचन द्वारा गठित पंचायती राज सम्मा पांच वर्ष में बचे हुए उतने समय तक कार्यरत रहेगी। जितने तक वह पंचायती राज सम्मा रहती यदि वह विधिवित नहीं होती ८५ इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य निर्वाचन नामाख्यातियों की तैयारी, उनके सचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गये हैं ८६

*प्रधान, उप-प्रधान व सदस्यों का कार्यकाल

पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 30 के अनुसार पंचायत समिति पदाधिकारियों का कार्यकाल उपबन्धित के अलावा—

- 1 किसी पंचायती राज सम्मा के सदस्य, अध्यक्ष, सम्बन्धित पंचायती राज सम्मा को अवधि के दौरान पद धारण करेगे,
- 2 किसी पंचायती राज सम्मा का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सम्बन्धित पंचायती राज सम्मा का सदस्य बना रहता है।

नये अधिनियम के अनुसार सभी पंचायतीराज सम्माओं के पदाधिकारियों व सदस्यों के कार्यकाल के नियम समान हैं।

गणपूर्ति

पंचायत समिति की बैठक हेतु कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है ८७

बैठकों की अध्यक्षता

बैठकों की अध्यक्षता प्रधान तथा उसको अनुपस्थिति में उपप्रधान करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे किन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी यड़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए ८८

समिति व्यवस्था

पंचायत समिति के द्वाग कार्य सचालन कुशलतापूर्वक हो सके इस हेतु एजस्यन पंचायत राज अधिनियम, 1994 में पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के गठन के प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति निम्नलिखित विषय समूहों में से प्रत्येक के लिए एक-एक स्थायी समिति गठित करेगी, अर्थात्—

- 1 प्रशासन, वित्त और कराधान समिति।
- 2 उत्पादन कार्यक्रम समिति-जिसमें कृषि, पशुपालन, संपु सिचाई, सहकारिता, लयु उद्योग और अन्य सहसम्बद्ध विषय सम्मिलित हैं।
- 3 शिक्षा समिति—इसमें समाज शिक्षा सम्मिलित है।
- 4 समाज सेवाये एवं सामाजिक व्याय समिति—इसमें ग्रामोण जल प्रदाय, स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामदान, सचार, कमज़ोर वर्ग का कल्पाण और सहसम्बद्ध विषय सम्मिलित हैं ८९
- 5 पाचवी समिति का प्रावधान—पंचायत समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो किसी ऐसे विषय या किन्हीं अन्य ऐसे विषयों पर एक और


पृथक् पाचायी समिति का गठन कर सकती है। जिनके बारे में पहले काई समिति गठित नहीं की गई है⁹⁰

समितियाँ सम्बन्धी अन्य प्रावधान

- 1 प्रत्यक्ष स्थायी समिति में पचायत समिति के लिए नियाचित सदस्यों में से 5 सदस्य होगा⁹¹
- 2 प्रधान प्रशासन वित्त और कराधान समिति का पदेन अध्यक्ष होगा⁹²
- 3 उप प्रधान ऐसी स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा जिसका वह सदस्य निर्वाचित हुआ है तथा प्रधान नियक कर सदस्य नहीं है⁹³
- 4 प्रत्यक्ष ऐसी अन्य समिति के लिए जिनका कोई भा पदेन अध्यक्ष नहीं हो अध्यक्ष विहीत रैति स नियाचित किया जायेगा⁹⁴
- 5 प्रत्यक्ष स्थायी समिति उसे सौंप गय विवरणों के सम्बन्ध में पचायत समिति की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का नियन्त्रण करागे जो ऐसी स्थायी समिति को समय समय पर प्रत्यायाजित किय जायें⁹⁵
- 6 प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकान एक वर्ष होगा⁹⁶
- 7 यदि किसी स्थायी समिति का कोई सदस्य उसके अध्यक्ष वी पूर्ण अनुमति के बिना स्थायी समिति की पाँच बैटमों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो स्थायी समिति में उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायेगा। यदि अध्यक्ष ख्यय इस प्रकार अनुपस्थित है तो यह अनुपस्थित रहने के लिए प्रधान का अनुमादन प्राप्त करेगा यदि प्रधान स्वयं अनुपस्थित है तो उसके हांग पचायत समिति का अनुमादन प्राप्त किया जायेगा⁹⁷
- 8 पचायत समिति किसी भी स्थायी समिति से किसी भी समय कोई भी दस्तावेज विवरण लेखे एव रिपोर्ट मांग सकती है⁹⁸
- 9 प्रधायत समिति के समक्ष आवेदन किये जाने पर या अन्यथा पचायत समिति स्थायी समिति के किसी भी निर्णय वी परीक्षा कर सकती है और वह समिति के निर्णय को मुष्ट कर सकती है उलट सकती है या रूपान्तरित कर सकती है। किन्तु पुनरीक्षण हेतु आवेदन समिति के निर्णय वी तारीख से तीन माह वी अवधि में किया गया हो⁹⁹ पचायत समिति स्थायी समिति के निर्णय वी तीन उलट या रूपान्तरित कर सकती है यदि पचायत समिति के कुल सदस्यों में से दस से कम दो तिहाई सदस्य इसका समर्थन करें¹⁰⁰
- 10 स्थायी समिति अपनी बैटमों के सचालन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो राज्य सरकार हांग निर्धारित की जाय¹⁰¹

पंचायत समिति कार्यक्रम वर्ग

पचायत समिति के अधिकारिया एव कर्मचारियों म विकास अधिकारी प्रसार अधिकारी सेक्याकार वनिष्ठ सेक्याकार मानालायिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। इस सन्दर्भ में अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक पचायत समिति के लिए एक विकास अधिकारी और ऐसे अन्य प्रसार अधिकारी सेक्याकार और कनिष्ठ सेक्याकार नियुक्त करेगे जो वह आवश्यक समझे¹⁰²



पंचायतीराज व्यवस्था का विवरण इस ग्रन्थ में १०६। अध्याय में दिया गया है।

पंचायत समिति के कार्य

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के उहत द्वितीय अनुसूची में घण्टित कार्यों के निर्यहन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किये जाने पर भवायत समिति की होगी। द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित कार्य निम्नानुसार हैं—

1. साधारण कृत्य •

- 1 अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या जिला परिषद् द्वारा समनुदेशित स्कीमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएँ तैयार करना और उन्हे जिला योजना के साथ एकीकृत करने के लिए विहित समय के भीतर जिला परिषद् द्वारा प्रस्तुत करना,
- 2 पंचायत समिति क्षेत्र में की सभी पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समर्वित करना और जिला परिषद् द्वारा समर्वित करना और जिला परिषद् द्वारा समर्वित करना,
- 3 पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना,
- 4 ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों या निष्पादन करना जो उसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें,
- 5 प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध करना।

2. कृषि विस्तार को सम्प्रलिप्त करते हुए कृषि -

- 1 कृषि और बागवानी की प्रोन्ति और विकास करना,
- 2 बागवानी पौधशालाओं का रख-रखाव,
- 3 घजीकृत धीज डगाने धारों को धीजों के वितरण में सहायता करना,
- 4 खादों और उर्धरकों को लोकप्रिय बनाना और उनका वितरण करना,
- 5 खेती के समुन्नत तरीकों का प्रचार करना,
- 6 धैर सरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार नकदी फसलों का विकास करना,
- 7 सब्जियों, फलों और फलों की खेती को प्रोन्ति करना,
- 8 कृषि के विकास के लिए साख सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करना,
- 9 कृषकों का प्रशिक्षण और प्रसार क्रियाकलाप।

3. भूमि सुधार और मूदा सरक्षण :

सरकार के भूमि सुधार और मूदा सरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना।

4. लघु सिंचाई, जल-प्रबन्ध और जल-विभाजक विकास

- 1 लघु सिंचाई कार्यों, एनिकटों लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई कुंओं, कच्चे खेड़ों का निर्माण और रख-रखाव।

2. सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कारों का कार्यान्वयन।

5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास, परवर्तित क्षेत्र का विकास उपागमन, अनुसूचित जाति विकास निगम योजनाओं आदि का आयोजन और कार्यान्वयन।

6. पशुपालन, डेरी और कुकुट पालन :

1. पशु चिकित्सा और पशु पालन सेवाओं का निरोक्षण और रख-रखाव;
2. पशु, कुकुट और अन्य पशुधन को नस्त का सुधार करना;
3. डेरी उद्योग, कुकुट पालन और सुअर पालन को प्रोन्नति;
4. समुन्नत चारे और दाने का पुनः स्थापना।

7. भूत्य पालन :

भूत्य पालन विकास को प्रोन्नत करना।

8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :

1. ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना;
2. सम्मेलनों, गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन;
3. मास्टर शिल्पी से और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण;
4. यदो हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाना।

9. ग्रामीण आवासन :

आवासन योजनाओं का कार्यान्वयन और आवास उपार किस्तों की वसूली।

10. पेय जल :

1. हैंड पम्पों और पंचायतों की पम्प और जलाशय योजनाओं को मोनोटर करना, उनको मरम्मत करना और रख-रखाव;
2. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं और नियंत्रण;
3. जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण;
4. ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का कार्यान्वयन।

11. सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन और चारा :

1. अपने नियंत्रण के अधीन को सड़कों के पारवों और अन्य लोक भूमियों पर, विशेषतः चरागाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण;
2. ईंधन रोपण और चारा विकास;

- 3 फार्म बानिकी की प्रोन्नति,
- 4 बजर भूमि विकास।

12. सड़कें, भवन, पुलियाएँ, पुल, नीघट, जलमार्ग और अन्य सचार साधन

- 1 ऐसी लोक सड़कों, नालियों और अन्य सचार साधनों का जो किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियन्त्रण के अधीन नहीं है निर्माण और रख-रखाव,
- 2 पचायत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पत्ति का रख-रखाव,
- 3 नायों, नौकाओं और जलमार्गों का रख-रखाव।

13. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत.

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विशेषतः सौर प्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियों की प्रोन्नति और रख-रखाव।

14. प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा :

- 1 सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्प्रिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा विशेषतः चालिका शिक्षा का सचालन।
- 2 प्राथमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवासों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव,
- 3 युवा कलबों और महिला मण्डलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति
- 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों, छात्रवृत्तियों, पोशाकों और अन्य प्रोत्साहनों का वितरण।

15. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :

ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति।

16. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :

- 1 सूचना, सामुदायिक मनोरजन केन्द्रों और पुस्तकालयों की स्थापना,
- 2 प्रौढ़ साक्षरता का क्रियान्वयन।

17. सांस्कृतिक क्रियाकलाप :

सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनियों, प्रकाशनों की प्रोन्नति।

18. बाजार और मेले :

पश्च मेलों सहित मेलों और उत्सवों का विनियमन।

19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :

- 1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,
- 2 प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मानीटर करना,
- 3 मेलों और उत्सवों पर स्वास्थ्य और स्वच्छता,

- 4 औपधालयों (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों आदि का निरीक्षण और नियन्त्रण।

20. महिला और बाल विकास :

- 1 महिला और बाल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,
- 2 एकोकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों का कायान्वयन,
- 3 महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक मगठनों के भाग लेने को प्रोन्त करना,
- 4 अर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूह बनाना और सामग्री के उत्पादन तथा विपणन में सहायता करना।

21 विकलागों और मदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण :

- 1 विकलागों, मदबुद्धि वालों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम,
- 2 वृद्ध और विधवा पेशन और विकलाग पेशन मजूर करना।

22. कमज़ोर बांगों और विशिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े बांगों का कल्याण

- 1 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े बांगों और अन्य कमज़ोर बांगों के कल्याण की प्रोन्ति,
- 2 ऐसी जातियों और बांगों का सामाजिक अन्याय और शोषण से सरक्षा करना।

23 सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव :

- 1 अपने में निहित या सरकार द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन द्वारा अन्तरित सभी सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव,
- 2 अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख-रखाव।

24 सांख्यिकी :

ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण और सकलन जो पचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पार्यां जायें।

25. आपात सहायता .

अग्नि, घाढ़, महामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले में।

26. सहकारिता .

सहकारी गतिविधियों को, सहकारी समितियों को स्थापना और सुदृढताकरण में सहायता करके प्रोन्त करना।

27. पुस्तकालय

पुस्तकालयों का विकास।

28 पंचायत का उनके सभी क्रियाकलापों और गाँव और पंचायत योजनाओं के निर्माण में पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन।

29 प्रकीर्ण

- 1 अल्प बघतों और बीमा के माध्यम से मिलायिता को प्रोत्साहित करना
- 2 पशु धीमा सहित दुर्घटना अग्नि मृत्यु आदि के मामलों में सामाजिक धीमा दाये तैयार करने और उनके संदाय में सहायता करना।

30 पंचायत समितियों की साधारण शक्तियाँ

इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या अनुष्ठानिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्यांगमो शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव छापे बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करना।¹⁰³

जिला परियद्

जिला परियद् पचायतीराज व्यवस्था को महत्वपूर्ण कही है जिसे राजस्थान में पूर्यवर्ती ढाँचे में मात्र पर्यवेक्षकीय संस्था का दर्जा मात्र था। अतः अपनी प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा सकी। धौतिक दायित्वों से शून्य यह संस्था प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण को प्रतिकात्मक संस्था मात्र बनकर रह गयी। “राजस्थान में जिला परियद् का पचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है।¹⁰⁴

यलवदाराय मेहता समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण परी इस संस्था को पचायतीराज व्यवस्था की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई निर्मित करने हेतु सुझाय दिया था।¹⁰⁵ समिति के इन सुझावों को गंभीरता से मानते हुए राज्यों ने इसे प्रभावी भूमिका भी प्रदान की सौकिन जन अपेक्षानुकूल परिणाम देने में असामर्थ रही।

एक सम्पूर्ण पालखण्ड इनकी असफलता का साक्षी रहा और इसी कालखण्ड की प्रमाणिकता ने रोपे भारतीय राजनय को जागृत कर पचायतीराज व्यवस्था में आमूल-पूर्ण परिवर्तन हेतु आध्यकारी परिस्थितियों पैदा कर दी। फलत भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन राष्ट्रीय सत्र पर समान व समग्र परिवर्तन का माध्यम बना। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी 23 अप्रैल 1994 को नवीन संशोधित पचायती राज अधिनियम रागू कर इन संस्थाओं को नवजीवन प्रदान करने का प्रयास किया।

जिला परियद् का गठन

प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परियद् होगी। जिसे के ऐसे प्रभागों को छोड़कर जो पहले ही किसी नगरपालिका या छापानी थोर्ड में सम्प्लिल थर लिये गये हैं सम्पूर्ण जिले पर अधिकारिता रहेगी। परन्तु जिला परियद् जिले के किसी भी शेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी।¹⁰⁶

प्रत्येक जिला परियद् उस जिले के नाम से होगी जिसके सिए यह गठित की गई है। पचायती एक पचायत समितियों के समान ही जिला परियद् को भी विविध स्वरूप प्रदान किया गया है। इस हेतु व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जिला परियद्—

- 1 निगमित निकाय (Corporate body) होगी।
- 2 उन्हे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा।

- 3 उनको एक सामान्य मुहर (Common Seal) होगी।
- 4 उन्हे क्रय अथवा दान द्वारा या अन्यथा चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित एवं अन्तरित करने का उत्तराधिकार होगा।¹⁰⁷
- 5 वे सविदा कर सकेंगी।
- 6 वे अपने नाम से वाद ला सकेंगी।
- 7 उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

जिला परियट की सरचना

राज्य सरकार नियमो का निर्धारण कर उनके अनुसार, प्रत्येक जिला परियट के क्षेत्र के लिए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को सख्ता निर्धारित करेंगी और ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को जनसख्ता जहाँ तक सभव हो, सम्पूर्ण जिला परियट क्षेत्र में समान हो। परन्तु चार लाख से अधिक को जनसख्ता वाले क्षेत्र में सत्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परियट क्षेत्र के मामले में, जिसकी जनसख्ता चार लाख से अधिक है, चार लाख से अधिक के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए सत्रह को सख्ता में दो की बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी।¹⁰⁸ किसी जिला परियट में निम्नलिखित सदस्य होंगे¹⁰⁹—

- 1 इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षत निर्वाचित सदस्य जो उक्त प्रकार से निर्धारित किये जायें।
- 2 ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, जिनमें जिला परियट क्षेत्र सम्पूर्णत या भागत समाविष्ट हैं।
- 3 जिला परियट के भीतर निर्वाचकों के रूप में पजोकृत राज्यसभा के सभी सदस्य।
 - 1 प्रमुख
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित]
 - 2 उप जिला प्रमुख
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित]
 - 3 निर्वाचित सदस्य
[प्रत्यक्ष निर्वाचित]
 - 4 लोकसभा सदस्य,
[पदेन सदस्य]
 - 5 विधान सभा सदस्य
[पदेन सदस्य]
 - 6 राज्य सभा सदस्य
[पदेन सदस्य]
 - 7 [जिला परियट क्षेत्र]

प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन

पचायतोराज अधिनियम, 1994 मे जिला परियट के लिए प्रमुख एवं उप-प्रमुख के बारे म व्यवस्था की गई है। प्रमुख जिला परियट का अध्यक्ष होता है। प्रमुख की अनुपस्थिति

मेरे उप-प्रमुख अध्यक्ष का कार्य करता है। नई व्यवस्था के अनुसार (1) प्रमुख तथा उप-प्रमुख या चुनाव 'जिला परिषद्' के निर्वाचित सदस्य मध्यसीमा अपने मेरे से दो सदस्यों को प्रभाग प्रमुख और उप-प्रमुख चुनेंगे और जब प्रमुख या उप-प्रमुख के पद पर आकस्मिक रिक्ति हो तब अपने भें से किसी सदस्य को प्रमुख या उप-प्रमुख चुनेंगे। परन्तु यदि रिक्ति एक माह से बढ़ अवधि के लिए है तो कोई भी निर्वाचित नहीं कराया जायेगा।¹⁰ (2) किसी जिला परिषद् वे प्रमुख या उप-प्रमुख का निर्वाचन और उक्त पदों में कोई रिक्तियों का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा जो बनाये जायें।¹¹

जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्यताएँ

निर्वाचन हेतु पंचायत राज संस्था सदस्यों के रूप भें निर्वाचन के लिए योग्यताओं का निर्धारण पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर समान है। यैसे अधिनियम के अनुसार जिला परिषद् सदस्यों हेतु निर्वाचन योग्यताएँ निम्नानुसार हैं—

- 1 राजस्थान राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन के लिए उस समय प्रभावी किसी भी पानूत छारा या उसके अधीन अयोग्य नहीं है तथा उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही है।
- 2 किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई धैतनिक पूर्णकालिक या अशकालिक नियुक्ति थारेन न करता है।
- 3 दुराघार जिसमें नैतिक अधिमता भी सम्मिलित है के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदछुटा नहीं किया गया है और होक सेवा में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- 4 किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी धैतनिक पद या लाभ का पद थारेन नहीं करता है।
- 5 सम्बन्धित पंचायत राज संस्था से उसके छारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत अपने छारा या अपने भागीदार नियोजक या कर्मचारियों के छारा कोई भी अश या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित था स्थानित नहीं रखता है।
- 6 कुप्ती नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शासीक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है।
- 7 नैतिक अधिमता याले किसी अपराध के लिए किसी सधारन न्यायालय छारा दोषी नहीं ठहराया गया हो।
- 8 धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए समय आपात्र नहीं है (इस धारा में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को इटाये जाने एवं नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान है)
- 9 सम्बन्धित पंचायतीराज संस्था छारा अधिरोधित किसी भी कर या फीस की रकम यो उसके खांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने को तारीख से 2 माह तक भुगतान नहीं किया है।

- 10 सम्बन्धित पचायती राज संस्था को ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायों के रूप में नियोजित नहीं है।
- 11 राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं ठहराया गया है (इस अधिनियम द्वारा मृत्यु भोज का निषेध करते हुए मृत्यु भोज करने, देने व सम्मिलित होने से दण्डनीय अपराध माना है)।
- 12 दो से अधिक बच्चों वाला नहीं किन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चों को उस संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को है। अर्द्धतेरी 23 अप्रैल, 1994 ॥¹²

स्थानों का आरक्षण

राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 में व्यवस्था है कि प्रत्येक पचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान (क) अनुसूचित जातियों, (छ) अनुसूचित जनजातियों, (ग) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों को सख्त उस इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ लगभग वर्गों इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ लगभग वर्गों अनुपात होगा जो उस पचायती राज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गों को जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज संस्था में विभिन्न वर्गों या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवटित किये जा सकेंगे।

महिलाओं का आरक्षण

- 1 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान इन जातियों, जनजातियों, एवं वर्गों को महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।
- 2 सामान्य महिला वर्ग हेतु—प्रत्येक पचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान (जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज संस्थाओं में विभिन्न वर्गों या निवाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से आवटित किये जायेंगे ॥¹³

जिला प्रमुख पद हेतु आरक्षण प्रावधान

राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 द्वारा जिस प्रकार पचायत के अध्यक्ष सरपंच तथा पचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान के पद हेतु अनुसूचित जातिया, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक ऐसी ही आरक्षण की व्यवस्था जिला परिषद् के अध्यक्ष प्रमुख के पद के लिए भी की गई है। इस प्रकार आरक्षित पदों में से उतने ही पद आरक्षित रखे जायेंगे जितना कि राज्य की कुल जनसंख्या में इन जाति व वर्गों का अनुपात है। ऐसे पदों में से प्रत्येक की कुल संख्या के 1/3 स्थान

महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेगे। आरक्षित पदों की संख्या विभिन्न पचायती के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवृत्ति की जायेगी।¹¹⁴

दोहरी सदस्यता पर प्रतिवंध

पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या अधिक पचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता। इसी प्रकार धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी पचायती राज संस्था का अध्यक्ष होने के साथ संसद, विधान सभा, नगर निगम/परिषद्/नगरपालिका मण्डल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे चुने जाने की तिथि से 14 दिन की अवधि में त्याग-पत्र देना होगा, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उक्त अवधि के बाद वह अध्यक्ष नहीं रहेगा।¹¹⁵

प्रमुख, उप-प्रमुख, व सदस्यों का कार्यकाल

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय—

- 1 किसी पचायती राज संस्था के सदस्य, अध्यक्ष सम्बन्धित पचायती राज संस्था की अवधि के दौरान पद धारण करेंगे,
- 2 किसी पचायती राज संस्था का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सम्बन्धित पचायती राज संस्था का सदस्य बना रहता है।¹¹⁶

नये अधिनियम के अनुसार सभी पचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों व सदस्यों के कार्यकाल के नियम समान हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान

राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 37 में जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रत्युत करने व इस प्रस्ताव के माध्यम से उसे पदबंदित करने को प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ताकि जिला प्रमुख अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह जनआकाशाओं के अनुरूप करने का प्रयास करे। इस प्रक्रिया के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु जिला परिषद् के कम से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त एक लिखित नोटिस, जिसके साथ प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रतिलिपि सलग्न हो, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों द्वारा किसी एक के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिशः सौंपा जायेगा।¹¹⁷ इस प्रस्ताव पर विचार हेतु सक्षम अधिकारी जिला परिषद् की बैठक 30 दिन की अवधि में नियत तारीख को बुलायेगा तथा इस बैठक का नोटिस जिला परिषद् सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व दिया जायेगा।¹¹⁸ इस बैठक की अध्यक्षता सक्षम प्राधिकारी करेगा।¹¹⁹ इस प्रस्ताव पर कोई भी विचार-विमर्श स्थगित नहीं किया जा सकता।¹²⁰ अध्यक्ष प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा व विचार-विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा।¹²¹ बैठक के प्रारम्भ होने के पश्चात् दो घण्टे या प्रस्ताव पर विचार विमर्श समाप्त होने जो अवधि पहली हो, प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा।¹²² अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान अपना विचार व्यक्त करने तथा मतदान में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है।¹²³ यदि प्रस्ताव जिला परिषद् के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो अध्यक्षता करने वाला सक्षम अधिकारी इस आशय की सूचना जिला परिषद् को कार्यालय के सूचना-पट्ट पर चिपका कर, उसे राजपत्र में अधिसूचित करका कर, प्रकाशित करायेगा और जिला प्रमुख या उप-प्रमुख उस तारीख से जिसको उत्तर नोटिस जिला परिषद् कार्यालय के सूचना-पट्ट पर चिपका गया हो, अपना पद धारण करना बद्द कर देगा और पद रिक्त हो जायेगा।¹²⁴ बैठक के कार्यवृत्त को एक प्रति, प्रस्ताव की प्रति सहित और उस पर मतदान का परिणाम, बैठक की समाप्ति या, अध्यक्षता यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाता या गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं की जा

सकी हो तो प्रमुख उप-प्रमुख के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष को समाप्ति तक नहीं लाया जा सकता।²⁶ प्रमुख या उप-प्रमुख के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक को यजूदी हेतु उसमें मनदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या को एक तिहाई संख्या आवश्यक है।²⁷ अविश्वास कोई प्रस्ताव प्रमुख या उप-प्रमुख के पद ग्रहण करने से दो वर्ष की अवधि तक नहीं लाया जा सकता।²⁸

जिला परिषद् का कार्यकाल

73वें संविधान सभोधन द्वारा पचायती राज के तीनों स्तरों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। जिला परिषद् का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष के लिए निर्धारित है।²⁹

जिला परिषद् की स्थायी समितियाँ

जिला परिषद् के द्वारा कार्य सचालन कुशलतापूर्वक हो सके इस हेतु राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 में जिला परिषद् की स्थायी समितियों के गठन के प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला परिषद् निम्नलिखित विषय समूहों में से प्रत्येक के लिए एक-एक स्थायी समिति गठित करेगा, अधोत्—

- 1 प्रशासन, वित्त और कराधान समिति।
- 2 उत्पादन कार्यक्रम समिति-जिसमें कृषि, पशुपालन, लघु सिचाई, सहकारिता, लघु और उद्योग और अन्य सहसम्बद्ध विषय समिलित हैं।
- 3 शिक्षा समिति-इसमें समाज शिक्षा समिलित है।
- 4 समाज सेवाएं एवं सामाजिक न्याय समिति-इसमें ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामदान, सचार, कमज़ोर वर्ग का कल्याण और सहसम्बद्ध विषय समिलित है।
- 5 पांचवीं समिति का प्रावधान-जिला परिषद् को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो किसी ऐसे विषय या किन्हीं अन्य ऐसे विषयों पर एक और पृथक् पांचवीं समिति का गठन कर सकती है जिनके बारे में पहले कोई समिति गठित नहीं की गई है।

समितियों सम्बन्धी अन्य प्रावधान

- 1 प्रत्येक स्थायी समिति में जिला परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों में से 5 सदस्य होंगे।
- 2 जिला प्रमुख प्रशासन, वित्त और कराधान समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।
- 3 उप प्रमुख ऐसी स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा जिसका वह सदस्य निर्वाचित हुआ है तथा जिलाप्रमुख जिसका सदस्य नहीं है।
4. प्रत्येक ऐसी अन्य समिति के लिए जिनका कोई भी पदेन अध्यक्ष नहीं हो, अध्यक्ष विहीत रोति से निर्वाचित किया जावेगा।
- 5 प्रत्येक स्थायी समिति, उसे सौंपे गये विषयों के सम्बन्ध में जिला परिषद् को ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो ऐसी स्थायी समिति को समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जाये।
- 6 प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा।
7. यदि किसी स्थायी समिति का कोई सदस्य उसके अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना स्थायी समिति की पांच बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहता है तो स्थायी

समिति में उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायेगा। यदि अध्यक्ष स्वयं इस प्रकार अनुपस्थित है तो वह अनुपस्थित रहने के लिए जिला प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त करेगा, यदि जिला प्रमुख स्वयं अनुपस्थित है तो उसके द्वारा जिला परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

- 8 जिला परिषद् किसी भी स्थायी समिति से किसी भी समय कोई भी दस्तावेज, विवरण, लेखे एवं रिपोर्ट भाँग सकती है।
9. जिला परिषद् के समक्ष आवेदन किये जाने पर या अन्यथा जिला परिषद् स्थायी समिति के किसी भी निर्णय को परीक्षा कर सकती है और वह समिति के निर्णय को पुष्ट कर सकती है, उलट सकती है या रूपान्तरित कर सकती है। किन्तु पुनरीक्षण हेतु आवेदन समिति के निर्णय की तारीख से तीन माह की अवधि में किया गया हो। जिला परिषद् स्थायी समिति के निर्णय को तभी उलट या रूपान्तरित कर सकती है यदि जिला परिषद् के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य इसका समर्थन करे।
- 10 स्थायी समिति अपनी बैठकों के सचालन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।¹³⁰

जिला परिषद् में कार्यिक व्यवस्था


पदायती राज अधिनियम के शाखायम से जिला परिषदों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था को गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् का शोधस्थ अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। सरकार किसी जिला परिषद् में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भी निर्धारित शहरों पर नियुक्ति कर सकती है।¹³¹ सरकार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए मुख्य लेखाधिकारी तथा मुख्य आयोजना अधिकारी भी नियुक्त करेगी।¹³² इसके अलावा सरकार समय-समय पर प्रत्येक जिला परिषद् में अपने इतने अधिकारी पद स्थापित करेगी, जितने सरकार आवश्यक समझे।¹³³ इस प्रकार स्थापित अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को राज्य सरकार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित कर सकेगी।¹³⁴

गणपूति

पदायत समिति की बैठक हेतु कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।¹³⁵

बैठकों की अध्यक्षता

जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता प्रमुख तथा उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रमुख करेगा, और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए चुनेगे किन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए।¹³⁶



प्राचीनताराज व्यवस्था का अधिकारी प्रशासन के अन्तर्गत नियंत्रण का विवरण है।

जिला परिषद् के कार्य

राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की जाये जिला परिषद् तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगी। तृतीय अनुसूची में जिला परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं—

1 सामान्य कार्य

जिले के आधिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाये तैयार करना और ऐसी योजनाओं अगली मटों में प्रमाणित विषया सहित विभिन्न विषय के सम्बन्ध में समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

2 कृषि एवं भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य

- 1 कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध कृषि उपकरणों के उपयोग और विकसित कृषि पद्धतियों के अगोकरण को लोकप्रिय बनाने के उपायों को उन्नत करना।
- 2 कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का सचालन करना।
- 3 कृषकों का प्रशिक्षण।
- 4 भूमि सुधार और भूमि संरक्षण।

3 लघु सिचाई, भू-जल स्रोत और जल विभाजक सम्बन्धी कार्य

- 1 "ग" और "घ" वर्ग के 2500 एकड़ के लघु सिचाई सकर्मों और लिफ्ट सिचाई सकर्मों का निर्माण नवीकरण और रख रखाव
- 2 जिला परिषद् के नियंत्रणाधीन सिचाई योजनाओं के अधीन जल के समय पर और समान वितरण और पूर्ण उपयोग तथा राजस्व बसूली के लिए उपबंध करना।
- 3 भू-जल स्रोतों का विकास
- 4 सामुदायिक पम्प सैट लगाना
- 5 जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

4 बागदानी सम्बन्धी कार्य

- 1 ग्रामीण यार्क और उद्योग
- 2 फलों और सब्जियों की खेती।

5 साधिकी सम्बन्धी कार्य

- 1 पचायती समितियों और जिला परिषद् के क्रियाकलापों से सम्बन्धित साधिकीय व अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग
- 2 पचायत समितियों और जिला परिषद् के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित आकड़ों और अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग

- 3 पचायत समितियों और जिला परिषद् की सौंपो गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समय-समय पर पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

6. ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य

- 1 ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति का मूल्यांकन करना,
- 2 विद्युत सम्बन्ध करना (कनेक्शन) कुटीर ज्योति और अन्य विद्युत सम्बन्ध (कनेक्शन)।

7. मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्य

- 1 मृदा संरक्षण कार्य,
- 2 मृदा विकास कार्य।

8. सामाजिक वानिकी सम्बन्धी कार्य

- 1 सामाजिक और फाम वानिकी, बाजान और चारा विकास को उन्नत करना,
- 2 बजार भूमि का विकास,
- 3 वृक्षशोषण के लिए आयोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषिक पौधशालाओं को प्रेत्साहन,
- 4 बन भूमियों को छोड़कर वृक्षों का रोपण तथा रख-रखाव,
- 5 राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर, सड़क के किनारे-किनारे वृक्षशोषण।

9. पशु-पालन और डेयरी सम्बन्धी कार्य

- 1 जिला और रेफरल अस्पतालों को छोड़कर, पशु चिकित्सालयों को स्थापना और रख-रखाव
- 2 चारा विकास कार्यक्रम,
3. डेयरी उद्योग, कुकुट पालन और सुअर पालन को उन्नत करना।
- 4 महामारी और सासारिंग को ठेकथाम।

10. मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्य

1. मत्स्य पालक विकास अभियान के समर्त कार्यक्रम;
- 2 निजों और सामुदायिक जलाशयों के मत्स्य सवर्णन का विकास,
- 3 पारम्परिक मत्स्यपालन में सहायता करना,
- 4 मत्स्य विपणन सहकारी समितियों का गठन करना,
- 5 मछुआरों के उत्पान और विकास के लिए कल्याण कार्यक्रम।

11. घोरलू और कुटीर उद्योग सम्बन्धी कार्य

- 1 परिक्षेत्र में पारम्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घोरलू उद्योगों का विकास करना,

- 2 फल्जे माटा की आदरशकताओं वा इस प्रकार से निर्धारण करना कि जिससे समय-समय पर उसपरी पूर्ति सुनिश्चित हो जा सके।
- 3 भरियनीशील उपभोग्यों के अनुसार छिजाइन और उत्पादन
- 4 इन प्रशिक्षण यार्यक्रमों पे लिए बैंक खण्ड दिलवाने हेतु सम्पर्क बना
- 5 यादी हाथपर्याप्त दस्तावेज़ और प्राम युटीर डिपोजों द्वे उन्नत बना।

12 ग्रामीण सहकों और भवन सम्बन्धी कार्य

- 1 राष्ट्रीय और राजगांगों से भिन्न सहकों वा निर्माण और रख रखाय
- 2 राष्ट्रीय और राजगांगों से भिन्न मालों के नीये आने याले पुल और पुलियादे
- 3 जिला परियद वे वार्यालय भवनों वा निर्माण और रख रखाय
- 4 बाजार शैक्षणिक संस्थाओं स्वास्थ्य येन्डों को जोड़ने वाली मुख्य सम्पर्क सहकों और आन्तरिक दोओं में सम्पर्क हो पहचान
- 5 नवी सहकों के लिए और विद्यमान सहकों द्वे जीड़ा बनाने वे लिए भूमियों वा स्टैचियन अभ्यर्पण व बनाना।

13 स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकी सम्बन्धी कार्य

- 1 राम्पुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य येन्डों औषधालयों उप येन्डों वी स्थापना और रख रखाय
- 2 आमुर्दिग होमियोपथिक गूताओं औषधालयों वी स्थापना और रख रखाय
- 3 प्रतिरक्षीयरण और टीकाकरण वार्यक्रम का विद्यान्वयन
- 4 स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य विद्यालयाप
- 5 मातृत्व और शिरु स्वास्थ्य विद्यालय
- 6 परिवार वर्त्यान वार्यक्रम
- 7 पंचायत समितियों और पंचायां वी सहायता रो स्वास्थ्य शिक्षियों वा आयोजन बनाना।
- 8 पर्यावरण प्रदूषण वे विरद्ध उपाय।

14 ग्रामीण आयासन सम्बन्धी कार्य

- 1 घेघर परियारों वी पहचान
- 2 जिटो में आयास निर्माण वा विद्यान्वयन
- 3 यम सागत आयासा यो रोकप्रिय बनाना।

15 शिक्षा सम्बन्धी कार्य

- 1 उच्च प्राथमिक विद्यालयों वी स्थापना और रख रखाय सहित शैक्षणिक विद्यालयाओं की उन्नत बनाना।
- 2 ब्रौद शिक्षा और मुसलाहालयों शुद्धिगांगों के लिए वार्यक्रमों वी योजना बनाना।

- 3 ग्रामीण थेट्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रसार कार्य,
- 4 शैक्षणिक क्रियाकलापों का सर्वेक्षण और भूल्याकन।

16. समाज कल्याण और कमज़ोर बगों के कल्याण सम्बन्धी कार्य

- 1 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े बगों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाय, बोडींग अनुदान और पुस्तकें और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार,
- 2 निरक्षरता उन्मूलन और साधारण शिक्षा के लिए नसरो विद्यालयों, बाल बाड़ियों, रात्रि विद्यालय और पुस्तकालयों का संगठन करना,
- 3 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े बगों को कुटीर और ग्रामीण डियोगो का प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाय उपलब्ध करवाना,
- 4 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े बगों को सहकारी संस्थाओं का गठन,
- 5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े बगों के उत्थान और विकास के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएँ।

17. गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी कार्य

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मोनीटर करना और क्रियान्वयन करना।

18. समाज सुधार क्रियाकलाप

- 1 महिला संगठन और कल्याण,
- 2 बाल संगठन और कल्याण,
- 3 स्थानीय आवारागदों का निवारण,
- 4 विधवा, वृद्ध और शारीरिक रूप से नि शक्ति निराकृतों के लिए पेशन को और वेरोजगारों को अन्तर्जातीय विवाह के युगलों, जिनमें से एक किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो के लिए भत्तों की मजूरी और वितरण को मोनीटर करना,
- 5 अग्नि नियन्त्रण,
- 6 अन्यविश्वास, जातिवाद, हुआदूत, नशाखोरी, खर्चांते विवाह और सामाजिक समारोहों, दहेज तथा दिखावटी उपभोग के विरुद्ध अभियान,
- 7 सामुदायिक विवाह और अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना,
- 8 आर्थिक अपराधों जैसे तस्करी, कर घचन, खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध सतर्कता,
- 9 भूमिहीन श्रमिकों को सौंपी गई भूमि का विकास करने में सहायता करना,
- 10 जनजातियों द्वारा अन्य सक्रमित भूमियों का पुनर्ग्रहण,
- 11 अन्युआ मजदूरों को पहचान करना, उन्हें मुक्त करना और उनका पुनर्वास,

- 12 सास्कृतिक और मनोरजक क्रियाकलापों का आयोजन करना
- 13 खेलकूद और खेलों को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण,
- 14 पारम्परिक उत्सवों को नया रूप देना और उन्हे समाज प्रिय बनाना,
- 15 निष्ठलिखित के माध्यम से मित्रव्यवहार और बचत की उन्नति करना—
 (i) बचत की आदतों की प्रोन्ति,
 (ii) अल्प बचत अभियान,
 (iii) कूट साहूकारी प्रथाओं और ग्रामीण क्रष्णप्रस्ताता के विरुद्ध लड़ाई।

19. जिला परिषद् की साधारण शक्तियाँ

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, या प्रत्यायोजित किये गये कार्यों के क्रियाव्ययन के लिए आवश्यक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्वाभी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव छाले बिना इसके अधीन निर्दिष्ट समस्त शक्तियों का और निर्दिष्ट रूप से निष्ठलिखित के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करना—

- 1 लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमें निहित या उसके नियन्त्रण या प्रबन्ध के अधीन की किसी संस्था का प्रबन्ध और रख-रखाव,
- 2 ग्रामीण हाटों और बाजारों का अर्जन और रख-रखाव,
- 3 पचायत समितियों या पचायतों को तदर्थ अनुदानों का वितरण करना और उनके कार्य का समन्वय करना,
- 4 कष्ट निवारण के उपायों को अगोकार करना,
- 5 जिले में पचायत समितियों के बजट अनुदानों की परीक्षा करना और उन्हे मर्जूर करना,
- 6 जिले में पचायत समितियों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं और स्कीमों को समन्वित और एकीकृत करना,
- 7 एकाधिक खण्डों में विस्तृत किसी योजना को हाथ में लेना और निष्पादित करना,
- 8 जिले के पघो, सरपघो, प्रधानों और पचायत समितियों के सदस्यों के शिविरों, सेमिनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना,
- 9 किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापों के बारे में सूचना देने की अपेक्षा करना,
- 10 किन्हीं विकास योजनाओं की ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जो लगे हुए दो या अधिक जिलों की जिला परिषदों के बीच में पारस्पर तय की जायें समुक्त रूप से हाथ में लेना और निष्पादित करना।

अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद् सकल्प द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भी जिला परिषद् कोई भी शक्तियाँ भुज्य कार्यपाल अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।¹⁷

सन्दर्भ

- 1 तिवारी चौधरी एवं चौधरी, राजस्थान में पचायत कानून, ऋचा प्रकाशन, 1995, जयपुर, पृ 13-14
- 2 राजस्थान पचायतोराज (सशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश स. 2) द्वारा प्रतिस्थापित/राजस्थान राजपत्र विशेषाक, भाग 4 (छ), दिनांक 6 जनवरी, 2000, पृ 113 (1) में प्रकाशित।
- 3 उपरोक्त, धारा 2
- 4 उपरोक्त, धारा 3-4
- 5 उपरोक्त, धारा 5
- 6 उपरोक्त, धारा 5
- 7 उपरोक्त, धारा 7
- 8 उपरोक्त, धारा 8, विलापित
- 9 जयनारायण पाण्डे: भारत का साक्षियन: सटूल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद 1997, पृ 446
- 10 जो एस नरवानो, राजस्थान पचायतोराज मैनुअल: डोमिनियन लॉ डिपो, 1997, जयपुर, धारा 3, पृ 21
- 11 उपरोक्त, धारा 3(1) पृ 21
- 12 उपरोक्त, धारा 3(2), धारा 4, 5 पृ 21-22
- 13 उपरोक्त, धारा 3 नियम (4), पृ 23
- 14 उपरोक्त, धारा 5 पृ 19
- 15 उपरोक्त, धारा 5, पृ 22
- 16 उपरोक्त, धारा (4), पृ 22
- 17 उपरोक्त, धारा 6, पृ 22
- 18 उपरोक्त धारा 3(3), पृ 21-22
- 19 उपरोक्त, धारा 3(7), पृ 22
- 20 उपरोक्त, धारा (7), पृ 22-23
- 21 भारत सरकार, याजना आयोग, रिफोर्ट ऑफ दी टोन फॉर दी स्टेडी ऑफ कन्कूनिये डबलप्रेट प्रोजेक्ट एण्ड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, 1957, पृ 5 (बलवद्वारा मेहता प्रतिवेदन)
- 22 तिवारी चौधरी एवं चौधरी, राजस्थान में पचायत कानून, ऋचा प्रकाशन, 1995, व्याख्या धारा 9, 10, 11, पृ 38
- 23 उपरोक्त, धारा 9, 10, 11 पृष्ठ 38 व्याख्या

- 24 उपरोक्त, धारा 9(2), 9(3) पृष्ठ 36
- 25 उपरोक्त, धारा 12(1), पृष्ठ 41
- 26 उपरोक्त, धारा 12(2), पृष्ठ 41
- 27 उपरोक्त, धारा 12(2) का परन्तुक, पृष्ठ 41
- 28 उपरोक्त, धारा 26(1), पृष्ठ 70
- 29 उपरोक्त, धारा 26(2) पृष्ठ 70
- 30 उपरोक्त, धारा 27(1), पृष्ठ 71
- 31 उपरोक्त, धारा 27(2), पृष्ठ 71
- 32 उपरोक्त, धारा 26(2), पृष्ठ 70
- 33 उपरोक्त, धारा 19, पृष्ठ 55
- 34 उपरोक्त, धारा, पृष्ठ
- 35 उपरोक्त, धारा 20, पृष्ठ 60
- 36 उपरोक्त, धारा 20(3), पृष्ठ 60
- 37 उपरोक्त, धारा 21 तथा परन्तुक, पृष्ठ 65
- 38 उपरोक्त, धारा 15(1), पृष्ठ 45-46
- 39 उपरोक्त, धारा 15(2), पृष्ठ 46
- 40 उपरोक्त, धारा 15(3), पृष्ठ 46
- 41 उपरोक्त, धारा 16, पृष्ठ 49
- 42 उपरोक्त, धारा 30, पृष्ठ 72
- 43 उपरोक्त, धारा 17(1), पृष्ठ 51
- 44 उपरोक्त, धारा 17(3), पृष्ठ 52
- 45 उपरोक्त, धारा 17(4), पृष्ठ 52
- 46 उपरोक्त, धारा 17(2), पृष्ठ 52
- 47 उपरोक्त, धारा 37(2), पृष्ठ 84
- 48 उपरोक्त, धारा 37(3) (i) (ii) (iii), पृष्ठ 84
- 49 उपरोक्त, धारा 37(4), पृष्ठ 84
- 50 उपरोक्त, धारा 37(5), पृष्ठ 84
- 51 उपरोक्त, धारा 37(6) पृष्ठ 85
- 52 उपरोक्त, धारा 37(7), पृष्ठ 85
- 53 उपरोक्त, धारा 37(8), पृष्ठ 85
- 54 उपरोक्त, धारा 37(9), पृष्ठ 85

- 55 उपरोक्त, धारा 37(10), पृष्ठ 85
 56 उपरोक्त, धारा 37(11), पृष्ठ 85
 57 उपरोक्त, धारा 37(12), पृष्ठ 85
 58 उपरोक्त, धारा 37(13), पृष्ठ 85
 59 उपरोक्त, धारा 37(14), पृष्ठ 85
 60 उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
 61 उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
 62 उपरोक्त, धारा 28(1) (क) (ख), पृष्ठ 151
 63 उपरोक्त, धारा 50 पृष्ठ 253
 64 भारत का सविधान, सेंट्रल लॉ एंजेसी पब्लिकेशन, 73वा सविधान सशोधन, धारा 243 ख(a) 1997, पृ. 446
 65 उपरोक्त, धारा 10(1), पृष्ठ 36-37
 66 उपरोक्त, धारा 10(2) पृष्ठ 37
 67 उपरोक्त, धारा 10(3), पृष्ठ 37
 68 उपरोक्त, धारा 13(2), पृष्ठ 42
 69 उपरोक्त, धारा 13(2) का परन्तुक, पृष्ठ 43
 70 उपरोक्त, धारा 28(1) तथा परन्तुक, पृष्ठ 71
 71 उपरोक्त, धारा 28(2), पृष्ठ 71
 72 उपरोक्त, धारा 19, पृष्ठ 55-56
 73 उपरोक्त, धारा 20, पृष्ठ 60
 74 उपरोक्त, धारा 15(1), पृष्ठ 45-46
 75 उपरोक्त, धारा 52(2), पृष्ठ 46
 76 उपरोक्त, धारा 15(3), पृष्ठ 47
 77 उपरोक्त, धारा 16, पृष्ठ 49-50
 78 उपरोक्त, धारा 37(2), पृष्ठ 84
 79 उपरोक्त, धारा 37(11) (क) (ख), पृष्ठ 85
 80 उपरोक्त, धारा 37(12), पृष्ठ 85
 81 उपरोक्त, धारा 37(13), पृष्ठ 85
 82 उपरोक्त, धारा 37(14), पृष्ठ 85
 83 उपरोक्त, धारा 17(1), पृष्ठ 51
 84 उपरोक्त, धारा 17(3), पृष्ठ 52

- 85 उपरोक्त, धारा 17(4), पृष्ठ 52
- 86 उपरोक्त, धारा 17(2), पृष्ठ 52
- 87 उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
- 88 उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
- 89 उपरोक्त, धारा 56(1) (क) (ख) (ग), पृष्ठ 120
- 90 उपरोक्त, धारा 56(2), पृष्ठ 121
- 91 उपरोक्त, धारा 56(3), पृष्ठ 121
- 92 उपरोक्त, धारा 56(4), पृष्ठ 121
- 93 उपरोक्त, धारा 56(5), पृष्ठ 121
- 94 उपरोक्त, धारा 56(6), पृष्ठ 121
- 95 उपरोक्त, धारा 56(8), पृष्ठ 121
- 96 उपरोक्त, धारा 56(9), पृष्ठ 121
- 97 उपरोक्त, धारा 56(10), पृष्ठ 121
- 98 उपरोक्त, धारा 58, पृष्ठ 124
- 99 उपरोक्त, धारा 59(1), पृष्ठ 124-125
- 100 उपरोक्त, धारा 59(2), पृष्ठ 125
- 101 उपरोक्त, धारा 60, पृष्ठ 126
- 102 उपरोक्त, धारा 79 (1) (2), पृष्ठ 152
- 103 (क) उपरोक्त, धारा 51, पृष्ठ 253
- 103 (ख) उपरोक्त, धारा 54(1), पृष्ठ 119
- 104 सी पी भाभरी, एस्टेबिलिशमेंट ऑफ जिला परिषद् इन राजस्थान, ए केस स्टैंडी, प्रॉतिकल साइंस रिव्यू, दो ५ नं २ अक्टूबर, 1966, पृ 292-303
- 105 रिसोर्ट ऑफी टीम फॉर द स्टैंडी ऑफ कम्पनिटी प्रोजेक्ट्स एण्ड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, खण्ड 1, नई दिल्ली कमेटी ऑन प्यान प्रोजेक्ट्स, 1957, पृ 7
- 106 उपरोक्त, धारा 11(1), पृष्ठ 37
- 107 उपरोक्त, धारा 11(2), पृष्ठ 38
- 108 उपरोक्त, धारा 14(2), पृष्ठ 44
- 109 उपरोक्त, धारा 14(1) (क) (ख) (ग), पृष्ठ 44
- 110 उपरोक्त, धारा 29(1) तथा परन्तुक, पृष्ठ 72
- 111 उपरोक्त, धारा 29(2), पृष्ठ 72
- 112 उपरोक्त, धारा 19, पृष्ठ 55

113. उपरोक्त, धारा 15(1) (2) (3), पृष्ठ 45-46
114. उपरोक्त, धारा 16(1) से (6), पृष्ठ 49-50
115. उपरोक्त, धारा 21 तथा परन्तुक, पृष्ठ 65
116. उपरोक्त, धारा 30, पृष्ठ 72
117. उपरोक्त, धारा 37(2), पृष्ठ 84
118. उपरोक्त, धारा 37(3), पृष्ठ 84
119. उपरोक्त, धारा 37(4), पृष्ठ 84
120. उपरोक्त, धारा 37(4), पृष्ठ 84
121. उपरोक्त, धारा 37(6), पृष्ठ 85
122. उपरोक्त, धारा 37(8), पृष्ठ 85
123. उपरोक्त, धारा 37(9), पृष्ठ 85
124. उपरोक्त, धारा 37(11), पृष्ठ 85
125. उपरोक्त, धारा 37(10), पृष्ठ 85
126. उपरोक्त, धारा 37(12), पृष्ठ 85
127. उपरोक्त, धारा 37(14), पृष्ठ 85
128. उपरोक्त, धारा 37(13), पृष्ठ 85
129. उपरोक्त, धारा 17(1), पृष्ठ 51
130. उपरोक्त, धारा 57, 58, 59, 60 पृष्ठ 122-126
131. उपरोक्त, धारा 82(1), पृष्ठ 55
132. उपरोक्त, धारा 82(2), पृष्ठ 55
133. उपरोक्त, धारा 82(3), पृष्ठ 55
134. उपरोक्त, धारा 82(4), पृष्ठ 55
135. उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
136. उपरोक्त, धारा 48(1), पृष्ठ 113
137. उपरोक्त, धारा 52, पृष्ठ 260

□□□

5

पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से पूर्व तथा निवर्तमान संशोधित प्रारूपों की तुलनात्मक विवेचना

2 अक्टूबर 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में दोष प्रज्ञालित कर बलवतराय मेहता समिति द्वारा प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया जो सम्पूर्ण भारत के लिए प्रेरणा पथ बना। वैसे राजस्थान में ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 के द्वारा पंचायत व्यवस्था की प्रजातात्त्विक विकेन्द्रीकरण की पहुंच का शुभारम्भ हो चुका था। 73वें संविधान संशोधनों से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था 1953 के पंचायत राज अधिनियम 1959 के पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के तहत चल रही थी। 2 अक्टूबर 1959 से 23 अप्रैल 1994 तक राजस्थान में विभिन्न आयोग एवं समितियाँ पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बिठाई जिनके सुधारों एवं सुझावों को माना भी नहीं भी माना और राज्य सरकारों की दया पर ये संस्थाएँ मात्र प्रतीकात्मक होकर प्रजातात्त्विक राजदर्श का हिस्सा बन कर रह गईं। समग्र भारत में इनका समान स्वरूप स्थिति नहीं थी और न ही इन्हे संवैधानिक दर्जा प्राप्त था अतः ये संस्थाएँ गांधीजी के 'लोकस्वराज्य' और 'स्वशासन' तथा ग्रामीण विकास व कल्याण से परे मात्र राजनीतिज्ञों के हित साथन का माध्यम मात्र बनकर रह गईं।

जब अपने पुरातन स्वरूप में पंचायती राज संस्थाएँ विकास एवं कल्याण में तथा निर्णयमें जनसहभागिता का आधार व विश्वास खो चुकी थी तो ऐसे समय में ऐसी सशक्त पंचायती राज प्रारूप वीं आवश्यकता महसूस हुई जो समग्र देश से समान रूप से विकास कल्याण तथा स्वशासन एवं निर्णयन में आज जेन को सहभागी एवं सहगामी बना सके। प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अभाव में पंचायती राज संस्थाएँ भी निष्काशन प्राप्त हो चुकी थीं। 24 अप्रैल 1993 की भारत सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यह नया पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया।

24 अप्रैल, 1993 को पचादतीर राज संविधान सशोधन के सन्दर्भ में टक्कालोन प्रधानमन्त्री पी बी नरसिंहा राव ने स्वर्गीय राजोब गाँधी द्वारा आरम्भ किये इस मुनीत उद्देश्य के सन्दर्भ में कहा था कि “लोकतन्त्र और पचादत को इकियों का हस्तान्तरण अब देश के सबसे पवित्र दस्तावेज अर्थात् भारत के संविधान का एक भाग बन गया है। अब पचादत को मनमर्जी से न तो निलम्बित किया जा सकता है और न ही उसे भग किया जा सकता है। अब पचादतों को जो इकियाँ, उत्तरदायित्व और विचारीय संसाधन हस्तान्तरित किये गये हैं, उन्हें कोई भी वापस नहीं ले सकेगा। संविधान में किये गये ये परिवर्तन देश के गाँव के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना सिद्ध होंगे। इस अधिनियम से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि वास्तविक इकियाँ किर से केवल आपको ही मिल जायेंगी और आप अपने इलाके और अन्ने लोगों के विकास में कहाँ ज्यदा भूमिका निभा सकेंगे। यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि गाँव के गरीब लोग भी इस प्रक्रिया में भाग ले और समाज का कोई भी वर्ग यह नहीं सोचे कि उनकी अनदेखी हो रही है।

बहुत जल्दी गाँव पचादतों स्थानों आधर पर एक सजोब सम्भावन ज़रूरी और वे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनेंगे। वे सम्बद्ध उनक कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगी और इन कार्यक्रमों की दोजनाएँ बनाने में लोगों का सहयोग लेंगी। वे ऐसी सक्रिय और सजोब सम्बद्ध बनाने में लोगों का सहयोग लेंगी। वे ऐसी सक्रिय और सजोब सम्बद्ध होंगे जो विकास, नियमन और सामान्य प्रशासन के काम करेंगे। कृषि, भूमि का सुधार, पशु-पालन, ग्रामीण और धरोलू उद्योग, पौने का पानी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वस्थ, सफाई, परिवार कल्याण आदि विषय इन पचादतों की जिम्मेदारी होंगे। पचादतों को इन्हाँ समर्थ होना होगा कि दिन-प्रतिदिन की लोगों की जरूरी आवश्यकताएँ पूरी कर सकें और विभिन्न सरोकों से उनके हितों को रक्षा कर सकें।”

राजस्थान सरकार ने भी 73वें संविधान सशोधन के अनुरूप 23 अप्रैल, 1994 को नया राजस्थान पचादतीर राज अधिनियम सागृ कर दिया और सराक व जनोन्मुखी पचादतों राज व्यवस्था के युग में कदम रखा। राजस्थान सराकर ने तो समय-समय नये कानून नियन्त्रण तथा जनवरी, 2000 में 1999 के पचादतीर राज अधिनियम में परिवर्तन कर पचादतीर राज सम्भाओं का पारदर्शी, सराक तथा जनोन्मुखी एवं जनसहभागों बनाने के तहे दिल से प्रयात किये हैं जो शोध अध्ययन में यथासम्भव व सम्मिलित किये गये हैं। जैसा कि शोध अध्ययन में प्रस्तावित है, राजस्थान में 73वें संविधान सशोधन से पूर्व प्रारूप (जो मूलतः 1953 के पचादत अधिनियम तथा 1959 के पचादत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम पर आधारित था) एवं 73वें संविधान सशोधन प्रदत्त प्रारूप जो 23 अप्रैल, 1994 को राजस्थान में व्यवहार में आया। दोनों प्रारूपों के अनुरूप पचादतीर राज सम्भाओं के सम्बन्ध एवं कार्यों का संदर्भिक तुलनात्मक विश्लेषण जो राजस्थान सरकार के अधिनियम प्रपत्रा एवं अन्य नियन्त्रण व अद्देरा पत्रावलियों, प्रतिवेदनों पर आधारित है करना उद्देश्यपैक्षी है। नवोन पचादतीर राज अधिनियम के तहत इन सम्भाओं की सरचना एवं कार्यक्रम को परोक्षा को दरक वा अपराह चल रहा है। अतः पुरातन व्यवस्था एवं नवोन व्यवस्था का मूल्याकान समयोचित अपेक्षा प्रतीत होती है। जो यक्ष प्रस्तु एवं शक्ताएँ पुरानी व्यवस्था की समर्पित तथा नवोन प्रावधान की उम्मीदों के साथ जुड़े थे क्या हल हो पाये?

नवीन पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाओं के पश्चात् राजस्थान में इन सभाओं के दूसरी बार चुनाव हो चुके हैं ? अतः इनके संगठन एवं कार्यों के मूल्याकान-तुलना एवं विश्लेषण का यही सही समय हैं। इनके संगठन एवं कार्यों की तुलना निम्नोल्लेखित है—

ग्रामसभा संगठनात्मक तुलना

[समानताएँ]

ग्रामसभा के 73वें संविधान संशोधन पूर्व एवं पश्चात् प्रारूपों की सांगठनिक समानताओं को जैसा कि सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की सभा दौरों प्रारूपों में 'ग्रामसभा' कहलायेगी। ग्रामसभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच अथवा उपसरपंच करेंगे। ग्रामसभा की कार्यवाही पचायत संचिव लिखेगा तथा ग्रामसभा पचायत मुख्यालय पर हो होगी। साथ ही एक समानता यह भी है कि वरिष्ठ नागरिकों की निश्चित सख्त द्वारा अनुरोध करने पर ग्रामसभा की बैठक बुलायी जा सकेगी।

राजस्थान पचायत अधिनियम, 1953 की धारा 23 (क) में ग्रामसभा का उल्लेख वयस्क नागरिकों की सभा के रूप में किया गया है जो कि ग्रामसभा के नाम से ही अभिहीन को जाती रही है। 73वें संविधान प्रदत्त पचायती राज तन्त्र में ग्रामसभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए इसका गठन किया गया है। अतः ग्रामसभा के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूप में सांगठनिक दृष्टिकोण से निम्न समानताएँ एवं असमानताएँ मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती हैं—

सारणी-5 1 ग्रामसभा का संगठन

[समानताएँ]

क्र.	प्रारंभिक प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1	वरिष्ठ नागरिकों की सभा ग्रामसभा कहलायेगी।	1	वरिष्ठ नागरिकों की सभा ग्रामसभा कहलायेगी।
2	ग्रामसभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच या उपसरपंच करेंगे।	2	ग्रामसभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच या उपसरपंच करेंगे।
3	ग्रामसभा की कार्यवाही पचायत संचिव लिखेगा।	3	ग्रामसभा की कार्यवाही पचायत संचिव लिखेगा।
4	ग्रामसभा ग्राम पचायत मुख्यालय पर ही होगी।	4	ग्रामसभा ग्राम पचायत मुख्यालय पर ही होगी।
5	वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर ग्राम-सभा की बैठक बुलायी जा सकती है।	5	वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर ग्राम-सभा की बैठक बुलायी जा सकती है।

ग्राम सभा का संगठन

[असमानताएँ]

सांगठनिक दृष्टिकोण से ग्रामसभा के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों में व्यापक असमानताएँ हैं जैसे पुरातन प्रारूप में ग्रामसभा को वैधानिक मान्यता का अभाव था, ग्रामसभा की बैठकों की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं था।

ग्रामसभा को बैठक वर्ष में दो बार माह मई एवं अक्टूबर में करने का प्रावधान था, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत के प्रत्येक गाँवों में ग्रामसभा करने के प्रावधान का अभाव, ग्रामसभाओं में कोरम या गणपूर्ति की अनिवार्यता की बाध्यता का अभाव, बैठक में विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति की अनिवार्यता का अभाव था।

इसके विपरीत नवीन प्रारूप में ग्राम सभा वैधानिक मान्यता युक्त हो गई, ग्रामसभा की बैठकों की अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी गई, ग्रामसभा की बैठक में गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों के दशाश की उपस्थिति की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया।

अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों में ग्रामसभाओं का प्रावधान किया गया, ग्रामसभा की बैठक में विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई साथ ही सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान नवीन प्रारूपों में किया गया था।

लेकिन राजस्थान पचायती राज सशोधन अधिनियम 6 जनवरी, 2000 के द्वारा सतर्कता समिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ग्रामसभा के दोनों प्रारूपों की असमानताओं को निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है—

सारणी-5.2

ग्रामसभा का संगठन

[असमानताएँ]

क्र.	पुरातन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1	ग्रामसभा वैधानिक मान्यता का अभाव।	1.	ग्रामसभा सवैधानिक मान्यता का अभाव।
2	ग्रामसभा की बैठकों की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं।	2	ग्रामसभा की बैठकों की अनिवार्यता।
3	ग्रामसभा की बैठक वर्ष में दो बार करने का प्रावधान।	3	ग्रामसभा की बैठक वर्ष में चार बार करने का प्रावधान।
4	ग्रामसभा को बैठक में गणपूर्ति या कोरम की अनिवार्यता की बाध्यता का अभाव।	4	ग्रामसभा की बैठक में कुल सदस्यों के दशाश की उपस्थिति की प्रथम बैठक में अनिवार्यता।


5 अनुसूचित धोनों के सभी ग्रामों में ग्रामसभा के प्रावधान का अभाव।	5 अनुसूचित धोनों के सभी ग्रामों में ग्राम सभा का प्रावधान।
6 घैठक में विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति की अनियार्यता पर अभाव।	6 घैठक में विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि की अनियार्य उपस्थिति।
7 सहर्वता समितियों के गठन का प्रावधान नहीं।	7 सहर्वता समितियों के गठन का प्रावधान

ग्रामसभा की सागड़निक सरचना वौ समानता एवं असमानता को हम अद्वैतोल्लेखित घाट के माध्यम से सुम्प्त समझ सकते हैं—

राजस्थान में ग्रामसभा का संगठनात्मक आरेख

(पूर्ववर्ती प्रारूप)


आरेख 5.1



पंचायती राज अधिनियम 1953 में संवेदन 23A जोड़कर "वयस्क नागरिकों की सभा" का उल्लेख किया गया है जो कि ग्रामसभा के रूप में जानी जाने समी है।

**राजस्थान में ग्रामसभा सत्रचना आरेख
(नवीनतम प्रारूपानुसार)**

आरेख 5 2



राजस्थान में नवीन पचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार ग्राम सभा का आरेख। राजस्थान पचायती राज अधिनियम सशोधन 6 जनवरी, 2000 के अनुसार सतर्कता समिति व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

ग्रामसभा के कार्य

73वें संविधान सशोधन के पश्चात् ग्राम सभा के नवीन प्रारूप के अनुसार नवीन जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई हैं जो उसे पुणतन प्रारूप से विलग करती है। हालांकि दोनों प्रारूपों के कार्यों में कुछ समानताएँ भी हैं जिन्हे अलग से स्पष्ट करने का यत्क्षयन प्रयास अग्रोल्लेखित है—

सारणी-5 3
ग्रामसभा के कार्य
[समानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	पचायत का बजट प्रस्तुत करना।	1	पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
2	पचायत की ऑडिट रिपोर्ट और उसकी अनुपालन।	2	पिछली संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके दिये गये उत्तर।
3	योजना की प्रगति और विकास को विभिन्न प्रवृत्तियों की रिपोर्ट।	3	विच्चीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम।
4	पचायत के काम-काज का ब्यौरा।	4	किसी भी क्रियाकलाप योजना आय और व्यविधियों के बारे में सरपञ्च एवं सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि ग्राम के नवीन एवं पुरातन प्रारूपों के कार्यों में कुछ समानताएँ भी हैं जैसे ग्रामसभा में पचायत का बजट प्रस्तुत करना, पचायत की ऑडिट रिपोर्ट तथा और उसकी अनुपालन, योजना की प्रगति और विकास वीं विभिन्न प्रवृत्तियों की रिपोर्ट तथा पचायत के काम-काज का ब्यौरा करने सम्बन्धी कार्य।

सारणी-5 4
ग्रामसभा के कार्य
[असमानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	पचायत की योजना प्रस्तुत करना।	1	पचायत क्षेत्र से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना।
2	ग्रामसभा के निर्णयों की क्रियान्विती का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना।	2	विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हिताधिवारियों को पहचान करना।
3	ऋण और सहायता के रूप में प्राप्त धन राशि के उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	3	सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक ऋण और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना।

4 सहकारी आन्दोलन सहकारिताओं से सम्बन्ध रखे वाले आम विषय तथा सहकारी समितियों द्वारा सुझाए गए मुद्दों का विवरण।	4 प्रौढ़ एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।
5 ग्रामीणों के सामान्य हितों के मामले जैसे—ग्रामीण चरागाह, जलाशय, सार्वजनिक कुओं आदि।	5 समाज के सभी समुदायों में एकता और सौहार्द बनाना।
6 महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्णयों को जानकारी देना।	6 ऐसे अन्यकृत्य जो विहित किये जाये।
7 वर्ष की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में बैठकों का प्रावधान नहीं।	7 वर्ष की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में ग्रामसभा बैठकों के अलग मुद्दे कार्यवाही हेतु तथा जो कि मूलतः वित्तीय क्रियाकलापों से जुड़े हैं।
8 ग्राम पाठशाला का सचालन।	8 वर्ष में तिये जाने वाले भौतिक व वित्तीय कार्यक्रम।

73व संविधान संशोधन पश्चात् ग्रामसभा को ज्यादा सशक्त एवं जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया गया है। अपने नवीन संवैधानिक प्रारूप में ग्रामसभा अब पुरातन ग्रामसभा के कार्यों को प्रकृति से ज्यादा प्रभावशाली बनाई गई है। राजस्थान सरकार ने भी ग्रामसभा को सशक्त व प्रभावशाली बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की है।

इसी बजह से ग्रामसभा के पुणे एवं नवीन प्रारूप व्यापक अन्तर रखते हैं। अपने कार्यों के सन्दर्भ में पुरातन व्यवस्था में ग्रामसभा के कार्य, जैसे—पचायत को योजना प्रस्तुत करना, ग्रामसभा के निर्णयों की क्रियान्विती का लेखा-जोखा रखना, ऋण एवं सहायता के रूप में प्राप्त धन-राशि के उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सरकारी आन्दोलन, सहकारिताओं से सम्बन्ध रखने वाले आम विषय तथा सहवारी समितियों द्वारा सुझाए गए मुद्दों का विवरण, ग्रामीणों के सामान्य हितों के मामले जैसे ग्रामीण चरागाह, जलाशय सार्वजनिक कुओं आदि देखना ग्राम पाठशाला का सचालन, महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्णयों को जानकारी वर्ष की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में बैठकों का प्रावधान नहीं है।

अपने नवीन प्रारूप ग्रामसभा के कार्य पुरातन ग्रामसभा कार्यों से व्यापक अन्तर रखते हैं। जैसे—पचायत क्षेत्र से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना। विकास योजनाओं के लिए हिताधिकारियों को पहचान करना, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक ऋण और वस्तु रूप में या नकद अद्यवा दोनों ही प्रकार के अभिदान जुटाना, प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना। समाज के सभी समुदायों में एकता और सौहार्द बनाना ऐसे अन्य कृतज्ञ जो विहित किये जाये राज्य सरकार द्वारा आज ग्रामसभा में वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में वित्तीय क्रियाकलापों से जुड़े

ज्यादातर मुद्दे एवं सामान्य मुद्दे अलग से सरकार द्वारा तय किये गये हैं जो कि पुरातन प्रारूप में नहीं है। अब वर्ष में लिये जाने वाले भौतिक य वित्तीय कार्यक्रम भी ग्रामसभा कार्यों का हिस्सा है। ग्रामसभा के कार्य पुराने प्रारूप में केवल आहिए की भावना पर आधारित थे जबकि नवीन व्यवस्था में अनिवार्यता प्रभावशोलता नियन्त्रण तथा उत्तरदायित्व की श्रृङ्खला युक्त कार्यों को बताया गया है और यही कारण है कि 73वें संविधान सशोधन पश्चात् ग्रामसभाएँ ज्यादा सशक्त भूमिका निभाने की स्थिति में हैं।

ग्राम पचायत

73वें संवैधानिक संशोधनों के पश्चात् ग्राम पचायतों के सांगठनिक स्वरूप में पूर्ववर्ती प्रारूप की अपेक्षा व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं लेकिन साथ ही समानताओं को भी नहीं नकारा जा सकता है। सारणी एवं चार्ट के माध्यम से दोनों प्रारूपों के मध्य समानता एवं असमानता को स्पष्ट किया गया है।

सारणी 5.5 ग्राम पचायत का संगठन

[समानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	सरपञ्च प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित।	1	सरपञ्च प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित।
2	ग्राम पचायत सदस्य सीधे मतदान द्वारा निर्वाचित।	2	ग्राम पचायत सदस्य सीधे मतदान द्वारा निर्वाचित।
3	उप-सरपञ्च का निर्वाचन निर्वाचित पचों द्वारा अपने में से बहुमत द्वारा।	3	उप-सरपञ्च का निर्वाचन निर्वाचित पचों द्वारा अपने में से बहुमत द्वारा।
4	सरपञ्च को पचों द्वारा बहुमत से अविश्वास करने पर हटाने की व्यवस्था।	4	सरपञ्च को पचों द्वारा बहुमत से अविश्वास करने पर हटाने की व्यवस्था।
5	जनसंख्या 2 हजार से 5 हजार तक अथवा क्षेत्रफल पर आधारित गठन।	5	जनसंख्या 2 हजार से 5 हजार तक अथवा क्षेत्रफल पर आधारित गठन।

मापूली परिवर्तन के साथ दोनों प्रारूपों में कुछ समानताएँ भी हैं जैसे सरपञ्च का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा। ग्राम पचायत सदस्य सीधे मतदान द्वारा निर्वाचित होगे उपसरपञ्च का निर्वाचन पचों में से बहुमत द्वारा होगा। उपर्युक्त कुछ समानताओं के अलावा मध्ये ग्रामपालों के तहत दोनों प्रारूपों में काफी असमानताएँ हैं। ग्राम पचायतों का गठन (निर्माण आधार) 2 हजार से 5 हजार तक की जनसंख्या अथवा क्षेत्रफल पर आधारित किया गया है।

सारणी-5 6
ग्राम पंचायत का संगठन
[असमानताएँ]

क्र.	पुरातन ग्रामरूप	क्र.	नवीन ग्रामरूप
1	अधिनियम द्वारा पारित प्रारूप।	1	सर्वेधानिक प्रावधानों द्वारा प्रदत्त सर्वेधानिक प्रारूप।
2	पंचायत बाड़ों का आरक्षण नहीं।	2	पंचायत बाड़ों को आरक्षण का प्रावधान।
3	पंचायत चुनाव अवधि व कार्यकाल अनिश्चित।	3	पंचायत चुनाव अवधि व कार्यकाल सुनिश्चित 5 वर्ष।
4	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सहवरण को व्यवस्था।	4	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु बाई आरक्षण व्यवस्था।
5	महिला सदस्य का प्रत्यक्ष चयन नहीं होने पर सहवरण की व्यवस्था।	5	महिलाओं हेतु बाड़ों का आरक्षण।
6	सरपञ्च पद का आरक्षण नहीं।	6	सरपञ्च पद को आरक्षण की व्यवस्था।
7	आरक्षण व्यवस्था को लॉटरी द्वारा चक्रानुक्रमानुसार व्यवस्था प्रावधान नहीं। (पदों व बाड़ों में)	7	पदों एवं बाड़ों का लॉटरी द्वारा चक्रानुक्रमानुसार आरक्षण का प्रावधान।
8	ग्राम पंचायत स्थित सहकारी समितियों के अध्यक्ष सह-सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत सदस्य बनाने का प्रावधान।	8	ग्राम पंचायत में सह-सदस्यों के पंचायत सदस्य बनाने का प्रावधान समाप्त।
9	सरपञ्च के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अवधि 1 वर्ष तक नहीं लाने का प्रावधान।	9	सरपञ्च के खिलाफ 2 वर्ष पूर्व अविश्वास प्रस्ताव न लाने का प्रावधान।
10	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपञ्च के हटाये जाने पर बहुमत द्वारा नया सरपञ्च बनाये जाने का प्रावधान।	10	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जिस वर्ग का सरपञ्च हटाये जाने पर उसी वर्ग का सरपञ्च पचों में से बनाये जाने का प्रावधान।
11	न्याय उपसमिति के गठन का प्रावधान था।	11	न्याय उपसमिति के गठन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया।
12	कार्यों में सहायता हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधान है।	12	कार्यों में सहायता हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधान नहीं।

उपर्युक्त सारणी से दोनों प्रारूपों के मध्य व्यापक अन्तर स्पष्ट परिलक्षित होता है जैसे पूर्ववर्ती प्रारूप में ग्राम पचायत का गठन राज्य सरकार द्वारा साधारण अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता था ग्राम पचायतों में वाड़ी का आरक्षण नहीं था।

पचायतों के चुनाव व कार्यकाल अवधि अनिश्चित थी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सहवरण का प्रावधान था तथा भृहिला पच का आरक्षण नहीं था। पदों एवं वाड़ी को सौंटरी द्वारा चक्रानुक्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान नहीं था ग्राम पचायत में स्थित सहकारी समितियों के अध्यक्ष सह सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाते थे।

सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक वर्ष पूर्व न लाना निश्चित था। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपच के हटाये जाने पर बहुमत द्वारा नवा सरपच बनाये जाने का प्रावधान था। पचायत स्तर पर होगों को न्याय हेतु न्याय उपसमिति का प्रावधान था। सरपच को कायों में सलाह एवं सहायता हेतु पूर्ववर्ती व्यवस्था में समिति व्यवस्था का प्रावधान था जबकि नवीन प्रारूप में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

जबकि नई व्यवस्था के तहत ग्राम पचायतों की स्थापना या गठन संवैधानिक तौर पर सभग्र राष्ट्र में समान रूप से की गई है। पचायतों में वाड़ी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरपंच पद के आरक्षण की चक्रानुक्रमानुसार व्यवस्था की गई है।

ग्राम पचायतों में पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत सहसदस्यों के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष पूर्व न लाने का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस वर्ग का सरपच हटाया जाये उसी वर्ग का सरपच पचों में से बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्याय उपसमिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।



यदि उक्त अन्तर को हम नूतन व पुरातन प्रारूपों के चार्ट में देखे तो स्वत व्यापक अन्तर दृष्टिगोचर होता है जो अप्राप्तिमित है—

राजस्थान में ग्राम पंचायत का संगठनात्मक आगे रहा

[पूर्ववर्ती प्रारूप]

अंगठे 5.3

* ग्राम पंचायत संघर्ष




* राजस्थान चेतावन अधिनियम, 1953 एवं 1959 की पंचायतीराज संरचना के अनुसार चेतावन की संरचना।

राजस्थान में ग्राम पचायत का संगठनात्मक आरेख

[नवीन प्रारूप]

आरेख-5-4



राजस्थान में नवीन पचायतीराज अधिनियम 1994 के अनुसार
ग्राम पचायत का आरेख।

ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत के कार्यों को एक फहरिस्त पंचायतों के जिम्मे की गई है जिसमें पूर्ववर्ती एवं वर्तमान कार्यों में कोई गहरा अन्तर स्पष्ट नहीं होता है। यह अवश्य है कि कुछ ज्यादा अधिकारों के साथ नवीन प्रारूप में पंचायतों को ज्यादा प्रभावी तरीके से जिम्मेदारियाँ दी गई हैं लेकिन यथार्थ शायद इससे थोड़ा परे है। 1994 से पूर्ववर्ती ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं 73वें संविधान प्रदत्त ग्राम पंचायतों के कार्यों में समानता एवं असमानता निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट रेखांकित करने का प्रयास अग्रांकित है—

समानताएँ—

पंचायती राज अधिनियम को अनुसूनी तृतीय में पूर्ववर्ती प्रारूप तथा नवीन पंचायती राज अधिनियम को अनुसूची प्रथम (धारा 52) में पंचायत के कृत्यों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है जिसमें दोनों के असमान कृत्यों को अलग से सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है जबकि दोनों प्रारूपों में कार्य लगभग समान है। पूर्ववर्ती प्रारूप के कार्यों को नवीन व्यवस्था में अलग से शीर्षक मात्र अवश्य दे दिया गया है, जो अप्रोतिखित है—

सारणी-5.7 ग्राम पंचायत के कार्य

[समानताएँ]

क्र.	पुरातन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप	पुरातन प्रारूप
1.	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में :	1.	साधारण कृत्य:	
1.	गृहकार्य अथवा मवेशी के लिए जल प्रदान करने को व्यवस्था।	1.	पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना।	
2.	सार्वजनिक कार्यों, नालियाँ, बांधों, तालाबों तथा कुओं (सिंचाई के उपयोग में आने वाले कुओं तथा तालाबों के अलावा) तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई अथवा निर्माण आदि।	2.	वार्षिक बजट तैयार करना।	
3.	स्वच्छता, मलबहन, कट्ट आदि कारणों की रोकथाम, उनको हटाना और भूत पशुओं की लाशों का निपटारा करना।	3.	प्राकृतिक आपदाओं में सहायता चुटाना।	
4.	स्वास्थ्य का संरक्षण तथा सुधार करना।	4.	लोक सम्पत्तियों पर अतिक्रमण हटाना।	
5.	चाय, काफों तथा दूध की दुकानों का लाइसेंस द्वारा अथवा अन्य प्रकार से नियमन।	5.	सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदान का संगठन।	
		6.	गाँव (गाँवों) की आवश्यक सांख्यिकी रखना।	
		2.	प्रशासन के क्षेत्र में :	
		1.	परिसरों का संखांकन।	
		2.	जनगणना करना।	
		3.	पंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना।	

- | | |
|--|---|
| 6. शामशान तथा कब्रिस्तान की व्यवस्था, संधारण तथा नियमन। | 4. ग्रामीण विकास इकाई के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पदाधों और वित की अपेक्षा दर्शात करने वाला विवरण तैयार करना। |
| 7. खेल के मैदानों तथा सार्वजनिक बागों का अभिन्यास तथा संधारण। | 5. ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यप से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पचायत सर्किल में पहुँचे। |
| 8. किसी संक्रमक रोग के आरम्भ होने फैलने या पुनराक्रमण के विरोध के लिए उपाय करना। | 6. सर्वेक्षण करना। |
| 9. सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा उनका संधारण और निजी शौचालयों का नियमन करना। | 7. पशु स्टेप्डो, खलिहानों, चरागाहो और सामुदायिक भूमियों पर नियन्त्रण। |
| 10. स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर बसियों का सुधार करना। | 3. कृषि विस्तार सहित कृषि |
| 11. कूड़ा-करकट के ढेरो, गन्दे तालाबों, पोखरों, खाइयों, गढ़ों व खोखली जागाहों को भरना, सिचित क्षेत्र में पानी को इकट्ठा होने से रोकना तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सुधार करना। | 1. कृषि और बागवानी की प्रोन्ति और विकास। |
| 12. प्रसूति एवं शिशु कल्याण। | 2. बजार भूमियों का विकास। |
| 13. चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करना। | 3. चरागाहो का विकास और रख-रखाव और उनके अप्राधिकृत अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना। |
| 14. मनुष्यों तथा पशुओं के टीका लगाने के लिए प्रोत्साहन। | 4. पशुपालन, डेरी और कुकुट पालन |
| 15. नये भवनों के निर्माण तथा बर्तमान भवनों के विस्तार अथवा परिवर्तन का नियमन। | 1. चरागाह विकास। |
| 2. सार्वजनिक निर्माण कार्यों के क्षेत्र में- | 5. सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, ईधन और चारा |
| 1. जल भागों में अथवा ऐसे स्थानों और स्थलों में जो किसी को निजी सम्पत्ति न हो, और जो जनता के लिए खुले हुए हों, आने वाले अवरोध तथा उन पर इनके हुए हिस्सों को हटाना चाहे ऐसे स्थान पचायत में निहित हो अथवा सरकार के हो। | 1. गांव और जिला सङ्कों के पाश्वों पर और उसके नियन्त्रण के अधीन की अन्य लोक भूमियों पर वृक्षों पर रोपण और परिरक्षण। |
| | 2. ईधन रोपण और चारा विकास। |
| | 3. फार्म वानिकी की प्रोन्ति। |
| | 4. सामाजिक वानिकी और कृषिक पौधशालाओं का विकास। |

- 2 सार्वजनिक मार्गों, नालियों, बांधों तथा पुलों का निर्माण एवं सधारण तथा मरम्मत किन्तु शर्त यह है कि ऐसे मार्गों, नालियों, बांधों और पुलों के कार्य अन्य सार्वजनिक अधिकारी की स्वीकृति के बिना हाथ में नहीं लिये जायेंगे।
- 3 पचायतो में निहित या उनके नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक भवनों, चरागाहों, बन भूमियों, जिनमें राजस्थान बन अधिनियम 1953 (राजस्थान अधिनियम 13 सन् 1953) की धारा 28 के अन्तर्गत सौंपी गई बन भूमियों सम्मिलित हैं, तालाबों तथा कुओं (सिचाई के उपयोग में आने वाले तालाब तथा कुओं के अलावा) का सधारण तथा उनके प्रयोग का नियमन।
- 4 पचायत क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था।
- 5 पचायत क्षेत्रों में मेटो, बाजारो, क्रय-विक्रय स्थानों, हाटों, ताँग स्टेप्डो तथा गाड़ियों के रहने के स्थानों का नियमन एवं नियन्त्रण (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा पचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है)।
- 6 शराब को दुकानों तथा बूचड़-खानों का नियमन तथा नियन्त्रण।
7. सार्वजनिक मार्गों तथा क्रय-विक्रय स्थानों, एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में घेड़ लगावाना तथा उनका सधारण और परीक्षण।
- 8 आवारा और स्वामी विहीन कुत्तों को समाप्त करना।
- 9 धर्मशालाओं का निर्माण एवं सधारण।
- 10 स्नान करने या कपड़े धोने के ऐसे घाटों का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।
- 6 खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :
- 1 ग्रामों और कुटीर उद्योगों को प्रोन्त करना।
 - 7 ग्रामीण आवास :
 - 1 अपनी अधिकारिता के भोतर मुक्त आवास स्थलों का आवटन।
 - 2 आवासों, स्थलों और अन्य प्राइवेट तथा लोक-सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख रखना।
8. पेय जल -
- 1 पेयजल कुओं, जलाशयों और तालाबों का सनिर्माण, मरम्मत और रख-रखाव।
 - 2 जल प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण।
 - 3 हैण्ड पम्पों का रख-रखाव और पम्प और जलाशय स्कीमें।
 - 9 सड़कें, भवन, पुलियाएं, पुल नींदाट, जलमार्ग और अन्य सचार साधन :
- 1 ग्राम सड़कों, नालियों और पुलियाओं का सनिर्माण और रख-रखाव।
 2. अपने नियन्त्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसके अनतरित भवनों का रख-रखाव।
 3. नावों, नौधाटों और जल मार्गों का रख-रखाव।
 10. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें लोक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख-रखाव समिलित है।
 11. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत :
1. गैर-परम्परागत ऊर्जा योजनाओं को प्रोन्ति और रख-रखाव,
 2. सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियों का, जिसमें गोबर गैस संयंत्र समिलित है, रख-रखाव,

- | | |
|---|--|
| 11. पचायत के मलवाहन सम्बन्धी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण एवं संधारण। | 3. विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार। |
| 12. शिविर मैदानों की व्यवस्था एवं उनका संधारण। | 12. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम |
| 13. काजी हाँड़ सो (Cattle compound) की स्थापना, नियन्त्रण एवं प्रबन्ध। | 1. अधिकारिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी जन-घेतना को और उसमें भागीदारी को प्रोन्त करना |
| 14. अकाल अवया अभाव के समय निर्माण कार्यों का आरम्भ, उनका संधारण तथा रोजगार की व्यवस्था। | 13. शिक्षा (प्राथमिक) |
| 15. ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो कि निर्धारित किये जावें, आवादी स्थलों का विस्तार तथा भवनों का नियमन। | 1. समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए सोक घेतना प्रोन्त करना और ग्राम शिक्षा समितियों में भाग हेना, |
| 16. गोदामों की स्थापना और उनका संधारण। | 2. प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबन्ध में लड़कों का और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना। |
| 17. पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हेतु पोखरों की खुदाई एवं संधारण। | 14. ग्रौंड और अनौपचारिक शिक्षा |
| 3. शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में | ग्रौंड साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्त करना और उसका अनुबोधन। |
| 1. शिक्षा को प्रसार। | 15. पुस्तकालय |
| 2. अखाड़ो, क्लायों तथा भनोर्जन एवं खेलकूट के अन्य स्थानों की स्थापना एवं उनका संधारण। | ग्राम पुस्तकालय और धाचनालय। |
| 3. कला एवं संस्कृति की उन्नति के लिए विदेशीयों की स्थापना एवं उनका संधारण। | 16. सांस्कृतिक क्रियाकलाप : |
| 4. पुस्तकालयों एवं धाचनालयों की स्थापना एवं उनका संधारण। | सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्त करना। |
| 5. सार्वजनिक रेडियो सेट्स एवं ग्रामफोनो का संग्राहन। | 17. याजार और मेले - |
| | मेलो (पशु मेलो सहित) और उत्सवों का आयोजन। |
| | 18. ग्रामीण स्वच्छता |
| | 1. सामान्य स्वच्छता रखना |
| | 2. सोक मड़कों, नालियों, जलाशयों कुओं और अन्य सोक स्थानों की सफाई, |

6. पचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं नैतिक उत्थान करना, जिसमें स्थिति में सुधार, भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा जुआ एवं निरर्थक मुकदमेबाजी को निरस्ताहित करना सम्मिलित है।
4. आत्मरक्षा एवं पचायत क्षेत्र की सुरक्षा :
1. पचायत क्षेत्र और उसके अन्दर फसलों को चौकोदारी का प्रबन्ध, किन्तु शर्त यह है कि चौकोदारी का व्यव्य, पचायत द्वारा पचायत क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों से और ऐसे ढग से लिया एवं बसूल किया जायेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।
 2. कष्ट कारक (Offensive) एवं खतरनाक व्यापारों अथवा व्यवहारों का नियम एवं सन्तुति।
 3. आगजनी होने पर आग बुझाने में सहायता करना तथा उसके जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
 5. प्रशासन के क्षेत्र में :
 1. भू-गृहादि पर अक संगाना।
 2. जनगणना करना।
 3. पचायत क्षेत्र के कृषि एवं कृषि भिन्न उत्पादन की वृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाना।
 4. ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में आने वाली रसद एवं वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण तैयार करना।
3. शमशान और कब्रिस्तान भूमियों का रख-रखाव और विनियमन,
4. ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पाङ्कों और स्नान स्थलों और सोकपिटों इत्यर्दि का सन्निर्भास और रख-रखाव,
5. अदावकृत शब्दों और जीव-जन्म शब्दों का निपटारा,
6. धोने और स्नान के घटों का प्रबन्ध और नियन्त्रण।
19. लोक स्यास्थ्य और परिवार कल्याण:
1. परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,
 2. महामारी की रोक और उपचार के उपाय,
 3. मास, मछली और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन,
 4. मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना,
 5. खाने और मनोरजन के स्थानों का अनुज्ञान,
 6. आवारा कुत्तों का नाशन,
 7. खालों और चमड़ों के सस्तकरण, चर्मशोधन और रगाई का विनियमन,
 8. आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का विनियमन।
20. महिला और बाल विकास :
1. महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना,
 2. विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोनेत करना।
21. विकलांगों और मंदद्वयित्रिवालों के कल्याण सहित समाज कल्याण :

- | | |
|--|---|
| 5. एक ऐसे माध्यम में कार्य को करना जिससे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता प्राप्त क्षेत्र में पहुँच जाये। | 1. विकलाणों, मदबुद्धि वालों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना। |
| 6. सर्वेषण करना। | 22. कमज़ोर दर्दों और विशेषतया अनु-सूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण |
| 7. पशुओं के खड़े रहने के स्थानों, खालियानों, चरागाहों तथा सामुदायिक भूमियों का नियन्त्रण। | 1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े दर्दों और अन्य कमज़ोर दर्दों के सम्बन्ध में जन-जागृति को प्रोत्तृत करना। |
| 8. मेलों, तीर्थयात्राओं तथा रथोहारों (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार आज्ञा प्राप्तायत समिति द्वारा नहीं किया जाता हो) स्थापना, संधारण तथा नियमन। | 23. लोक विकास व्यवस्था - |
| 9. योजनाएँ से सम्बन्धित आँकड़े तैयार करना। | 1. आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जन-जागृति को प्रोत्तृत करना। |
| 10. जिन शिकायतों का प्राप्त निरीक्षण नहीं कर सके, उनके बारे में समुपयुक्त प्राधिकारी को रिपोर्ट करना। | 2. लोक वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण। |
| 11. पचायत अभिलेखों को तैयार करना, उनका संधारण एवं देखभाल। | 24. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव |
| 12. जन्मों तथा विदाहों का ऐसी रीतियों से तथा ऐसे प्रपत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निपित सामान्यतया विशेष आज्ञा द्वारा निर्धारित किये जाएं, परिज्ञन (रेजिस्ट्रेशन) करना। | 1. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव, |
| 13. पचायत क्षेत्र में स्थित गाँवों के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना। | 2. अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिक्षण और रख-रखाव। |
| 14. जनकल्याण के क्षेत्र में | 25. धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का सन्निर्माण और रख-रखाव। |
| 1. भूमि सुधार योजनाओं को कार्यान्वयन करने में सहायता करना। | 26. पशुओं, पोखरों और गाड़ी स्टेण्डों का सन्निर्माण और रख-रखाव। |
| 2. अपगों, निराश्रितों तथा रोगियों को राहत दिलाना। | 27. बूचड़खानों का सन्निर्माण और रख-रखाव। |
| 3. देवी-प्रकाप के समय क्षेत्र के निवासियों की सहायता करना। | 28. लोक उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रख-रखाव। |
| | 29. लोक स्थानों के खाद के गढ़ों का विनियमन। |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <p>4 पचायत क्षेत्र में भूमि तथा ससाधनों के सहकारी प्रबन्ध को व्यवस्था करना और सामूहिक खेती, क्रृषिदात्री समितियों तथा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का संगठन।</p> <p>5 राज्य सरकार को पूर्व अनुमति से बजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और ऐसी भूमि पर खेती करवाना।</p> <p>6 सामुदायिक कार्यों तथा पचायत क्षेत्र के उन्नति कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम को आयोजित करना।</p> <p>7 सस्ते भाव की दुकान खोलना।</p> <p>8 परिवार नियोजन का प्रचार करना।</p> <p>9 कृषि तथा परीक्षण के क्षेत्र में</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 कृषि उन्नति तथा आदर्श कृषि फार्मों को स्थापना। 2 धान्यागारों (Grainaries) को स्थापना। 3 राज्य सरकार द्वारा पचायत में निहित बजर तथा पड़त भूमियों पर खेती करवाना। 4 कृषि उपज बढ़ाने को दृष्टि से पचायत क्षेत्र में कृषि के न्यूनतम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। 5 खाद के सधारणों का सरक्षण करना, मिश्रित खाद (compost) तैयार करना और खाद की विक्री करना। 6 उन्नत बीजों के लिए पौधधर (नर्सरीज) स्थापित करना तथा उनका सधारण करना और औजारों तथा सामान्य (स्टोरेज) के लिये व्यवस्था करना। 7 उन्नत बीजों का उत्पादन तथा प्रयोग। 8 सहकारी कृषि को प्रोत्साहन। 9 फसल-परीक्षण तथा फसल रक्षा। | <p>30 शराब की दकानों का विनियमन।</p> |
|--|--------------------------------------|

- 10 छोटे सिचाई कार्य जिसमें पचास एकड़ से अधिक भूमि में सिचाई नहीं होती हो और जो पचायत समिति के कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हो।
 - 11 ग्राम बनो का वर्धन परीक्षण तथा सुधार।
 - 12 डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन।
 - 8 पशु अभिजनन तथा पशु रक्षा के क्षेत्र में
 - 1 पशु सुधार तथा पशु नस्ल सुधार और पशु-धन की सामान्य देखभाल जिसके तहत जानवरों की चिकित्सा तथा उनमें रोग फैलने की रोकथाम सम्मिलित है।
 - 2 नस्ली साड़ रखना और उनका पालन करना।
 - 9 ग्राम उद्योग के क्षेत्र में
 - 1 कुटीर तथा ग्राम ठाड़ोगो का विकास उनमें सुधार तथा प्रोत्साहन।
 - 10 विविध कार्य
- 1 विद्यालयों के भवनों तथा उनसे अनु यन्थित समस्त भवनों का निर्माण तथा उनको मरम्मत करना।
 - 2 प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आवासों का निर्माण कराना।
 - 3 भारत सरकार के डाक-विभाग के लिए और उसकी ओर से उस विभाग के साथ तय हुई शर्तों पर डाक सेवा हाथ में देना तथा निष्पादित करना।
 - 4 जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा कारोबार प्राप्त करना।
 - 5 अधिकर्ता के रूप में या अल्पबद्धत ग्रामाण-पत्रों को बिक्री।

उपर्युक्त सारणी में प्रदर्शित दोनों प्रारूपों के कृत्य समान हैं।

असमानताएँ

पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान सशोधन पूर्व एवं 73वें संविधान सशोधन प्रदत्त प्रारूप में असमानताएँ अग्राकित हैं—

सारणी-5 8
ग्राम पंचायत के कार्य
[असमानताएँ]

क्र.	प्रारंभन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1	पूर्ववर्ती प्रारूप में जहाँ कार्य 10 शोर्षकों में विभक्त थे।	1	नवीन प्रारूप में कार्यों को 32 शोर्षकों में विभक्त कर दिया गया है।
2	सार्वजनिक स्थानों पर रेडियो, टी वी एवं सचार शिक्षा के अन्य साधनों को लगाना व उनका रख-रखाव।	2	नवीन प्रारूप में यह कार्यसूची में शामिल नहीं है।
3	विविध कार्य : जैसे जीवन बीमा सामान्य बीमा करवाना। भारत सरकार की डाक सेवाओं में सहायता करना, एजेट के रूप में या अन्यथा अल्पवचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री।	3	साधारण कृत्य : पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, गाँवों की आवश्यक साधियकी रखना।
4	पुरातन प्रारूप में यह कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं है।	4	मत्स्य-पालन : गाँवों में मत्स्य-पालन का विकास।
5	—उपर्युक्त—	5	लघु सिचाई : 50 एकड़ तक सिचाई करने वाले जलाशयों का नियन्त्रण एवं रख-रखाव।
6	—उपर्युक्त—	6	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग : ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों, सेमीनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन।
7	—उपर्युक्त—	7	पेयजल : जल-प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण हैण्डपो का रख-रखाव और पम्प और जलाशय योजनाएँ।
8	—उपर्युक्त—	8	ग्रामीण विद्युतीकरण : जिसमें लोकमानों और उसका रख-रखाव सम्मिलित है।
9	—उपर्युक्त—	9	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत + गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की उन्नति व रख-रखाव, गोबर, गैस, सौर-ऊर्जा, विकसित चूल्हे आदि।

10 —उपर्युक्त—

10 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ग्रामसभा के माध्यम से हिताधिकारियों की पहचान तथा उसको क्रियान्वयन एवं अनुबोधण (मॉनीटरिंग)।

11 —उपर्युक्त—

11 शिक्षा (प्राथमिक) विद्यालयों में तथा प्रबन्ध में लड़कों तथा विशेषत लड़कियों का नामांकन सुनिश्चित करना।

12 पुरातन प्रारूप में यह कार्यसूची में शामिल नहीं है।

12 प्रौढ़ सहायता कार्यक्रम को उन्नत करना और अनुबोधण (मॉनीटरिंग)।

13 —उपर्युक्त—

13 महिला एवं बाल विकास के तहत आँगनबाड़ी केन्द्रों का विकास करना।

14 —उपर्युक्त—

14 वृद्ध और विधवा पेशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना।

15 —उपर्युक्त—

15 लोक वितरण व्यवस्था का अनुबोधण (मॉनीटरिंग) करना।

उपर्युक्त सारणी से ज्ञातव्य है कि जहाँ पूर्ववर्ती प्रारूप के आराधिक तीन कार्यों की सूची चिन्हकुल अलग है वहाँ कार्य न 4 से 15 तक सारणी में नवीन प्रारूप के तहत जिन शीर्षकों के कार्यों का उल्लेख किया गया है वे पूर्ववर्ती प्रारूप की कार्यसूची में नहीं हैं।

इस प्रकार नवीन प्रारूप में शीर्षकों के तहत कुछ नवीन कार्यों को जोड़ कर कुछ नवीन जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जो उसे पुरातन प्रारूप से कुछ अलग प्रदर्शित करती हैं। उपर्युक्त सारणी में नवीन प्रारूप में 16वें न पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य पुरातन पचायती राज व्यवस्था में पचायती को अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्यसूची में शामिल थे जिनकी प्रकृति अब बदल दी गई है।

पचायत समिति

संरचना एवं गठन के दृष्टिकोण से 73वें पचायती राज अधिनियम के अनुसार 1994 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन पचायत समिति प्रारूप में पूर्ववर्ती प्रारूप को तुलना में व्यापक बदलाव किया गया है। कार्यों की दृष्टि से हालांकि कम परिवर्तन परिलक्षित होता है। सांगठनिक दृष्टि से पचायत समिति के नवीन एवं पुरातन प्रारूपों में अन्तर अग्रोल्लेखित है—

सारणी-5 9

पचायत समिति का गठन

[समानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	प्रधान का अप्रत्यक्ष निर्वाचन बहुमत द्वारा।	1	प्रधान का अप्रत्यक्ष निर्वाचन बहुमत द्वारा।
2	उपप्रधान का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से होता है। (सदस्यों में से)	2	उपप्रधान का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा सदस्यों में से बहुमत द्वारा।

3 पचायत समिति के क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र का विधायक पदेन सदस्य।	3 पचायत समिति के क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र का विधायक पदेन सदस्य।
4 कार्यों की सुविधा हेतु समिति व्यवस्था।	4 कार्यों की सुविधा हेतु समिति व्यवस्था।
5 प्रधान के छिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान।	5 प्रधान के छिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान।

राजस्थान में पचायत समिति सरचना के सन्दर्भ में पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों में कार्यों लघु अन्तर है जैसाकि उपर्युक्त चार्ट एवं सारली से प्रतीत होता है कि प्रधान का निर्वाचन दोनों प्रारूपों में पचायत समिति सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान से एवं बहुमत द्वारा किया जाता है। उपप्रधान का चुनाव भी गुप्त मतदान से पचायत समिति सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाता है।

दोनों ही प्रारूपों में उस पचायत समिति क्षेत्र में आने वाले विधान सभा क्षेत्र का विधायक पदेन सदस्य होता है। प्रधान की सहायता एवं पचायत समिति में कार्यों की सुविधा के दृष्टिकोण से समिति व्यवस्था दो प्रारूपों में मौजूद हैं। इस प्रकार प्रधान के छिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं में भी था और नवीन व्यवस्था में भी है। ये कुछ समानताएँ दोनों प्रारूपों में परिलक्षित होती हैं—

सारणी-5 10 पंचायत समिति का संगठन

[असमानताएँ]

क्र	पुरातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
1	पचायत समिति का गठन अधिनियम द्वारा पारित।	1	पचायत समिति को संवैधानिक दर्जा।
2	पचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का प्रावधान नहीं पचायत क्षेत्रों में विभाजन।	2	पचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित।
3	पचायत समिति में सरपच, पच, विधायक (पदेन सदस्य) सहवरित सदस्य, ग्रामसभा अध्यक्ष (ग्राम दानी) सहकारी समितियों के अध्यक्ष होते हैं। (अप्रत्यक्ष निर्वाचित व मनोनीत सदस्य)	3	पचायत समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य होता है।
4	पचायत समिति का अनिश्चित कार्यकाल।	4	पचायत समिति का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल।

- | | |
|---|--|
| 5 पदेन सदस्य (विधायक) को प्रधान के निर्वाचन में मताधिकार। | 5 पदेन सदस्य (विधायक) को प्रधान के निर्वाचन में मताधिकार नहीं। |
| 6 सरपच पचायत समिति को मताधिकार सहित सदस्य। | 6 सरपच के बल बैठकों में आमन्त्रित मताधिकार व सदस्यता नहीं। |
| 7 प्रधान के खिलाफ अविश्वास 2/3 बहुमत से 6 माह पहले नहीं साया जा सकता है। | 7 प्रधान के खिलाफ प्रस्ताव पदग्रहण करने के 2 वर्ष पूर्व नहीं लाया जा सकता। |
| 8 अप्रत्यक्ष निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रधान का बहुमत से निर्वाचित। | 8 प्रत्यक्ष निर्वाचित पचायत समिति सदस्यों में से बहुमत द्वारा प्रधान का चुनाव। |
| 9 निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण नहीं सहवरण, सह-सदस्यता। | 9 निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। |
| 10 आरक्षित यांगों का क्षेत्र एवं कोटा एवं आरक्षण तय नहीं। | 10 आरक्षित यांगों का क्षेत्र व कोटा एवं आरक्षण तय। |
| 11 प्रधान पद के आरक्षण का प्रावधान नहीं। | 11 प्रधान पद के आरक्षण का प्रावधान। |
| 12 आरक्षण का प्रावधान नहीं (पदेन, मनोनयन, सहवरण, सह-सदस्य) | 12 आरक्षण का प्रावधान सॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार (महिला, अ जाति, अ जनजाति व पिछड़ा वर्ग)। |
| 13 चुनाव की समय सीमा निश्चित नहीं। | 13 चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष या पंचायत समिति भग होने के 6 माह के अन्दर करवाना निश्चित व अनिवार्य। |
| 14 उपप्रधान का चुनाव सहबूत, सह-सदस्य, सरपच, पच व ग्रामदानी ग्राम-सभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा। | 14 उपप्रधान का चुनाव खेल निर्वाचित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बहुमत से। |
| 15 प्रधान जिला परिषद् का मताधिकार सहित सदस्य। | 15 प्रधान जिला परिषद् की बैठकों में आमन्त्रित मात्र सदस्यता व मताधिकार नहीं। |
| 16 अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर उपप्रधान को प्रधान बनाने का प्रावधान नये प्रधान घनने तक। | 16 अविश्वास द्वारा हटाये जाने पर जिस वर्ग का प्रधान का पद है उसी वर्ग का प्रधान पुनः बनाये जाने का प्रावधान। |

पचायत समिति सहवरित सदस्य तभी लिये जायेंगे जबकि इसका कोई सदस्य चुनकर नहीं आया हो (पूर्ववर्ती प्रारूप में) उपर्युक्त सारणी से जात है कि 73वें पचायती राज संविधान संशोधन के पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत 1994 के पंचायती राज अधिनियम द्वारा पूर्ववर्ती प्रारूप में व्यापक फेरबदल किये गये जो 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप किये गये जैसे पूर्ववर्ती प्रारूप में जहाँ 1959 के पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम पर

आधारित था। प्रारूप भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र मे समान रूप से लागू 73वें संविधान सशोधन के अनुरूप पचायत समिति मे निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान नहीं था जबकि नवीन व्यवस्था विभिन्न समिति को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पहले पच, सरपच, सहवरित सदस्य, सहसदस्य, पदेन सदस्य, ग्रामदानी ग्रामसभाओं से निर्वाचित सदस्य पचायत समिति के सदस्य हुआ करते थे लेकिन अब पचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित व्यक्ति ही पचायत समिति के सदस्य है। पूर्व में पचायत समिति का कार्यकाल अनिश्चित था जबकि नवीन व्यवस्था मे इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया है। पहले विधानसभा सदस्य जो उस पचायत समिति क्षेत्र में आता था।

पचायत समिति का भताधिकार के साथ पदेन सदस्य था जबकि अब वह पदेन सदस्य तो है लेकिन भताधिकार के साथ नहीं। पूर्ववर्ती व्यवस्था मे सरपच पचायत समिति के भताधिकार के साथ सदस्य थे लेकिन नवीन व्यवस्था में वे केवल बैठकों में आमन्त्रित सदस्य भाग्र है। पहले प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से 6 माह पूर्व नहीं लाया जा सकता था लेकिन नवीन नियमों में पद-प्रहण करने के दो वर्ष से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पूर्व व्यवस्था में जहाँ पचायत समिति सदस्यों यथा सरपच, पच, सहवरित सदस्य, सहसदस्य, पदेन सदस्य तथा ग्रामदानी ग्रामसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रधान का निर्वाचन बहुमत से किया जाता था जबकि नवीन प्रारूप में पचायत समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचित (डायरेक्टर्स) द्वारा अपने मे बहुमत से प्रधान व उपप्रधान का निर्वाचन करने का प्रावधान है।

पहले अनु जाति, अनु जनजाति व महिला वर्ग के सदस्यों के सहवरण की व्यवस्था थी लेकिन अब इन वर्गों के लिए पचायत समिति क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया है तथा पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पहले आरक्षित वर्गों का क्षेत्र व कोटा था लेकिन नई व्यवस्था में आरक्षण का क्षेत्र व कोटा दोनों निश्चित किया गया है। पुरानी व्यवस्था में प्रधान के पद के आरक्षण का प्रावधान नहीं था लेकिन अब प्रधान का पद भी लॉटरी व्यवस्था द्वारा चक्रक्रमानुसार आरक्षित कर दिया गया है। पूर्ववर्ती व्यवस्था आरक्षण रहित थी जबकि नवीन व्यवस्था में लॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पहले चुनाव की समय सौमा निश्चित नहीं थी सब कुछ राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर था जबकि नवीन प्रारूप मे 5 वर्ष या पचायत समिति भग होने के 6 माह में चुनाव अनिवार्यतः करवाने का कानूनी प्रावधान किया गया है। पुरानी व्यवस्था में प्रधान जिला परिषद् का भताधिकार के साथ सदस्य था लेकिन नई व्यवस्था में वह केवल बैठकों में आमन्त्रित सदस्य के रूप में रह गया है। प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर पूर्व में उपप्रधान प्रधान बना दिया जाता था। नये प्रधान के निर्माण तक लेकिन नये प्रावधानों के तहत जिस वर्ग का प्रधान हटाया गया है उसी वर्ग का पचायत समिति सदस्य प्रधान बनाया जायेगा न कि उपप्रधान।


गवर्नरने में पंचायत समिति का सम्बन्धात्मक आगे ख

[पूर्ववर्ती प्रारूप]

ओरु 5.5


* पंचायत समिति संसदन

[पूर्ववर्ती प्रारूप]



* राजसभा में 1959 के पंचायत प्रारूप के अनुसार पंचायत की संसदन।

राजस्थान में पचायत समिति का संगठनात्मक आरेख
[नवीन प्रारूप]



* पचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार पचायत समिति की सरचना

पंचायत समिति के कार्य

राजस्थान सरकार ने हल्के से परिवर्तनों के पश्चात् पंचायत समिति के कार्यों में शीर्षक संख्या बढ़ाकर पूर्ववर्ती कार्यों को यथावत् रखा गया है। अतः, कार्यों में समानता अधिक असमानता नाममात्र की रह गई है। हालांकि दोनों प्रारूपों के मध्य कार्यों की समानता एवं असमानता स्पष्ट करना शोधापेक्षित है, जो अग्रोल्लेखित है—

सारणी-5 11 पंचायत समिति के कार्य

[असमानताएँ]

क्र.	पुरातन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1	पुरातन व्यवस्था में पंचायतों के कार्य 17 शीर्षकों में विभक्त थे।	1	पंचायत समिति के पूर्ववर्ती कार्यों को नवीन व्यवस्था के तहत 29 शीर्षकों में विभक्त कर दिया गया।
2	सामाजिक शिक्षा के तहत सुवक सागरनों वी स्थापना, ग्रामदासियों तथा ग्राम साधियों के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओं के उपयोग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महिलाओं और आलकों के बीच काम करना।	2	कृषकों का प्रशिक्षण और प्रसार क्रियाकलाप।
3	ये कार्य पूर्ववर्ती प्रारूप में नहीं थे।	3	जल प्रदूषण का नियारण एवं नियन्त्रण ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का क्रियान्वयन।
4	—उपर्युक्त—	4	गैर-परम्परागत कर्ज सोत सौर प्रकाश पर्यन आदि युक्तियों की प्रोन्ति और रख-रखाव।
5	—उपर्युक्त—	5	पशु औष सहित दुर्घटना, अग्नि, मृत्यु आदि के मामलों में सामाजिक योग्य दावे तैयार करने और उनके सदाय में सहायता करना।

उपर्युक्त सारणी पंचायत समिति के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों के मध्य कार्यों को असमानता के अल्प-संकेत दे रही है जैसे पहले पंचायत समिति को दिये गये राजस्थान सरकार द्वारा कार्य 17 शीर्षकों में विभक्त थे जबकि नवीन पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्हीं कार्यों का 29 शीर्षकों में विभक्त कर नवीन भाषा विन्यास के साथ पंचायत समितियों को साँप दिये गये।

इसके अतिरिक्त कुछ शीर्षकों में नये कार्य जोड़ दिये जारे—नवीन प्रारूप में तथा कुछ रखा दिये गये। जैसे पुरातन प्रारूप में जहाँ सामाजिक शिक्षा के तहत मुक्त सागरनों की स्थापना

तथा ग्रामवासियों एवं ग्राम साधियों के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओं के उपयोग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महिलाओं एवं बालकों के बीच काम करना। यह कार्य नवीन व्यवस्था में पचायत समितियों को नहीं सौंपा गया। इसके नवीन प्रारूप में राज्य सरकार ने पचायत समितियों को कृषकों के प्रशिक्षण तथा कृषि प्रसार के क्रियाकलापों की जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रामीण स्वच्छता के तहत जल प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण तथा ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं के कार्यान्वयन को करना।

ऊर्जा समस्या के समाधान पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों जैसे—सौर-ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि युक्तियों को प्रोन्ति तथा रख-रखाव का जिम्मा पचायत समितियों को अतिरिक्त सौंपा है। पशु बीमा, दुर्घटना, अग्नि, मृत्यु आदि सामाजिक दावे तैयार करने तथा उनके सदाय में सहायता कार्य भी नवीन हो है जो पूर्ववर्ती व्यवस्था में नहीं था। इस प्रकार कार्यों को दृष्टि से ज्यादा असमानता दिखाई नहीं देती है। यह प्रकोण कार्यों के शोर्पंक में अतिरिक्त कार्य नई व्यवस्था के तहत जोड़ा गया है।

सारणी-5 12

पंचायत समिति के कार्य

[समाजनकार्य]

क्र. पुरातन प्रारूप	क्र. नवीन प्रारूप
<p>1 सामुदायिक विकास</p> <p>1 अधिक, नियोजन, उत्पादन तथा सुख-सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ग्राम सम्पादकों का समर्पण।</p>	<p>1 साधारण कृत्य :</p> <p>1 अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या जिला परिषद् द्वारा समानुदेशित योजनाओं के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें जिला योजना के साथ एकीकृत करने के लिए विहित समय के भीतर जिला परिषद् को प्रस्तुत करना।</p>
<p>2 पारस्परिक सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित ग्राम समुदाय में आत्मसहाय तथा स्वावलम्बन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना।</p>	<p>2 पंचायत समिति क्षेत्र की सभी पंचायतों की व्यार्थिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समेकित करना और जिला परिषद् को समेकित योजना प्रस्तुत करना।</p>
<p>3 समुदाय की भलाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम में नहीं लिए जाने वाले समय तथा शक्ति का प्रयोग।</p>	<p>3 पंचायत समिति का व्यार्थिक बजट तैयार करना।</p>
<p>2. कृषि</p> <p>1. परिवार, ग्राम तथा खण्ड के लिए अधिक कृषि उत्पादन के लिए योजनाएं</p>	<p>4 ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें।</p>

- | | |
|--|---|
| बनाना तथा उनको पूर्य करना। | 5. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध करना। |
| 2. धूल तथा जल के साधनों का प्रयोग तथा नवीनतम शोध पर आधारित खेती की सुधारी हुई रीतियों का प्रसार। | 2. कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि। |
| 3. ऐसे सिचित कार्यों जिनकी लागत रु 25,000 से अधिक न हो, का निर्माण तथा संधारण। | 1. कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना। |
| 4. सिचाई के कुओं, बौधों एनीकटों तथा मेड-बंधों के निर्माण के लिए सहायता का प्राप्तान। | 2. बागवानी पौधशालाओं का रख-खाव। |
| 5. भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा कृषि भूमियों पर भू-संरक्षण। | 3. पंजीकृत बीज उगाने वालों को बीजों के वितरण में सहायता करना, |
| 6. बीज बृद्धि के फार्मों का संधारण—पंजीकृत बीज उत्पादकों को सहायता तथा बीज वितरण। | 4. खादों और उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना और उनका वितरण करना। |
| 7. फल तथा सब्जियों का विकास। | 5. खेती के समुन्नत तरीकों का प्रयोग करना। |
| 8. खादों तथा उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना तथा उनका वितरण। | 6. पौध संरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार नकदी फसलों का विकास करना। |
| 9. स्थानीय खाद-सम्बन्धी साधनों का विकास। | 7. सब्जियों फलों और फलों की खेती को प्रोन्नत करना। |
| 10. सुधारे हुए कृषि औजारों के प्रयोग, खरीद तथा निर्माण को बढ़ावा देना तथा उनका वितरण। | 8. कृषि के विकास के लिए साख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करना। |
| 11. पौधों की रक्षा। | 9. कृषकों का प्रशिक्षण और प्रसार क्रियाकलाप। |
| 12. राज्य योजना नीति के अनुसार व्यापारिक फसलों का विकास। | 3. भूमि सुधार और मृदा संरक्षण सरकार के भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना। |
| 13. सिचाई तथा कृषि के विकास के लिए उधार तथा अन्य सुविधाएँ। | 4. लघु सिचाई, जल-प्रबन्ध और जल-विभाजक विकास : |
| 3. पशु पालन | 1. सघु सिचाई कार्यों, एनिकटा, लिफ्ट |

- | | |
|--|--|
| 1 अभिजनन सोंडो की व्यवस्था करके शुद्ध साड़ों को बिधिया करके और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना तथा संधारण द्वारा स्थानीय पशुओं को क्रमोन्नति करना। | सिचाई, सिचाई कुओं, कच्चे बधों का निर्माण और रख-रखाव। |
| 2 दोर, भेड़ सूअर कुकुटादि तथा ऊंटों की सुधरी नस्लों को प्रस्तुत करना, इनके लिए सहायता देना तथा लघु आधार पर अभिजनन फार्मों को चलाना। | 2 सामुदायिक और वैयक्तिक सिचाई कार्यों का कार्यान्वयन। |
| 3 छूत की बोमारियों को रोकना। | 5 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम |
| 4 सुधरा हुआ चारा तथा पशु खाद प्रस्तुत करना। | गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जनजाति क्षेत्र विकास, परिवर्तित क्षेत्र का विकास उपायमन, अनुसूचित जाति विकास निगम योजनाओं आदि का आयोजन और कार्यान्वयन। |
| 5 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा छोटे पशु औषधालयों की स्थापना तथा संधारण। | 6 पशुपालन, डेरी और कुकुट पाठ, पशुपालन, डेरी और कुकुट पालन |
| 6 दुधशाताओं की स्थापना व दूध भेजने का प्रवन्ध। | 1 पशु चिकित्सा और पशु पालन सेवाओं का निरीक्षण और रख-रखाव। |
| 7 ऊन को श्रेणीबद्ध करना। | 2 पशु कुकुट और अन्य पशुधन की नस्ल का सुधार करना। |
| 8 शुद्ध दोर की समस्या सुलझाना। | 3 डेरी उद्योग, कुकुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति। |
| 9 पचायता के कन्नोल के अधीन तालाबों में मछली-पालन का विकास करना। | 4 समुन्नत चोर और दाने का पुनर्स्थापन। |
| 4 स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई | 7 मत्स्य पालन |
| 1 टोका लगाने के सहित स्वास्थ्य सेवाओं का संधारण तथा विस्तार और व्यापक रोगों की रोकथाम। | मत्स्य पालन विकास को प्रोन्नत करना। |
| 2 'पोने घोग्य सुरक्षित चानों' की सुविधाओं का प्रबन्ध। | 8 खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग |
| 3 परिवार नियोजन। | 1 ग्रामोण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना। |
| 4 औषधालय दवाखाना डिस्पेन्सरियों, प्रसूति-केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण। | 2 सम्मेलनों, गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन। |

5. व्यापक स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाना तथा (क) आहार पीटिकता (ख) प्रसूति तथा शिशु तथा (ग) दृढ़ की बीमारियों के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करना।

5. शिक्षा

1. अनु जातियों और अनु जनजातियों के चलाए जाने वाले विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक विद्यालय।

2. प्राथमिक पाठशालाओं की बुनियादी पद्धति में परिवर्तन।

3. प्राथमिक स्तरों तक छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ जिसमें अनु जातियों, अनु जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों के लिए छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ सम्मिलित हैं।

4. बच्चों की शिक्षा का विकास करना तथा शाला-भातों (स्कूल-मदर्स) का नीकरी में रेखा जाना।

5. कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ तथा बजीफे देना।

6. अध्यापकों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करना।

6. समाज शिक्षा

1. सूचना सामुदायिक विनोद केन्द्रों की स्थापना।

2. मुबक सगठनों की स्थापना।

*3 पुस्तकालयों की स्थापना।

3. प्रास्टर शिल्पी से, और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में बरोजगार ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण।

4. बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाना।

9. ग्रामीण आवासन :

आवासन योजनाओं का कार्यान्वयन और आवास उधार किसी वी वसूली।

10. पेय जल :

1. हैंड पम्पों और पंचायती की पम्प और जलाशय योजनाओं को मॉनीटर करना, उनकी मरम्मत और रख-रखाव।

2. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं और नियन्त्रण।

3. जल प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण।

4. ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का कार्यान्वयन।

11. सामाजिक और फार्म वानिकी, ईधन और चारा :

1. अपने नियन्त्रण के अधीन की सड़कों के पार्श्वों और अन्य लोक भूमियों पर, विशेषतः चरागाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिसंरक्षण।

2. ईधन रोपण और चारा विकास।

3. फार्म वानिकी की प्रोनति।

4. बजा भूमि विकास।

* 4 ग्राम काकियों तथा ग्राम साधियों के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओं के उपयोग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महिलाओं और बालकों के बीच काम करना।

5. प्रौढ़ शिक्षा।

7. सचार साधन

अतः पचायत साधन सड़कों तथा ऐसी सड़कों पर पुलियों का निर्माण तथा निर्धारण।

8. सहकारिता

- 1 सेवा सहकारी समितियों, औद्योगिक, सिचाई, कृषि तथा अन्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना में तथा उन्हें शक्तिशाली बनाने में सहायता देकर सहकारी कार्य को प्रोत्साहित करना।
- 2 सेवा-सहकारी संस्थाओं में भाग लेना तथा उन्हें सहायता देना।

9. कुटीर उद्योग :

- 1 रोजी कमाने के अधिक अवसर देने के लिए तथा गाँवों में आम्य-निर्भरता को बढ़ाने के लिए कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास।
- 2 उद्योग तथा नियोजन सम्बन्धी सम्भाव्य साधनों का सर्वेक्षण।
- 3 उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
- 4 कारोगरों तथा शिल्पकारों को कुशलता को बढ़ाना।
- 5 सुधरे हुए औजारों को लोकप्रिय बनाना।

12. सड़के, भवन, पुलियाएं, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य सचार साधन :

1 ऐसी लोक सड़कों, नालियों, पुलियों और अन्य सचार साधनों का, जो किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियन्त्रण के अधीन नहीं है, निर्माण और रख-रखाव।

2 पचायत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पत्ति का रख-रखाव।

3 नावों, नौघाटों और जलमार्गों का रख-रखाव।

13. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत :

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विशेषतः सौर प्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियों की प्रोत्साहनी और रख-रखाव।

14. प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा :

- 1 सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा, विशेषतः बालिका शिक्षा का सचालन।
- 2 प्राथमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवासों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव।

3 युवा कलबों और महिला भण्डलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की प्रोत्साहनी।

4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के गरोव विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों, छात्रवृत्तियों, पोशाकों और अन्य प्रोत्साहनों का वितरण।

15. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :

10. पिछड़े बर्गों के लिए कार्य :

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े बर्गों के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों का प्रबन्ध।
2. समाज कल्याण के स्वयंसेवी सगठनों को मजदूर बनाना तथा उनको गतिविधियों का समन्वय करना।

11. आपातिक सहायता :

आग, घाढ़, महामारियों तथा अन्य व्यापक प्रभावशाली आपदाओं की दशा में आपातिक सहायता का प्रबन्ध।

12. औंकड़ों का संग्रह :

ऐसे औंकड़ों का संग्रह तथा संकलन जो कि पचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जावे।

13. न्यास

*ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए न्यासों का प्रबन्ध जिसके, जिला पचायत समितियों की निधि का प्रयोग किया जाय।

14. घन

1. ग्राम घन।
2. चारी-बारी से चराई।

15. ग्राम भवन का निर्माण :

16. प्रचार

1. सामुदायिक रूप से सुनने की योजना।
2. प्रदर्शनियाँ।
3. प्रकाशन।

ग्रामीण शिल्पों और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति।

16. ग्रौढ़ और अनीपवारिक शिक्षा :

1. सूचना, सामुदायिक मनोरजन केन्द्रों और पुस्तकालयों की स्थापना।

2. ग्रौढ़ साक्षरता का क्रियान्वयन।

17. सास्कृतिक क्रियाकलाप :

सामाजिक और सास्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनियों, प्रकाशनों की प्रोन्नति।

18. बाजार और मेले :

पश्च मेलों सहित मेलों और उत्सवों का विनियमन।

19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मानीटर करना।

3. मेलों और उत्सवों पर स्वास्थ्य और स्वच्छता।

4. औषधालयों (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों आदि का नियन्त्रण और नियन्त्रण।

20. महिला और बाल विकास :

1. महिला और बाल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,

2. एकीकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषणाहार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,

17. विविध

- पंचायतों की समस्त गतिविधियों का पदवेक्षण तथा उनका पर्याप्त एवं ग्राम व पंचायत योजनाओं का निर्माण।
- घृणास्पद, भयानक अधवा हानिकर, व्यापारों, धन्यों तथा रिवाजों का नियमन।
- गन्दी बस्तियों का मुनरद्दर।
- हाटों तथा सार्वजनिक संस्थाओं—उदाहरणार्थ सार्वजनिक पाकों, बांगों, फलोदानों व फार्मों जादि की स्थापना, प्रबन्ध, संधारण तथा निरोक्षण।
- रंगमंचों की स्थापना तथा प्रबन्ध।
- छण्ड में स्थित दरिद्रालयों, आश्रमों, अनाधालयों, पशु-चिकित्सालयों तथा अन्य संस्थाओं का निरीक्षण।
- अल्प बचत तथा बोना के जरिये नित्य-व्यविधि को प्रोत्साहन।
- लोक कला तथा संस्कृति को प्रोत्साहन।
- पंचायत समिति के मेलों का आयोजन एवं प्रबन्ध।
- डाक तथा तार विभाग के अप्रतिदेय अभिदाय के शुगतान का उपबन्ध करके पंचायत समितियों के किसी भी ग्राम में जहाँ कहाँ भी आवश्यक हो तथा जहाँ पंचायत समुचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐता करने से असमर्थ हो, प्रयोगाल्पक डाक-घरों सम्बन्धी डाक सुविधाएँ सुनिश्चित करता।

3. महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोत्साहन करता;

4. जारीदिक विकास के लिए ग्रान्टों हेत्रों में महिला और बाल विकास समूह बनाना और सम्बन्धी के उपाय तथा विचार में सहायता करता।

21. विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण :

- विकलांगों, मंदबुद्धि वालों और निराक्रियों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम;
- बुद्ध और विद्यवा पेशन और विकलांग पेशन मंडूर करना।

22. कमज़ोर बर्गों और विशिष्टतः अनु-सूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े बर्गों का कल्याण :

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े बर्गों और अन्य कमज़ोर बर्गों के कल्याण की प्रोत्साहिति;
- ऐती जातियों और बर्गों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षा करना।

23. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव :

- अपने में निहित या सरकार द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राचीनकरण या संगठन द्वारा अन्तरित सभी सामुदायिक जातियों का रख-रखाव;
- अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख-रखाव।

24. सांख्यिकी :

ऐती सांख्यिकी का संग्रहण और संकलन जो पंचायत समिति, दिलापरिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पात्र जाने।

25 आपात सहायता

अग्नि बाढ़ यहामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले में।

26 सहकारिता

सहकारी गतिविधियों को सहकारी समितियों की स्थापना और सुदृढीकरण में सहायता करके प्रोन्नत करना।

27 पुस्तकालय

पुस्तकालयों का विकास।

28 पचायत का उनके सभी क्रियाकलापों और गाँव और पचायत योजनाओं के निर्माण में धर्यवेक्षण और मार्गदर्शन।

29 प्रक्रीया

- 1 अल्प बचतों और बीमा के माध्यम से मित्रव्ययता को प्रोत्साहित करना
- 2 पशु बीमा सहित दुर्घटना अग्नि मृत्यु आदि के भामलों में सामाजिक बीमा दावे तैयार करने और उनके सदाय में सहायता करना।

30 पचायत समितियों की साधारण शक्तियाँ

इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या अनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्वगामी रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

उपर्युक्त चिह्नित कार्यों के अलावा दोनों प्रारूपों में सभी कार्य समान हैं।

दोनों प्रारूपों में कार्यों के सन्दर्भ में शीर्षक परिवर्तन के अलावा कार्य व्यथावत् है। अद्य असमानता कम और समानता ही परिलक्षित होती है। जैसकि उपर्युक्त सारणी में वर्णित कार्यों से विदित है।

जिला परिषद्

73वें पंचायती राज संविधान संशोधन से पूर्व राजस्थान में जिला परिषद् के बहल पर्यवेक्षणीय एवं समन्वयात्मक भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहरायी गयी थी सेकिन 73वें संविधान संशोधन पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा 1994 के पंचायती राज अधिनियम द्वारा व्यापक संगठनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन किये गये तथा जहाँ एक और जिला परिषदों के संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन किये गये वहाँ इनके कार्यों में व्यापकता के साथ व्यापक परिवर्तन किये गये। जो कि हमें इनके सांगठनिक एवं कार्यों के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होगा। आगे जिला परिषद् के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों से स्पष्ट होगा। जिला परिषद् के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों में गठन एवं कार्यों की समानताओं एवं असमानताओं को अंग्रेज्यालेखित ढार्ट एवं सारणी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जो निम्ननुसार है—

सारणी-5.13


जिला परिषद् का गठन

[समानताएँ]

क्र.	पूरातन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1.	जिला प्रमुख व उप-जिला प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा जिला परिषद् सदस्यों द्वारा।	1.	जिला प्रमुख व उप-जिला प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा जिला परिषद् सदस्यों द्वारा।
2.	जिला परिषद् क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य।	2.	जिला परिषद् क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य।
3.	जिला प्रमुख की सहायता एवं सलाह हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधान।	3.	जिला प्रमुख की सहायता एवं सलाह हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधान।
4.	जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान।	4.	जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान।

गणसंघ में जिला परिषद् का स्थानकानक आरेख
[पूर्ववर्ती प्रारूप]

आरेख 57



* गणसंघ में 1959 के जिला परिषद् प्रारूप के अनुसार जिला परिषद् रही संरचना।

राजस्थान में जिला परिषद का संगठनात्मक आरेख

[नवीन प्रारूप]

आरेख 5.६

- जिला परिषद संसदीय
[नवीन प्रारूप]

जिला परिषद

जिला प्रमुख

उप जिला
प्रमुख

राज्यों समिति^१

उत्तराधिकारी
समिति^२

प्रशासन
समिति^३

परिवार
समिति^४


परिवार
समिति^५

परिवार
समिति^६

परिवार
समिति^७

परिवार
समिति^८

परिवार
समिति^९



जिला परिषद् के पूर्ववर्ती एवं वर्तमान प्रारूप में मात्र चार समानताएँ परिलक्षित होती हैं। उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रमुख और उप-प्रमुख का निर्वाचन दोनों व्यवस्थाओं में जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से होता है। पदेन सदस्यों में जिला परिषद् क्षेत्र के सोकसभा, राज्यसभा तथा विधान सभा सदस्य होते हैं। दो व्यवस्थाओं में सलाह एवं सहायता हेतु समिति व्यवस्था यथावत् रखी गई है तथा जिला प्रमुख के खिलाफ अधिश्वास का प्रावधान भी पूर्ववर्ती एवं वर्तमान पचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा रखा गया है।

सारणी-5 14

जिला परिषद् का गठन

[असमानताएँ]

क्र.	पुरातन प्रारूप	क्र.	नवीन प्रारूप
1	जिला परिषद् का गठन 1959 के पचायती राज अधिनियम द्वारा स्वीकृत।	1.	जिला परिषद् का गठन भारत सरकार के 73वे पचायती राज संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप।
2	जिला प्रमुख का निर्वाचन जिला परिषद् सदस्यों द्वारा यथा, पदेन व सहवृत्त सदस्य जिला परिषद् व पदेन व सहवृत्त सदस्य पचायत समिति (जिलाधीश व उपखण्ड अधिकारी को मताधिकार नहीं)	2.	जिला प्रमुख जिला परिषद् के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों (डायरेक्ट्स) से बहुमत द्वारा करने का प्रावधान।
3	जिला प्रमुख पद के आरक्षण का प्रावधान नहीं।	3	जिला प्रमुख पद के आरक्षण का प्रावधान लॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार।
4	अनु जाति, अनु जनजाति व महिला सदस्यों का नियमानुसार सहवर्णण का प्रावधान।	4	अनु जाति, अनु जनजाति व महिलाओं का आरक्षण लॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार व्यवस्था का प्रावधान।
5	निर्वाचन क्षेत्रों व आरक्षण का प्रावधान नहीं।	5	निर्वाचन क्षेत्रों तथा निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा जिला परिषद् सदस्यों (डायरेक्ट्स) का प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित हेतु आरक्षण लॉटरी के चक्रक्रमानुसार पद्धति से।
6	जिला परिषद् का गठन पदेन, सहवृत्त सहसदस्यों द्वारा।	6	जिला परिषद् का गठन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा।
7	पदेन सदस्यों को जिला प्रमुख निर्वाचन में मताधिकार नहीं।	7	पदेन सदस्यों को जिला प्रमुख निर्वाचन में मताधिकार नहीं।

- | | |
|--|---|
| 8 जिला प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने का प्रावधान समय सौमा 6 माह थी। | 8 जिला प्रमुख को पद ग्रहण करने से दो वर्ष के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव न साने का प्रावधान। |
| 9 चुनाव व कार्यकाल की अनिश्चितता। | 9 चुनाव व कार्यकाल 5 वर्ष तक सुनिश्चित व जिला परिषद् भग होने के 6 माह के अन्दर चुनाव द्वारा गठन अनिवार्य। |
| 10 जिला परिषद् को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का प्रावधान नहीं। | 10 जिला परिषद् का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनस्थान आधारित विभाजन का प्रावधान। |
| 11 जिला प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर जिला परिषद् सदस्यों में से बहुमत द्वारा प्रमुख का निर्वाचन। | 11 जिला प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर उसी वर्ग के व्यक्ति का जिला प्रमुख बनाने का प्रावधान। |
| 12 प्रधान जिला परिषद् का मताधिकार राहित सदस्य ? | 12 प्रधान जिला परिषद् का सदस्य नहीं केवल बैठकों में आमन्त्रित करने का प्रावधान। |
| 13 उप-जिला प्रमुख का निर्वाचन जिला परिषद् के मताधिकार वाले सदस्यों द्वारा अपने में से करने का प्रावधान। | 13 उप-जिला प्रमुख का चुनाव प्रादेशिक क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत द्वारा करने का प्रावधान। |

राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में 73वें पचायती राज संवैधानिक संशोधनों को 1994 के पचायती राज अधिनियम के तहत व्यापक साँगठनिक परिवर्तनों के साथ लागू कर दिया जो पूर्ववर्ती प्रारूप से अधिकारातः विषयमें प्रकृति के हैं जैसे—पूर्ववर्ती प्रारूप 1959 के राज्य सरकार के पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम पर मूलतः आधारित था लेकिन पश्चातवर्ती प्रारूप संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया गया।

जिला प्रमुख पूर्व में जिला परिषद् सदस्यों यथा—पदेन, सहवृत्, पचायत समिति तथा पदेन व सहवृत सदस्य जिला परिषद् द्वारा निर्वाचित होता था जबकि वर्तमान प्रारूप में जिला प्रमुख जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों (डायरेक्ट्स) द्वारा अपने में से बहुमत से किया जाना है। पहले जिला प्रमुख के पद के आरक्षण का प्रावधान नहीं था जो कि नवीन व्यवस्था के तहत कर दिया गया। पूर्व में अनु जाति, अनु जनजाति तथा महिला दण्डों का सहवरण किया जाता था जबकि नियमानुसार नवीन प्रारूप में इन दण्डों को आरक्षण का प्रावधान चक्रक्रमानुसार व्यवस्था से कर दिया गया।

जिला परिषद् के पुरा प्रारूप में निर्वाचन क्षेत्रों व आरक्षण का प्रावधान नहीं था जबकि नवीन प्रारूप में जिला परिषद् का प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन तथा उन क्षेत्रों के आरक्षण एवं जिला परिषद् सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। पहले जिला परिषद् का गठन पदेन व सहवृत व सहसदस्यों द्वारा होता था जबकि बदली व्यवस्था में जिला परिषद् का गठन पदेन व जिला परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों (डायरेक्ट्स) द्वारा होता है।

पूर्ववर्ती ग्राह्य पदेन सदस्यो को (नियमानुसार) जिला प्रमुख के निर्वाचन में नियंत्रिकार देता है जबकि नये ग्राह्य में पदेन सदस्यो को जिला प्रमुख वर्ष जिला प्रमुख का छिलाक अधिश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था थी सेक्रिन समय सीमा का प्रावधान 6 माह ही था जबकि अब यह व्यवस्था जिला प्रमुख के पदभार ग्रहण करने के 2 वर्ष पूर्व अधिश्वास प्रस्ताव की स्थीरता प्रदान नहीं करती। चुनाव कार्यकाल की निश्चितता का अभाव पूर्ववर्ती व्यवस्था का दोष था जबकि नयी व्यवस्था में 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के परचात् चुनाव अनियार्यत होगा।

सर्वेधानिक प्रावधान कर दिया गया है। जिला परिषद् को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का प्रावधान पूर्व में नहीं था यह नई व्यवस्था की देन है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या आधारित है 73वें सर्वेधानिक सशोधन पूर्व पचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख के अधिश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर उप जिला प्रमुख के जिला प्रमुख बनाये जाने का प्रावधान था नये प्रमुख के निर्वाचन तक जो 73वें सर्वेधानिक सशोधन मुक्त व्यवस्था जनित राज्य सरकार के पचायती राज अधिनियम में घटल दिया गया है राखा अब जिस खंग का जिला प्रमुख अधिश्वास मत द्वारा हटाया जायेगा उसी खंग का जिला प्रमुख जिला परिषद् में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से बनाये जाने का प्रावधान कर दिया गया।

पुरातन ग्राह्य में प्रधान नियंत्रिकार के साथ जिला परिषद् का सदस्य था जबकि नई व्यवस्था में उसे मात्र बैठकों में आमन्त्रित सदस्य की है सियत मात्र में रखा गया है। उप-जिला प्रमुख का चुनाव अपने में से नियंत्रिकार याते सदस्यों द्वारा किये जाने का प्रावधान पूर्ववर्ती व्यवस्था में था जबकि यह प्रावधान नई व्यवस्था में जिला परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्रों से प्रत्यक्ष नियंत्रित सदस्यों में से बहुमत द्वारा करने का प्रावधान कर दिया गया। असमानताओं की उपर्युक्त व्यापकता दोनों ग्राह्यों के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा ढाँचती है।

जिला परिषद् के कार्य

राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959 के अनुसार पूर्ववर्ती ग्राह्य के कार्य तथा राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 को भाग 52 व अनुसूची तृतीय के अनुसार नवीन ग्राह्य में कार्यों का निर्धारण किया गया है।

जिस परिषदों को पूर्ववर्ती व्यवस्था में केवल समन्वयात्मक एवं पर्यवेक्षणीय कार्य वा भी काफी सीमित मात्रा में सौंपे गये थे जबकि नवीन ग्राह्य में न केवल पर्यवेक्षणीय वा समन्वयात्मक कार्य ही सौंपे गये हैं बल्कि जिला परिषदों को कार्यभार की दृष्टि से व्यापक समन्वयात्मक कार्य एवं समाज विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों को समाहित किये हैं अतः कार्यों में समानता का कोई आधार नजर नहीं आता है। दोनों व्यवस्थाओं में अन्तर स्पष्ट परिलक्षित है जो अप्राकृति है—

सारणी-5 15
जिला परिपद् के कार्य
[असमानताएँ]

क्र	प्रातन प्रारूप	क्र	नवीन प्रारूप
	समन्वयात्मक, निर्देशात्मक एवं पर्यवेक्षणीय कार्य		निष्पादकीय कार्य तथा समन्वयात्मक, निर्देशात्मक पर्यवेक्षणीय कार्य
1	इस सम्बन्ध में निर्मित जिले को पचायत समितियों के बजटा को नियमों के अनुसार जाँच करना।	1	सामान्य कार्य जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और ऐसी योजनाओं का अगली मर्दों में प्रमाणित विषयों सहित विभिन्न विषय के सम्बन्ध में समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2	राज्य सरकार द्वारा जिले को आवटित किए गए तदर्थ अनुदानों को पचायत समितियों में वितरित करना।	2	कृषि एवं भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य
3	पचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समन्वय तथा समेकन करना।	1	कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के समुन्नत कृषि उपकरण के उपयोग और विकसित कृषि पद्धतियों के अगांकरण को लोकप्रिय बनाने के उपायों को उन्नत करना।
4	पचायत तथा पचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करना।	2	कृषि भेला और प्रदर्शनिया का सचालन करना।
5	किसी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन जो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा उसे प्रदान करे या सौंपे।	3	कृषकों का प्रशिक्षण।
6	ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदान की जाए तथा उसे सौंपे जाए।	4	भूमि सुधार और भूमि सरक्षण।
7	ऐसे मेलों और उत्सवों को छोड़कर जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या अब आगे किया जायेगा, अन्य मेलों और उत्सवों तथा पचायत समिति के मेलों और उत्सवों तथा पचायत के मेलों	3	लघु सिचाई, भू-जल स्रोत और जल विभाजक सम्बन्धी कार्य
		1	'ग' और 'घ' वर्ग के 2500 एकड़ के लघु सिचाई सकर्मों और लिफ्ट सिचाई सकर्मों का निर्माण नवीकरण और रख-रखाव।
		2	जिला परियद् के नियन्त्रणाधीन सिचाई

और उत्साहों पे रूप में वर्गीकरण करना और इसने यहे में किसी पंचायत या पंचायत समिति द्वारा अभ्यायेदन किये जाने पर उक्त वर्गीकरण या पुनर्विशेषज्ञ परना।

8 राष्ट्रीय राजपालों राज्य राजपथों और जिसी वी सुख्य सदृकों यो छोड़कर अन्य सदृको का पंचायत समिति की सदृकों और गाँवों वी सदृकों पे रूप में वर्गीकरण करना।

9 जिसी मे पंचायत समितियों वी गति विधियो वी सामान्य देख रेख करना।

10 जिसे मे पंचायत और पंचायत समितियो के राभी सरपंथो ग्रामों और अन्य पंथो व सदस्यो के फैस्य सम्प्रेषन और सेवीगार आयोजित करना।

11 पंचायत तथा पंचायत समितियो वी गतिविधियो से सम्बन्धित सब गामलो में राज्य सरकार यो सलाह देना।

12 राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् यो पिरोय रूप से निर्दिष्ट वी गई किसी धैशानिक अध्याता कार्य निष्पादन सम्बन्धी आज्ञा को कार्यान्वयन करने सम्बन्धी गामलो मे राज्य सरकार यो सलाह देना।

13 पंचवर्द्धी योजनाओं के अन्वर्तन विभिन्न योजनाओं पो जिले के भीतर फार्मानित यहे राज्यस्थी गामलों मे राज्य सरकार को सलाह देना।

14 जिसे पे हिए निर्धारित सभी यूपि य उत्पादन कार्यक्रमो निर्माण कार्यक्रमो नियोजनों तथा अन्य सक्षयो वो ध्यान में रखना और यह देखते रहना कि ये योग्योधित रीति से विवाचित पूर्ण और

योजनाओं के अधीन जल पे समय पर और सम्पादन वितरण और पूर्ण उपयोग तथा राजस्व वारूलो वे लिए उपयन्ध करना

3 भू जल खोतों का विकास

4 सामुदायिक पम्प गैट सामाना

5 जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

4. बागायानी सम्बन्धी कार्य

1 ग्रामीण पार्क और उद्योग

2 फलों और सम्भियो की खेती।

5. सांखियकी सम्बन्धी कार्य

1 पंचायत समितियो और जिला परिषद् के क्रियावलापो से सम्बन्धित सांखियकीय व अन्य सूखना वा समन्वय और उपयोग

2 पंचायत समितियो और जिला परिषद् के क्रियावलापो वे लिए अपेक्षित आंकड़ों और अन्य सूखना वा समन्वय और उपयोग

3 पंचायत समितियो और जिला परिषद् की सौपी गई परियोजनाओं और कार्यप्रयोगों का समय समय पर पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

6 ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य

1 ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति वा मूल्यांकन करना।

2 विद्युत सम्बन्ध करना (वनेक्षण) वुटीर ज्योति और अन्य विद्युत सम्बन्ध (वनेक्षण)।

7 मुदा संरक्षण सम्बन्धी कार्य

1 मुदा संरक्षण कार्य

2 मुदा विकास कार्य।

8 सामाजिक यानिकी सम्बन्धी कार्य

- निष्पादित किये जा रहे हैं तथा वर्ष में कम-से-कम दो बार ऐसे कार्यक्रमों और लक्ष्यों को प्रगति को समीक्षा करना।
15. ऐसे अँडके इकट्ठे करना जो वह आवश्यक समझे।
16. जिसे मे स्थानीय अधिकारियों को गठि-विधियों सम्बन्धी साडियों द्वारा अधिकारी कोई अन्य सूचना प्रकाशित करना।
17. किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से उसके कार्यकलालों के सम्बन्ध में हालात प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
1. सामाजिक और फार्म वर्किंगों, बाजार और चारा विकास को उन्नत करना;
2. बजर भूमि का विकास,
3. वृक्षारोपण के लिए अपोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषिक सौध-शालाओं को प्रोत्त्वहन,
4. बन भूमियों को छोड़कर, वृक्षों का रोपण तथा रख-रखाव,
5. साजनागां तथा मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर, सड़क के किनारे-किनारे वृक्षारोपण।
9. पशु-पालन और डेयरी सम्बन्धी कार्य :
1. जिला और रेफरल अस्त्रालों को छोड़कर, पशु चिकित्सालालों वी स्थानना और रख-रखाव।
2. चारा विकास कार्यक्रम,
3. डेयरी उद्योग, कुकुट फलन और मुजर पतन को उन्नत करना।
4. महाभारी और सांसारिक रोगों की रोकथाम।
10. मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्य :
1. मत्स्य पालक विकास अधिकारण के समर्त्त कार्यक्रम;
2. निजी और सामुदायिक उत्तराधीनों के मत्स्य-सबूद्धन का विकास,
3. पारम्परिक मत्स्यपालन में सहायता करना;
4. मत्स्य विपणन सहकारी समितियों का गठन करना,
5. मछुआरों के उत्पादन और विकास के लिए कल्याण कार्यक्रम।
11. घोलू और कुटीर उद्योग सम्बन्धी कार्य :

1 परिक्षेत्र में पारम्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घरेलू उद्योगों का विकास करना,

2 कच्चे माल को आवश्यकताओं का इस प्रकार से निर्धारण करना कि जिससे समय-समय पर उसकी पूर्ति सुनिश्चित हो जा सके।

3 परिवर्तनशील उपभोक्ता के अनुसार डिजाइन और उत्पादन,

4 इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बैंक ऋण दिलवाने हेतु सम्पर्क करना,

5 खादी, हाथकर्चा, हस्तकला और ग्राम कुटीर उद्योगों को उन्नत करना।

12 ग्रामीण सड़के और भवन सम्बन्धी कार्य :

1 राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिन्न सड़कों का निर्माण और रख-रखाव,

2 राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिन्न मार्गों के नोचे आने वाले पुल और पुलियाँ,

3 जिला परिषद् के कार्यालय भवनों का निर्माण और रख-रखाव।

4 बाजार, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाली मुख्य सम्पर्क सड़कों और आनंदिक क्षेत्रों में सम्पर्क की पहचान,

5 नई सड़कों के लिए और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए भूमियों का स्वैच्छिक अध्यर्पण कराना।

13. स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकी सम्बन्धी कार्य :

1 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, उप-केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाव।

2 आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, यूनानी औषधालयों की स्थापना और रख-रखाव,

- 3 प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन,
- 4 स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य क्रियाकलाप,
- 5 भारत्त्व और शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलाप,
- 6 परिवार कल्याण कार्यक्रम,
- 7 पचायत समितियों और पचादतो की सहायता से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना,
- 8 पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय।

14 ग्रामीण आवासन सम्बन्धी कार्य :

- 1 घेघर परिवारों को पहचान,
- 2 जिले में आवास निर्माण का क्रियान्वयन,
- 3 कम लागत आवासन को लोकप्रिय बनाना।

15 शिक्षा सम्बन्धी कार्य :

- 1 उच्च प्राधिक विद्यालयों को स्थापना और रख-रखाव सहित शैक्षणिक क्रियाकलापों को ढनत करना,
- 2 प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कायदक्रमों को योजना बनाना,
- 3 ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रसार कर्त्त्य,
- 4 शैक्षणिक क्रियाकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन।

16 समाज कल्याण और कमज़ोर वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्य .

- 1 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों को उत्त-वृत्तियाँ, वृत्तिकाये, बोडिंग अनुदान और पुस्तके और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार,
- 2 निरक्षरता उन्मूलन और साधारण शिक्षा के लिए नर्सरी विद्यालयों, बाल-बाड़ियाँ, रात्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों का संगठन करना,

- 3 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े बांगों को कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का प्रशिक्षण देने के लिए सुविधापूर्वक प्रयत्न करना,
- 4 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े बांगों को सहकारी संस्थाओं का गठन,
- 5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े बांगों के उत्थन और विकास के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएँ।

17. गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी कार्य

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मॉनीटर करना और क्रियान्वयन करना।

18. समाज सुधार क्रियाकलाप

- 1 महिला संगठन और कल्याण,
- 2 बाल संगठन और कल्याण,
- 3 स्थानीय आवारागदीं का निवारण,
- 4 विधाया, बृद्ध और शारीरिक रूप से निःशक्त विद्युतियों के लिए पेशन की और बेरोजगारों की अन्तरजातीय विवाह के युगलों, जिनमें से एक किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, के लिए भत्तों की मजूरी और वितरण को मॉनीटर करना,
- 5 अग्नि नियन्त्रण,
- 6 अन्यविश्वास जातियाद, झुआझूत, नरा-खोरी, खर्चीसे विवाह और सामाजिक समारोहों, दहेज तथा दिखावटी उपभोग के विरुद्ध अभियान,
- 7 सामुदायिक विवाह और अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना,
- 8 आर्थिक अपराधों जैसे तस्करी, कर-घरन, लाद अपमिश्रण के विरुद्ध सतर्कता

9. भूमिहोन क्रमिको को सौंपो गई भूमि या विकास करने में सहायता करना,
10. जनजातियों द्वारा अन्य सक्रमित भूमियों का पुनर्ग्रहण,
11. चन्द्रुआ मजदूरों को पहचान करना, उन्हें मुक्त करना और उनका पुनर्वंस,
12. सास्कृतिक और मनोरजक क्रियाकलायों का आयोजन करना,
13. खेल-कूट और खेलों को प्रोत्साहन तथा ग्रामोण खेल मैदानों का निर्माण,
14. पारम्परिक उत्सवों को नवा रूप देना और उन्हें समाजप्रिय बनाना,
15. निम्नलिखित के माध्यम से मित्रव्यवस्था और बचत की उन्नति करना—
 (i) बचत को आदतों को प्रोन्नति,
 (ii) अल्प बचत अभियान,
 (iii) कूट साहूकारी प्रथाओं और ग्रामोण ऋणग्रस्तता के विरुद्ध लडाई।

19. जिला परिषद् की साधारण शक्तियाँ :

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किये गये कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी कार्य करना और, विशिष्टताएँ और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले दिना, इसके अधीन निर्दिष्ट समस्त शक्तियों का और निर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करना—

1. लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमें निहित या उसके नियन्त्रण या प्रबन्ध के अधीन की किसी सम्या का प्रबन्ध और रख-रखाव,
2. ग्रामोण हाटों और बाजारों का अर्जन और रख-रखाव,
3. पचायत समितियों या पचायतों को तदर्थ अनुदानों का वितरण करना और उनके कार्य का समन्वय करना,

- 4 कुष्ट निवारण के उपायों को अगोकार करना,
- 5 जिले में पंचायत समितियों के बजट अनुमानों की परीक्षा करना और उन्हें मजूर करना,
- 6 जिले में पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं और स्कीमों को समन्वित और एकीकृत करना,
- 7 एकाधिक खण्डों में विस्तृत किसी योजना को हाथ में लेना और निभादित करना,
- 8 जिले के पचों, सरपचों, प्रधानों और पंचायत समितियों के सदस्यों के शिविरों, सेमिनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना,
- 9 किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापों के बारे में सूचना देने की अपेक्षा करना,
- 10 किन्हीं विकास योजनाओं को ऐसे नियन्त्रणों और शर्तों पा, जो लगे हुए दो या अधिक जिलों की जिला परिषदों के बीच में परस्पर तय की जाये, संयुक्त रूप से हाथ में लेना और निभादित करना।

सन्दर्भ

- 1 पंचायती राज , पचों और सरपचों के नाय प्रधानमन्त्री श्री भी दी नरसिंह राव का पत्र 5 मई 1993 सूबना एव प्रसारण भन्नालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गोवर्धन कपूर एंड सस नई दिल्ली 1993 पृ

6

पंचायती राज व्यवस्था : अनुभवमूलक अध्ययन [प्रथम]

[उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि]

भारतीय इतिहास अतीत काल से ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के रूप में पचायतों के अस्तित्व का प्रामाणिक साक्षी रहा है। प्राचीन काल से अर्थाचौन काल तक पचायतें भारतीय राजनय के एवं अग्र के रूप में अस्तित्व में रही हैं। यह भी सत्य है कि विभिन्न काल-खण्डों में पचायतों का स्वरूप भिन्न रहा है। राजस्थान राज्य में भी ग्राम पचायतों की अतीत काल से विद्यमानता रही है। प्रछ्यात युरायिट, अनन्त सदाशिव अल्लैकर के अनुसार “बिहार राजपुताना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गुप्त और परायतों काल में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों ने स्थान ग्रहण कर लिया था, सेकिन स्मृति और ढक्कीर्ण लेख इनके सागठन सम्बन्धी विवरण प्रदान नहीं करते हैं।” राजस्थान से प्राप्त सोल इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर ये कार्यकारिणी समितियाँ या इन्हे ग्राम पचायत कहना अधिक सही होगा, विद्यमान थी।^{1,2} ये ‘पचकुली’ कहलाती थीं और ये मुखिया की अध्यक्षता में जिसे महत कहा जाता था, कार्य करती थीं तो मध्यकास और ब्रिटिश काल में पचायतें मृद्राय हो गई थीं।

पचायत राज व्यवस्था एक व्यवस्था या पद्धति ही नहीं यान् एक जीवन-दर्शन है जो समाज में अनवरत अस्तित्व में रहा है तथा ग्राम्य जीवन की आत्मा में रच यस गई है जिसे हम सोकतन्त्र की आधारशिला, सस्कृति की सवाहक जनकल्याणवारी राज्य की सकलता के आदर्श प्रतिमान सद्गुरुय मानते हैं। जन-समुदाय में ये सत्याएँ अनवरत जन-जागरण, सामाजिक सद्भाव, जन-सहयोग, परस्पर सौहार्दप्रियता की प्रभावी प्रवाहिनी तथा सोकतन्त्र की सशक्त प्रहरी रही है।

स्वतन्त्र भारत के संविधान के निर्याग के समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज की धारणा को अत्यन्त महत्त प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 40 में लिया गया है कि—“राज्य ग्राम पचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम ठाकेगा और उन्हें

ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्त शासन को इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।¹⁴

भारत ने नियोजित विकास की दिशा में जब प्रयत्न आरम्भ किये तो स्वाभाविक है कि पचायती राज की अवधारणा को विकसित होने तथा साकार रूप लेने में कुछ समय लगा। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में यह अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया कि देश में वास्तविक लोकतन्त्र को स्थापना तभी सम्भव होगी जब भारत के बहुसंख्यक ग्रामीण लोगों से अपना निकटतम सम्पर्क स्थापित किया जाए और देश की ग्रामीण जनता का अपने ही हाथों अपना भाग्य निर्माण करने को प्रेरित किया जाए। इसी उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया। राजस्थान में भी 2 अक्टूबर, 1952 को अन्य राज्यों की भौति सामुदायिक विकास योजनाओं का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं के प्रयत्नों से ग्रामीण समुदाय में अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में उत्तार-चढ़ाव आए और कुछ चर्चों में ही यह बात स्पष्ट हो गयी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनसहयोग को गति मद पड़ती चली गयी। अत एक नए चिन्तन और नयी दिशा की आवश्यकता अनुभव हुई।

जन-सहयोग की कमों की आधारभूत कठिनाइयों को हल करने के लिए बलवन्तराय मेहता अध्ययन दल जनवरी, 1957 में नियुक्त किया गया। दल से यह अपेक्षा की गई कि यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासन में कुशलता और मितव्यता लाने तथा कार्यक्रम के लिए जनता में उत्साह-सचरण के लिए उपाय सुझाए। अध्ययन दल को यह कार्य भी सौंपा गया कि वह लोकतान्त्रिक सम्प्राणों को सम्पूर्ण जिले अथवा सब-द्विजिन (उप-सभाग) के विकास और सामान्य प्रशासन को हाथ में लेने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से जिला प्रशासन को पुनर्गठित करने की दिशा में भी सर्वेक्षण करेगा। दल के कार्यक्षेत्र में यह वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप ही देहाती क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विकास के आधारभूत ढाँचे के रूप में पचायतीराज का स्वरूप सामने आया।

सन् 1957 के नवम्बर में बलवन्त राय मेहता अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया। सन् 1958 में इस प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) ने अपनी स्वीकृति को भोहर लगा दी। इस अध्ययन दल ने जिस व्यवस्था को प्रस्तावित किया उसे उन्होंने "लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण" की सज्जा प्रदान की जिसका अभिप्राय था कि उसके अन्तर्गत प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता सक्रिय रूप से भाग ले तथा जनता द्वारा गठित सम्प्राण हो सामुदायिक विकास को भवत्पूर्ण इकाइयाँ हों।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण अर्थात् पचायतीराज सम्प्राणों की त्रि-स्तरीय योजना प्रस्तुत की गई। प्रथम ग्रामस्तर, द्वितीय छण्ड या ब्लॉक स्तर एवं तृतीय जिला-स्तर। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था द्वारा देश के ग्रामीण जीवन को चेतनामय बनाने का प्रयास किये जाने का प्रस्ताव किया गया ताकि राष्ट्रीय योजना को स्वीकार कर तदनुसार ऊपर से नीचे की ओर तीन स्तरों पर क्रमशः जिला परिषदों, पचायत समितियों तथा ग्राम पचायतों का गठन किया गया। इस समूची व्यवस्था को 'पचायती राज' के नाम से अभिहित किया गया। पचायती राज का उद्देश्य प्रारम्भ से अन्त तक विकास योजनाओं से जनता को सम्बद्ध करना और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना था।

पचायती राज को स्थापना भारतीय सौकर्तन्त्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजस्थान को पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसने अपने यहाँ पचायती राज की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को श्री नेहरू ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर नागौर जिले में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना का शुभारम्भ किया।⁶ इस प्रकार राज्य में पचायती राज की विस्तरीय व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद अन्य राज्यों में भी यह व्यवस्था लागू की गई। न केवल राजस्थान राज्य में अधिकांश राज्यों में पचायती राज व्यवस्था वी स्थापना के आरम्भ के धरों में इन संस्थाओं ने गामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिये। सेकिन कुछ वर्षों के पश्चात् किन्हों कारणों से पचायती राज संस्थाएँ अपने संपै गये उत्तरदायित्व को सही ढंग से नियमादित करने में असक्षम दिखाई देने लगी। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों का अभाव रहा। साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव वर्खाने में अधिक रुचि नहीं ली।

पचायती राज संस्थाओं में सुधार हेतु समय-समय पर समितियाँ गठित की एव प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। देश की पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने पचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने हेतु देश के सभी राज्यों में पचायती राज की अनिवार्यता एव एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा संविधान में “73वाँ संविधान संशोधन 1992” अधिनियम लागू किया गया।

राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1953 एव पचायत समिति व जिला परिषद् अधिनियम 1959 को समेकित कर तथा 73वे संविधान संशोधन के प्रावधानों को मध्यनगर रखते हुए राजस्थान विधान सभा में नये पचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात् 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हो गया।⁷

पचायतराज अधिनियम 1959 के प्रारूप तथा 73वे संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत प्रारूपों के मध्य एक तुलनात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते शोधकार्य को यथार्थपाक बनाने के लिए घटुतरीय पद्धति का उपयोग करते हुए पचायती राज-संस्थाओं के सभी स्तरों की जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में तुलनात्मक तथ्यों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणी के उत्तरदाताओं का चयन किया गया है जिसमें जन-प्रतिनिधियों कार्मिक एव नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं को प्रतिदर्श में सम्मिलित करके साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सूचनाएँ संकलित की गई है। अध्ययन के द्वेषीय कार्य में साक्षात्कार करने हेतु जन-प्रतिनिधियों में दो प्रकार के जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है। प्रथम स्तर पर ये जन-प्रतिनिधियों में दो प्रकार के जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है। प्रथम स्तर पर ये जन-प्रतिनिधियों जो 1959 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चयनित हुए हैं उनको प्रतिदर्श में संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के बाद भी चयनित हुए हैं उनको प्रतिदर्श में संविधान संशोधन अधिनियम के लिया गया है। द्वितीय स्तर पर ये जनप्रतिनिधियों जो 73वे संविधान संशोधन अधिनियम के लिया गया है। द्वितीय स्तर पर ये जनप्रतिनिधियों जो 73वे संविधान संशोधन अधिनियम के लिया गया है। अत दोना व्यवस्थाओं से सम्बद्ध प्रावधानों के अनुरूप मात्र वर्तमान में ही चयनित हुए हैं। अत दोना व्यवस्थाओं से सम्बद्ध

जनप्रति-निधियो एव वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियो को प्रतिदर्श में मानकर न्यादर्श का क्रमशः 33% एव 67% चयनित किये गये हैं। इन जन-प्रतिनिधियो में ग्राम स्तर से लेकर जिले स्तर तक को पचायतोराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियो को चयन में शामिल किया गया है। जिनमें जिला प्रमुख, सरपच, पच शामिल है। चयनित जनप्रतिनिधियो में वर्तमान एव भूतपूर्व दोनों को ही अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित किया गया है। पचायती राज संस्थाओं में कार्मिक वर्ग को भी अहम् भूमिका रहती है। अतः प्रतिदर्श में कार्मिक वर्ग को सख्ता का न्यादर्श में चयनित जन-प्रतिनिधियो को सख्ता का 50% रखा गया है। पचायती राज संस्थाओं को मुख्य इकाई ग्राम पचायत होती है। इसलिए ग्रामीणों को भी प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है। चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधियो को सख्ता के बगबर ही नागरिक वर्ग को अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य में साक्षात्कार कर सूचना एकत्रित करने हेतु प्रतिदर्श में माना है।

अतः शोधकर्ता ने शोधकार्य हेतु चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधियो में 100, कार्मिक वर्ग में 50 एव नागरिकों में 100 इस प्रकार कुल 250 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार कर प.रा. संस्थाओं के विभिन्न पहलुओं पर सूचना एकत्रित कर वास्तविक तथ्यों को समाविष्ट करने का शोध कार्य में प्रयास किया है।

पचायती राज संस्थाओं के लिए परित दोनों अधिनियमों के बारे में जनप्रतिनिधि वर्ग, कार्मिक वर्ग एव नागरिक वर्ग को क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हैं उन्हों के विवारों को सम्मिलित करते हुए शोध के उद्देश्यों को विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण करने का यत्क्षेत्र प्रयास किया गया है।


जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में वर्तमान एव भूतपूर्व दोनों प्रकार के जनप्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं। इनमें जिला प्रमुख उपजिला प्रमुख 6 06%, जिला परिषद् के सदस्य 6 06%, पचायत समिति प्रधान 6 06%, पचायत समिति सदस्य 24 24%, सरपच 21 21%, उप-सरपच 12 12% एव पच 24 24%, लिये गये हैं।

वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध चयनित उत्तरदाताओं में से 2 99% जिला प्रमुख/उप-जिला प्रमुख, 4 48% जिला परिषद् के सदस्य, 4 48% पचायत समिति प्रधान, 23 88% पचायत समिति सदस्य, 16 42% सरपच, 10 45% उप-सरपच एव 37 30% पच सम्मिलित किये गये हैं।

पचायती राज संस्थाओं के कार्मिक वर्ग में मुख्य कार्यकारी। उप-मुख्य कार्यकारी 4 00%, विकास अधिकारी 8 00%, प्रसार अधिकारियों में शिक्षा, खादी, सहकारिता, पचायत आदि 24 00%, ग्राम सेवक 30 00%, पचायती राज के अधीन विद्यालयों के शिक्षक 16 00%, लिपिक वर्ग 10 00%, सहायक अधिकारी 6 00% एव परियोजना अधिकारी एव लैखाधिकारी 2 00% सम्मिलित करके प्रतिदर्श चयन किया गया है।

जन-सामान्य में भी सभी वर्ग एवं शैक्षणिक स्तर के व्यक्तियों को समिलित किया गया है। अतः प्रतिदर्श चयन में इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखा गया है कि पचायती राज संस्थाओं से आदर्द सभी वर्ग एवं व्रेणी के व्यक्तियों को समिलित किया जाये ताकि शोध अध्ययन में दिये जाने वाले तथ्यात्मक विश्लेषण वास्तविकता को उजागर कर सके। शोध अध्ययन हेतु चयनित प्रतिदर्श का विवरण निम्नानुसार है—

आरेख 6 ।



शोधकार्य हेतु प्रतिदर्श में चयनित उत्तरदाताओं से पचायतीराज संस्थाओं के सामने एवं कार्यप्रणाली, अधिकारी, निर्णयी आदि पर गहन विचार-विमर्श किया जाकर सूचनाएँ सम्बलित की गई हैं। प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं का विवरण निम्नानुसार है—

तालिका : 6 ।
चयनित उत्तरदाता

क्र. सं.	उत्तरदाताओं की श्रेणी	सख्ता	प्रतिशत
1	जन-प्रतिनिधि वर्ग-	100	40 00
	(अ) दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध (तब भी अब भी)	33	13 20
	(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	26 80
2	पचायतीराज संस्थाओं का कार्मिक वर्ग	50	20 00
3	नागरिक वर्ग	100	40 00
	कुल योग	250	100 00

चयनित प्रतिदर्श में जन-प्रतिनिधि वर्ग के 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लिया गया है जिसमें दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित उत्तरदाताओं का प्रतिशत 13 20 एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित उत्तरदाताओं का प्रतिशत 26 80 है। पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक वर्ग का प्रतिशत 20 00 एवं नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 40 00 है। अतः प्रतिदर्श में उत्तरदाताओं के श्रेणीवार वर्गोंकरण से स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

व्यक्ति की प्रकृति और उसके अधिष्ठित पर उसकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप में बहुत प्रभाव पड़ता है फिर वह व्यक्ति चाहे सामाज्य जन हो, जनप्रतिनिधि या लोकसेवक। मानव का व्यवहार उसके सामाजिक पारिवारिक परिवेश, आर्थिक पृष्ठभूमि, जाति, लिंग, आयु, धर्म, शैक्षणिक स्तर, सामाजिक भान्यताओं इत्यादि विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को गहन जीव से सम्बन्ध की प्रमुख समस्याओं, आकाशाओं, सरकार व राष्ट्र के प्रति जन-समुदाय, कार्मिक एवं जनप्रतिनिधियों के दृष्टिकोण आदि का सहज अनुभान लगाया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों एवं नागरिकों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पंचायतीराज संस्थाओं को कुशलता और प्रभावीपन पर व्यापक प्रभाव डालती है। शोधार्थी अपना कर्तव्य मानता है कि शोध विश्लेषणों से पूर्व ही पाठकों को विभिन्न उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि सम्बन्धी विस्तृत ज्ञानकारी उपलब्ध करा दे। लोक प्रशासन विज्ञान के क्षेत्र में किये गये पाश्चात्य अध्येताओं द्वारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनेक दिशा बोधक अध्ययनों से भी यह तथ्य प्रमाणिक हो चुका है। उस अध्याय में लोकसेवकों, जनप्रतिनिधियों और जनसामाज्य से सम्बन्धित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है।

उत्तरदाताओं का लिंग भेदानुसार वर्गोंकरण—

प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित विभिन्न श्रेणी के उत्तरदाताओं में पुल्प एवं महिला दोनों का ही प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। पंचायतीराज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों में पूर्व में सहवृत के आपार पर महिलाओं को लिया जाता रहा है लेकिन 73वें संविधान सशोधन के बाद महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

कार्मिक वर्ग में भी महिलाओं को पर्याप्त अवसर देने का प्रब्लेम किया जा रहा है तथा नागरिक वर्ग जो कि समाज है जहाँ पुरुष एवं स्त्री दोनों को ही समानता का अधिकार प्राप्त है। इसलिए अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य में भी पुरुष एवं महिला दोनों से ही साक्षात्कार लिया गया है। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं का लिंगभेदानुसार वर्गीकरण निम्न तालिका 6 2 में अंकित है—

तालिका 6 2
उत्तरदाताओं का लिंगभेदानुसार वर्गीकरण

उत्तरदाताओं की श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	लिंगभेदानुसार वर्गीकरण			
		पुरुष	महिला	योग	प्रतिशत
1. जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	77 (77 00)	23 (23 00)	100	40 00
(अ) दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	33 (100 00)	29 (87 88)	04 (12 12)	33	13 20
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	29 (71 64)	04 (28 36)	67	26 80
2. कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	45 (90 00)	05 (10 00)	50	20 00
3. नागरिक वर्ग	100 (100 00)	75 (75 00)	25 (25 00)	100	40 00
कुल योग	250 (100 00)	197 (78 80)	53 (21 20)	250	100 00

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दराया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग के 40 00% कार्मिक वर्ग के 20 00% एवं नागरिक वर्ग के 40 00%, उत्तरदाता हैं। इनमें समग्र रूप से 78 80%, पुरुष एवं 21 20% महिला उत्तरदाता हैं।

जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में 77 00%, पुरुष एवं 23 00%, महिलाएँ हैं। जनप्रतिनिधि वर्ग में से दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध उत्तरदाताओं में से 87 88% पुरुष एवं 12 12%, महिलाएँ हैं। इसी प्रकार वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध उत्तरदाताओं में से 71 64%, 12 12%, महिलाएँ हैं। लिंगभेदानुसार वर्गीकरण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि पुरुष एवं 28 36%, महिलाएँ हैं। जनप्रतिनिधियों में महिला आरक्षण के अभाव में पूर्व में महिलाओं का प्रतिशत 12 12 रहा है जबकि वर्गीकरण के पश्चात् महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ि दुई है और उनका प्रतिशत घटकर 28 36 हो गया है।

पचासठी हजार सस्ताओं के कर्मिंक वर्ग में चयनित उत्तरदाताओं में से 90.00%, पुरुष एवं 10.00%, महिलाएँ हैं। जनसम्पन्न से चयनित उत्तरदाताओं में 75.00%, पुरुष एवं 25.00%, महिलाएँ हैं। अतः समग्र रूप से उत्तरदाताओं का लिए दुसरा विश्लेषण करने पर यह तथ्य उजागर हुआ है कि 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम महिला आरक्ष के प्रावधन के बारे में सहायक सिद्ध हुआ है।

जाति विश्लेषण

भारत में विभिन्न जातियों एवं समुदायों के व्यक्ति अनेकता में एकता के निर वर्षों से संहाद्रपूर्ण बतावरण में आपस में घुल-मिल गये हैं। जटि व्यवस्था घूलत, वर्जन-व्यवस्था का विकृत रूप है। कलान्तर में व्यक्ति के गुण, कर्म वाले अनेकों जन्म के अपर पर वन स्वैक्षण किया जाने लाग तो वन व्यवस्था धीरे-धीरे जटि व्यवस्था में परिवर्तित होने लगे। पचासठी हजार सस्ताओं के जनप्रतिनिधि वर्ग कर्मिंक वर्ग एवं नारियों का जटिवार विवरण निम्न तालिका 6.3 में दिया गया है।

तालिका-6.3

चयनित उत्तरदाताओं का जातिवार विवरण जनप्रतिनिधि वर्ग

जाति का नाम	दोस्रो व्यवस्था से सम्बद्ध	वर्जन व्यवस्था से सम्बद्ध	कर्मिंक वर्ग	कार्यीक वर्ग	कुल देश
गुजर	8	15	3	10	36
राजपूत	6	11	4	7	28
सिंधु	1	-	1	-	2
चरण	2	4	4	2	12
चादव/अहिर	1	3	2	10	16
ब्रह्मण	8	1	10	15	34
मुसलमान	1	-	-	-	1
मोण	1	7	5	9	22
खटोक	1	-	-	-	1
गुजार/वैश्य	2	7	7	14	30
बैरवा	2	11	6	10	29
नवक	-	6	-	6	12
छोपा	-	2	-	2	4
मालो	-	-	3	7	10
सिन्धो	-	-	1	-	1
सोनो	-	-	1	-	1
धकड़	-	-	3	8	11
कुल योग	33	67	50	100	250

'उपर्युक्त तालिका में दिये गये उत्तरदाताओं के जातिवार वर्गीकरण से रूपरूप होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध प्रतिदर्श में सबसे अधिक ब्राह्मण एवं गूजर जाति के क्रमशः 24 24% व 24 24% है। वर्तमान व्यवस्था में भी सर्वाधिक गूजर जाति के ही जनप्रतिनिधि चयनित हुए हैं जिनका प्रतिशत 32 39 है। कार्मिक वर्ग में सबसे अधिक ब्राह्मण हैं जिनका प्रतिशत 20 00% है। नागरिकों में भी सर्वाधिक उत्तरदाता 15 00% हैं।

चयनित उत्तरदाताओं का जातिवर्ग का विश्लेषण तालिका 6 4 में दिया गया है।

तालिका-6 4
जातिवर्ग का विश्लेषण

जाति वर्ग	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
अनुसूचित जाति	3 (9 09)	17 (25 37)	20 (20 00)	6 (12 00)	16 (16 00)	42 (16 80)
अनुसूचित जनजाति	1 (3 03)	7 (10 44)	8 (8 00)	5 (10 00)	9 (9 00)	22 (8 80)
अन्य पिछड़ा वर्ग	11 (33 33)	24 (35 82)	35 (35 00)	16 (32 00)	39 (39 00)	90 (36 00)
अन्य जाति	18 (54 55)	19 (28 37)	37 (37 00)	23 (46 00)	36 (36 00)	96 (38 40)
कुल योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति के 9 09%, अनुसूचित जनजाति के 3 03%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 33 33% एवं अन्य जाति के 54 55%, उत्तरदाता हैं। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध उत्तरदाताओं में 25 37%, अनुसूचित जाति, 10 44%, अनुसूचित जनजाति 35 82%, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 28 37%, अन्य जाति के प्रतिनिधि उत्तरदाता हैं। अतः जनप्रतिनिधि अन्य वर्ग उत्तरदाताओं को जातिवर्ग के विश्लेषण से जाहिर होता है कि पूर्व व्यवस्था में अनु जाति वर्ग उत्तरदाताओं को जातिवर्ग के विश्लेषण से जाहिर होता है कि पूर्व व्यवस्था में अनु जाति

के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 9.09% से बढ़कर वर्तमान में 25.37% अनुसूचित जनजाति में 3.03% से बढ़कर 10.44% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 33.33% से बढ़कर 35.82% उनप्रति निधि चयनित हुए हैं जबकि अन्य जाति के उनप्रतिनिधियों का प्रतिशत 54.45% से घटकर 28.37% हो रह गया है। इस प्रकार चयनित जनप्रतिनिधियों में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति के उनप्रतिनिधियों के प्रतिशत में अत्यधिक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में आर्थिक वृद्धि हुई है जो कि 7.5वें संविधान सशोधन अधिनियम भ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थाना के आरक्षण के प्रावधान के कारण हुई है। अत इन्हें संविधान सशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सार्थक सिद्ध हुआ है जिसके कारण इन वर्गों के उनप्रतिनिधियों की सख्ता भ वृद्धि हुई है।

पचायती राज संस्थाओं के कार्मिक वर्ग में चयनित प्रतिदर्श में 12.00% अनुसूचित जाति 10.00% अनुसूचित जनजाति 32.00% अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 46.00% अन्य जाति के कार्मिक हैं।

नागरिक वर्ग में अनुसूचित जाति के 16.00% अनुसूचित जनजाति के 9.00% अन्य पिछड़ा वर्ग के 39.00% एवं अन्य जाति के 36.00% उत्तरदाता हैं।

चयनित उत्तरदाताओं में से समग्र रूप भ जाति वर्ग का विश्लेषण किया जाये तो 16.80% अनुसूचित जाति 8.80% अनुसूचित जनजाति 36.00% अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 38.40% अन्य जाति के उत्तरदाता हैं।

अत जाति वर्ग विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुभव भूलक शोधकार्य हेतु प्रतिदर्श चयन में सभी जाति वर्गों के उत्तरदाताओं को समुचित प्रतिनिधित्व देते हुए सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।

आयु वर्गीकरण

भारतीय समाज मे आयु का विशेष महत्व है क्योंकि सामान्यत यह धारणा है कि आयु जितने अधिक होगी उत्तरदायित्व का बोध एवं विदारो की परिवर्ता उतनी हो अधिक होगी। भारतीय समाज में अधिक आयु के व्यक्तियों को अधिक बुद्धिमत एवं इनकान माना जाता है इसलिए बुजुर्गों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है एवं आदर किया जाता है। आयु को राजकीय सेवाओं एवं भताधिकार में एक अहंता के रूप में रखा गया है जो कि सबसे महत्वपूर्ण अहंता होती है। चयनित उत्तरदाताओं को आयु का वर्गीकरण तालिका 6.5 में दिया गया है।

तालिका-6 5
आयुर्वर्ग का खार्गीकरण

उत्तरदाताओं की आयु (वर्ष में)	उत्तरदाताओं की श्रेणी					कुल योग
	जनप्रतिनिधि वर्ग दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	चर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग	
18 से 30	5 (7 46)	5 (5 00)			25 (25 00)	30 (12 00)
31 से 45	6 (18 18)	25 (37 32)	31 (31 00)	18 (36 00)	39 (39 00)	88 (35 20)
46 से 60	15 (45 46)	32 (47 76)	47 (47 00)	27 (54 00)	25 (25 00)	99 (39 60)
60 से अधिक	12 (36 36)	5 (7 46)	17 (17 00)	5 (10 00)	11 (11 00)	33 (13 20)
कुल योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित उत्तरदाताओं में 31 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में 18 18% 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में 45 46% एवं 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग में 36 36 उत्तरदाता हैं। जनप्रतिनिधि वर्ग में ही जो चर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध है उनमें से 7 46% उत्तरदाता 18 से 30 वर्ष 37 32% उत्तरदाता 31 से 45 वर्ष 47 76% उत्तरदाता 45 से 60 वर्ष एवं 7 46% उत्तरदाताओं व्ही आयु 60 वर्ष से अधिक है। इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग में कुल 18 से 30 वर्ष तक की आयु में 5 00% 31 से 45 तक की आयु वर्ग में 47 00% एवं 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग में 17 00% उत्तरदाता चयनित किये गये हैं अतः जनप्रतिनिधि वर्ग में सभी वर्ग के उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है लेकिन अधिकांश प्रतिशत 45 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि चयन में नहीं आया है। इसका कारण यह है कि यह जनप्रतिनिधि पुरानी व्यवस्था से ही जनप्रतिनिधि के स्पष्ट में चयनित होते आये हैं अतः इनकी आयु वर्ग 30 वर्ष से अधिक की है।

पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक वर्ग में 31 से 45 वर्ष तक की आयु में 36 00% 46 से 60 वर्ष तक 54 00% एवं 60 वर्ष से अधिक के 10 00% उत्तरदाता हैं।

नागरिकों में से 18 से 30 वर्ष तक की आयु में 25.00%, 31 से 45 वर्ष तक की आयु में 39.00%, 46 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग में 25.00% एवं 60 वर्ष से अधिक की आयु में 11.00% उत्तरदाता अध्ययन हेतु समर्पित किये गये हैं।

चयनित उत्तरदाताओं का समग्र रूप में आयु वर्ग विश्लेषण का आकलन किया जाये दो 18 से 30 वर्ष तक की आयु में 12.00%, 31 से 45 वर्ष तक की आयु में 35.20%, 46 से 60 वर्ष की आयु 39.60% एवं 60 वर्ष से अधिक की आयु में 13.20% उत्तरदाता समर्पित किये गये हैं। अतः नवोन एवं पुरानो पदाधतों राज व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन हेतु अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं को महत्व प्रदान की गई है जिनसे 31 वर्ष 60 वर्ष तक के उत्तरदाता दोनों व्यवस्थाओं से पूर्णतः जानकारी है तथा इनके विचारों में परिपक्षता है इस्तिर नवोन एवं पुराने अधिनियम के बारे में जो भी जानकारी दी जायेगी वह पूर्णतः विश्वसनीय मानी जायेगी। शेष 25.20% उत्तरदाताओं में 12.00% उत्तरदाता 18 से 30 वर्ष तक की आयु के एवं 13.20% उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के हैं।

शैक्षणिक स्तर का विश्लेषण-

बहुमान समय में शिक्षा व्यक्ति के जीवन का केन्द्र-बिन्दु है। शिक्षा के अभाव में मानव की दिनचर्या प्रभावित होने संग गई है। शिक्षा के बिना मस्तिष्क का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। निरक्षरता आज के मुग में समाज के लिए अभिशाप है अतः साक्षरता हेतु कई दोषनारे विद्यान्वित की जा रही है। साक्षरता के अधक प्रदास करने के बाद भी राज्य में साक्षरता की दर कम है। जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों एवं नागरिकों से चयनित उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर का विवरण तालिका 6.6 में दिया गया है।

तालिका-6.6

उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओं की झटका					
	जननियन्त्रित वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	बहुमान व्यवस्था से सम्बद्ध	घोग			
अरेस्ट	1 (3.03)	11 (16.42)	12 (12.00)	-	13 (13.00)	25 (17.00)
प्राधिक	6 (18.18)	13 (19.40)	19 (19.00)	-	16 (16.00)	35 (14.00)
माध्यमिक	9 (27.28)	19 (28.36)	28 (28.00)	7 (14.00)	13 (13.00)	46 (19.20)

ठच माध्यमिक	7 (21 21)	9 (13 13)	16 (16 00)	13 (26 00)	9 (00)	38 (15 20)
स्नातक	7 (21 21)	6 (8 96)	13 (13 00)	11 (22 00)	22 (22 00)	46 (18 40)
स्नातकोत्तर	3 (9 09)	9 (13 43)	12 (12 00)	19 (38 00)	27 (27 00)	58 (23 20)
कुल योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 3 03% अशिक्षित, 18 18% प्राथमिक, 27 28% माध्यमिक, 21 21% ठच माध्यमिक, 21 21% स्नातक, एवं 9 09% स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 16 42% अशिक्षित, 19 40% प्राथमिक, 28 36% माध्यमिक, 13 13% उच्च माध्यमिक 8 96% स्नातक एवं 13 43% स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता है।

जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के ऐक्षणिक स्तर का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाये तो ज्ञात होता है कि पूर्व व्यवस्था में अशिक्षित जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत 3 03 से वर्तमान व्यवस्था में घटकर 16 42%, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में 18 18% से घटकर 19 40%, माध्यमिक स्तर में 27 28 से घटकर 28 36% हुआ है। इसके साथ ही पूर्व व्यवस्था में उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियों में 21 21% से घटकर 13 13% एवं स्नातक-स्तर तक की शिक्षा में 21 21% से घटकर 8 96% हो गया है। जनप्रतिनिधियों में केवल स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं का प्रतिशत 9 09% से घटकर 13 43% हुआ है।

जब कहने का अभिप्राय यह है कि जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु कोई ऐक्षणिक अहंता नहीं रखी गयी है इसलिए नवीन अधिनियम के प्रावधानों में स्थानों के आरक्षण व्यवस्था से अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। पूर्व व्यवस्था में अशिक्षित जनप्रतिनिधि समाज को प्रतिष्ठित नागरिक ही चयनित हुआ करता था जबकि वर्तमान व्यवस्था में स्थानों के आरक्षण के कारण कोई भी व्यक्ति चयनित हो सकता है। पूर्व व्यवस्था में अधिकांश जनप्रतिनिधि माध्यमिक एवं इससे अधिक की शिक्षा प्राप्त ही चयनित होते थे जबकि वर्तमान व्यवस्था में ऐसा नहीं हो रहा है। पचायतीराज सम्प्रत्याओं को नवीन अधिनियम में पर्याप्त स्वामता देने के उद्देश्य से अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की जा रही हैं जबकि दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु कोई ऐक्षणिक अहंता नहीं रखा जाना पचायती राज की सफलता पर प्रश्नवाचक चिह्न अंकित कर रहा है। पचायती राज की भविष्य

में सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु चुनाव के लिए शिक्षा को भी चयन अंहंदा के रूप में स्वीकार करना बर्तमान परिस्थिति में उचित रहेगा।

कार्मिक वर्ग में 14.00% माध्यमिक, 26.00% उच्च माध्यमिक 22.00% स्नातक एवं 38.00% स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त है।

नागरिक वर्ग में 13.00% अशिक्षित, 16.00% प्राद्यमिक, 13.00% माध्यमिक, 9.00% उच्च माध्यमिक, 22.00% स्नातक एवं 27.00% स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त प्रतिदर्श में सम्मिलित है।

अतः प्रतिदर्श में सम्मिलित समग्र उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर का आकलन किया जावे तो ज्ञात होता है कि 10.00% अशिक्षित, 14.00% प्राद्यमिक, 19.20% माध्यमिक, 15.20% उच्च माध्यमिक, 18.40% स्नातक एवं 23.20% स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं को क्षेत्रीय कार्य हेतु लिया गया है।

यहाँ यह उल्लेख करना सभीचीन प्रतीत होता है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में चिठ्ठा हुआ राज्य है। जहाँ 1991 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 52.2 प्रतिशत थी, जबकि राजस्थान में यह 38.6 प्रतिशत है। इसके साथ ही एक विषमता यह भी है कि पुरुष साक्षरता यहाँ 55.00% है जबकि महिला साक्षरता के बजाए 20.40% हो है। महिला साक्षरता की दर बहुत ही कम है इसलिए महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदायनी राज सम्पदों में महिलाओं की आरक्षण देने से महिला जनप्रतिनिधियों की सख्त बृद्धि तो हो जायेगी लेकिन निर्णय प्रक्रिया में अशिक्षा के कारण उनकी भूमिका नगर्ज्य ही रहेगी।

जनप्रतिनिधि वर्ग में निम्न शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रशासकीय गतिविधियों को समझने में असमर्थ रहते हैं। जबकि लोकसेवक उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। अतः लोकसेवकों एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य शैक्षणिक स्तर में जमीन-आसमान का अन्तर होने के फलस्वरूप राजनीतिक एवं प्रशासनिक सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो जाती है।

वैवाहिक स्थिति

भारतीय समाज में विवाह एक अटूट सामाजिक बन्धन का प्रतीक है जिसमें पुरुष एवं महिला एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभोगी होते हैं। विवाह व्यक्ति के जीवन को अच्छे अथवा दुरे दोनों रूपों में से किसी भी रूप में प्रभावित कर सकता है। विवाह के कारण व्यक्ति के उत्तरदायित्व बढ़ते हैं। दाम्पत्य जीवन में पुरुष एवं महिला दोनों को ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निवाह करना पड़ता है। वैवाहिकता के दूसरे पक्ष को देखे तो अविवाहित कार्मिक व जनप्रतिनिधि अपने प्रशासकीय कार्यों के प्रति अधिक समर्पित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति मिली रहती है लेकिन इसके साथ ही उनके उत्तरदायित्व-हीन होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। चयनित उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्थिति का विवरण लालिका 6.7 में दिया गया है।

तालिका-6 7
वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

वैवाहिक स्थिति	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	बर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
विवाहित	31 (93 94)	62 (92 54)	93 (93 00)	50 (100 00)	85 (85 00)	228 (91 20)
अविवाहित		2 (2 98)	2 (2 00)		8 (8 00)	10 (4 00)
विधवा	1 (3 03)		1 (1 00)		3 (3 00)	4 (1 60)
विदुर	1 (3 03)	3 (3 48)	4 (4 00)		4 (4 00)	8 (3 20)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जनप्रतिनिधि वर्ग में 93 00% विवाहित 2 00% अविवाहित 100% विधवा एवं 4 00% विदुर हैं कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत विवाहित हैं।

जनसामान्य में से चयनित नागरिकों में 85 00% विवाहित 8 00% अविवाहित 3 20% विधवा एवं 4 00% विदुर हैं।

अत समग्र उत्तरदाताओं में से 91 20% विवाहित 4 00% अविवाहित एवं 1 60% विधवा एवं 3 20% विदुर हैं।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने वाले अध्याधी के लिए अधिनियम के लागू होने के परचात् दो बच्चों को अहंता रखी गयी है। इस सन्दर्भ में चयनित उत्तरदाताओं से उनके बच्चों की संख्या को जानकारी करने पर पाया गया कि जनप्रतिनिधि वर्ग में 28 00% उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके दो बच्चे हैं एवं 5 00% ऐसे हैं जिनके कोई बच्चा नहीं है जबकि शेष 67 00% उत्तरदाताओं के दो से अधिक बच्चे हैं। इसका कारण यह रहा है कि चयनित जनप्रतिनिधि वर्ग में केवल 5 00% उत्तरदाता हो ऐसे हैं जिनको आयु 30 वर्ष तक की है शेष 95 00% उत्तरदाताओं को आयु 30 वर्ष से अधिक की रही है इसलिए इन उत्तरदाताओं के बच्चे अधिनियम से पूर्व के होने के कारण उन पर सीमित

परिवार को अहंता लागू हो पाया है। चयनित उत्तरदाताओं के बच्चों का विवरण तालिका 69 में दिया गया है।

तालिका-68

उत्तरदाताओं के बच्चों का विवरण

बच्चों की संख्या	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल घोग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	दर्तामान व्यवस्था से सम्बद्ध	घोग			
1	3 (9.09)	7 (10.45)	10 (10.00)	9 (18.00)	9 (9.00)	28 (11.20)
2	5 (15.15)	13 (19.40)	18 (18.00)	11 (22.00)	25 (25.00)	54 (21.60)
3	8 (24.24)	15 (22.39)	23 (23.00)	13 (26.00)	23 (23.00)	59 (23.60)
3 से अधिक	17 (51.52)	27 (40.30)	44 (44.00)	17 (34.00)	30 (30.00)	91 (36.40)
विलकृत नहीं	0	5 (7.46)	5 (5.00)	- (13.00)	13 (7.20)	18 (17.20)
घोग	33 (100.00)	67 (100.00)	100 (100.00)	50 (100.00)	100 (100.00)	250 (100.00)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में 2 बच्चों तक को संख्या वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 28.00%, कार्मिक वर्ग में 40.00% एवं नागरिक वर्ग में 34.00% है। 3 बच्चा को संख्या वालों में जनप्रतिनिधिया का प्रतिशत 23.00%, कार्मिक वर्ग में 26.00% एवं नागरिकों में 23.00% है। इनके अलावा जनप्रतिनिधि वर्ग में 5.00% एवं नागरिकों में 13.00% उत्तरदाताओं के अभी कोई बच्चे नहीं हैं शेष उत्तरदाताओं के तीन से अधिक बच्चे हैं।

चयनित उत्तरदाताओं में समग्र रूप से उनके बच्चा का आकलन करे तो 11.20% उत्तरदाताओं के एक बच्चा, 21.60% के दो बच्चे एवं शेष 7.20% उत्तरदाता सन्तानहीन हैं।

परिवार व्यक्ति के विकास को प्रथम पाठशाला है जहाँ उसे जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए दिशा-व्योग कराया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्भाव की आधारशिला रखी जाती है तथा संस्कारों का बौजारोपण होता है। व्यक्ति के विचार, आचरण, रहन-सहन,

उन्नति प्रतिष्ठा आदि परिवार के ऊपर निर्भर करती है अतः परिवार के स्वरूप की जानकारी फरना आवश्यक हो जाता है। परिवार के स्वरूप का यांगीकरण तालिका 6 9 में दिया गया है।

तालिका 6 9

परिवार के स्वरूप का यांगीकरण

परिवार का स्वरूप	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक	नागरिक	कुल योग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
संयुक्त	14 (42 42)	18 (26 87)	32 (32 00)	31 (62 00)	54 (54 00)	117 (46 80)
एकाकी	19 (57 58)	49 (73 13)	68 (18 00)	19 (38 00)	46 (46 00)	113 (53 20)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित 42 42% वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 26 87% कार्मिक वर्ग में 62 00% नागरिक वर्ग में 54 00% परिवार संयुक्त रूप से रह रहे हैं जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित में 57 58% वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 73 13% कार्मिक वर्ग में 38 00% नागरिकों में 46 00% एकाकी परिवार है। युराने समय में बड़े एवं संयुक्त परिवार को अच्छा भावा जाता था क्योंकि उस समय एक ही परम्परागत व्यवसाय पर अधिकांशत निर्भर रहते थे एवं व्यक्ति की आवश्यकताएँ एवं आकाशाएँ सीमित थीं लेकिन आधुनिक समय में व्यक्ति के रोजगार रहन-सहन के सार उच्च महत्वाकांक्षा सीमित परिवार की भावना शिक्षा एवं अन्य कई कारणों से घुट्ठि कर रहे हैं। यही कारण है कि चयनित उत्तरदाताओं में समग्र रूप से 46 80% संयुक्त एवं 53 20% एकाकी परिवार हैं।

परिवार के स्वरूप के विश्लेषण में एक तथ्य यह भी उजागर हो रहा है कि कार्मिक एवं नागरिक वर्ग में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 62 एवं 54 प्रतिशत रहा है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 32 प्रतिशत ही है अर्थात् जनप्रतिनिधि वर्ग में एकाकी परिवारों का प्रतिशत अधिक है। जनप्रतिनिधि वर्ग में भी स्थिति विचित्र देखने को मिल रही है क्योंकि जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित उत्तरदाता है उनमें संयुक्त परिवारों का प्रतिशत 42 42% एवं एकाकी परिवारों का प्रतिशत 57 58% है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में एकाकी परिवारों का प्रतिशत 73 13 एवं संयुक्त परिवारों का प्रतिशत 26 87% है। आशय यह है कि व्यक्ति जैसे जैसे प्रगति पथ पर आग्रसर हो रहा है उसके परिवार विभाजित होकर एकाकी परिवारों के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं अतः संयुक्त परिवार विभाजित होकर एकाकी परिवारों के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं।

आधुनिक समय में समुक्त परिवार व्यवस्था तीव्र गति से एकाकी परिवार व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है इसके कारण वर्तमान परिव्रेक्ष्य में कुछ भी हो सकते हैं।

परिवार का आकार

व्यक्ति के रहन-सहन आचरण एवं विचार को परिवार का आकार भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सामान्यतः जिस परिवार में सदस्या को सछ्या अधिक होता है उस परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने को अधिक सम्भावना रहती है। वर्तमान में सीमित परिवार ही सुखी रह सकता है उत्तरदाताओं से परिवार में सदस्य सछ्या को जानकारी प्राप्त करने पर जो उन्हाने सदस्यों की सछ्या अवगत करवायी है उसका विवरण तालिका 6 10 में दिया गया है।

तालिका-6 10

उत्तरदाताओं के परिवार में कुल सदस्य सछ्या

उत्तरदाताओं की श्रेणी	परिवार में कुल सदस्यों की सछ्या								
	वयस्क			अवयस्क			कुल दर		
	पुरुष	महिला	दोनों	पुरुष	महिला	दोनों	पुरुष	महिला	दोनों
जनप्रतिनिधि वर्ग	299	263	562	140	135	275	439	398	837
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	123	105	228	57	60	117	180	165	345
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	176	158	334	83	75	158	259	233	492
कार्यकारी वर्ग	121	106	227	41	85	126	162	191	353
नगरिक वर्ग	308	236	544	185	193	378	493	492	922
कुल दर	728	605	1333	366	413	779	1094	1018	2112

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 33 उत्तरदाताओं के परिवार में वयस्क सदस्यों की सछ्या 228 एवं अवयस्क सदस्यों की सछ्या 117 इस प्रकार कुल 345 सदस्य है जिसमें 180 पुरुष एवं 165 स्त्री हैं। इन जनप्रतिनिधियों के परिवार में औसत सदस्य सछ्या 10 है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 67 जनप्रतिनिधियों के परिवार में वयस्क सदस्यों की सछ्या 334 एवं अवयस्क सदस्यों की सछ्या 158 इस प्रकार कुल 492 सदस्य हैं जिसमें 259 पुरुष एवं 233 स्त्री हैं इन जनप्रतिनिधियों के परिवार में औसत सदस्यों की सछ्या 7 है।

अत उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग के 100 उत्तरदाताओं के भरिवार में वयस्क सदस्यों की सछ्या 562 एवं अवयस्क सदस्यों की सछ्या 275 इस प्रकार कुल 837 सदस्य हैं जिसमें 439 पुरुष एवं 398 स्त्रियों हैं जनप्रतिनिधियों के परिवारों में औसत सदस्यों की सछ्या 8 है।

कार्मिक धर्म में 50 उत्तरदाताओं के परिवार में वयस्क सदस्यों की संख्या 227 एवं अयस्क 126 कुल 353 सदस्य हैं जिसमें 162 पुरुष एवं 191 स्त्रियाँ हैं। कार्मिक धर्म के उत्तरदाताओं के परिवारों में औसत सदस्यों की संख्या 7 है।

जनसामान्य से चयनित 100 उत्तरदाताओं के परिवार में वयस्क सदस्य 344 एवं अयस्क 378 कुल 922 सदस्य हैं जिसमें 378 पुरुष एवं 493 स्त्रियाँ हैं। इन उत्तरदाताओं के परिवारों में औसत सदस्य संख्या 9 है।

इस प्रकार चयनित समग्र 250 उत्तरदाताओं के परिवारों में वयस्क सदस्य 1333 एवं अयस्क 779 कुल 2112 सदस्य हैं जिसमें 1094 पुरुष एवं 1080 स्त्रियाँ हैं। इन परिवारों में औसत सदस्य संख्या 8 है।

परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या

चयनित उत्तरदाताओं के परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या में आय वाले सदस्यों की संख्या की जानकारी करने पर जो स्थिति सामने आयी है उसका विवरण तालिका 6 11 में दिया गया है।

तालिका 6 11

कमाने वाले सदस्यों की संख्या

उत्तरदाताओं की श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या	कुल कमाने वाले सदस्यों की संख्या	कमाने वाले सदस्यों का प्रतिशत
जनप्रतिनिधि धर्म	100	837	179	21 39
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33	345	57	16 52
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	492	122	24 80
कार्मिक धर्म	50	353	96	27 20
नागरिक धर्म	100	922	518	26 36
कुल घोग	250	2112	518	24 53

तालिका से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि धर्म में 837 सदस्यों में से 179 सदस्य कमाने वाले हैं जो कि कुल सदस्यों का 21 39% है। दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के परिवार में 16 52% एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के परिवार में 24 80% सदस्य कमाने वाले हैं।

कार्मिक धर्म के परिवारों में 27 20 एवं नागरिकों के परिवारों में 26 36% सदस्य कमाने वाले हैं। चयनित उत्तरदाताओं में श्रेणीवार तुलनात्मक स्थिति का आकलन किया जावे तो जनप्रतिनिधि धर्म में 21 39% कार्मिक धर्म में 27 20% एवं नागरिक धर्म में 26 36% सदस्य कमाने वाले हैं। तीनों श्रेणी के उत्तरदाताओं में कमाने वाले सदस्यों का संघर्ष अधिक

प्रतिशत कार्मिक वर्ग में एवं सबसे कम प्रतिशत जनप्रतिनिधि वर्ग में है। चयनित उत्तरदाताओं में समग्र रूप से कमाने वाले सदस्यों का कुल सदस्यों की संख्या में प्रतिशत 24.53 है। अतः कमाने वाले सदस्यों का 24.53 प्रतिशत अच्छी स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है।

व्यवसाय का बगोकरण

व्यवसाय व्यक्ति के विचार, रहन-सहन के स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जिस प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासनिक संगठन में अपने कादों का सही रूप में निष्पादन करता है जबकि एक मजदूर अपने कादों को बोझ मानकर करता है। व्यक्ति के चिन्तन, कार्य-प्रणाली, कार्य-निष्पादन उसके व्यवसाय से प्रभावित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय करता है उसके सोचने का तरीका भी वैसा ही रहता है। एक अध्यापक अपने शिष्टजन कार्य का चिन्तन करता है तो प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कादों का चिन्तन करता है जबकि कृपक कृपि उत्पादन बढ़ाने के बारे में चिन्तन करता है इन व्यक्तियों पर चिन्तन के साथ-साथ जीवनस्तर पर भी व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है। इसलिए उत्तरदाताओं के व्यवसाय को जानकारी करना सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक शोधकार्यों में शोधकर्ता समाज के प्रत्येक पहलु पर गहनता से विचार करता है। प्रस्तुत शोधकार्य में भी उत्तरदाताओं के व्यवसाय को जानकारी प्राप्त की गयी है जिसका विवरण तालिका 6.12 में दिया गया है।

तालिका-6.12
व्यवसाय का बगोकरण

उत्तरदाताओं का व्यवसाय	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल दोग
	दोनों व्यवसायों से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवसाय से सम्बद्ध	दोग			
नैक्षण्य	-	-	-	50 (100.00)	7 (7.00)	57 (22.80)
कृषि व पशुपालन	19 (57.58)	37 (55.22)	56 (56.00)	-	25 (25.00)	81 (32.40)
छद्मी	5 (15.15)	11 (16.42)	16 (16.00)	-	30 (30.00)	46 (18.40)
मजदूरी	3 (9.09)	9 (13.43)	12 (12.00)	-	23 (23.00)	35 (14.00)
अन्य	6 (18.18)	10 (14.93)	16 (16.00)	-	15 (15.00)	31 (21.40)
दोग	33 (100.00)	67 (100.00)	100 (100.00)	50 (100.00)	100 (100.00)	250 (100.00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तारिका में उत्तरदाताओं के व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी को देखने से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में जो दोनों व्यवस्थाओं में जनप्रतिनिधि रहे हैं 57.58% कृषि एवं पशुपालन 15.15% व्यापार 9.09% मजदूरी एवं 18.18% अन्य कार्य करते हैं। इन उत्तरदाताओं में अधिकांश उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों की स्थिति भी दैरी है। इन उत्तरदाताओं में 55.22% कृषि व पशुपालन 16.42% व्यापार 13.43% मजदूरी एवं 14.93% अन्य कार्य करते हैं।

वार्षिक वर्ग के उत्तरदाताओं में ज्ञात प्रतिशत का व्यवसाय नीकरी है। नागरिक वर्ग में 7.00% और वर्ष 25.00% कृषि एवं पशुपालन 30.00% व्यापार 23.00% मजदूरी एवं 15.00% अन्य व्यवसाय करते हैं। नागरिक वर्ग में अधिकतम उत्तरदाता व्यापार व्यवसाय से सम्बन्धित है।

उत्तरदाताओं को समग्र हृषि से देखा जाये तो राष्ट्रीयता 32.40% उत्तरदाता कृषि एवं पशुपालन व्याय करते हैं जबकि 22.80% नीकरी 18.40% व्यापार 14.00% मजदूरी एवं 12.40% अन्य व्यवसाय करते हैं। शोधकार्य पंचायतीराज रोपणाओं से सम्बन्धित होने के फारण साधारणता वर्ती हेतु उत्तरदाताओं का घयन ग्रामीण भेत्र से ही किया गया है। ग्राम घासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन होता है आत घरनित उत्तरदाताओं में भी राष्ट्रीय व्यवसाय कृषि व पशुपालन ही रहा है।

वार्षिक आय का विश्लेषण

छाति यी सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्न को प्रभावित करने वाले वार्षिक में आय एवं महारपूर्ण वारद है। वर्तमान में समाज छाति के गुण दोनों का मूल्यांकन उत्तरकी आय में दर्पण भी वरता है। छाति वी आय के आधार पर उत्तरकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं प्रतिष्ठा का निर्धारण होता है। छाति के आवरण विधार व्यवहार प्रतिभा आदि गुणों के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता यो भी गुण में महसूसार्थी इथान दिया जाने लगा है। छाति वी आय प्रत्येक भेत्र में महारपूर्ण रथान रोपे के बारें आय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त वर्तमा सामाजिक रोप विए आवश्यक हो गया है। उत्तरदाताओं वी वार्षिक आय का वर्णन लालिका 6.13 में दिया गया है।

तालिका-6.13
उत्तरदाताओं की वार्षिक आय का वर्गीकरण

वार्षिक आय (रुपयों में)	जनप्रतिनिधि वर्ग			वार्षिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल दोग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	दोग			
० से ५० हजार	9 (27.27)	19 (28.36)	28 (28.00)	2 (4.00)	39 (39.00)	69 (27.60)
५० से १ लाख	12 (36.37)	23 (34.32)	35 (35.00)	11 (22.00)	12 (12.00)	55 (23.20)
१ से १५० लाख	3 (9.09)	8 (11.94)	11 (11.00)	13 (26.00)	28 (28.00)	52 (20.80)
१५० से २ लाख	3 (9.09)	6 (8.96)	9 (9.00)	12 (24.00)	14 (14.00)	35 (14.00)
२ से २५० लाख	-	6 (8.96)	6 (6.00)	8 (16.00)	3 (3.00)	17 (6.80)
२५१ एवं अधिक	5 (15.15)	4 (5.97)	9 (9.00)	4 (8.00)	2 (2.00)	15 (6.00)
प्रत्युत्तर	1 (3.03)	1 (4.49)	2 (2.00)	-	2 (2.00)	4 (1.60)
दोग	33 (100.00)	67 (100.00)	100 (100.00)	50 (100.00)	100 (100.00)	250 (100.00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों की वार्षिक आय में 27.27% उत्तरदाताओं की ५० हजार रुपये, 36.36% की ५० हजार से १ लाख रु., 9.09% की १ लाख से १५० लाख रु., 9.09% की १५० से २ लाख रु. एवं 15.15% की २५१ लाख रु. एवं अधिक की वार्षिक आय होना अवागत करवाया है। शेष 3.03% उत्तरदाताओं ने आय को जानकारों नहीं करवायी है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में से २८.३६% ने ०-५० हजार रु., ३४.३२% ने ५० हजार से १ लाख, 11.94% ने १ से १५० लाख, 8.96% ने १५० से २

लाख, 8.96% ने 2 से 2.50 लाख रु तक एवं 5.97% ने 2.51 लाख रु एवं अधिक की वार्षिक आय का होना अवगत करवाया है शेष 1.49% न प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं में से 28.00% की 0 से 50 हजार रु, 35.00% की 50 हजार से 1 लाख, 11.00% की 1 से 1.50 लाख, 9.00% की 1.50 से 2 लाख रु एवं अधिक की वार्षिक आय प्राप्त होने की जानकारी करवायी गयी है। शेष 2.00% ने कोई जानकारी आय सम्बन्धी उपलब्ध नहीं करवायी है।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से 4.00% ने 0 से 50 हजार रु, 22.00% ने 50 हजार से 1 लाख रु, 26.00% ने 1 से 1.50 लाख रु 24.00% ने 1.50 से 2.00 लाख रु, 16.00% ने 2 से 2.50 लाख रु तक एवं 8.00% ने 2.51 लाख रु एवं अधिक की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है। नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं में 39.00% ने 0 से 50 हजार रु, 12.00% ने 50 हजार से 1 लाख रु, 28.00% ने 1 से 1.50 लाख 14.00% ने 1.50 से 2 लाख रु, 3.00% 2 से 2.50 लाख रु तक एवं 2.00% ने 2.51 लाख रु एवं अधिक की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है। शेष 2.00% उत्तरदाताओं ने वार्षिक आय की जानकारी नहीं दी है।

अतः उत्तरदाताओं की समग्र रूप से वार्षिक आय का विवरण किया जावे तो ज्ञात होता है कि उनमें से 27.60% की 0 से 50 हजार, 23.20% की 50 से 1 लाख रु, 20.80% की 1 से 1.50 लाख, 14.00% की 1.50 लाख से 2 लाख, 6.80% की 2 से 2.50 लाख रु तक एवं 6.00% की 2.51 लाख रु एवं अधिक की वार्षिक आय की जानकारी करवायी है शेष 1.67% ने इस सम्बन्ध में प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः सभसे बड़ा आय समूह 0-50 हजार में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 27.60 है। जबकि सभसे अधिक 2.51 लाख रु एवं अधिक उत्तरदाताओं का प्रतिशत 6.00 है। उत्तरदाताओं के पास कृषि भूमि का धेनफल, परिवार में कुल एवं उनमें कमाने वाले सदस्यों के प्रतिशत के आकलन से उत्तरदाताओं द्वारा उनकी वार्षिक आय कम अवगत करवाया जाना प्रतीत होता है।

कृषि योग्य भूमि का विवरण

जैसाकि पूर्व में उत्तरदाताओं के व्यवसाय वर्गीकरण में कुल उत्तरदाताओं में से 32.40% उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृषि व पशुपालन पाया गया है। इस सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की कृषि भूमि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। कृषकों एवं मजदूरों के लिए कृषि योग्य भूमि उनके जीवन-यापन का प्रमुख साधन है जबकि कार्मिक वर्ग के लिए यह आमदनी का अतिरिक्त स्रोत है। चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य कारक उनके पास कृषि योग्य भूमि का होना भी माना गया है। कृषि पर पर्याप्त निर्भर रहता है। चयनित उत्तरदाताओं के पास कृषि योग्य भूमि की जानकारी प्राप्त करने पर जो उन्होंने अवगत करवाया है उसका विवरण तालिका 6.14 में दिया गया है।

तालिका-6 14
कृषि योग्य भूमि का विवरण

कृषि भूमि (बीघे में)	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्यिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
0-10	3 (9.09)	20 (29.85)	23 (23.00)	5 (10.00)	22 (22.00)	50 (20.00)
11-20	3 (9.09)	14 (20.92)	17 (17.00)	23 (46.00)	13 (53.00)	53 (21.20)
21-30	3 (9.09)		3 (3.00)	-	29 (29.00)	32 (12.80)
31-40	-	11 (16.42)	11 (11.00)	-	-	11 (4.40)
41-50	4 (12.12)	13 (19.40)	17 (17.00)	-	-	17 (6.80)
51 से अधिक	17 (51.52)	-	17 (17.00)	-	-	17 (6.89)
विलुप्त नहीं	3 (9.09)	9 (13.43)	12 (12.00)	22 (44.00)	25 (25.00)	59 (23.60)
योग	33 (100.00)	67 (100.00)	100 (100.00)	50 (100.00)	100 (100.00)	250 (100.00)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में से जो जनप्रतिनिधि दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध है उनके पास कृषि भूमि सिचित क्षेत्रफल 9.09% के पास 0 से 10 बीघा, 9.09% के पास 11 से 20 बीघा, 9.09% के पास 21 से 30 बीघा, 12.12% के पास 41 से 50 बीघा, 51.52% के पास 51 बीघा से अधिक का सिचित क्षेत्रफल उनके पास है। शेष 9.09% के पास सिचित क्षेत्रफल नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 29.85% के पास 0 से 10 बीघा, 20.90% के पास 11 से 20 बीघा, 16.42% के पास 31 से 40 बीघा एवं 19.40% के पास 41 से 50 बीघा सिचित क्षेत्रफल कृषि-भूमि है। जनप्रतिनिधियों में दोनों श्रेणी के उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण देखा जाये तो ज्ञात होता है कि जो जनप्रतिनिधि दोना व्यवस्था से सम्बन्धित है उनके पास सिचित कृषि भूमि का क्षेत्रफल वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा उनके पास अधिक है।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से 10.00% के पास 0 से 10 बीघा एवं 46.00% के पास 11 से 20 बीघा कृषि भूमि का सिचित क्षेत्रफल है जबकि 44.00% के पास 51 बीघा से अधिक सिचित भूमि का क्षेत्रफल है जबकि 25.00% के पास सिचित भूमि बिल्कुल नहीं है।

अतः समग्र उत्तरदाताओं के कृषि भूमि के सिचित क्षेत्रफल का विश्लेषण देखा जावे तो 20.00% के पास 0 से 10 बीघा, 21.20% के पास 11 से 20 बीघा, 12.80% के पास 21 से 30 बीघा, 4.40% के पास 31 से 40 बीघा, 6.80% के पास 41 से 50 बीघा एवं 11.20% के पास 51 बीघा से अधिक सिचित कृषि भूमि का क्षेत्रफल है जबकि 23.60% के पास सिचित कृषि भूमि क्षेत्रफल शून्य है।

असिचित कृषि भूमि

उत्तरदाताओं के पास सिचित कृषि क्षेत्र के साथ ही असिचित कृषि भूमि की भी जानकारी की गई जिसमें जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं, कार्मिक वर्ग एवं नागरिकों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसका उत्तरदाताओं की श्रेणीवार भूमि के क्षेत्रफल का विवरण तालिका 6.15 में दिया गया है।

तालिका-6.15

असिचित कृषि योग्य भूमि का विवरण

कृषि भूमि (बीघा में)	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग वर्ग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	बर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
0-10	6 (18.18)	5 (7.46)	11 (11.00)	-	-	11 (4.40)
11-20	-	11 (16.42)	11 (11.00)	-	12 (12.00)	23 (9.20)
21-30	-	6 (8.95)	6 (6.00)	-	13 (13.00)	19 (7.60)
31-40	-	-	-	-	-	-
41-50	-	-	-	5 (10.00)	-	5 (2.00)
51 से अधिक	3 (9.09)	6 (8.95)	9 (00)	-	-	9 (3.60)
बिल्कुल नहीं	24 (72.73)	39 (58.22)	63 (63.00)	45 (90.00)	75 (75.00)	183 (73.20)
योग	33 (100.00)	67 (100.00)	100 (100.00)	50 (100.00)	100 (100.00)	250 (100.00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में जो दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनमें से 18 18% के पास 0 से 10 बीघा, 9 09% के पास 51 एवं अधिक बीघा असिचित कृषि भूमि है जबकि 72 73% के पास असिचित कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जो जनप्रतिनिधि है उनमें से 7 46% के पास 0 से 10 बीघा, 16 42% के पास 11 से 20 बीघा, 8 95% के पास 21 से 30 बीघा, 8 95% के पास 51 बीघा एवं अधिक को कृषि भूमि का असिचित क्षेत्र है।

कार्मिक वर्ग में केवल 10 00% के पास 41 से 50 बीघा कृषि भूमि असिचित क्षेत्र है जबकि 90 00% के पास असिचित कृषि भूमि बिल्कुल भी नहीं है। नागरिक वर्ग में 12 00% के पास 11 से 20 बीघा, 13 00% के पास 21 से 30 बीघा एवं 75 00% के पास असिचित कृषि भूमि बिल्कुल भी नहीं है।

अत उत्तरदाताओं का समग्र रूप में विश्लेषण किया जावे तो 4 40% के पास 0 से 10 बीघा, 9 20% के पास 11 से 20 बीघा 7 60% के पास 21 से 30 बीघा, 2 00% के पास 41 से 50 बीघा एवं 3 60% के पास 51 से अधिक की कृषि भूमि असिचित है जबकि 73 20% के पास असिचित भूमि नहीं है।

उत्तरदाताओं के पास कृषि भूमि की जानकारी करने पर पाया गया कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में शत-प्रतिशत के पास कृषि भूमि है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में से 7 46% के पास, कार्मिक वर्ग में 44 00% के पाय एवं नागरिक वर्ग में 14 00% के पास कृषि भूमि नहीं है।

भारत वर्ष में भूमि सुधार का प्राथमिक लक्ष्य था कि भूस्वामियों को समस्त भूमि एक निश्चित सौमा से अधिक हुई तो राज्य उस भूमि का अधिग्रहण कर लेगा और छोटे काशतारों में बाँट देगा ताकि उनकी कृषि योग्य भूमि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बन सके। इसके साथ ही एक विकल्प यह भी था कि अधिग्रहित भूमि भूमिहीन मजदूरों को दे दी जाये ताकि उनकी भूमि को आवश्यकता पूरी हो सके। राज्य में जनसञ्चय बढ़ादि एवं एकाकी परिवारों की बढ़ती हुई सख्त्या के कारण कृषि जोत का आकार छोटा होने के साथ-साथ वर्षा को अनिश्चितता एवं सिचाई की पूर्ण सुविधा न मिलने के कारण कृषि पर निर्भरता कम होती जा रही है। वर्षा की कमी एवं सिचाई सुविधा के अभाव में ग्रामीण परिवार अन्य व्यवसायों को तरफ अग्रसर हो रहे हैं जैसा कि पूर्व में उत्तरदाताओं के व्यावसायिक विवरण से स्पष्ट होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि उनके सम्मान व आय में यह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कृषि भूमि से कृपक परिवार का जीविकोषार्जन तो होता ही है इसके साथ ही कृषि उत्पादन से देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलती है। इसी कारण सरकार द्वारा भी कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषि उपकरणों व उर्द्धकों तथा कीटनाशक दवाइयों में अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

सिचाई के साधन

भारत में कृषि अधिकतर मानसून पर निर्भर रहती है अतः मानसून में वर्षा अच्छी होती है तो कृषि उत्पादन में बढ़ि होती है तथा पशुओं के लिए पर्याप्त चारा भी मिलता है और मानसून में वर्षा अपर्याप्त होने पर कृषि उत्पादन तो प्रभावित होता ही है साथ ही पशुओं के लिए चारे एवं पानी की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। विगत वर्षों में राज्य में वर्षा कम हो

रही है तथा सभी जिलों में समान रूप से नहीं होती है। कहीं वर्षा अधिक तो कहीं कम वर्षा होने से कृषि उत्पादन के लिए फसल को पानी आवश्यक होता है इसलिए सिचाई साधनों का महत्व बढ़ जाता है। चयनित उत्तरदाताओं का कृषि भूमि की जानकारी का विवरण खूब में दिया गया है इसलिए कृषि भूमि के लिए उनके पास सिचाई सुविधा के क्या-क्या साधन हैं? इसको भी जानकारी करने पर उन्होंने जो अवगत करवाया है उन सिचाई साधनों का विवरण तालिका 6 16 में दिया गया है।

तालिका-6 16

सिचाई के स्रोत

सिचाई के स्रोत	जनप्रतिनिधि वर्ग			कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
	दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	योग			
कुआँ	9 (27 27)	6 (8 96)	15 (15 00)	5 (10 00)	17 (17 00)	37 (14 80)
पम्पसैट	6 (18 18)	26 (38 81)	32 (32 00)	12 (24 00)	21 (21 00)	65 (26 00)
नहर	9 (27 27)	16 (23 28)	25 (25 00)	5 (10 00)	27 (27 00)	57 (22 80)
नहर एवं पम्पसैट	6 (18 18)	10 (14 93)	16 (16 00)	6 (12 00)	10 (10 00)	32 (12 80)
कोई नहीं	3 (9 09)	9 (13 43)	12 (12 00)	22 (44 00)	25 (25 00)	59 (23 60)
योग	33 (100 00)	67 (100 00)	100 (100 00)	50 (100 00)	100 (100 00)	250 (100 00)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग के जो दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनके पास कृषि भूमि के लिए सिचाई के साधनों में 27 27% के कुआँ, 18 18% के पम्पसैट, 27 27% के नहर एवं 18 18% के पम्पसैट एवं नहर दोनों प्रकार के साधन हैं। शेष 9 09% के पास सिचाई का कोई स्रोत नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जो उत्तरदाता है उनमें 8 96% के कुआँ, 38 81% के पम्पसैट, 23 88% के नहर एवं 14 93% के पम्पसैट एवं नहर दोनों तरह के साधन हैं।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से 10 00% के कुआँ 24 00% के पम्पसैट 10 00% के नहर, 12 00% के नहर एवं पम्पसैट दोनों प्रकार के सिचाई के साधन हैं।

नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से 17.00% के कुआँ, 21.00% के पम्पसैट, 27.00% के नहर 10.00% के नहर एवं पम्पसैट दोनों प्रकार के साधन हैं जबकि शेष 25.00% के पास सिचाई का कोई स्रोत नहीं है।

अतः उत्तरदाताओं के सिचाई स्रोतों को समग्र उत्तरदाताओं के आकलन से इतना होता है कि 14.80% के कुआँ, 26.00% के पम्पसैट, 22.80% के नहर, 12.80% नहर व पम्पसैट दोनों तरह के सिचाई के स्रोत हैं जबकि शेष 23.00% के कोई सिचाई का साधन नहीं है। चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकाशतः उत्तरदाता नहर तथा पम्पसैट से कृषि भूमि की सिचाई करते हैं।

सन्दर्भ

- 1 ए.एस अल्लेकर, ग्रामीण भारतीय रासन पद्धति, 173-74, देहली भौतीतात बनारसी दास, 1949।
- 2 उपर्युक्त पृष्ठ—171-73।
- 3 उपर्युक्त पृष्ठ—171-72।
- 4 जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, 1990 पृष्ठ 277, 20वाँ सस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।
- 5 रवीन्द्र शर्मा, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1985, पृ 10।
- 6 ढी सो पोटर गवर्नरमेन्ट इन रूल एरिया, 1964 पृ 86, उद्दत आरपो शर्मा, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन प्रिन्ट वेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1985।
7. तिवाड़ी, चौधरी एवं चौधरी, राजस्थान में पचायत कानून, ऋचा प्रकाशन, 1995, जयपुर पृ 12।

पंचायती राज व्यवस्था : अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय] [संगठन एवं कार्यकरण]

पंचायती राज संगठन में निम्नतम स्तर पर ग्रामसभा/ग्राम पंचायत इसके कम पर छोटे स्तर पर पंचायत रामिति और शिलार पर जिला परिषद् होती है। भारत विधव का सबसे यहाँ सोकतान्त्रिक देश है। पंचायती राज सोकतन्त्र का ही स्वरूप है। जनता और सत्ता का आपसी समन्वय है। इसमें गौव से दिस्ती तक के प्रशासन के सभी स्तरों पर जनता का अधिकार है। फर्स्टवो या बारावर-बारावर थैटवारा है। पंचायती राज अथवा सोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण यासाय में प्राचीन पंचायतों का ही परिष्कृत रूप है परन्तु समय-समय पर अधिनियमों के द्वारा इसमें नये ढंगेश्य नई शक्ति और नये हारीकों का समायोजन कर दिया गया है। पंचायती राज में विकास वा काम संशमना की दृष्टि से चार स्तरों पर इस सहर विभक्त किया गया है कि ग्रामीण विकास का दायित्व सरकार से हटाकर जनता द्वारा सुनी गई स्थानीय समस्याओं के हाथ में आ गया है जो लोकसभा से ग्रामसभा तक मिल के शिरामिड की अकृति होते हैं। पंचायती राज में सोकतान्त्रिक स्वरूप को पंचायती राज सम्पादन में इस तरह विभाजित किया है कि पंचायती राज सम्पादनों को पूर्णरूपेण स्थायतता प्राप्त हो गयी है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण इससिए किया गया है कि सोकतन्त्र और विकेन्द्रीकरण में घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा दोनों एक-दूसरे पे पूरक हैं। विकेन्द्रीकरण के बिना सोकतन्त्र का पूर्णत विस्तृत हाना असाध्य है।

विष्णुत राजनीतिशास्त्री आइस ने इसी बात को इस तरह लिखा है कि स्थानीय शासन की पद्धति सोकतन्त्र वी सर्वोत्तम पाठशाला और उसकी सफलता की सबसे अच्छी गारण्टी है। “सोकतन्त्र शासन वा यह रूप है जिसमें राज्याधिकार किसी विरोप वेणी पे सारा को नहीं धरन् समूमे सरकार के सोगां को प्रदान किये जाते हैं।” यस्यन्तराय मेहता के अनुसार “सोकतन्त्र यी परिकल्पना यह है कि वेदत उपर से ही शासन न धलाया जाए, यात्कि

स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाये। यह तभी सम्भव है जबकि सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सके। यही सत्ता का विकेन्द्रीकरण अथवा पचायती राज है।” इस स्थिति को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तार होगा वह उतना ही अधिक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। जब सर्व-साधारण के पास अधिकार आयेंगे तो वे अपना कर्तव्यपालन भी निष्ठा के साथ सीखेंगे। विकेन्द्रित व्यवस्था में जनता अपने विकास और कल्याण कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने साधनों से कार्य पूर्ण करने हेतु तत्पर रहेंगे क्योंकि उसके पास सत्ता होगी, अधिकार होगे तथा उनको उपयोग करने की शक्ति भी होगी।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया

शोधकार्य हेतु साक्षात्कार किये गये उत्तरदाताओं से पचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के बारे में जो जानकारी प्राप्त की गई उसका विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

तालिका-7.1

पचायती राज संस्थाओं का चुनाव

उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या	चुनाव लड़ा	दृढ़ हाँ तो किस संस्था के लिए	ग्राम पचायत	प सं	जिला परिषद्
		हाँ	नहीं			
जनप्रतिनिधि वर्ग	100	100	-	51	36	13
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33	33	-	18 (54.55)	15 (45.45)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	67	-	33 (49.25)	21 (31.34)	13 (19.41)
कार्मिक वर्ग	50	-	50	-	-	-
नागरिक वर्ग	100	13	87	13 (100.00)	-	-
कुल योग	250 (100.00)	113 (45.20)	137 (54.80)	64 (56.64)	36 (31.86)	13 (11.50)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ा है जबकि कार्मिक वर्ग के किसी भी उत्तरदाता ने चुनाव नहीं लड़ा है। नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से 13.00% ने पचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ा है जबकि 87.00% ने चुनाव नहीं लड़ा है।

पचायती राज संस्थाओं का जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध उत्तरदाताओं में से 54.55% ने ग्राम पचायत एवं 45.45% ने पचायत समिति स्तर का चुनाव लड़ा अवगत करवाया है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में से 49.25% ने ग्राम पचायत, 31.34% ने पचायत समिति एवं 19.41% ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा

अवगत करवाया है। नागरिक वर्ग में जिन 13% ने चुनाव लड़ा अवगत करवाया है उनमें शत-प्रतिशत ने ग्राम पचायत का चुनाव लड़ा है।

पचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं से चुनाव परिणामों के बारे में जानकारी करने पर अवगत करवाया गया कि जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुनाव जीता है जबकि नागरिक वर्ग में 61.45% ने चुनाव जीता है और 38.46% ने चुनाव हारा गये हैं।

अत समग्र रूप से चयनित उत्तरदाताओं में से 45.20% ने चुनाव लड़ा है और 54.80% ने चुनाव नहीं लड़ा है। जिन उत्तरदाताओं ने चुनाव लड़ा है उनमें से 56.64% ने ग्राम पचायत, 31.86% ने पचायत समिति एवं 11.50% ने जिला परिषद् का चुनाव लड़ा है जिन उत्तरदाताओं ने पचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ा है उनसे चुनाव परिणाम की जानकारी करने पर उनमें से 95.58% ने चुनाव में जीतना एवं 4.42% ने चुनाव हारा अवगत करवाया है।

चयनित उत्तरदाताओं से वर्तमान चुनाव के अतिरिक्त पूर्व में भी चुनाव लड़ने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई ताकि उत्तरदाताओं की पूर्व की पृष्ठभूमि का शान हो सके। कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से किसी भी कार्मिक ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है जबकि जनप्रतिनिधियों में शत-प्रतिशत ने एवं नागरिकों में से 13.00% ने पूर्व में भी चुनाव लड़ने की जानकारी दी है। इस प्रकार चयनित उत्तरदाताओं में से 45.20% ने पूर्व में चुनाव लड़ना एवं 54.80% ने पूर्व में चुनाव नहीं लड़ना अवगत करवाया।

पूर्व एवं वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया

चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग के 13.00% इस प्रकार कुल 45.20% ने जो कि चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं से तुलनात्मक जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है।

तालिका-7.2

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया	
		पहले अच्छी थी	अब अच्छी है
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	59 (59 00)	41 (41 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	24 (72 73)	9 (27 27)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	35 (52 24)	32 (47 76)
नागरिक वर्ग	13 (100 00)	10 (90 00)	3 -
योग	113 (100 00)	69 (61 06)	44 (38 94)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

चुनाव व्यवस्था एवं प्रक्रिया पर पहले एवं अब दोनों व्यवस्थाओं पर उत्तरदाताओं को प्रतिक्रिया से ज्ञात हुआ कि 61.06% उत्तरदाता पूर्व व्यवस्था को अच्छी मानते हैं जबकि 38.94% उत्तरदाता वर्तमान व्यवस्था को अच्छी मानते हैं।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के समर्थन में सहमति के कारण

देश की पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने व अधिक सुदृढ़ करने हेतु देश के सभी राज्यों में पचायती राज की अनिवार्यता एवं एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सकार द्वारा 24.4.93 को हीन राज्यों (मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड) को छोड़कर सम्पूर्ण देश में 73वाँ संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने पर पचायती राज संस्थाओं की चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने पृष्ठ में जो तर्क दिये हैं उनका विवरण तालिका 7.3 में दिया गया है।

तालिका-7.3

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के समर्थन में सहमति के कारण

सहमति के कारण	जनप्रतिनिधि वर्ग	कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग
1 सभी वर्गों की भागीदारी में वृद्धि	17 (56.67)	8 (61.54)	49 (80.33)	79 (71.15)
2 पचायती राज संस्थाओं को स्वायत्ता एवं अधिकार सम्पन्न	5 (16.67)	5 (38.46)	40 (65.57)	50 (48.08)
3 दलीय आधार पर चुनाव	6 (20.00)	5 (38.46)	-	11 (10.58)
4 चुनावों की समयावधि निश्चित	13 (43.33)	6 (46.15)	-	19 (18.27)
5 चुनाव में भुजवल व आतंक कम होना	5 (16.67)	4 (30.76)	11 (18.03)	20 (19.23)
6 आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि	25 (83.33)	-	13 (21.31)	38 (36.54)
7 सीमित परिवार की अहंता	7 (23.33)	-	-	7 (6.73)
8 संस्था प्रधाना की चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण	9 (30.00)	-	-	9 (8.65)
9 संवैधानिक रूप से सत्ता का विकेन्द्रीकरण	4 (13.33)	-	-	4 (3.85)
उत्तरदाताओं की सख्ता	30 (100.00)	13 (100.00)	61 (100.00)	104 (100.00)

कोण्ट्रूक्शन (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अखलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में से 30 00% कार्मिक वर्ग में से 26 00% एवं नागरिकों में से 61 00% ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था एवं प्रक्रिया के समर्थन में कारणों से अवगत करवाया गया है। जिन उत्तरदाताओं ने पचायती राज संस्थाओं की वर्तमान चुनाव व्यवस्था के समर्थन में कारणों से अवगत करवाया है उनमें जनप्रतिनिधि वर्ग के कुल उत्तरदाताओं में से 56 67% ने सभी वर्गों की भागीदारी में बृद्धि होना यततया है। जनप्रतिनिधियों का इस सम्बन्ध में अलग-अलग व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में जो दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित है उनका प्रतिशत 60 00% है तथा वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत 55 00% है। कार्मिक वर्ग का प्रतिशत 61 54% एवं नागरिक वर्ग में प्रतिशत 80 33% है। इस प्रकार कुल उत्तरदाताओं में से 71 15% उत्तरदाताओं के अभिमत से पचायती राज संस्थाओं में नवीन चुनाव व्यवस्था एवं प्रक्रिया में वाह्य/स्थानों के आरक्षण के कारण गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिला। जिसके कारण आप जनता के सभी वर्गों को इन संस्थाओं में चुनाव लड़ने के प्रति जागृति आई है। साथ ही सभी वर्गों की इन संस्थाओं में भागीदारी को बढ़ावा मिला है।

जनप्रतिनिधि वर्ग में से 16 67%, कार्मिक वर्ग में से 38 46% एवं नागरिक वर्ग में से 65 57% का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था से पचायती राज संस्थाओं के अधिकारों में बृद्धि की गयी तथा इन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस तथ्य की पुष्टि कुल उत्तरदाताओं में से 48 08% ने की है। उत्तरदाताओं के अभिमत से वर्तमान व्यवस्था अच्छी है, सपत्र ख्वतन्त्र एवं अधिकार युक्ति हो गये हैं तथा प्रशासनिक अधिकारों में बृद्धि हुई है। पचायती के सुदृढ़ीकरण से गैंडों में विकास कार्य अधिक गति से होगे। अत ऐसी मायनों में इस व्यवस्था से लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ है।

नवीन अधिनियम से पचायत समिति एवं जिला परिषद् के आधार पर जो चुनाव करवाये जाते हैं इनके बारे में चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 20 00% एवं कार्मिक वर्ग के 38 46% का अभिमत है कि दलीय आधार पर चुनावों से दल की स्थिति स्पष्ट होती है तथा दलीय आधार पर चुनावों से राष्ट्रीय दलों से निकटता के सम्बन्ध बनते हैं।

पचायती राज संस्थाओं के चुनावों की समयावधि विगत के वर्षों में अनिश्चित रही है अर्थात् इन संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं हो रहे थे। इसके सम्बन्ध में जनप्रतिनिधिवर्ग में से 43 33% एवं कार्मिक वर्ग में से 46 15% का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था में चुनावों की समयावधि निश्चित करने से इन संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ा है। कुल उत्तरदाताओं में से 18 27% ने अभिमत दिया है कि पचायती राज संस्थाओं के निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को अधिकार एवं दायित्व दिया गया है जिसके कारण अब निश्चित समय में इन संस्थाओं के चुनाव होने से जनसाधारण की भागीदारी अधिक रहेगी।

वर्तमान चुनाव व्यवस्था में जातिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के कारण चुनावों में भुजबल एवं आतकवाद कम हुआ है। पूर्व व्यवस्था में शक्तिशाली धनवान व्यक्तियों का चुनावों में वर्चस्व रहता था तथा अपने भुजबल एवं धनबल पर चुनावों में असरैधानिक तरीके अपनाकर चुनाव जीत

लिया करते थे। चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में से 16.67%, कामिक वर्ग में 30.76% एवं नागरिकों में 18.03% का अभिमत है कि वर्तमान चुनाव व्यवस्था से भुजवल एवं आतक पर अकुश लगा है। इस प्रकार कुल 19.23% ने इस तथ्य को पुष्टी की है।

पचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सहवृत के आधार पर प्रतिनिधित्व देने से उनकी भागीदारी नगण्य हो रही थी और उनका संस्था प्रधाना की इच्छानुसार ही चयन किया जाता था लेकिन नवीन व्यवस्था में महिला आरक्षण के कारण सभी वर्गों को महिला प्रतिनिधियों को चुना जाना तय होने से पचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। महिलाओं के लिए स्थानों की संख्या निर्धारित होने से महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। और वे इन संस्थाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं फलत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस तथ्य को पुष्टि जनप्रतिनिधि वर्ग के 83.33% एवं नागरिकों भी से 21.31% ने की है। महिला एवं पुरुष को जब सर्वैधानिक समानता का अधिकार है तो पचायती राज संस्थाओं में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने से सर्वैधानिक अधिकारों का हनन होता है अतः कुल उत्तरदाताओं में से 36.54% ने पचायती राज संस्थाओं में महिला भागीदारी में वृद्धि के पक्ष में अपना अभिमत जाहिर किया है।

पचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी के लिए अधिनियम के लागू होने पर दो सन्तानों की अहंता लागू की गयी है अधात् अधिनियम के बाद दो से अधिक सन्तान वाला व्यक्ति पचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना गया है। इस सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में से 23.33% एवं कुल उत्तरदाताओं में से 6.73% का अभिमत है कि इससे समिति परिवार होने में मदद मिलेगी एवं परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा जिससे जनसंख्या वृद्धि में कमी आना सम्भव होगा। अतः जनसंख्या नियन्त्रण के लिए उठाया गया यह कदम सराहनीय एवं स्वीकार्य रहा है। पचायती राज संस्थाओं में संस्था प्रधानों का लॉटरी व्यवस्था से आरक्षण के कारण जाति व वर्ग के आधार पर अवसर मिलेगा इसके साथ ही संस्था प्रधानों की चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है इसके सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 30.00% उत्तरदाताओं ने अभिमत दिया है जबकि कामिक वर्ग एवं नागरिकों में से इस सम्बन्ध में कोई अभिमत प्रकट नहीं किया है। पचायती, पचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए आरक्षित पदों को भी चक्रक्रमानुसार द्वारा आवण्टित किया जायेगा ताकि सभी वर्गों को संस्था प्रधान बनने का अवसर प्राप्त हो सके।

पचायती राज संस्थाओं में ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति, जिला परिषद् को स्वतन्त्र एवं अधिकार सर्वैधानिक रूप में दिया जाकर प्रजातात्त्विक व्यवस्था में वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है ताकि प्रत्येक स्तर पर जनता को प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पचायती राज संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण

पचायती राज संस्थाओं के चुनाव व प्रक्रिया के पक्ष/समर्थन में जहाँ उत्तरदाताओं ने अपने अभिमत प्रकट किये हैं वहाँ दूसरी ओर चुनाव व्यवस्था एवं प्रक्रिया में खामियाँ

महसूस करते हुए वर्तमान चुनाव व्यवस्था एवं प्रक्रिया के विषय में भी आपने अभिमत प्रकट किये हैं।

चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 58.00% कार्मिक वर्ग के 16.00% एवं नागरिकों में 62.00% उत्तरदाताओं ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के विषय में अभिमत प्रकट किया है। इन उत्तरदाताओं ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के बार में असहमति के जो कारण बताये हैं उनका विवरण तालिका 7.4 से दिया गया है।

तालिका-7.4

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण

असहमति के कारण	उत्तरदाताओं की श्रेणी जनप्रतिनिधि	कार्मिक वर्ग	नागरिक वर्ग	कुल योग वर्ग
1. पचायती राज संस्थाओं में आपस में सामर्जस्य का अभाव	51 (87.93)	6 (75.00)	13 (20.96)	70 (54.79)
2. आरक्षण से घोग्य एवं अनुभवी जनप्रतिनिधियों का चयन न होना	30 (51.72)	4 (50.00)	11 (17.74)	45 (35.16)
3. पचायत समिति एवं जिला परिषद् सदस्यों की प्रभावहीन भूमिका	3 (5.17)	- (19.35)	12 (11.72)	15
4. नौकरशाही का हावी होना	8 (13.79)	- (13.79)	29 (46.77)	37 (28.91)
5. दलगत राजनीति	6 (10.34)	- (10.34)	11 (17.74)	17 (13.28)
6. चुनावों में खर्च अधिक होना	5 (8.62)	- (8.62)	13 (20.97)	18 (14.06)
7. जनता वो न्याय न मिलना	12 (20.69)	- (20.69)	27 (43.55)	39 (30.47)
8. प्रधान/प्रमुख के चुनावों में खरोद-फरोजा का होना	6 (10.34)	- (4.69)	- (3.13)	6
9. संस्था प्रधानों का आरक्षण अनुचित	4 (6.90)	- (6.90)	- (3.13)	4
10. जनता के प्रति जवाबदेयता का अभाव	5 (8.62)	- (20.97)	13 (14.06)	18
उत्तरदाताओं की संख्या	58 (100.00)	8 (100.00)	62 (100.00)	128 (100.00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के जो कारण तालिका में अंकित किये गये हैं उनसे ज्ञात होता है कि वर्तमान व्यवस्था से पचायती राज संस्थाओं, ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषद् में आपस में सामजस्य का नहीं हाना असहमति का मुख्य कारण बताया है। इसके सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनमें से 91.30% एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित है उनमें से 85.71% इस प्रकार कुल जनप्रतिनिधियों में से 87.93% कार्मिक वर्ग में 75.00% एवं नागरिकों में 20.96% का अभिमत है कि ग्राम पचायत के चुनाव में कोई अन्तर नहीं आया है लेकिन पचायत समिति के प्रधान का चुनाव पचायत समिति के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा एवं जिला परिषद् के प्रमुख का चुनाव जिला परिषद् के लिए चुने गये सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जिसके कारण ग्राम पचायत के सरपञ्च का प्रधान के चुनाव में एवं प्रधान जिला प्रमुख के चुनाव में कोई भागीदारी नहीं रहती है जिससे इन संस्थाओं में आपस में जो तालमेल एवं सामजस्य बना हुआ था वह न ही रहा है। पूर्व में ग्राम पचायत का सरपञ्च, पचायत समिति का प्रधान क्रमशः पचायत समिति एवं जिला परिषद् में पदेन सदस्य होते थे एवं संस्था प्रधानों के निर्वाचन में एवं निर्णयों में मताधिकार प्राप्त था जिसके कारण इन संस्थाओं में आपसी तालमेल रहता था और तोना पचायती राज संस्थाओं में आपस में सामजस्य बना हुआ था। अब चौंक सरपञ्च पचायत समिति को बैठकों में तो भाग ले सकता है लेकिन निर्णयों में मताधिकार वरने का अधिकार नहीं है इसी प्रकार प्रधान जिला परिषद् की बैठकों में तो भाग ले सकता है लेकिन निर्णयों में मताधिकार का अधिकार नहीं है। इसलिए 54.69% उत्तरदाताओं ने असहमति अभिव्यक्त की है।

पचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के ग्रावधान के बारे में उनका अभिमत है कि आरक्षण सीमित होना चाहिए क्योंकि इन संस्थाओं में अत्यधिक आरक्षण के कारण वार्ड व संख्या आरक्षित कर देने से योग्य एवं अनुभवी जनप्रतिनिधियों का चयन कम होता है। एक तरफ पचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ दी जा रही हैं दूसरी तरफ आरक्षण के कारण अनुभवहीन, अयोग्य जनप्रतिनिधियों के चयन होने से पचायती राज संस्थाओं के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पचायती राज संस्थाएँ अपने वास्तविक उद्देश्यों का प्राप्त करने में असफल रहेंगी। अतः इस सम्बन्ध में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 65.22%, वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 42.86% इस प्रकार कुल जनप्रतिनिधियों में से 51.72%, कार्मिक वर्ग में 50.00%, नागरिक वर्ग में 17.74% ने वर्तमान आरक्षण के ग्रावधान को उचित नहीं ठहराया है। इन उत्तरदाताओं का समग्र रूप से 35.16% है का अभिमत है कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव पूर्व में कार्य मूल्यांकन के आधार पर होता था तथा जो जनप्रतिनिधि जनता का सहयोग एवं जनकल्याणकारी कार्य करता था वही विजयी होता था लेकिन अब आरक्षण व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के कार्यों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है तथा ऐसे जनप्रतिनिधियों को कर्तव्यों का ही ज्ञान नहीं है और वे निर्णय प्रक्रिया में मूक बनकर सहमति प्रदान कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को भूमिका नगण्य है केवल संख्या मात्र ही गिनी जा सकता है जो कि पचायती राज संस्थाओं के लिए अच्छी स्थिति नहीं है।

पचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों को भूमिका को प्रभावहीन भानते हुए उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में

13.04% एवं नागरिक वर्ग में 19.35% का अभिमत है कि पचायत समिति सदस्यों की भूमिका प्रधान के चयन करने एवं जिला परिषद् के सदस्यों की भूमिका जिला प्रमुख के चयन करने तक ही सीमित रहती है यद्योःकि इन सदस्यों का अधिकार एवं शक्तियाँ नहीं दी गयी हैं इसलिए सस्था प्रधानों के चयन के पश्चात् ये सदस्य केवल बैठकों में भाग ले सकते हैं लेकिन निर्णयों को व्यावहारिक रूप देने हेतु इनके पास कोई अधिकार एवं शक्तियाँ नहीं हैं। पचायती राज सस्थाओं में ग्राम पचायत के कार्य सरपञ्चों के हारा करवाये जाते हैं जिनमें इन सदस्यों को कोई भागीदारी नहीं होती है। अतः चयनित समग्र उत्तरदाताओं में से 11.72% के अभिमत से पचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों के पास अधिकार एवं शक्तियाँ नहीं होने के कारण इनकी भूमिका वो पचायती राज सस्थाओं में प्रभावहीन एवं नागण्य मानते हुए इस व्यवस्था के प्रति असहमति जाहिर की है।

पचायती राज सस्थाओं में चुनाव व्यवस्था एवं प्रक्रिया में आये परिवर्तन से असिफित एवं अनुभवहीन जनप्रतिनिधियों की सख्ता अधिक होने के कारण नौकरशाही का हावी होना भी एक असहमति का कारण चयनित उत्तरदाताओं के अभिमत से माना गया है। इससे सम्बन्धित विचार अभिव्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधियों में जो दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित है उनमें से 13.04% वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 14.29% नागरिक वर्ग में 46.77% का अभिमत है कि वर्तमान व्यवस्था में नौकरशाही पर अकुशा नहीं है तथा वे हावी रहते हैं। अतः समग्र उत्तरदाताओं में से 28.91% के अभिमत से ग्राम पचायत में ग्राम सेवक से लेकर जिला परिषद् में मुख्य कार्यकारी तक नौकरशाही का हावी रहना एवं जनप्रतिनिधियों का उनके हाथों की कठपुतली मात्र होना माना गया है।

इस तथ्य की पुष्टि समाचार पत्र-पत्रिकाओं से भी मिलती है कि जनप्रतिनिधियों के निर्णयों की अवहेलना तथा जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुना तथा नौकरशाही हारा अपने मनमानी तरीके से निर्णय लेकर जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद भी क्रियान्विती करना आम बात होती जा रही है। ग्राम पचायतों को स्वायत्ता देने एवं सरपञ्च को अधिकार देने के उपरान्त भी ग्राम सेवक की भूमिका अधिक रहती है अतः नौकरशाही के हावी रहने के कारण वर्तमान व्यवस्था से असहमति जाहिर की भई है।

पचायती राज सस्थाओं में पचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव दलात आधार पर किया जाने सम्म है हालाकि सरपञ्च का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है फिर भी अप्रत्यक्ष रूप में सरपञ्च भी दलीय चुनाव व्यवस्था से प्रभावित होता है।

पचायत समिति प्रधान एवं जिला परिषद् में जिला प्रमुख का चुनाव दलीय आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिसके कारण सस्था प्रधान राजनीतिक दलों से सम्बन्धित होने से पचायती राज व्यवस्था में जनभागीदारी तो बढ़ रही है लेकिन जो सहकारिता का सिद्धान्त है वह समाप्त होता जा रहा है। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 10.34% एवं नागरिक वर्ग के 17.74% उत्तरदाताओं के अभिमत से पचायती राज सस्थाओं में दलीय राजनीति के प्रति असहमति जाहिर करते हुए सही माना गया है। दलीय आधार पर चुनावों से ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित होते हैं क्योंकि जिस राजनीतिक दल का सस्था प्रधान है और उस दल के जिन ग्राम पचायत क्षेत्रों में उस दल के सदस्य अधिक चुनकर आये हैं उन ग्राम पचायतों को विकास कार्य हेतु राशि का अवधारण

अन्य विपक्षी सदस्यों वाली ग्राम पचायतों से अधिक होता है। अतः समग्र उत्तरदाताओं में से 13.28% के अभिमत से दलीय आधार पर चुनावों से विकास कार्यों में एवं ग्रामीण आपसी भाईचारों को व्यवस्था को दलगत राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया है। पचायतों राज संस्थाओं में पूर्व दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने से ग्रामीण समाज में एकता एवं भाईचारा रहता था लेकिन वर्तमान चुनाव व्यवस्था में दलीय आधार पर चुनावों से ग्रामीण समाज में गुटबाजों एवं एक-दूसरे के प्रति हेष एवं इर्ष्या-भाव बढ़ गया है जो कि पचायत राज व्यवस्था की सफलता के लिए शुभ संकेत नहीं है।

पचायती राज संस्थाओं में पूर्व में केवल ग्राम पचायत स्तर का ही जनता द्वारा सीधा चुनाव होता था लेकिन वर्तमान चुनाव व्यवस्था में पचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव भी जनता द्वारा किया जाकर उनके द्वारा संस्था प्रधानों का चयन करने से अब चुनाव खर्च में वृद्धि होने से आम जनता पर आर्थिक भार बढ़ गया है। विभिन्न स्तरों पर चुनाव होने से चुनाव खर्च में वृद्धि के सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 8.62% एवं नागरिक वर्ग के 20.97% उत्तरदाताओं के अभिमत से चुनाव खर्च में होने वाली वृद्धि को जनता पर आर्थिक बोझ मानते हुए समग्र उत्तरदाताओं में से 14.06% ने वर्तमान व्यवस्था एवं प्रक्रिया के बारे में असहमति जाहिर करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया है।

नवीन अधिनियम के प्रावधानों से संस्था प्रधानों का भी आरक्षण करते हुए चक्र-क्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था से संरपच, प्रधान एवं प्रमुख के चयन को जनप्रतिनिधि वर्ग 6.90% उत्तरदाताओं ने सही नहीं मानते हुए वर्तमान व्यवस्था के प्रति असहमति प्रकट की है। अतः समग्र उत्तरदाताओं से पचायती राज संस्थाओं को चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के बारे में जो असहमति के कारण अवगत करताये हैं उनको उत्तरदाताओं की श्रेणीवार वरीयता में प्रथम दो वरीयता को देखा जाये तो जनप्रतिनिधियों में 91.30%, वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 85.71%, कार्मिक वर्ग में 75.00% ने प्रथम कारण पचायती राज संस्थाओं में आपसी समन्वय का अभाव चताया है जबकि नागरिक वर्ग में 46.77% उत्तरदाताओं ने प्रथम कारण नौकरशाहों का हावी रहना चताया है। द्वितीय कारण में जनप्रतिनिधि वर्ग में 51.72% एवं कार्मिक वर्ग 50.00% ने आरक्षण की अधिक व्यवस्था को माना है तथा नागरिक वर्ग में 20.97% ने पचायती राज संस्थाओं में तालमेल एवं समन्वय की कमी को माना है।

पंचायती राज अधिनियम 1959 में कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना के बाद भारत सरकार ने 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति का गठन किया। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर इसको आधारभूत सिफारिश स्वीकार कर ली गयी। इनकी निम्नलिखित सिफारिशें थीं—

- 1 राष्ट्रीय स्वशासन का ढाँचा गांव से जिलों तक त्रिस्तरीय होना चाहिए।
- 2 स्थानीय सरकार की संस्थाओं को शक्ति और उत्तराधित्व का हस्तान्तरण सुनिश्चित होना चाहिए।

- 3 निकायों को पर्याप्त सप्ताहन हस्तान्वित किये जाएँ।
- 4 सम्पूर्ण योजना द्वारा सामाजिक, आर्थिक स्थायी एवं निकायों के माध्यम से सदातित किया जाए।
- 5 सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाये तथा 1959 से जहाँ जो संस्था है, उसे वैसा ही रहने दिया जाए।

पचासती राज अधिनियम 1959 में कमियों के बारे में चयनित उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो अभिप्रत व्यक्त किया है उसका विवरण तालिका 7.5 में दिया गया है।

तालिका-7.5

1959 के अधिनियम प्रारूप में कमियों उत्तरदाताओं की श्रेणी

1959 के अधिनियम के बारे में प्रतिक्रिया	जनप्रतिनिधि वर्ग		कार्यिक	नागरिक	कुल योग
	दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध			
1 खुनाव की समयावधि अधिकारी नहीं थीं	15 (50 00)	14 (25 00)	12 (24 00)	49 (65 33)	90 (42 65)
2 पर्वत स्वायत्ता का अभाव	7 (23 33)	9 (16 07)	5 (10 00)	3 (4 00)	24 (11 37)
3 आरक्षण का अभाव	9 (30 00)	11 (19 64)	17 (34 00)	29 (38 67)	66 (31 28)
4 सहयूत सदस्यों से निर्णय प्रभावित होता।	-	8 (14 29)	5 (10 00)	13 (17 33)	26 (12 32)
5 महिलाओं की भागीदारी का अभाव	4 (13 13)	-	4 (8 00)	11 (14 67)	19 (9 00)
6 ग्राम पचासते अधिकार विहीन	3 (10 00)	11 (19 64)	17 (34 00)	25 (33 33)	56 (26 54)
7 प्रभावशाली व्यक्तियों का अधिक वर्चस्व रहना	5 (16 67)	9 (16 07)	8 (16 00)	35 (46 67)	57 (27 01)
8 पचासती राज संस्थाओं में वित का अभाव	11 (36 67)	31 (55 36)	-	12 (16 00)	54 (25 59)

9 सदस्यों के निर्वाचन हेतु अहता का अभाव	7 (23.33)	-	-	-	7 (3.32)
10 प्रशासनिक अधिकारों के अभाव में जबाबदेयता सुनिश्चित नहीं थी।	3 (10.00)	-	11 (22.00)	12 (16.00)	26 (12.32)
11 अविवाहित प्रस्ताव में कमों	-		3 (6.00)	-	3 (1.42)
12 न्यायिक अधिकारों को न्यायालय में चुनीती दिया जाना	-	-	6 (10.71)	-	6 (2.84)
13 जनप्रतिनिधियों के लिए रौकणिक अहता का अभाव	3 (10.00)	3 (5.36)	7 (14.00)	18 (24.00)	31 (14.69)
उत्तरदाताओं की सख्ती	30 (100.00)	56 (100.00)	50 (100.00)	75 (100.00)	211 (100.00)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं द्वारा 1959 के अधिनियम में अवगत करवायी गयी कमियों में सुख्ख कमों समस्त ब्रेणी के उत्तरदाताओं ने पचायती राज सस्थाओं की समयकारी व्याप्ति का अभाव होना बतलाया है जिसमें जनप्रतिनिधि वर्ग के दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 50.00%, वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 25.00%, कार्मिक वर्ग में 24.00% एवं नागरिक वर्ग में 65.33% इस प्रकार समग्र रूप से 42.65% के अभिमत से इन सस्थाओं के समय पर चुनाव नहीं होने की कमी बतलायी है।

पचायती राज सस्थाओं को इस अधिनियम में पर्याप्त स्वायत्ता के अभाव में दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 23.33%, वर्तमान व्यवस्था वालों में 16.07%, कार्मिक वर्ग 10.00% एवं नागरिक वर्ग में 4.00% इस प्रकार समग्र रूप से 11.37% उत्तरदाताओं के अभिमत से इन सस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्ता का न होना बतलाया है। पचायती राज अधिनियम 1959 में जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 30.00% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 19.64% कार्मिक वर्ग 34.00% एवं नागरिकों में से 38.67% इस प्रकार समग्र रूप से 31.28% उत्तरदाताओं ने विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का अभाव होना अवगत करवाया जिसके कारण इस वर्ग के प्रतिनिधियों का चयन बहुत कम होता था अतः बहुसंख्यक समुदाय की पचायती राज सस्थाओं में भागीदारी कम रहती थी।

पचायती राज सस्थाओं में सहृदृ के आधार पर सदस्यों के लिए जाने के सम्बन्ध में दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 14.29%, कार्मिक वर्ग में 10.00% एवं नागरिकों में 17.33% इस प्रकार समग्र रूप से 12.32% उत्तरदाताओं का अभिमत रहा है कि

महवृत्त सदस्यों के लिए जाने से सस्था प्रधान के प्रति धुकाव से पचायती राज सस्थाओं के निर्णय प्रभावित होते थे।

घयनित उत्तरदाताओं में से 13 13% दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि 8 00% कार्मिक वर्ग एवं 14 67% नागरिकों ने अवगत करवाया है कि पूर्व अधिनियम में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के अभाव से इन सस्थाओं में महिलाओं की भागोदारी नाश्त रहती थी एवं महिलाओं का इन सस्थाओं के प्रति अरक्षण का अभाव था। पूर्व अधिनियम में महिलाओं के लिए समुचित प्रतिनिधित्व का अभाव रहने की कमी बतायी गयी है।

पूर्व अधिनियम 1959 में ग्राम पचायतों के अधिकारों के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के क्रमशः 10 00% व 19 64% कार्मिक वर्ग में 34 00% एवं नागरिकों में 33 33% समग्र रूप से 26 54% उत्तरदाताओं ने पचायते अधिकार पिछोने रहने की कमी बतायी है। उत्तरदाताओं का मानना है कि उस अधिनियम में पचायतों को बहुत ही सीमित अधिकार थे।

पचायती राज अधिनियम 1959 में जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित में 16 67% यर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित 16 07% कार्मिक वर्ग 16 00% एवं नागरिक वर्ग में 46 67% समग्र उत्तरदाताओं में 27 01% ये अभिमत से प्रभावशाली व्यक्तियों का अधिक वर्धस्य रहना अवगत करवाया है। इन उत्तरदाताओं का मानना है कि पूर्व व्यवस्था में प्रतिचित एवं स्थानीय प्रभावी व्यापेहयों का इन सस्थाओं में एकाधिकार रहता था तथा सस्था प्रधान व सदस्य कई घार वही जनप्रतिनिधि चयन होकर उन पर अधिकार रखते थे। पूर्व व्यवस्था में जनभागोदारी का अभाव रहना अवगत करवाया है।

पचायती राज सस्थाओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में से 36 67% यर्तमान व्यवस्था याले 55 36% एवं नागरिक वर्ग में 16 00% समग्र रूप से 25 59% का अभिमत है कि इन सस्थाओं में वित की कठिनाई रहती थी अर्थात् वित का अभाव रहता था जिसके कारण पचायती राज सस्थाएँ विकास कार्य नहीं करता था और ग्रामीण विकास कार्य नाम मात्र के ही हो पाते थे। पचायती राज अधिनियम 1959 में पचायती राज सस्थाओं को प्रशासनिक अधिकार नहीं थे जिसके कारण 12 32% उत्तरदाताओं के अभिमत से जबाबदेवता सुनिश्चित नहीं रहने की कमी के सम्बन्ध में अवगत करवाया है। इसके साथ ही 1 42% ने अविश्वास प्रस्ताव में भी कमी के रूप में माना गया है।

पूर्व अधिनियम में न्याय पचायत की व्यवस्था भी लेकिन उसके न्यायिक अधिकारों/निर्णयों को न्यायालय में चुनौती देने सम्बन्धी कमी 2 84% उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया है।

घयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग दोनों व्यवस्थाओं याले 10 00% यर्तमान व्यवस्था याले 5 36% जनप्रतिनिधि 14 00% कार्मिक वर्ग एवं 24 00% नागरिकों ने अवगत करवाया है कि जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक अर्हता का नहीं रखा जाना एक महत्वपूर्ण कमी है क्योंकि शिक्षा की अर्हता नहीं रखी जाने से अशिक्षित वर्ग के जनप्रतिनिधियों की संख्या में घृद्धि हुई है जिसके कारण अशिक्षित व्यक्ति प्रशासनिक वारीकियों को समझने में असमर्थ रहते हैं तथा अधिकारा सदस्य निर्णय प्रक्रिया में केवल शारीरिक भूमिका ही निभाते हैं।

अत पचायती राज अधिनियम 1959 में 42 65% उत्तरदाताओं ने चुनाव को समयाकारी याध्यता न होना 31 28% ने आरक्षण के न होने से सभी वर्गों की भागोदारी का

अभाव 27.01% ने प्रभावशाली व्यक्तियों के बर्चस्व, 26.54% ने ग्राम पचायतो का अधिकार बिहीन होना, 25.59% ने पचायती राज सम्पदाओं में वित का अभाव, 14.69% ने जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक अहंता का अभाव एवं 9.00% ने महिलाओं की भागीदारी की कमी एवं 12.32% ने प्रशासनिक जबाबदेयता न होना आदि कमियों से अवगत करवाते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पचायती राज अधिनियम 1959 में हालांकि त्रिस्तरीय व्यवस्था, सासाधन उपलब्ध करवाने एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण कदमों को लागू किया गया था। किसी भी योजना, व्यवस्था तथा नियमा में अच्छाई एवं बुराई, गुण अवगुण पाये जाते हैं जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वतन्त्रता को मध्यनजर रखते हुए ग्रामों के विकास हेतु ग्राम स्तर की सरकार इकाई के रूप में ग्राम पचायत को व्यवस्था इसी अधिनियम के परिणामस्वरूप लागू की गयी थी।

नवीन अधिनियम में पूर्व अधिनियम की कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पचायती राज सम्पदाओं में सुधार करने के लिए समय-समय पर सरकारी समितियों का गठन किया जाता रहा है एवं उनके प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए पूर्व अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एवं पचायती राज सम्पदाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान में 37वाँ संविधान सशोधन किया गया। राजस्थान में भी संविधान सशोधन के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया। चयनित उत्तरदाताओं से पूर्व अधिनियम को कमियों को नवीन अधिनियम में दूर करने के सम्बद्ध में प्रतिक्रिया जानने पर जो अभिनत व्यक्त किया है उसका विवरण तालिका 7.6 में दिया गया है।

तालिका-7.6

पूर्व एवं नवीन अधिनियम में कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	
		हाँ	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	59 (59 00)	41 (41 00)
(अ) दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	33 (100 00)	18 (54.55)	15 (45.45)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	41 (61.19)	26 (38.81)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	39 (78 00)	11 (22 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	65 (65 00)	35 (35 00)
कुल योग	250 (100 00)	163 (65.20)	87 (34.80)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अधलाकन करने से ज्ञात होता है कि पूर्व अधिनियम 1959 की कमियों को नवीन अधिनियम 1994 में दूर करने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं को प्रतिक्रिया से स्मृष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में से जो दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित हैं उनमें 54.55%, बर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 61.19% अर्थात् जनप्रतिनिधियों में 59.00%, कार्मिक वर्ग में 78.00% एवं नागरिक वर्ग में 65.00% उत्तरदाताओं ने पूर्व अधिनियम की कमियों को नवीन अधिनियम में दूर करना अग्रगत कारबाहा है। इस प्रकार चयनित समग्र श्रेणी के उत्तरदाताओं में से अधिकांश 65.20% के अभिमत से कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि वर्ग में 41.00%, कार्मिक वर्ग 22.00% एवं नागरिक वर्ग 35.00% इस प्रकार कुल 34.80% उत्तरदाताओं के अभिमत से पूर्व अधिनियम की कमियों को नवीन अधिनियम में भी पूरी तरह से दूर नहीं करने सम्बन्धी विचार प्रकट किये हैं। जिन उत्तरदाताओं ने विपक्ष में अपने विचार रखे हैं उनका मानना है कि नवीन अधिनियम में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनदेखी की गयी है जिससे पचायती राज संस्थाओं को कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। नवीन अधिनियम में क्या कमियाँ रही हैं उनका उल्लेख आगे किया जायेगा।

पचायती राज अधिनियम 1994 में से पूर्व अधिनियम 1959 की कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में जिन 65.20% उत्तरदाताओं ने सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है उनसे यह जानकारी करने की कोशिश की गयी कि नवीन अधिनियम 1994 में पूर्व अधिनियम की कमियों को कैसे एवं किस प्रकार दूर किया गया है इसके प्रत्युत्तर में प्राप्त विवारा का विवरण तालिका 7.7 में दिया गया है।

तालिका-7.7

नवीन अधिनियम में पूर्व अधिनियम की कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	उत्तरदाताओं के विचार (संकेत)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
जनप्रतिनिधि वर्ग	99 (100.00)	34 (52.63)	3 (5.06)	29 (49.15)	30 (50.85)				4 (6.76)
अ) दोनों व्यवस्था में सम्बद्ध	18 (100.00)	13 (72.22)	3 (16.67)	3 (16.67)	9 (50.00)				4 (22.22)
ब) बर्तमान व्यवस्था में सम्बद्ध	41 (100.00)	21 (51.22)		26 (63.43)	21 (51.22)				
कार्मिक वर्ग	39 (100.00)	17 (43.59)	4 (10.26)	16 (41.03)	17 (43.59)	3 (20.51)	5 (12.82)	9 (23.08)	4 (10.26)
नागरिक वर्ग	63 (100.00)	37 (58.92)	25 (38.46)				13 (20.00)	12 (18.46)	
कुल संग्रह	163 (100.00)	88 (53.99)	32 (19.63)	45 (27.61)	47 (28.83)	8 (4.93)	15 (11.04)	21 (12.58)	8 (4.91)

कोटक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

सकेत—उत्तरदाताओं के विचार—

- 1 आरक्षण के माध्यम से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर जनभागीदारों में वृद्धि करना।
- 2 राज्य वित्त आयोग का गठन एवं पचायती राज सम्पदाओं को अधिक वित्त उपलब्ध करवाकर सुदृढ़ता प्रदान करना।
- 3 पचायती राज सम्पदाओं को पर्याप्त स्वायतता दिया जाना।
- 4 राज्य निर्बाचन आयोग के द्वारा सर्वेधानिक रूप से निर्धारित समव्यवधि में चुनाव करवाया जाना।
- 5 स्थायी समितियों के सदस्यों को अधिक अधिकार प्रदान करना।
- 6 पचायती राज सम्पदाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले सदस्य हेतु अहताएँ निर्धारित कर क्रियान्वित किया जाना।
- 7 पचायती राज सम्पदाओं को सर्वेधानिक दर्जा दिया जाना।
- 8 पचायती राज सम्पदाओं में सम्पद प्रधाना/अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाकर उसे व्यवहार में क्रियान्वित करना।

पचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड/स्थानों के आरक्षण की पूर्व अधिनियम में प्रावधान नहीं था जिसको 7उर्वे सविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राजस्थान में नवीन पचायती राज अधिनियम के अनुसार राजस्थान में नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 में प्रावधान कर अनु जाति, अनु जनजाति एवं पिछड़ वर्ग के लिए पचायती राज सम्पदाओं में प्रत्यक्ष निर्बाचन से भेरे जाने वाले स्थान आरक्षित किये गये। इस प्रकार आरक्षित स्थानों को सख्ता का उस पचायती राज सम्पद में भेरे जाने वाले कुल सलगा के साथ यथास्थान निकटतम वहों अनुपात होगा जो उस पचायती राज सम्पद में ऐसी जातियों, जनजातियों या यथास्थिति, वर्गों की जनसङ्ख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसङ्ख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायतीराज सम्पद में विभिन्न वार्डों या विभिन्न निर्बाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किये गये। आरक्षित स्थानों में इन जातियों की महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किये गये। चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में से 57.63% (दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 72.22 वर्ग वर्तमान व्यवस्था सम्बद्ध 51.22% जनप्रतिनिधियों, 43.59% कार्मिक वर्ग एवं 56.92% के अधिकार से आरक्षण प्रावधाना के माध्यम से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर पचायती राज सम्पदाओं में जनभागीदारों की गई है। नवीन व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण से सभी समुदायों के सदस्यों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाकर उनके प्रतिनिधि चुने जाने से सभी वर्गों की जनभागीदारों में वृद्धि की गयी है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिक को इन सम्पदाओं में जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हो सके। सभी वर्गों की भागीदारी से पचायती राज सम्पदाओं के प्रति जनचेतना पैदा हुई है।

घयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 5 08% (दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियाँ 16 67%) कार्मिक वर्ग के 10 26% एवं नागरिक वर्ग के 38 46% का अभिमत है कि नवीन अधिनियम में राज्य वित्त आयोग के गठन एवं पचायती राज संस्थाओं को आर्थिक वित्त उपलब्ध करवाकर इन संस्थाओं को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया गया है।

पचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देकर इन्हे पर्याप्त स्थायतता प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में घयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग में 49 15% (दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 16 67% व वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 63 41%) एवं कार्मिक वर्ग में 41 03 ने इन संस्थाओं को पर्याप्त स्थायतता नवीन अधिनियम 1994 के द्वारा प्रदान करना स्वीकारा है। घयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध 50 00% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 51 22% कुल में से 50 85% जनप्रतिनिधियों 43 59% कार्मिक वर्ग एवं 30 77% नागरिक वर्ग का अभिमत है कि नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संवैधानिक रूप से निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया जिसके कारण इन संस्थाओं के चुनाव अव समय पर होने लगे हैं एवं जनता का इन संस्थाओं में विश्वास बढ़ने लगा है। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण जनता में इन संस्थाओं के प्रति निराशा की भावना पैदा हो गयी थी। इस कमी को नवीन अधिनियम 1994 में सुधारा गया है।

पचायती राज संस्थाओं में स्थायी समिति के सदस्यों को अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं इस सम्बन्ध में कार्मिक वर्ग के 20 51% ने अभिमत प्रकट किया है। पचायती राज अधिनियम 1994 में अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् दो से अधिक सन्तानों वाले व्यक्ति पचायती राज संस्थाओं में चुनाव सहने के अयोग्य माने गये हैं। इस सम्बन्ध में कार्मिक वर्ग के 12 82% एवं नागरिक वर्ग के 20 00% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि पचायती राज संस्थाओं के चुनाव सहने के लिए नवीन अधिनियम में दो यज्ज्वों की जो अहंता रखी गयी है उसके कारण परियार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा जो जनसख्त्या नियन्त्रण करने का एक सकारात्मक कदम है।

घयनित उत्तरदाताओं का कार्मिक वर्ग से 23 08% एवं नागरिक वर्ग में 18 46% का अभिमत है कि पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 में पचायती राज संस्थाओं में संस्था प्रधानों/अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाकर व्यावहारिक रूप दिया गया है। इसके समर्थन में जनप्रतिनिधि वर्ग के 6 78% एवं कार्मिक वर्ग के 10 26% का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था से संस्था प्रधानों के घयन में आसानी रहती है।

इस प्रकार नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 में पूर्व अधिनियम की कमियों को दूर करते हुए सभी वर्गों की भागीदारी में युद्ध राज्य वित्त आयोग का गठन पचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संवैधानिक रूप से समयावधि में चुनाव करवाना पचायती राज संस्थाओं के पर्याप्त स्थायतता दिया जाना पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चुनाव सहने वाले अध्याधिकारी हेतु अहंताएँ निश्चित करना आदि के प्रावधान नवीन अधिनियम की विशेषता

रही है। नवोन पचायती राज अधिनियम 1994 में पूर्व अधिनियम को कमियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है लेकिन नवोन अधिनियम में भी 34.80% उत्तरदाताओं ने कमियों रहना अवगत करवाया है। जिन 34.80% उत्तरदाताओं ने नवोन व्यवस्था में कमियों रहना बताया है उनका विवरण तालिका 7.8 में दिया गया है।

तालिका-7.8

नवोन अधिनियम में कमियों के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया

नवोन अधिनियम में कमियों	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1 पचायती राज सस्थाओं में आपसी हालनेत एवं सामजिस्य का अभाव होना।	71.26
2 आरक्षण को अधिकता से योग्य एवं जागरूक व्यक्तियों के नहों आने से विकास कार्य अवरुद्ध होना एवं जातिवाद को बढ़ावा मिलना।	44.82
3 व्यावहारिक रूप में प्रशासनिक अधिकार विहीन पचायती राज सस्थाएँ।	58.62
4 सरपतों की निरक्षणता एवं अधिकारों का दुरपयोग किया जाना।	50.57
5 महिलाओं का एक-तिहाई जनप्रतिनिधियों में आरक्षण उचित नहों है।	17.24
6 जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता अर्हता के रूप में नहों रखा जाना।	25.28
7 जिला परिषद् एवं पचायत समिति सदस्यों का अधिकार विहीन होना।	40.22
8 सामान्य वाड़ से आरक्षण व्यक्ति को चुनाव लड़ने की छूट से सामान्य वर्ग के अधिकारों पर कटाराधात।	3.44
9 सम्पूर्ण नवोन चुनाव प्रक्रिया हो दोपूर्ण है।	20.68
10 पचायती राज सस्थाओं में दलोंय आधार पर चुनावों से ग्राम में द्वेष एवं मनमुटव व गुटबाजी को बढ़ावा दिया जाना।	12.64
11 अध्यक्षों के पदों का लॉटरी प्रणाली द्वारा आरक्षण अव्यावहारिक।	6.90
12 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण सही नहों।	18.39
13 उपप्रधान/उप-जिला प्रमुख अधिकार विहीन।	5.74
14 ग्राम सभा के निर्णयों को क्रियान्विती करने को बाध्यता का न होना।	13.79
15 जनप्रतिनिधियों के लिए प्रभावशाली व्यावहारिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था का अभाव।	16.89

पचायती राज स्थाओं में चुनाव प्रतिनिधि अलग-अलग होने से इन स्थाओं में आपसी तालमेल एवं सामजिक नहीं रहता है। सरपञ्च का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, प्रधान का चुनाव पचायत समिति के लिए चुने गये सदस्यों द्वारा एवं जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 63.41%, कार्मिक वर्ग के शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग के 71.43% इस प्रकार समग्र उत्तरदाताओं में से 71.26% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि प्रधान के चुनाव में सरपञ्च की एवं जिला प्रमुख के चुनाव में प्रधान की भूमिका नहीं रहने के कारण सरपञ्च, प्रधान एवं जिला प्रमुख में आपसी तालमेल नहीं रहता है एवं सम्भा प्रधान अलग-अलग स्वतन्त्र रहते हैं जिससे ग्रामीण विकास के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

पचायती राज स्थाओं में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का अधिक प्रावधान कर दिया गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अभी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में 36.59%, कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग में 37.14% समग्र से 44.82% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि आरक्षण की अधिकता से अवोग्य एवं अशिक्षित, अनुभवहीन जनप्रतिनिधियों का चयन होगा एवं जातियाद को बढ़ावा मिलेगा। जबकि ग्रामीण विकास की मुज़ा इकाई में जातियाद एवं अनुभवहीन अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की संख्या अधिक होने से विकास कार्य प्रभावित होगे। योग्य एवं जागरूक अनुभवी जनप्रतिनिधियों के पचायती राज स्थाओं में चयन के अवसरों में कभी आ रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की संख्या में तो बढ़ि हो रही है लेकिन उनके समुदाय के जनप्रतिनिधि चयन होने के उपरान्त भी अशिक्षा एवं अनुभवहीन होने के कारण उस वर्ग के लिए विकास कार्य नहीं करवा पाते हैं।

पचायती राज स्थाओं को स्वयंतता के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 70.73%, कार्मिक वर्ग के 45.45% इस प्रकार कुल 58.62% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि पचायती राज स्थाओं को व्यावहारिक रूप में प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये गये हैं तथा वास्तव में नौकरशाही ही प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करती है। नवीन अधिनियम भी ग्राम पचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अधिकार एवं शक्तियां भी बढ़ि की गयी हैं जिसके कारण सरपञ्च शक्तिशाली हो गये हैं। इस सम्बन्ध भी जनप्रतिनिधि वर्ग के 21.95% एवं नागरिकों में शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था में सरपञ्च निरकुश हो गये हैं जिसके कारण अधिकारों का दुर्योग करते हैं।

पचायती राज स्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों को आरक्षित कर इन स्थाओं में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 7.32% एवं नागरिकों में 34.29% समग्र रूप से 17.24% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि राज्य भी महिलाएं पर्दाप्रथा, अशिक्षा एवं रूढ़ीवादिता के कारण जनप्रतिनिधि बनने के पश्चात् भी उनकी भूमिका पचायती राज स्थाओं के क्रियाकलापों/गतिविधियों में भूमिका नाश्य ही रहती है इसलिए महिलाओं का एक-तिहाई आरक्षण राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ साक्षरता की रहती है उसमें महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है, महिला जागृति का अभाव है, अकेली घर दर जिसमें महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है, महिला जागृति का अभाव है, अकेली घर से बाहर नहीं जा सकती ऐसी स्थिति में दिया जाना उचित नहीं है। महिलाओं को एक-

तिहाई आरक्षण से पचायती राज संस्थाओं को कार्यशैली, गतिविधियों के प्रभावित होने से इन संस्थाओं का उद्देश्य पूर्ण होने में सशय लगता है।

पचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु रौक्षणिक स्तर सम्बन्धी पात्रता का नहीं रखा जाना इस अधिनियम में कमो रही है। इस सम्बन्ध में 26.83% जनप्रतिनिधि वर्ग, 36.36% कार्मिक वर्ग एवं 20.00% नागरिक वर्ग का अभिमत है कि नवीन अधिनियम में पचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए रौक्षणिक स्तर की पात्रता नहीं रखने से आरक्षण व्यवस्था से अशक्ति व्यक्तियों का चयन अधिक होगा जिससे वे प्रशासनिक कार्यों को समझने में असक्षम रहने से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे।

पचायती राज संस्थाओं में प्रधान एवं जिला प्रमुख के चयन हेतु चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करके पचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रधान का एवं जिला परिषद् सदस्यों द्वारा जिला प्रमुख का चयन किया जाता है। इस सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग के 58.53% एवं कार्मिक वर्ग के 36.36% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि इन सदस्यों को संस्था प्रधानों के चयन तक ही भूमिका रहती है। इसके पश्चात् ये बैठकों में भाग ले से ले रहे हैं लेकिन इनके पास अधिकार कुछ भी नहीं है इसलिए इनके निर्णयों का व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन ग्राम पचायत द्वारा किया जाता है जो कि इनके निर्णयों से बाष्प नहीं है। अर्थात् इन चुने हुए सदस्यों के पास प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार नहीं होने के कारण इनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की क्रियान्वयता होना मुश्किल हो जाता है। अतः ये सदस्य अधिकार विहीन हैं अतः इस व्यवस्था की अपेक्षा मुराना व्यवस्था इससे अधिक उपयुक्त है।

पचायती राज संस्थाओं में नवीन अधिनियम के तहत पिछडे वर्ग के व्यक्तियों को अधिक महत्त्व दिया गया है इसलिए सामान्य वार्ड से आरक्षित वर्ग को चुनाव लड़ने की सूट भी दी गयी है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के जो दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित हैं उनमें 20.00% एवं समग्र रूप से 3.44% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को सामान्य वर्ग के वार्ड से चुनाव लड़ने की दूर सामान्य वर्ग के अधिकारों पर कुठाराष्ट्रत है। चयनित उत्तरदाताओं में से 12.20% जनप्रतिनिधियों एवं 37.14% नागरिकों ने समग्र रूप से 20.68% ने नवीन चुनाव प्रक्रिया को सब तरह से दोषपूर्ण माना है। चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग के 12.20% एवं कार्मिक वर्ग के 54.55% ने दलीय आधार पर चुनाव व्यवस्था को ग्रामों में द्वेष-भावना को बढ़ावा देने वाली बताया है।

अध्यक्षों के पदों के आरक्षण को 14.63% जनप्रतिनिधियों ने अव्यावहारिक बतलाया है। इस अभिमत का कुल उत्तरदाताओं में प्रतिशत 6.90% है। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम आवटन प्रणाली को जनप्रतिनिधि वर्ग के 7.3% एवं नागरिक वर्ग के 37.14% समग्र रूप से 18.39% उत्तरदाताओं ने दोषपूर्ण माना है उनके अभिमत से वार्डों का चक्रानुक्रम आरक्षण होने से जनप्रतिनिधियों के वार्ड निश्चित नहीं रहने से विकास कार्यों की तरफ उनकी रुचि कम रहती है।

पचायती राज संस्थाओं में नवीन अधिनियम में उप-प्रधान एवं उप-जिला प्रमुख को अधिकार नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 12.00% ने तथा समग्र रूप से 5.74% ने अपने अभिमत प्रकल्प किया है। ग्रामसभा को एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में नवीन अधिनियम में स्थान दिया गया है लेकिन ग्रामसभा के निर्णयों की क्रियान्वयता के सम्बन्ध में

बाध्यता का भ होना 13.79% उत्तरदाताओं ने अधिकत करवाया है। पचायती राज अधिनियम 1994 में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों का प्रायधान नहीं करने के सम्बन्ध में 16.89% उत्तरदाताओं ने अभिमत दिया है। उनके अभिमत के अनुसार जनप्रतिनिधियों के लिए समय-समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने से पचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का कार्यकुशलता में बढ़ि होगी ताकि जनप्रतिनिधि अधिक कुशलता से कार्य कर सकेंगे।

नवा पचायती राज अधिनियम उचित कदम है लेकिन पर्याप्त नहीं है क्योंकि राज्य स्तर से किया गया विकेन्द्रीकरण दरअसल ऊपर से थोपा हुआ है। अत यूर्जा रूप से विकेन्द्रीकरण के लिए केन्द्र व राज्यस्तरीय नेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी ये सरकार भले ही इन्हे सर्वधारिक स्तर पिल जाये राज्य सरकार की एजेंसी मात्र बनी रहेगी। अत इस समय आवश्यकता इस बात की है कि विकास के सम्बन्ध में जागृत किया जावे।

ग्रामसभा/ग्राम पचायत/पचायत समिति/जिला परिषद्

की बैठकों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

शोध के द्वेषीय कार्य में अनुभव मूलक अध्ययन के लिए चयनित उत्तरदाताओं से ग्रामसभा ग्राम पचायत पचायत समिति जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध में जानकारी करने पर जो अभिमत प्राप्त हुआ है उसका विवरण तालिका 7.9 में दिया गया है।

तालिका-7.9

पचायती राज संस्था की बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	बैठकों में भाग लिया	
		हैं	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100.00)	100 (100.00)	
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	37 (100.00)	37 (100.00)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100.00)	67 (100.00)	
कार्मिक वर्ग	50 (100.00)	45 (90.00)	5 (10.00)
नागरिक वर्ग	100 (100.00)	55 (55.00)	45 (45.00)
कुल योग	250 (100.00)	200 (80.00)	50 (20.00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत कार्मिक वर्ग 90.00% एवं नागरिक वर्ग के 55.00% उत्तरदाताओं ने पचासठीराज सम्पादनों को ग्राम, पचासठीराज समिति एवं जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में भाग लेना अवगत करवाया है। शेष कार्मिक वर्ग में 10.00% एवं नागरिक वर्ग में 45.00% ने बैठकों में भाग नहीं लेना अवगत करवाया है।

बैठकों की नियमितता पर प्रतिक्रिया

चयनित उत्तरदाताओं से पचासठीराज सम्पादनों को आयोजित बैठकों की नियमितता के सम्बन्ध में जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसको तालिका 7.10 में दिया गया है।

तालिका-7.10

बैठकों की नियमितता

उत्तरदाताओं की क्षेणी	उत्तरदाताओं की सख्ती	बैठकों की नियमितता	
		हाँ	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100.00)	94 (94.00)	6 (6.00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100.00)	33 (100.00)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100.00)	61 (91.04)	6 (8.96)
कार्मिक वर्ग	50 (100.00)	41 (82.00)	9 (18.00)
नागरिक वर्ग	100 (100.00)	40 (40.00)	60 (60.00)
कुल योग	250 (100.00)	175 (70.00)	75 (30.00)

कोण्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध शत-प्रतिशत, वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 91.04% जनप्रतिनिधियों ने, कार्मिक वर्ग में से 82.00% ने एवं नागरिक वर्ग में से 40.00% ने बैठकों नियमित आयोजित होना अवगत करवाया है जबकि शेष 8.96% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों, कार्मिक वर्ग में 18.00% एवं नागरिकों में से 60.00% का अभिन्नत है कि

ग्राम पचायत/पचायत समिति/निला पैठक की बैठक नियमित नहीं होती है। अत समग्र रूप में 70.00% उत्तरदाताओं के अभिभाव में बैठक के नियमित होना एवं 30.00% उत्तरदाताओं के अभिभाव से बैठक अनियमित होने सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है।

बैठक नियमित नहीं होने के कारण

चयनित उत्तरदाताओं में से जिन 30% उत्तरदाताओं ने बैठक नियमित नहीं होना अवगत करवाया है उन उत्तरदाताओं से ही बैठक नियमित नहीं होने के कारणों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश बीमारी गई। उत्तरदाताओं ने बैठकों के नियमित नहीं होने के जो कारण अवगत करवाये हैं उनका विवरण तालिका 7.11 में दिया जा रहा है।

तालिका 7.11

बैठक अनियमित होने के कारण

बैठके अनियमित होने के कारण	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1 वार्षिक कलेण्डर नहीं बनाया जाना	4.00
2 राजनीतिक विरोध से बचने के लिए	56.00
3 अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए	42.67
4 सरपंच की तानाशाही एवं गाँववालों की रचि का अभाव	53.33
5 नियन्त्रण का अभाव	17.33
6 जनप्रतिनिधियों में अशिक्षित एवं अनुभवहीन होना	16.00

तालिका में दर्शाये गये कारणों से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं ने नियमित बैठकें नहीं होने के एक से अधिक कारण बताये हैं जिससे बैठक नहीं होने के कारणों में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 100 से अधिक है।

उत्तरदाताओं में से 4.00% का अभिभाव है कि पचायती राज सम्पादनों की बैठकों के लिए समय पर वार्षिक कलेण्डर तैयार नहीं करने के कारण उनकी बैठक नियमित नहीं हो पाती हैं। पचायती राज सम्पादनों की बैठकों के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही कलेण्डर तैयार करने का प्रावधान है लेकिन ये सम्पादन उसका पालन नहीं करती है।

उत्तरदाताओं में से 56.00% का अभिभाव है कि पचायती राज सम्पादनों के अध्यक्ष राजनीतिक विरोध से बचने के लिए समय पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं करते हैं। इसलिए बैठकें अनियमित रूप से होती हैं। उत्तरदाताओं में से 42.67% का अभिभाव है कि सम्पादनों के अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित नहीं करते हैं।

ग्रामसभा/ग्राम पचायतों की बैठकों के सम्बन्ध में एक कारण उत्तरदाताओं ने सरपंच की तानाशाही प्रवृत्ति का होना तथा गाँव वालों में रचि का अभाव होना भी अवगत करवाया है। यह कारण बताने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 53.33% है। सरपंचों की नवीन अधिनियम में अधिक शक्तियां देकर उन्हें शक्तिशाली बना दिया गया है अत यह ग्रामवासियों को

परवाह नहों करता है। पचायती राज सम्प्रांतो को पर्याप्त स्वायत्तता देने से 17 33% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि इन सम्प्रांतो पर नियन्त्रण नहों रहने से बैठकों को तरफ ध्यान कम देते हैं। पूर्व व्यवस्था में सरपंच प्रधान एवं जिला प्रमुख का प्रत्यक्ष रूप से समन्वय रहता था तथा इन पर ऊपरी सम्प्रांत का जैसे प्रयाप्त पर प्रयाप्त समिति का, पचायत समिति पर जिला परिषद् का, जिला परिषद् पर सरकार का नियन्त्रण रहने से कार्य सुचारू रूप से होता था लेकिन अब नियन्त्रण नहों रहा है।

पचायती राज सम्प्रांतो में नवोन अधिनियम के बाद एवं अनुभवहीन जनप्रतिनिधियों के चयनित होने से उन्हें जानकारी हो नहों है कि कब बैठकें आयोजित होने चाहिए। इस अभिमत के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 16 00% है।

अत पचायती राज सम्प्रांतो को उक्त कारणों से समय पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहों होने के कारण विकास कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बैठकों को अनियमितता को सरकार ने गम्भीरता से लिया है तथा इनको बैठकें नियमित आयोजन हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है।

बैठकों में सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

नवोन पचायती राज अधिनियम के लागू होने से पूर्व एवं पश्चात् आयोजित बैठकों में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के बारे में चयनित उत्तरदाताओं ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका तुलनात्मक विवरण तालिका 7 12 में दिया गया है।

तालिका-7.12

सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों में उपस्थिति की तुलनात्मक स्थिति

पदनाम	उत्तरदाताओं की झेणी							
	जनप्रतिनिधि चार्ग		कार्यालय चार्ग		नागरिक चार्ग			
पूर्व व्यवस्था से सम्बद्ध अधिनियम से पूर्व पश्चात्	बैठकान व्यवस्था से सम्बद्ध अधिनियम से पूर्व पश्चात्	अधिनियम से पूर्व पश्चात्	अधिनियम से पूर्व पश्चात्					
सरपंच	72 73	63 64	38 81	46 67	36 00	18 00	73 00	85 00
प्रधान	36 36	45 45	22 39	53 73	34 00	50 00	25 00	26 00
विकास अधिकारी	27 27	27 27	22 39	46 27	34 00	40 00	25 00	25 00
प्रमुख	9 09	18 18	7 46	22 39	22 00	42 00	-	60 00
ग्राम सचिव	63 64	54 54	23 88	31 34	20 00	18 00	13 00	80 00

जिला परिषद् सदस्य	27 27	31 34	42 00	23 00
पंचायत समिति सदस्य	19 09	23 88	22 00	37 00
कार्यकारी अधिकारी	30 30	46 27	24 00	15 00
सभी	18 18	12 12	22 39	16 42
प्रथमुत्तर नहीं दिया	15 15	9 09	2 99	6 00
			18 00	13 00
			10 00	17 00
				13 00

पचायती राज सम्भाओं की कार्यवाही में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के भाग लेने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर उनमें से सरपंच के बारे में दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में से अधिनियम से पूर्व 72 73% एवं पश्चात् 63 64% प्रधान के बारे में पूर्व में 36 36% एवं पश्चात् में 45 45% विकास अधिकारी के लिए पूर्व में एवं पश्चात् में समान स्थिति 27 27% जिला प्रमुख के बारे में पूर्व में 9 09% पूर्व में एवं 18 18% पश्चात् ग्राम सचिव के बारे में पूर्व में 63 64% एवं पश्चात् में 54 54% एवं सभी के बारे में पूर्व में 18 18% एवं पश्चात् में 12 12% दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों ने अभियंत प्रकट किया है। अत इन जनप्रतिनिधियों के अभियंत से तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सरपंच एवं ग्राम सेवक की बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध में पूर्व में प्रतिशत अधिक है जबकि बाद में कम है। प्रधान एवं प्रमुख के सम्बन्ध में बैठकों में भागीदारी का प्रतिशत पूर्व में कम एवं पश्चात् में अधिक रहा है। विकास अधिकारी के बारे में पूर्व एवं पश्चात् में समान विचार रहे हैं।

वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों व कार्यवाहियों में भाग लेने के बारे में जानकारी करने पर अधिनियम से पूर्व एवं पश्चात् के प्रतिशत में सरपंच के बारे में पूर्व में 38 81% एवं पश्चात् में 46 67% प्रधान के बारे में पूर्व में 22 39% एवं पश्चात् में 53 73% विकास अधिकारी के बारे में पूर्व में 22 39% एवं वर्तमान में 46 27% प्रमुख के बारे में पूर्व में 7 467% एवं पश्चात् में 22 397% ग्राम सचिव के बारे में पूर्व में 23 87% एवं पश्चात् में 31 347% एवं सभी में पूर्व में 22 397% एवं पश्चात् में 16 42% के अभियंत प्रकट किया है। अत वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध वर्तमान में जनप्रतिनिधियों के अभियंत से पूर्व के मूकावले वर्तमान में सभी सम्बद्ध वर्तमान में जनप्रतिनिधियों की बैठकों/कार्यवाही में वृद्धि हुई है। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों/कार्यवाही में भागीदारी में वृद्धि हुई है। अधिनियम से पचायती राज सम्भाओं के कार्मिक वर्ग से इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर अधिनियम से पूर्व एवं पश्चात् के प्रतिशत में सरपंच के बारे में पूर्व में 36 00% एवं पश्चात् में 18 00% प्रधान के बारे में पूर्व में 34 00% एवं पश्चात् में 5 007% विकास अधिकारी के बारे में पूर्व में 4 00% एवं पश्चात् में 40 00% प्रमुख के बारे में पूर्व में 22 00% एवं पश्चात् में 42 00% ग्राम सचिव के बारे में पूर्व में 20 00% एवं पश्चात् में 18 00% ने अभियंत प्रकट किये हैं।

अत कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं के अभियंत से सरपंच एवं ग्राम सेवक की भागीदारी में कमी आना एवं प्रधान विकास अधिकारी प्रमुख की भागीदारी में वृद्धि होना जाहिर होता है। जनसामान्य नागरिक वर्ग में जानकारी करने पर अधिनियम से पूर्व व पश्चात् के प्रतिशत में

सरपच के बारे में पूर्व में 73 00 एवं पश्चात् में 85 00, प्रधान में पूर्व में 25 00 एवं पश्चात् में 26 00, विकास अधिकारी में समान अभिमत 25 00 प्रमुख में पूर्व में शून्य एवं पश्चात् में 60 00, ग्राम सचिव में पूर्व में 13 00 एवं पश्चात् में 80 00 तथा सभी में पूर्व में 13 00 एवं पश्चात् में 12 00% ने अभिमत प्रकट किये हैं। अतः नागरिक वर्ग के अभिमतों का विश्लेषण देखा जाये तो ज्ञात होता है कि नागरिक वर्ग ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी में बढ़ि होना अवगत करवाया है। नवीन अधिनियम से पूर्व जिला परिषद् एवं पचायत समिति सदस्य चयनित होने को व्यवस्था नहीं थी इसलिए इनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

पचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के सम्बन्ध में दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं के विचारों में तथा वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एवं नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं के विचारों में लागभग समानता पायी गयी है।

सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों में भाग नहीं लेने पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं की आयोजित बैठकों में सरकारी अधिकारियों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा भाग नहीं लेने पर उनके खिलाफ कार्यवाही के बारे में जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया उत्तरदाताओं ने व्यक्त की है उसको तालिका 7 13 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.13

बैठकों में भाग नहीं लेने पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों
के खिलाफ कार्यवाही के बारे में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	बैठक में भाग नहीं लेने पर कार्यवाही		
		हाँ	नहीं	प्रत्यक्तर नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	47 (47 00)	49 (49 00)	4 (4 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	19 (57 58)	2 (6 06)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	35 (52 24)	30 (44 78)	2 (2 98)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	13 (26 00)	34 (68 00)	3 (6 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	-	95 (95 00)	5 (5 00)
योग	250 (100 00)	60 (24 00)	178 (71 20)	12 (4 80)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध में 36.36% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध में 52.24% एवं कार्मिक वर्ग में 26.00% इस प्रकार समग्र उत्तरदाताओं में से 24.00% उत्तरदाताओं ने कार्यवाही करने के बारे में अभिमत प्रकट किया है जबकि 71.20% ने कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु अभिमत प्रकट किये हैं शेष 4.80% ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है।

पचायती राज सम्पत्ति में पद चाहने पर प्रतिक्रिया

अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से पचायती राज व्यवस्था में पद इच्छा के बारे में जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसे तालिका 7.14 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.14

पचायती राज सम्पत्ति में पद चाहने पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की संख्या	पद हेतु प्रतिक्रिया	यदि हाँ तो कारण (संखेत)							
		हाँ	नहीं	प्रतिक्रिया नहीं	1	2	3	4	5
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100.00)	94 (94.00)	3 (3.00)	3 (3.00)	87 (92.55)	9 (9.57)	11 (11.70)	3 (3.19)	9 (9.57)
अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100.00)	33 (100.00)			29 (87.88)	4 (12.12)	5 (15.15)	3 (9.09)	4 (12.12)
ब) कार्मिक वर्ग से सम्बद्ध	47 (100.00)	61 (91.04)	3 (4.48)	3 (4.48)	58 (95.08)	5 (8.20)	6 (9.84)		5 (18.20)
कार्मिक वर्ग	50 (100.00)	5 (10.00)	41 (82.00)	4 (8.00)	2 (40.00)		3 (60.00)		
नागरिक वर्ग	100 (100.00)	24 (24.00)	71 (71.00)	5 (5.00)	20 (83.33)	7 (7.77)	5 (0.84)		9 (37.50)
योग	250 (100.00)	123 (49.20)	115 (46.00)	12 (4.80)	109 (88.62)	16 (11.00)	16 (13.00)	6 (4.73)	18 (14.63)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

यदि हाँ तो कारण (संखेत) —

1 क्षेत्र के विकास एवं जनसेवा के लिए।

2 प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए।

3 राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण।

- 4 समाज को शिक्षित करने एवं विकास योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु।
 5 अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए।
- तालिका के अबलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से 49 20% उत्तरदाता पद की इच्छा रखते हैं जबकि 46 00% उत्तरदाताओं का पद लेने की इच्छा नहीं है रोप 4 80% उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में राय व्यक्त नहीं की है।

जिन 49 20% उत्तरदाताओं ने पद लेने की इच्छा जाहिर की है उन्होंने उत्तरदाताओं से आगे यह भी जानकारी की गई कि आप पचायती राज संस्थाओं में पद कर्ते लेना चाहते हैं ? इसके प्रत्युत्तर में 88 62% के अभिमत से सेवा के विकास एवं जनसेवा के लिए, 13 00% प्रतिष्ठा प्राप्त करे हेतु, 13 00% राजनीतिक इच्छा से, 4 88% समाज को शिक्षित करने एवं विकास योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए एवं 14 63% अनियमितताओं पर रोक लगाने के इरादे से इन संस्थाओं में पद प्राप्त करने के विवार प्रकट किये हैं।

* पुरानी पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत से सन्तुष्टि के बारे में प्रतिक्रिया

नवीन अधिनियम 1994 के क्रियान्वयों के पश्चात् न्याय पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है इसलिए पुरानी पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत से सन्तुष्टि के बारे में जानकारी करने पर उत्तरदाताओं ने जो अभिमत किया है उसका विवरण तालिका 7 15 में दिया गया है।

तालिका-7.15

न्याय पंचायत से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	न्याय पंचायत से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया			
		पूर्ण रूप से सन्तुष्टि	आशिक रूप से सन्तुष्टि	सदृष्टि नहीं	इतिक्रिया नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	72 (72 00)	15 (15 00)	11 (11 00)	2 (2 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	27 (81 82)	-	6 (18 18)	-
(ब) बर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	45 (67 16)	15 (22 39)	5 (7 46)	2 (2 99)
कार्यिक वर्ग	50 (100 00)	17 (34 00)	10 (20 00)	18 (36 00)	2 (10 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	57 (57 00)	16 (16 00)	27 (27 00)	-
यात्रा	250 (100 00)	146 (58 40)	41 (16 40)	56 (22 40)	7 (2 80)

कोप्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

- * न्याय पंचायत व न्याय उपसमिति दोनों के बारे में सुविधा को दृष्टि से उत्तरदाताओं से न्याय पंचायत नाम से ही प्रश्न पूछे गये हैं।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समग्र उत्तरदाताओं में से 58 40% उत्तरदाताओं ने पूर्ण रूप से सनुष्टि एवं 16 40% ने आशिक रूप से न्याय पचायत के बारे में सनुष्टि के अभिमत व्यक्त किये हैं शेष 22 40% उत्तरदाताओं ने असनुष्टि जाहिर की है और 2 80% ने इस सम्बन्ध में अभिमत प्रकट नहीं किया है अत उत्तरदाताओं के प्राप्त अभिमत से यह स्पष्ट होता है कि पुरानी पचायती राज व्यवस्था में न्याय पचायत से अधिकाश उत्तरदाता 74 60% पूर्ण एवं आशिक रूप से सनुष्टुप् थे।

नवीन पचायती राज व्यवस्था में न्याय पचायत (न्याय उपसमिति) के समाप्त करने के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज अधिनियम 1994 के बाद न्याय पचायत को समाप्त करने के बारे में उत्तरदाताओं की जो प्रतिक्रिया रही है उसका विवरण तालिका 7 16 में दर्शाया गया है।

तालिका 7 16

न्याय पचायत (न्याय उपसमिति) व्यवस्था समाप्त करने पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की भेणी	संख्या	न्याय पचायत (न्याय उपसमिति) व्यवस्था समाप्त करने पर प्रतिक्रिया			
		सही है	गलत है	न सही न गलत	जानकारी नहीं
जनतानिविधि वर्ग	100 (100 00)	10 (10 00)	84 (84 00)	1 (1 00)	5 (5 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)		33 (100 00)		
(ब) वर्षभाग व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	10 (14 93)	51 (76 12)	1 (1 49)	5 (7 46)
कार्यिक वर्ग	50 (100 00)	11 (22 00)	27 (54 00)	1 (2 00)	11 (22 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	24 (24 00)	75 (75 00)	1 (1 00)	
योग	250 (100 00)	45 (18 00)	186 (74 00)	3 (1 20)	16 (6 40)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकाशत 74 40% उत्तरदाताओं ने न्याय पचायत को समाप्त करना गलत बताया है। केवल 18 00% उत्तरदाताओं ने ही सही बताया है। शेष 7 20% उत्तरदाताओं ने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है एवं 6 40% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अत उत्तरदाताओं के अभिमत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि न्याय पचायत को नवीन व्यवस्थाओं में समाप्त करना गलत कदम रहा है।

न्याय व्यवस्था के पुनर्स्थान के बारे में समग्र उत्तरदाताओं में से 74 80% के अभिमत सकारात्मक है अर्थात् स्थान करने के चक्र में अभिमत जाहिर किया है शेष 22 40% ने

विषय में मत जाहिर किया है एवं 3.20% उत्तरदाताओं ने इम बारे में प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः न्याय पचायत पुनः लागू करवाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक रहा है।

वार्डसभा गठन पर प्रतिक्रिया

“7 जनवरी, 2000 को राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 को संशोधित करते हुए अध्यादेश के तहत वार्डसभा के गठन का प्रावधान किया है। भविष्य में वार्डसभा के माध्यम से ही वार्ड की विकास योजनाएँ बनाने व इन्हे लागू करने का काम होगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ वार्डसभाएँ बनाई गई हैं। वार्डसभा को प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बैठकें होंगी। इसी प्रकार प्रत्येक पचायत वृत्त के लिए एक ग्रामसभा होगी जिसमें पचायत क्षेत्र के सभी मतदाता भाग लेंगे।”¹⁷

पचायती राज संस्थाएँ लोकतन्त्र विकास व कल्याण को सवाहक बने तथा साथ ही निर्णयन एवं नोति निर्माण में समग्र जन की सक्रिय भागीदारी बढ़े बापू के इसी सप्ने को साकार करने के प्रति वार्डसभा गठन एक साराहनीय एवं उपलब्धि पूर्ण कदम है जिसके बारे में शोध अध्ययन के माध्यम से अभिमत जानने का प्रयास किया गया है। वार्डसभा गठन से अब पचायत वृत्त का समग्र सर्वस्वीकार्य सन्तुलित विकास जन-आकाशाओं के प्रति ज्यादा अनुकूल सिद्ध होगा।¹⁸

ग्रामसभाओं को व्यावहारिक रूप देने के उद्देश्य से वार्डसभा के गठन के बारे में उत्तरदाताओं के अभिमत प्राप्त करने पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनको तालिका 7.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.17
वार्डसभा गठन पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया		
		जहो	गलत	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100.00)	88 (88.00)	8 (8.00)	4 (4.00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100.00)	27 (81.82)	3 (9.07)	3 (9.09)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100.00)	61 (91.05)	5 (7.46)	1 (1.49)
कार्मिक वर्ग	50 (100.00)	43 (86.00)	5 (10.00)	2 (4.00)
नागरिक वर्ग	100 (100.00)	75 (75.00)	13 (13.00)	12 (12.00)
योग	250 (100.00)	206 (82.40)	26 (10.40)	18 (7.20)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

वार्डसभा के गठन पर उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 88.00% कार्मिक वर्ग के 86.00% एवं नागरिक वर्ग के 75.00% उत्तरदाताओं ने सही बतलाया है जबकि 10.40% ने गलत। शेष 7.20% उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी है। अतः उत्तरदाताओं में अधिकाश का भत्ता वार्डसभा गठन के पश्च में रहने से वार्डसभाओं का गठन उचित मात्रा जा सकता है।

वार्डसभाएँ और ग्रामसभाएँ अब मात्र औपचारिक नहीं होगी। ग्रामसभाओं के जरिये ग्राम विकास का सपना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको मध्यनजर रखते हुए वार्डसभाओं पर विशेष ध्यान दिया जाकर प्रभावी कार्यक्रम बनाया गया है। इसी कारण एक से दस मई तक वार्डसभाएँ आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। राज्य में पहली बार बनायी गई वार्डसभा की बैठकें एक से दस मई तक होगी। वार्डसभा के जरिये वार्ड में लागू की जाने वाली विकास योजनाओं व कार्यक्रमों पर प्रस्ताव तैयार होगे। राजीव गांधी स्वर्ण जयती पाठशालाओं में शिक्षा संहयोगों के रूप में काम करने के इच्छुक युवक-युवतियों के आवेदन पत्र भी वार्ड व ग्रामसभाओं का बैठकों से अनुमोदित किये जाएंगे। राज्य की सभी ग्रामसभाएँ 15 मई को एकसाथ हींगी।

वार्डसभाओं में गरीबी की रेखा से नीचे चयनित परिवारों में यदि कोई गलत चयन हो गया हो तो उसे हटाने की कार्रवाही भी की जाएगी। पंचायती राज अधिनियम में सशोधन के जरिये इस बार प्रत्येक वार्ड में एक वार्डसभा का गठन किया गया है। वार्डसभाओं के सचालन के बारे में प्रशिक्षण देने का काम वार्डसभाओं की बैठकों से पूर्व किया गया है। वार्डसभाओं में राजस्व व अन्य विभागों की ओर से जारी किये गये नागरिक अधिकार-पत्रों पर चर्चा कर वार्डसभा में लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलने के प्रस्ताव भी वार्डसभा भेज सकेगी।

वार्डसभाओं में राज्य के सभी विभागाध्यक्षों व सचिवों को मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि वे भी वार्डसभाओं में उपस्थित रहें।

अतः वार्डसभाओं पर विशेष ध्यान दिया जाकर ग्राम स्वराज्य का सपना साकार करने का प्रयास किया गया है।

73वे संविधान सशोधन अधिनियम के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित 73वें संविधान सशोधन अधिनियम की जानकारी के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जौ सूचना प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7.18 में दिया गया है।

तालिका-7.18

संविधान सशोधन अधिनियम की जानकारी

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	उत्तरदाताओं को प्रतिक्रिया		
		जानकारी है	जानकारी नहीं है	प्रत्युत्तर नहीं दिया
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	92 (92.00)	8 (8 00)	-
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	30 (90.91)	3 (9.09)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	62 (92.54)	5 (7.46)	-
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	50 (100 00)	-	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	72 (72.00)	24 (24 00)	4 (4 00)
योग	250 (100 00)	214 (85.60)	32 (12.80)	4 (1.60)

बोल्डक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उत्तरदाताओं से संविधान के 73वें संविधान सशोधन अधिनियम के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग में 92.00%, कार्मिक वर्ग में इति-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग में 72.00% को जानकारी है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 8.00% एवं नागरिक वर्ग में 24.00% को जानकारी नहीं है शेष 4.00% नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः समग्र वर्ग के उत्तरदाताओं में 85.60% को 73वें संविधान सशोधन अधिनियम की जानकारी होना एवं 12.80% को जानकारी नहीं होना अवगत करवाया है। शेष 1.60% उत्तरदाताओं ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। उत्तरदाताओं के अभिमत से स्पष्ट होता है कि संविधान सशोधन अधिनियम की अधिकारा उत्तरदाताओं को जानकारी है।

73वें संविधान सशोधन अधिनियम से पंचायती

राज संस्थाओं में आये परिवर्तनों का विवरण

उत्तरदाताओं में से जिन 85.60% उत्तरदाताओं को संविधान सशोधन अधिनियम की जानकारी है उनसे सशोधन के पश्चात् पचासी राज संस्थाओं में आये परिवर्तनों की जानकारी करने पर जो अभिमत प्रकट किये हैं उनका विवरण तालिका 7.19 में दिया गया है।

तालिका-7.19

पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
से आये परिवर्तन पा प्रतिक्रिया

परिवर्तन	उत्तरदाताओं के अभिभावक प्रतिशत
1 आरक्षण पे कारण सभी यार्गों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।	61 68
2 स्वामरणा से जन-प्रेतना में युद्धि	32 34
3 महिला आरक्षण से जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़करना।	43 46
4 पंचायतों यी त्रिस्तरीय व्यवस्था तथा पंचायती राज संस्थाओं को समायता एवं अधिकार दिया जाना।	54 67
5 औपरकाही की जलायदेवता में युद्धि होना।	12 62
6 आरक्षण से खोपा हुआ नेतृत्व आौ से विकास कार्य अवरुद्ध होना।	22 43
7 अधिकारित जनप्रतिनिधियों पे कारण भ्रष्टाचार घटना।	10 28
8 सरपंथों पे अधिकारों में युद्धि वरने से उनके द्वारा मनमती वार्यवाही विद्या जाना।	8 41
9 चुनावों की राईभानिक सम्पादनधि निश्चित होना।	52 71
10 आरक्षण की अधिकता से सामान्य लार्गों पे हितों पर पुरायापात होना।	6 07
11 चंद्रानुब्रम आरक्षण से जनप्रतिनिधियों पे निर्वाचन शेत्रों में असम्भवित आना।	10 75
12 चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन।	28 97
13 सादस्यों पे चुनाव सहूलों के लिए दो बजों की पात्रता होना।	19 16
14 ग्राम स्तर पर योजनाओं पा सुरजन होना।	2 34
15 न्याय पंचायत व्यवस्था को समाप्त परना।	14 02
16 अधिकारिता प्रतिवाय साम्बद्धी परिवर्तन।	1 87
17 स्वारक्ष्य एवं शिक्षा पे प्रति प्रेतना ये जागरूकता पा आना।	14 95
18 यार्गों के मूल्यांकन होने से यार्गों में गुणवत्ता आना।	4 67
19 चुनावों में धनबल, जातियता दो बद्धाका मिलना।	8 89

पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान अधिनियम से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन देखो को मिलता है। पंचायती राज संस्थाओं को जहाँ राईभानिक दर्जा एवं स्वायत्ता प्रदान

को गई है वही अत्यधिक आरक्षण से योग्य एवं अनुभवी जनप्रतिनिधियों की संख्या में कमी आई है जो कि इन संस्थाओं के लिए अहितकर भी हो सकता है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पचायती राज संस्था में आये परिवर्तनों में मुख्य 2 बिन्दुओं का नीचे उल्लेख किया गया है।

आरक्षण व्यवस्था

पचायती राज संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण, संस्था अध्यक्षों का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण आदि के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत के आधार पर 61.65% ने सभी वर्गों—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होना अवगत करवाया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक-दिहाई स्थानों के आरक्षित करने से महिला जनप्रतिनिधियों को संख्या में वृद्धि होने की 43.46% उत्तरदाताओं ने सुनिश्चित होनी वाली अवगत करवाया है। आरक्षण व्यवस्था के विषय में भी उत्तरदाताओं ने अभिमत प्रकट किया है। उनमें से 22.43% उत्तरदाताओं का मत है कि आरक्षण व्यवस्था से धोपा हुआ नेतृत्व आने के कारण अनुभवहीन एवं अकुशल नेतृत्व से विकास व विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आरक्षण के कारण अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की संख्या अधिक होने से 10.28% उत्तरदाताओं ने भ्रष्टाचार बढ़ना, 6.07% ने आरक्षण की अधिकता से सामान्य वर्ग के हितों पर कुठारापात होना, चक्रानुक्रम आरक्षण से बांडों में जनप्रतिनिधियों का एक बार्ड निश्चित न रहने में 10.75% का मत रहा है।

त्रिस्तरीय व्यवस्था

पचायती राज संस्थाओं में चार स्वरूप ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषद् का गठन। अधिनियम में विभिन्न स्तरों पर पचायती राज संस्थाओं के लिए शक्तिया और अधिकारा का विकेन्द्रीकरण करते हुए एक बुनियादी ढाँचा तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में 54.67% उत्तरदाताओं ने अभिमत दिया है।

पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता, शक्तियाँ एवं दायित्व

उत्तरदाताओं में से 54.67% का अभिमत है कि अधिनियम से पचायती राज संस्थाओं को प्राप्त स्वायत्तता देते हुए इनकी शक्तियों एवं दायित्वों का विस्तार किया गया है ताकि ये संस्थाएँ स्थानीय इकाई के रूप में प्रभावी हो सकें। इस सम्बन्ध में 8.41% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि ग्राम पचायती को अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ देने से सरपंचों की मनमानी बढ़ गई है। 32.64% उत्तरदाताओं के अभिमत से ग्रामसभा के गठन से जन-चेतना में वृद्धि होना अवगत करवाया है।

सर्वैथानिक रूप से चुनावों की समयावधि

इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं में से 32.71% का अभिमत है कि पचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब 5 वर्ष की निश्चित समयावधि में कराये जाने का सर्वैथानिक प्रावधान हो गया है। पहले इन संस्थाओं के चुनावों की निश्चित समयावधि सर्वैथानिक रूप से नहीं रही है। अब राज्य निवाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय में चुनाव कराये जायेंगे।

पचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन के सम्बन्ध में 28.97% दो वर्गों के प्रावधान के बारे में 19.16% ग्राम स्तर पर योजनाओं के सूजन के बारे में 2.34% एवं चुनावों में भवित्व जाति वर्ग को बढ़ावा मिलने के सम्बन्ध में 8.88% उत्तरदाताओं ने अभिप्राय दिया है।

नया पचायती राज अधिनियम एक उचित कदम है लेकिन काफी नहीं है। इसमें जल्दी में लिए गये निर्णयों के कारण कुछ कमियाँ रही हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में आये अन्तर के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में हुए परिवर्तन के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका तालिका 7.20 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.20

पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में आये अन्तर पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया	
		हाँ	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	59 (59 00)	41 (41 00)
(अ) दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध	33 (100 00)	18 (54.55)	15 (45.45)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	41 (61.19)	26 (38.81)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	29 (58 00)	21 (42 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	86 (86 00)	14 (14 00)
कुल योग	250 (100 00)	174 (69.60)	76 (30.40)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नवीन अधिनियम से पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में आये अन्तर के बारे में जनप्रतिनिधि वर्ग के 59.00% कार्मिक वर्ग

के 58 00% एवं नागरिक वर्ग के 86 00% ने सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग के 41 00%, कार्मिक वर्ग के 42 00% एवं नागरिक वर्ग के 14 00% ने नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है। अतः समग्र उत्तरदाताओं में से 69 60% ने पचायती राज संस्थाओं को शक्तियों में अन्तर आना एवं शेष 30 40% उत्तरदाताओं ने अन्तर नहीं आना अवगत करवाया है।

पचायती राज संस्थाओं में नवीन अधिनियम से शक्तियों में परिवर्तन के बारे में जिन 69 60% उत्तरदाताओं ने अभिमत दिया है उनसे इन संस्थाओं में हुए परिवर्तन की भी जानकारी की गई जिसके प्रत्युत्तर में जो अभिमत आये हैं उनको नीचे तालिका 7 21 में दिया गया है।

तालिका-7.21

नवीन अधिनियम से शक्तियों में आये परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया

शक्तियों में परिवर्तन	प्रतिशत
1 ग्राम पचायतो की प्रशासनिक एवं आर्थिक शक्तियों में वृद्धि।	51 72
2 स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्ता।	64 94
3 निर्णय एवं नियन्त्रण का अधिकार।	2.87
4 ग्रामसभा के माध्यम से विकास कार्यों की जानकारी।	13 79
5 ग्राम सचिव एवं सरपंच की ग्राम पचायत के बजट की सामूहिक जिम्मेदारी	2.30
6 न्याय पचायत समाप्त करना।	14 94
7 जिला परिषदों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार	2.87

पचायती राज संस्थाओं में नवीन अधिनियम से आये अन्तर के बारे में 51 72% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि ग्राम पचायतो प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, 64 94% ने स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्ता, 2 87% ने निर्णय एवं नियन्त्रण का अधिकार 13 79% ने ग्रामसभा के माध्यम से विकास कार्यों की जानकारी, 2 30% ने ग्राम पचायत बजट पर ग्राम सचिव एवं सरपंच की सामूहिक जिम्मेदारी, 14 94% ने न्याय पचायतो को समाप्त करना एवं 2 87% ने जिला परिषदों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिया जाना अवगत करवाया है।

पचायती राज संस्थाओं में नवीन अधिनियम से शक्तियों में परिवर्तन नहीं आने के बारे में 30 40% उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया है। इनसे परिवर्तन नहीं आने के कारणों की जानकारी करने पर जो कारण अवगत करवाये हैं उनका विवरण तालिका 7 22 में दिया गया है।

तालिका 7 22

नवीन अधिनियम से शक्तियों में परिवर्तन नहीं आने के बारे में प्रतिक्रिया

शक्तियों में परिवर्तन नहीं आने के कारण	प्रतिशत
1 व्यावहारिक रूप से सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अभाव।	22 37
2 जिला परिषदों की स्थिति, शक्तियाँ घटावत ही रहना।	14 47
3 सशक्त नेतृत्व का अभाव रहना।	36 84
4 राजनीतिक हस्तक्षेप।	14 47
5 समय पर आदेशों/निर्णयों की क्रियान्विती का अभाव।	17 11

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में परिवर्तन नहीं आने का मुख्य कारण 36 84% उत्तरदाताओं के अधिमत से सशक्त नेतृत्व का अभाव रहना दराया है। उनका मत है कि अशिक्षित अपोग्य जनप्रतिनिधि प्रभावशाली स्तरों के प्रभाव में रहते हैं इसलिए योग्य एवं सशक्त नेतृत्व के बिना शक्तियों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। 22 37% उत्तरदाताओं का अधिमत है कि प्रशासनिक अधिकारी अधिकार छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जनप्रति निधियों को अधिकार एवं शक्तियाँ व्यावहारिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है केवल चुनाव प्रतिक्रिया में परिवर्तन आया है। प्रशासनिक कार्यों में भौकरशाही हाथी रहती है। इसके साथ ही 14 47% ने राजनीतिक हस्तक्षेप का होना एवं 17 11% उत्तरदाताओं ने पंचायती राज संस्थाओं में गांव सरकार के आदेशों की एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्णयों की समय पर पालना एवं क्रियान्विती नहीं होने से नवीन अधिनियम बास्तव में शक्तियाँ हस्तान्तरण करवाने में सफल नहीं हो सका है।

पूर्ववर्ती व्यवस्था में चुनाव अवधि के बारे में प्रतिक्रिया

पंचायती राज संस्थाओं के जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि चुनावों को अवधि अनिश्चित रहती थी अर्थात् समय पर चुनाव नहीं होते थे। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया का विवरण तालिका 7 23 में दिया गया है।

तालिका 7 23

पूर्ववर्ती व्यवस्था में चुनाव अवधि के बारे में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की भेदभावी	संख्या	चुनावों की समयावधि			
		3 वर्ष	5 वर्ष	1 वर्ष	अनिवार्य
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	38 (38 00)	9 (9 00)		53 (53 00)
(अ) सोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	3 (9 09)		18 (54 55)

(व) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	26 (38 80)	6 (8 96)	-	35 (52 24)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	21 (42 00)	7 (14 00)	-	22 (44 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	36 (36 00)	61 (61 00)		3 (3 00)
योग	250 (100 00)	95 (38 00)	77 (30 80)		78 (31 20)

कोष्ठक (५) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग में 38 00%, कार्मिक वर्ग में 42 00% एवं नागरिक वर्ग में 36 00% ने पचायती राज संस्थाओं को चुनाव करवाये जाने सम्बन्धी अवधि 3 वर्ष अवगत करवायी है। उत्तरदाताओं में से 9 00% जनप्रतिनिधि वर्ग, 14 00% कार्मिक वर्ग एवं 61 00% नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं ने यह अवधि 5 वर्ष की बतायी है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि वर्ग में 53 00%, कार्मिक वर्ग में 44 00% नागरिक वर्ग में 3 00% ने चुनावों को कोई निश्चित अवधि न बताकर अनियमित चुनाव होना अवगत करवाया है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चुनावों को पूर्व में समयावधि के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर की श्रेणीवार उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर से जनप्रतिनिधि-वर्ग एवं कार्मिक वर्ग के अधिकांश उत्तरदाताओं ने चुनाव अवधि अनियमित ही अवगत करवायी है जबकि नागरिक वर्ग में अधिकांश उत्तरदाताओं ने 5 वर्ष में चुनाव होने की अवधि के बारे में अभिमत किया है।

अतः सभी श्रेणी के समग्र उत्तरदाताओं में से 38 00% ने 3 वर्ष, 30 80% ने 5 वर्ष एवं 31 20% ने अनियमित पचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाये जाने की अवधि बतलायी है। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व में पचायती राज संस्थाओं के चुनावों की समयकारी सरैयानिक बाध्यता नहीं थी। सरकार अपनी इच्छानुसार कभी भी चुनाव करवा सकती थी।

पंचायती राज संस्थाओं में लिये जाने वाले निर्णयों पर प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो अभिमत प्राप्त हुए हैं। तालिका 7 24 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 24

पचायती राज संस्थाओं में लिये जाने वाले निर्णयों पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	निर्णयों पर प्रतिक्रिया		
		व्यक्तिगत	सर्वसम्मत	बहुमत
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)		27 (27 00)	73 (73 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	-	12 (36 36)	21 (63 64)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	-	15 (22 39)	52 (77 61)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	-	20 (40 00)	30 (60 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	-	37 (37 00)	63 (63 00)
योग	250 (100 00)	-	84 (33 60)	166 (66 40)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

पचायती राज संस्थाओं में लिए जाने वाले निर्णयों को तालिका में उत्तरदाताओं के अभिमत के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के उत्तरदाताओं में अधिकांश ने बहुमत से निर्णय लिया जाना अवगत करवाया है। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकांश 66 40% ने बहुमत से एवं 33 60% ने सर्वसम्मती से निर्णय लिये जाने के बारे में विचार किये हैं।

उत्तरदाताओं से पचायती राज संस्थाओं में प्रस्ताव रखने के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत कार्मिक वर्ग के 42 00% एवं नागरिक वर्ग के 13 00% ने प्रस्ताव रखने का अभिमत दिया है जबकि कार्मिक वर्ग में 58 00% एवं नागरिक वर्ग में 87 00% ने प्रस्ताव नहीं रखने का अभिमत प्रकट किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नागरिक वर्ग में अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्ताव नहीं रखा जाता है। अतः आप जनता में जागरूकता का अभाव है तथा वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के निर्णयों को ही सर्वेसर्वा भाव से लेते हैं। इस प्रकार पचायती राज संस्थाओं में प्रस्ताव जनप्रतिनिधि वर्ग के द्वारा ही रखा जाता है। अतः चयनित कुल उत्तरदाताओं में 53 60% ने प्रस्ताव रखना एवं 46 40% ने प्रस्ताव नहीं रखना अवगत करवाया है। यहाँ दिये गये विवरण से यह तथ्य ठजागर होता है कि अभी भी पचायती राज संस्थाओं में नागरिक वर्ग की व्यावहारिक भागीदारी नहीं हो पाई है।

पचायती राज संस्थाओं में सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख द्वारा बात नहीं सुनने पर उनके विरुद्ध को जाने वाली कार्यवाही के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर केवल 34.80% उत्तरदाताओं ने ही को जाने वाली कार्यवाही की जानकारी का उल्लेख किया है जबकि अधिकारा 65.20% उत्तरदाताओं ने कोई भी कार्यवाही नहीं करने सम्बन्धी अभिमत प्रकट किया है। चयनित उत्तरदाताओं में से जिन 34.80% उत्तरदाताओं ने कार्यवाही करवाना अवगत करवाया है। उनसे को जाने वाली कार्यवाही को जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका विवरण तालिका 7.25 में दिया गया है।

तालिका-7.25

जनता की बात नहीं सुनने पर पचायती राज पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं के अभिमत से को जाने वाली कार्यवाही का विवरण	प्रतिशत
1 उच्चाधिकारियों को लिखते हैं जैसे कलेक्टर, मन्त्री आदि।	59.77
2 सम्बन्धित विभाग को लिखते हैं (विशेषकर जिला प्रमुख को लिखते हैं।)	12.64
3 न्यायालय की शरण ली जाती है।	10.34
4 सचार माध्यम से दबाव बनाया जाना।	5.75
5 नियम 84 के तहत राज्य सरकार को असहमति के प्रस्ताव भेजना।	5.75
6 अविश्वास प्रस्ताव लाने की कार्यवाही करना।	6.90
7 कानून के मूलाधिक अन्य कार्यवाही करना।	4.60

उत्तरदाताओं के अभिमत से को जाने वाली कार्यवाही में अधिकारा 59.77% उत्तरदाताओं ने उच्चाधिकारियों जैसे—कलेक्टर, मन्त्री आदि को लिखना, 12.64% ने जिला प्रमुख को लिखने, 10.34% ने न्यायालय की शरण में जाने, 5.75% ने सचार माध्यमों के द्वारा उन पर दबाव बनाने, 5.75% ने नियमानुसार राज्य सरकार को असहमति प्रस्ताव भेजने, 6.90% ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की कार्यवाही करने तथा 4.60% ने अन्य कानूनी कार्यवाही किया जाना अवगत करवाया है। पचायती राज संस्थाओं में जिन 65.20% उत्तरदाताओं ने कार्यवाही नहीं किये जाने के बारे में अवगत करवाया है। उन उत्तरदाताओं से कार्यवाही नहीं करने के कारणों की जानकारी करने पर उनमें से 77.30% ने कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं करने, 15.34% ने जागरूकता एवं सक्रियता का अभाव शेष 7.36% ने जानकारी का अभाव होना बतलाया है। अतः उक्त कारणवश कार्यवाही नहीं की जाती है।

पुरानी व नवीन व्यवस्था में अन्तर

चयनित उत्तरदाताओं में 33 उत्तरदाता पुरानी और नवीन दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध रहे हैं। उनसे दोनों व्यवस्था में क्या अन्तर है, कि जानकारी हेतु उन्होंने इस घोरे में अवगत करवाया है वह तालिका 7.26 में दिया गया है।

तालिका-7.26

पुरानी व नवीन व्यवस्थाओं में अन्तर पर प्रतिक्रिया

पुरानी व नई व्यवस्थाओं में अन्तर	प्रतिशत
1 पंचायती राज संस्थाओं में समन्वय एवं सहयोग का अभाव।	60 61
2 चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन।	36 36
3 ग्राम सचिव को अधिक भागीदारी।	18 18
4 संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्ता एवं अधिक अधिकार। (अधिकार एवं शक्तियों का विकेन्द्रीकरण)	54 55
5 ग्रामसभा एक सशक्त इकाई के रूप में।	36 36
6 आरक्षण से सभी यार्गों की भागीदारी।	48 48
7 महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण।	24 24
8 जनता का विकास कार्यों में भागीदारी।	12 12
9 राज्य वित्त निगम का गठन।	12 12
10 समय पर चुनाव करवाने का संवैधानिक प्रावधान।	48 48
11 निर्वाचन थेन्डो या चक्रानुक्रम रीति से आवटन।	60 61
12 अध्यक्ष पदों का आरक्षण।	54 55
13 प्रशासनिक जवाबदेवता में चुनिंदा।	36 36
14 निर्वाचन के लिए अर्द्धतार्थी।	24 24
15 अविश्यास प्रस्ताव के प्रावधानों में परिवर्तन।	12 12
16 न्याय पंचायत घोर समाज करना।	48 48

उपर्युक्त तालिका के उत्तरदाताओं में पच सरपच प्रधान एवं प्रमुख जो पूर्व में भी रह चुके हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में भी हैं। उन्होंने पूर्व एवं वर्तमान व्यवस्था में जो अन्तर घताये हैं उनमें 60.61% उत्तरदाताओं ने पंचायती राज के विभिन्न स्तर ग्राम पंचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में पूर्व में सामजिक एवं सहयोग अधिक यताया लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ये सम्भार्हे स्वतन्त्र इकाई के रूप में होने के कारण तथा दलीय आधार पर चुनाव

होने से इनमें आपसी समन्वय एवं सहयोग में कमी आयी है, 36 36% ने चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन आना बताया है।

पूर्व में प्रधान का चयन सरपंच एवं जिला प्रमुख का चयन प्रधान करते थे लेकिन नवीन व्यवस्था में पचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रधान का एवं जिला परिषद् सदस्यों द्वारा जिला प्रमुख का चयन किया जाता है। इसके साथ ही पचायती राज संस्थाओं के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते थे। वर्तमान व्यवस्था में 18 18% ने ग्राम संचिव को अधिक भागीदारी, 54 55% ने पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाकर अधिक अधिकार दिया जाना, 48 48% ने आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को दिये जाने से जन भागीदारी में बढ़ि होना, 24 24% ने महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आक्षित कर महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाना, 12 12% ने जनता द्वारा ग्राम स्तर पर योजनाओं का सूजन करने से विकास कार्यों में भागीदारी का बढ़ना, 48 48% ने समय पर चुनाव करवाने का संवैधानिक प्रावधान किया जाना।

पूर्व में पचायती राज संस्थाओं के चुनाव अनियमित रूप से होते थे लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाया जाने लगा है, 12 12% ने राज्य वित्त आयोग के गठन से संस्थाओं को अधिक वित्त मिलना, 60 61% ने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम रौति से आवटन होना, 54 55% ने अध्यक्ष पदों का आरक्षण होना, 36.36% ने प्रशासनिक जवाबदेयता में बढ़ि 24 24% ने निर्वाचन के लिए अहताओं में दो सन्तानों से अधिक बालों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मानना, 12 12% ने अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों में परिवर्तन कर दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का नियम बना देना एवं 48 48% ने न्याय पचायत को समाप्त किया जाना आदि नवीन एवं पुरानी व्यवस्था में अन्तर आना अवगत करवाया है।

पचायती राज संस्थाओं में आये परिवर्तन जहाँ हितकारी हैं वहाँ कुछ क्षेत्रों में अहितकारी भी हैं जिनका यथास्थान पर विवरण दिया गया है।

सरपंच व प्रधान को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं में ग्राम पचायत के सरपंच एवं पचायत समिति के प्रधान जो कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, को पचायत संस्थाओं एवं जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो अभिमत प्राप्त हुआ है उसका विवरण निम्न तालिका 7 27 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.27

सरपञ्च व प्रधान को पचायत समिति एवं जिला परिषद्
का सदस्य बनाये जाने के बारे में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	प्रत्युत्तर नहीं दिया
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	89 (89 00)	11 (11 00)	-
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	33 (100 00)	-	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	56 (83 58)	11 (16 42)	-
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	50 (100 00)	-	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	78 (78 00)	15 (15 00)	7 (7 00)
योग	250 (100 00)	217 (86 80)	26 (10 40)	7 (2 80)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अयत्तोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पचायत के सरपञ्च व प्रधान को पचायत समिति एवं जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे में कुल जनप्रतिनिधियों में 89 00% उत्तरदाताओं ने सदस्य बनाये जाने एवं 11 00% उत्तरदाताओं ने सदस्य नहीं बनाये जाने का अभिमत प्रकट किया है। जनप्रतिनिधियों में भी दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध शत-प्रतिशत जनप्रतिनिधियों ने तो सदस्य बनाया जाना अवगत करवाया है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 83 58% ने सदस्य बनाये जाने एवं 16 42% ने सदस्य नहीं बनाये जाने की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग में 78 00% के अभिमत से सदस्य बनाये जाने के अभिमत दिये हैं जबकि नागरिक वर्ग में 15 00% ने सदस्य नहीं बनाये जाने के विचार प्रकट किये हैं। शेष 7 00% ने इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अतः समग्र रूप से सभी श्रेणी के उत्तरदाताओं का इस सम्बन्ध में विश्लेषण किया जाने तो उनमें 86 80% ने सरपञ्च व प्रधान दो सदस्य बनाये जाने सम्बन्धी एवं 10 40% ने सदस्य

नहीं बनाये जाने की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शेष 2 80% उत्तरदाताओं ने इस सन्दर्भ में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे में प्रतिक्रिया

नवीन अधिनियम से निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो अभिमत/प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7 28 में दिया गया है।

तालिका-7.28

निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	वार्ड आरक्षण पर प्रतिक्रिया	
		सहमति	असहमति
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	59 (59 00)	41 (41 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बन्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	21 (63 64)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	47 (70 15)	20 (29 85)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	42 (84 00)	8 (16 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	73 (73 00)	27 (27 00)
योग	250 (100 00)	174 (69 60)	76 (30 40)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के आरक्षण के बारे में कुल उत्तरदाताओं में से 69 60% ने सहमति एवं 30 40% ने असहमति जाहिर की है। उत्तरदाताओं का श्रेणीवार इस सम्बन्ध में विश्लेषण किया जावे तो जनप्रतिनिधि वर्ग में 59 00% उत्तरदाताओं ने सहमति एवं 41 00% उत्तरदाताओं ने असहमति व्यक्त की है। इन उत्तरदाताओं में दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में अधिकाश 63 64% ने असहमति एवं केवल 36 36% उत्तरदाताओं ने असहमति एवं केवल 36 36% उत्तरदाताओं ने ही सहमति व्यक्त की है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में अधिकाश 70 15% ने सहमति एवं केवल 29 85% ने असहमति व्यक्त की है। इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एवं दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के विचार एक-दूसरे के

विपरीत स्थितियों में प्राप्त हुए हैं। कहने का आशय यह है कि दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध जन प्रतिनिधि वार्ड आरक्षण को सही नहीं मानते जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जन प्रतिनिधि वार्ड आरक्षण को सही मान रहे हैं।

कार्मिक वर्ग में 84.00% ने वार्ड आरक्षण को उचित एवं 16.00% ने अनुचित नागरिक वर्ग में 73.00% ने उचित एवं सहमति व्यक्त की है जबकि 27.00% ने असहमति जाहिर की है।

अत वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के बारे में दो तिहाई उत्तरदाताओं ने सहमति एवं एक तिहाई उत्तरदाताओं ने असहमति प्रकट की है।

वार्ड आरक्षण की सहमति के कारण

समग्र रूप से उत्तरदाताओं में 174 (69.60) उत्तरदाताओं ने वार्ड आरक्षण को उचित मानते हुए सहमति प्रकट की है उनसे सहमत होने के कारणों की भी जानकारी की गई। उत्तरदाताओं से प्राप्त अधिपती का विवरण तालिका 7.29 में दिया गया है।

तालिका-7.29

वार्ड आरक्षण की सहमति के कारण

क्र सं	वार्ड आरक्षण की सहमति के कारण	प्रतिशत
1	कमजोर/पिछड़े वर्ग अनु जाति जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड होने से जन-सहभागिता में बढ़ि।	81.03
2	ग्रामों में अधिक विकास कार्य।	12.07

वार्ड आरक्षण से पूर्व जो घाँस पिछड़े हुए थे तथा उनके जनप्रतिनिधियों को सख्ता भी यहुत कम थी। उन घाँसों के लिए अब स्थानी/वार्डों के आरक्षण से उसके घाँस के जनप्रति निधियों का चयन अधिक होगा जिससे प्रत्येक वर्ग की भवायती राज संस्था में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। अत जन-जागृति एवं जन-सहभागिता बढ़ी है। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 81.03 है।

वार्ड आरक्षण से विकास के कार्य अधिक होगे क्योंकि प्रत्येक चयनित जनप्रतिनिधि अपने वार्ड में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना चाहेगा। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 12.07% है।

वार्ड आरक्षण से सहमति तो जाहिर की है लेकिन 6.90% उत्तरदाताओं ने सहमति के कारणों से अवगत नहीं करवाया है।

वार्ड आरक्षण की असहमति के कारण

समग्र उत्तरदाताओं में से जिन 76 (30.40) उत्तरदाताओं ने वार्ड आरक्षण को उचित नहीं मानते हुए असहमति के कारणों की जानकारी करने पर जो कारण अवगत करवाये हैं उनका विवरण तालिका 7.30 में दिया गया है।

तालिका-7.30

वार्ड आरक्षण को असहमति के कारण

क्र सं	वार्ड आरक्षण को असहमति के कारण	प्रतिशत
1	जन-इच्छा के अनुकूल जनप्रतिनिधि का चयन न हो माना।	44.74
2	विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ना।	18.42
3	सामान्य वर्ग की चुनाव में भागीदारी कम होना।	10.53
4	महिलाओं के अधिक आरक्षण से वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति न होना।	14.47
5	आरक्षण से निष्ठावान नेतृत्व का अभाव।	10.42
6	आरक्षण लॉटरी व्यवस्था से नहीं बल्कि उस वर्ग की जनसंख्या के आधार पर हो।	36.84

जिन उत्तरदाताओं में वार्ड आरक्षण को उचित नहीं मानते हुए असहमति जाहिर की है उनके अभिमत से 44.74% ने जन-इच्छा के अनुकूल जनप्रतिनिधियों का चयन नहीं होना माना है, 18.42% ने विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ना, 10.53% ने सामान्य वर्ग की चुनाव के प्रति उदासीनता एवं भागीदारी कम होना, 14.47% ने महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों से महिला जनप्रतिनिधियों को संख्या में बृद्धि को पचायती राज संस्थाओं के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं माना है।

* व्यावधार्मिक महिलाएं अशिक्षा एवं रूढिवादिता, पदांग्रप्या आदि कई कारणों से बैठकों में भाग नहीं लेती हैं यदि वे भाग लेती भी हैं तो निर्णय प्रतिक्रिया में भूमिका नहीं निभाती हैं इसके साथ ही 10.92% ने निष्ठावान नेतृत्व का अभाव होना एवं 36.84% ने आरक्षण को अधिकता एवं लॉटरी से आरक्षित वार्ड निर्धारित करना उचित नहीं माना है। अतः उठ कारणों से जनप्रतिनिधियों, कार्मिक वर्ग एवं नागरिक वर्ग ने वार्ड आरक्षण के प्रति अपनी असहमति व्यक्ति की है।

पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्ति के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एवं राज्य में राजस्थान पचायती राज अधिनियम 1994 से ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषद् को उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7.31 में दिया गया है।

तालिका-7 31

पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्ति पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	पचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा		
		हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	100 (100 00)		-
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	33 (100 00)	-	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	67 (100 00)	-	-
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	50 (100 00)	-	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	61 (61 00)	13 (13 00)	26 (26 00)
योग	250 (100 00)	211 (84 40)	13 (5 20)	26 (10 46)

फोटोक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

पचायती राज संस्थाओं में ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषद् को संवैधानिक रूप मे दर्जा प्राप्त होने की जानकारी के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से विवार प्राप्त करने पर तालिका मे अकित सूचना के आधार पर जनप्रतिनिधि वर्ग एवं कार्मिक वर्ग के शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग मे से 61 00% उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त करते हुए उनको जानकारी होना अवगत करवाया है जबकि नागरिक वर्ग मे 13 00% ने नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है। शेष 26 00% ने इस सम्बन्ध मे अनभिज्ञता जाहिर की है। अब कुछ उत्तरदाताओं मे से 84 40% ने पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की पुष्टि की है जबकि 5 20% ने पुष्टि नहीं की है शेष 10 40% ने अनभिज्ञता जाहिर की है।

जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों की जवाबदेयता के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिये जाने से जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों की जवाबदेयता के सम्बन्ध मे उत्तरदाताओं ने जानकारी करते पर कुल उत्तरदाताओं मे से 57 60% ने जवाबदेयता मे वृद्धि होना अवगत करवाया है जबकि 36 40% ने वृद्धि नहीं होना अवलाया है शेष 6 00% को इस सम्बन्ध मे जानकारी का न होना उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया है। उत्तरदाताओं की श्रेणीवार प्रतिक्रिया तालिका 7 32 मे दर्शायी गई है।

तालिका-7.32

जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों की जबाबदेयता के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों की जबाबदेयता के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	69 (69 00)	29 (29 00)	2 (2.00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	24 (72.73)	8 (24.24)	1 (3.03)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	45 (67.17)	21 (31.34)	1 (1.49)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	29 (58 00)	21 (42.00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	46 (46 00)	41 (41 00)	13
योग	250 (100 00)	144 (57.60)	91 (36.40)	15 (6.00)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में 69.00% कार्मिक वर्ग में 58.00% एवं नागरिक वर्ग में से 46.00% उत्तरदाताओं ने पंचायती राज संस्थाओं को सर्वेषान्वित दर्जी दिये जाने के बारण जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों की जबाबदेयता में दृढ़ि होना अवगत करवाया गया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 29.00%, कार्मिक वर्ग में 42.00% एवं नागरिक वर्ग में 41.00% ने जबाबदेयता नहीं बढ़ाना अवगत करवाया है रोप 13.00% नागरिक वर्ग में इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होना पाया गया है।

महिलाओं की सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पंचायती राज संस्थाओं में पंचायती राज अधिनियम 1994 से पूर्व तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य मिठाडा वर्ग एवं महिलाओं के लिए समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं थी। वस्तुतः कोई भी पंचायतीन्विक व्यवस्था तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक उसकी निर्वाचन व्यवस्था के आध्यात्मिक सम्बन्ध से समाज के सभी वर्गों को शासन कार्यों में भागीदारी का सम्यक् अवसर प्राप्त न हो। इसलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायत राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। यद्यपि में भी

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा लागू किया गया है। महिलाओं के लिए जब एक-तिहाई स्थान पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गयी है तो महिलाओं की सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया। महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को लाइन्का 7 33 में दर्शाया गया है।

लाइन्का-7.33

महिलाओं की सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	महिलाओं की सक्रिय भूमिका	
		है	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	37 (37 36)	63 (63 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बन्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	21 (63 64)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	25 (37 31)	42 (62 69)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	32 (64 00)	18 (36 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	14 (14 00)	86 (86 00)
योग	250 (100 00)	83 (33 20)	167 (66 80)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में

जनप्रतिनिधि वर्ग में 37 00% कार्मिक वर्ग में 64 00% एवं नागरिक वर्ग में 14 00% ने सकारात्मक उत्तर दिया है अर्थात् इन उत्तरदाताओं की राय में महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसके विपरीत जनप्रतिनिधि वर्ग में 63 00%, कार्मिक वर्ग में 36 00% एवं नागरिक वर्ग में 86 00% ने अभिमत दिया है कि महिलाएँ इन संस्थाओं में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। अतः समग्र उत्तरदाताओं से से केवल 33 20% ने ही महिलाओं की पंचायत राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में अभिमत प्रकट किया है जबकि अधिकांश 66 80% उत्तरदाताओं ने महिलाओं की भूमिका को सक्रिय नहीं घोषया है।

पचायती राज संस्थाओं में हालांकि महिलाओं को सक्रिय भागीदारी कम रही है लेकिन महिलाओं को उनके हक से परे नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रकुल मन्त्रियों को बैठक में प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सरकार लिंगभेद को सम्मानित के लिए वचनबद्ध है जो स्त्रियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और साख सम्बन्धी समानता के मार्ग में बाधक बना रहा है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिलाने के हर सम्प्रयोग प्रयास करेंगे।

महिलाओं का मानवाधिकार सुनिश्चित करना, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को रक्षा लोकतान्त्रिक भारत की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी के साथ-साथ उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अधिकार सम्बन्ध बनाने के लिए लड़कियों को स्नातक स्तर तक नि शुल्क शिक्षा मुहैया कराने के मकान से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। नई सदी में महती चुनौतियों को महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित किया जावे। संसद एवं राज्य विधान मण्डलों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक की अनिश्चितताओं को देखते मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुझाव दिया है कि राजनीतिक दलों को विधान सभाओं व संसदीय चुनावों में महिला प्रत्याशियों को उत्तराने का एक न्यूनतम प्रतिशत तय करने पर सहमत होना चाहिए।

भारत वर्ष में 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय अनुपात पुरुष व महिलाओं का 1000 : 927 है जबकि राजस्थान में यह अनुपात 1000 : 910 है। भारत वर्ष में साक्षरता की दर 52.2% है। राजस्थान में 38.6% है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 55.0% है जबकि महिला साक्षरता 20.4% ही है। महिलाओं की भागीदारी के महत्व की दृष्टि से राष्ट्रीय व राजस्थान का पुरुष एवं महिला अनुपात यहाँ दिया गया है तथा महिलाओं की भागीदारी कम रहने का मुख्य कारण अशिक्षा है इसलिए यहाँ साक्षरता की दर का उल्लेख किया गया है।

पचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सक्रिय भागीदारों नहीं होने के कारणों में मुख्य रूप से महिलाओं का घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना, रुचि का अभाव, अशिक्षित होने से पद के दायित्वों को नहीं समझना, पर्दाप्रधा, सामाजिक बन्धन, प्रशासनिक कार्यों से अनभिज्ञता, महिलाओं का सकोच करना, अनुभव की कमी, स्वयं के विवेक से निर्णय नहीं लिया जाना आदि कई कारणों से महिलाएँ अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। महिलाएँ बैठकों में भी परिवार के किसी सदस्य को साथ लेकर आती हैं एवं उनकी भूमिका केवल उपस्थिति मात्र ही होती है।

अतः महिला जनप्रतिनिधियों को जागरूक करनाने के लिए प्रशिक्षण एवं शिविर आयोजित किये जाने चाहिए। महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का अहसास दिलाना होगा ताकि अशिक्षित महिला जनप्रतिनिधि भी नियमों के दायरे में अपनी बात मनवा सके। महिलाओं की भागीदारी केवल आरक्षण के आधार पर ही सम्भव नहीं होगी। आरक्षण से केवल पचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सख्त जरूर बढ़ेगी लेकिन व्यावहारिक स्वरूप नहीं होगा। महिलाओं की पचायती राज संस्थाओं में व्यावहारिक भागीदारी निश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्नों को आवश्यकता है जिसमें मुख्य रूप से ग्राम, पचायत समिति एवं जिला स्तर पर सेमीनार, प्रशिक्षण शिविर तथा साक्षरता अभियान

आदि घलाकर महिलाओं में जागृति पैदा की जावे ताकि उनको अधिकारों एवं कर्तव्यों का अहसास हो सके। महिला विचार-गोष्ठियाँ ग्राम स्तर पर होनी चाहिए। महिला शिक्षा का प्रसार, महिला संगठन, महिला प्रशिक्षण आदि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाकर महिलाओं की यास्तविक भागीदारी पचायती राज संस्थाओं में बढ़ायी जा सकती है।

सीमित परिवार का नियम चुनाव लड़ने की योग्यता में जोड़ने सम्बन्धी प्रावधान पर प्रतिक्रिया

पचायती राज अधिनियम, 1994 में जोड़ी गई एक नई व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या पर नियन्त्रण करना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति पचायती राज संस्था के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकते जिनके इस अधिनियम के प्रभावशील होने की तिथि के पश्चात् वज्रों की संख्या दो से अधिक हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि को दो से अधिक बच्चे हैं तो उस तिथि के बाद उसके और कोई बच्चा नहीं हीना चाहिए अन्यथा वह चुनाव लड़ने के अपेक्ष्य हो जायेगा। पचायती राज संस्थाओं में सीमित परिवार का जो नियम जोड़ा गया है। इसके बारे में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया है। उत्तरदाताओं से इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का उल्लेख तालिका 7.34 में किया गया है।

तालिका-7.34

सीमित परिवार के चुनाव नियम के प्राप्तधान पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	सीमित परिवार के चुनाव नियम पर प्रतिक्रिया	
		हैं	नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100.00)	94 (94.00)	6 (6.00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बन्ध	33 (100.00)	33 (100.00)	-
(घ) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100.00)	61 (91.04)	6 (9.96)
कार्मिक वर्ग	50 (100.00)	45 (90.04)	5 (10.00)
नागरिक वर्ग	100 (100.00)	88 (88.00)	12 (12.00)
योग	250 (100.00)	227 (90.80)	23 (9.20)

बोधक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उत्तरदाताओं के अभिमत से इत होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में 94.00%, कार्मिक वर्ग में 90.00% एवं नागरिक वर्ग में 88.00% ने सीमित परिवार के नियम को सही बतलाया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 6.00%, कार्मिक वर्ग के 10.00% एवं नागरिक वर्ग में 12.00% ने नियम को गलत बतलाया है।

अतः उत्तरदाताओं में समग्र रूप से 90.80% ने सही 9.20% ने गलत बतलाया है। उत्तरदाताओं के अभिमत से जिसमें जनप्रतिनिधि, कार्मिक एवं नागरिक सभी वर्ग के उत्तरदाता हैं। उनमें अधिकांश ने पंचायती राज संस्थाओं में दो बच्चों से अधिक सन्तान वालों को अधिनियम के क्रियान्वयित के पश्चात् अदोग्य मानने के सरकारी नियम की सहाहना की है तथा इस नियम को सही बताया है।

सीमित परिवार के नियम का चुनावों पर प्रभाव

पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए नवोन अधिनियम में दो सन्तानों की जो अहंता रखी गयी है। उसको 90.80% उत्तरदाताओं ने उचित ठहराया है। अतः इस नियम से पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में क्या प्रभाव पड़ा इसकी उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो अभिमत दिया है उसका विवरण तालिका 7.35 में दिया गया है।

तालिका-7.35

सीमित परिवार के नियम का चुनाव पर प्रभाव के दारे में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	सीमित परिवार के नियम का प्रभाव			
		अ	ब	स	द
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100.00)	73 (73.00)	-	27 (27.00)	-
(अ) दोनों व्यवस्था	33 (100.00)	27 (81.82)	-	6 (18.18)	-
(ब) चर्चान व्यवस्था	67 (100.00)	46 (68.66)	-	21 (31.34)	-
कार्मिक वर्ग	50 (100.00)	37 (74.00)	-	13 (26.00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100.00)	85 (85.00)	-	15 (15.00)	-
योग	250 (100.00)	195 (78.00)	-	55 (22.00)	-

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

नियम का प्रभाव—सकेत—

- (अ) परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
- (ब) जनता नाराज हुई है।
- (स) अच्छे एवं अनुभवी लोग चुनाव नहीं लड सकते हैं।
- (द) अन्य कारण।

उत्तरदाताओं के अभिमत विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में 73.00% कार्मिक वर्ग में 74.00% एवं नागरिक वर्ग में 85.00% उत्तरदाताओं के अभिमत से परिवार नियोजन के प्रति जागृति एवं जनसख्ता नियन्त्रण होना तथा जनप्रतिनिधि वर्ग में 27.00%, कार्मिक वर्ग में 13.00% एवं नागरिक वर्ग में 15% उत्तरदाताओं के अभिमत से अच्छे एवं अनुभवी लोग चुनाव नहीं लड सकते आदि कारण बताये हैं। अतः समग्र उत्तरदाताओं में से 78.00% ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं 22% ने अच्छे एवं अनुभवी लोगों का चुनाव नहीं लडना अवगत करवाया है।

आरक्षण व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली पर प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं में सभी वर्गों के व्यक्तियों को सम्बद्ध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्थाएँ की गयी हैं उनका अनुसरण करते हुए राजस्थान सरकार ने भी नवीन पचायती राज अधिनियम, 1994 में आवश्यक प्रावधानों का समावेश किया है। अधिनियम में प्रावधान किया है कि प्रत्येक पचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए उस क्षेत्र में इन वर्गों को जनसख्ता के अनुपात में आरक्षित किये जायेंगे और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज संस्था में विभिन्न वार्डों व निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवृट्टि किये जायेंगे। इस प्रकार आवृट्टि स्थानों में से कम से कम एक-तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक पचायती राज संस्था में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान अनु जातियों, जनजातियों व पिछड़ी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित, आरक्षित किये जायेंगे और ये स्थान भी चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से आवृट्टि होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएँ।

इसी प्रकार राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 16 में सविधान में दिये गये प्रावधानों की अनुपालना में विभिन्न पचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों वा सरपंचों, प्रधानों और जिला प्रमुखों के पदों को अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने से सम्बन्धित प्रावधान भी किये गये हैं। समस्त वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों को चक्रानुक्रम से बारी-बारी से आवृट्टि किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

इससे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों में उस निर्वाचन क्षेत्र के सदा के लिए आरक्षित हो जाने की आशका या चिन्ता अन्य वर्गों में विकसित नहीं होगी। आरक्षण की यह व्यवस्था—(i) अनुसूचित जाति, (ii) अनुसूचित जनजाति, (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (iv)

अनुमूलिक जाति, जनजाति को महिलाएँ एवं (v) सामान्य वर्ग को महिलाओं के लिए किया गया है। आरक्षण की यह व्यवस्था पच, सरपच, प्रधान एवं प्रमुख के पदों के लिए की गई है।

आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों का स्वामीगणन विकास करना है। महिलाएँ समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए महिलाओं को विकास की धारा में जोड़ने के लिए उन्हें आरक्षण द्वारा पुरुषों के साथ कन्ये से कन्या मिलाकर चलाने से विकास को बल मिलगा।

पचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से इनकी कार्य-प्रणाली, कुशलता व सगठन पर पढ़े प्रभाव के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्ति की है उसे निम्न तालिका 7.36 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.36

आरक्षण व्यवस्था से पड़ने वाले प्रभावों पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की भेणी	संख्या	पचायती राज संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव (संकेत)						
		1	2	3	4	5	6	7
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100.00)	73 (73.00)		8 (8.00)	14 (14.00)	31 (31.00)		-
अ) दोनों व्यवस्था	33 (100.00)	21 (63.64)		3 (9.09)	3 (9.09)	18 (54.55)	-	1 (9.09)
ब) वर्तमान व्यवस्था	67 (100.00)	52 (77.61)		5 (7.46)	11 (16.42)	13 (19.40)		-
कार्यक्रमिक वर्ग	50 (100.00)	29 (58.00)	9 (18.00)	24 (45.00)	9 (18.00)		4 (8.00)	-
कानूनिक वर्ग	100 (100.00)	84 (84.00)		24 (24.00)	35 (34.00)	14 (14.00)	-	2 (2.00)
सेवा	250 (100.00)	186 (74.40)	9 (3.60)	56 (22.40)	58 (23.20)	45 (18.00)	4 (1.60)	5 (2.00)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव—संकेत

- पचायती राज संस्थाओं में जनभागीदारी बढ़ेगी।
- संस्थाओं को निर्णय लेने को शक्तियाँ मिलेगी।
- स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।
- विकास अच्छा होगा।

- 5 विपरीत असर पड़ेगा।
- 6 कोई परिवर्तन नहीं।
- 7 प्रत्युत्तर नहीं दिया।

पचायती राज सम्भाला में आरक्षण व्यवस्था से उनकी कायब्रणाला शमला कुशलता पर पड़ने वाल प्रभाव के बार में उत्तरदाताओं से जानकारी बरने पर कार्मिक वर्ग में 58.00% जनप्रतिनिधि वर्ग में 73.00% नागरिक वर्ग में 84.00% समग्र उत्तरदाताओं में से 74.40% ने पचायती राज सम्भाला में उनभागीदारी का बढ़ना अवगत करवाया है। कार्मिक वर्ग में 18.00% ने सम्भाला को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलना अवगत करवाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग में 8.00% वार्मिक वर्ग में 48.00% एवं नागरिक वर्ग में 24.00% न स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाना अवगत करवाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग में 14.00% कार्मिक वर्ग में 9.00% एवं नागरिक वर्ग में 35.00% ने विकास अच्छा होना अवगत करवाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग में 31.00% एवं नागरिक वर्ग में 14.00% ने विपरीत प्रभाव पड़ना अवगत करवाया है। दोनों व्यवस्थाओं से सम्बन्ध जनप्रतिनिधि वर्ग के 9.09% एवं नागरिक वर्ग के 2.00% ने इस बार में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

अत समग्र उत्तरदाताओं में से 74.40% ने उनभागीदारी का बढ़ना 3.60% ने सम्भालों को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलना 22.40% ने सम्भालों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना 23.20% ने विकास अच्छा होना अवगत करवाया है यहीं दूसरी आर 18.00% उत्तरदाताओं ने विपरीत प्रभाव पड़ना एवं 1.60% ने कोई परिवर्तन नहीं होना भी अवगत करवाया है। रोप 2.00% उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

अत उत्तरदाताओं के अभिमत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 78.40% ने पचायती राज सम्भालों में आरक्षण से मकारात्मक प्रभाव पड़ना एवं 21.6% ने नकारात्मक प्रभाव पड़ना अवगत करवाया है।

सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख की नवीन व पुरानी व्यवस्था में भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

पचायती राज की पुरानी व्यवस्था से नवीन व्यवस्था में सरपच प्रधान एवं जिला प्रमुख भूमिका अधिक प्रभावी सक्रिय एवं उपादेयता के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी बरने पर 77.20% उत्तरदाताओं ने इनकी भूमिका अधिक प्रभावी सक्रिय एवं उपादेय होना अवगत करवाया है जबकि 19.60% ने नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया है रोप 3.20% ने कोई प्रतिक्रिया अस्त नहीं की है। विभिन्न श्रेणीबार उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को तालिका 7.37 में उल्लेखित किया गया है।

तालिका-7.37

सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख की नवीन व पुरानी

व्यवस्था मे भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	76 (76 00)	21 (21 00)	3 (3 00)
(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	18 (54 55)	15 (45 45)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	58 (86 56)	6 (8 96)	3 (4 48)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	33 (66 00)	17 (34 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	84 (84 00)	11 (11 00)	5 (5 00)
योग	250 (100 00)	193 (77 20)	49 (19 60)	8 (3 20)

कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका मे उत्तरदाताओ के श्रेणीवार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पचायती राज की पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा नवीन व्यवस्था में परिवर्तन आया है। नवीन व्यवस्था से सरपच, प्रधान एवं जिला प्रमुख की भूमिका को जनप्रतिनिधि वर्ग के 76 00%, कार्मिक वर्ग के 66 00% एवं नागरिक वर्ग के 84 00% उत्तरदाताओ ने अधिक प्रभावी, सक्रिय एवं उपादेय होना बताया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग के 21 00%, कार्मिक वर्ग के 34 00% एवं नागरिक वर्ग के 11 00% उत्तरदाताओ ने इनकी भूमिका को सक्रिय एवं उपादेय नहीं बतलाया है शेष जनप्रतिनिधि वर्ग के 3 00% एवं नागरिक वर्ग के 5 00% ने कोई विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

अतः विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश 77 20% उत्तरदाताओ के अभिनत से सरपच, प्रधान एवं जिला प्रमुख की भूमिका अधिक सक्रिय, प्रभावी एवं उपादेय नवीन व्यवस्था में हुई है जो कि पचायती राज संस्थाओ की सफलता के लिए शुभ माना जा सकता है।

समग्र उत्तरदाताओ में से 77 20% उत्तरदाताओ के अभिनत से सरपच, प्रधान एवं जिला प्रमुख की भूमिका अधिक प्रभावी, सक्रिय एवं उपादेय हुई है तो अब प्रश्न यह उठता

है कि इनमें से अधिक प्रभावी कौन हुआ है ? इसके प्रत्युतर में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का विवरण तालिका 7.38 में दिया गया है।

तालिका-7.38
सरपंच/प्रधान/प्रमुख में से सर्वाधिक प्रभावशाली
के बारे में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव (संकेत)				
		सरपंच	प्रधान	जिला प्रमुख	सभी	प्रत्युतर नहीं दिया
जनग्रन्थिति पर्याप्त वर्ग	100 (100 00)	57 (57 00)		26 (26 00)	12 (4 00)	5 (5 00)
a) सबसे अधिक सम्बद्ध	33 (100 00)	16 (48 48)		6 (18 18)	6 (18 18)	5 (15 15)
b) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	41 (61 19)		20 (29 85)	6 (8 96)	
वासिक पर्याप्त वर्ग	50 (100 00)	29 (58 00)	4 (8 00)	5 (10 00)	6 (12 00)	6 (12 00)
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	49 (49 00)		24 (24 00)	20 (20 00)	7 (7 00)
चोर	250 (100 00)	135 (54 00)	4 (1 60)	55 (22 00)	38 (15 20)	18 (7 20)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी श्रेणी के उत्तरदाताओं के विचारों से 54 00% ने सबसे अधिक प्रभावी सरपंच को चुना है 160% ने प्रधान को 22 00% ने जिला प्रमुख को एवं 15 20% ने सभी को प्रभावी होना अवगत करवाया है जबकि 7 20% ने इस सम्बन्ध में अभिमत जाहिर नहीं किया है।

अत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नवीन व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावी सरपंच को चुना गया है जबकि प्रधान सबसे कम प्रभावी रहा है। ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई होने के कारण अधिकार ग्राम पंचायतों को नवीन अधिनियम में दिये गये हैं इसलिए सरपंचों को अधिकार मिलने से सरपंच ज्यादा प्रभावी एवं शक्तिशाली हुए हैं।

पचायती राज सस्थाओं में समन्वय एवं सहयोग के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज सस्थाओं ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिपद् में समन्वय व सहयोग के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर 58.00% उत्तरदाताओं ने इन सस्थाओं के बीच नवीन व्यवस्था में समन्वय एवं सहयोग नहीं रहना अवगत करवाया है केवल 33.60% ने ही समन्वय व सहयोग रहना बतलाया है। उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का विवरण तालिका 7.39 में दर्शाया गया है।

तालिका-7.39

पचायती राज सस्थाओं में समन्वय व सहयोग पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	सख्ता	समन्वय व सहयोग पर प्रतिक्रिया		
		हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100.00)	23 (23.00)	72 (72.00)	5 (5.00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100.00)	3 (9.09)	27 (81.82)	3 (9.09)
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100.00)	20 (29.85)	45 (67.16)	2 (2.99)
कार्मिक वर्ग	50 (100.00)	26 (52.00)	24 (48.00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100.00)	35 (35.00)	49 (49.00)	16 (16.00)
योग	250 (100.00)	84 (33.60)	145 (58.00)	21 (8.40)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पचायती राज सस्थाओं में अच्छा समन्वय एवं सहयोग नवीन अधिनियम से कम हुआ है। जनप्रतिनिधि वर्ग जो कि ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिपद् से जुड़ा हुआ रहता है। उनके अभिमत से 72.00% उत्तरदाताओं ने समन्वय एवं सहयोग नहीं होना अवगत करवाया है। कार्मिक वर्ग में 48.00% एवं नागरिक वर्ग में 49.00% ने अपनी समन्वय एवं सहयोग का अभाव बतलाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग में केवल 23.00% कार्मिक वर्ग में 52.00% एवं नागरिक वर्ग में 35.00% उत्तरदाताओं ने ही सहयोग व समन्वय होना अवगत करवाया है। अत उत्तरदाताओं के प्राप्त अभिमत विश्लेषण से यह सहज ही कहा जा सकता है कि नवीन

व्यवस्था ने ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् में समन्वय एवं सहयोग को कम किया है जो कि पचायती राज की असफलता का कारण भविष्य में बन सकता है।

पचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों में समन्वय एवं सहयोग के सम्बन्ध में सुझाव

ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् में नवीन अधिनियम के बाद समन्वय एवं सहयोग कम हो गया है। इसके सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने जो सुझाव दिये हैं उनका विवरण तालिका 7.40 में दिया गया है।

तालिका-7.40

पचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों में समन्वय एवं सहयोग के सम्बन्ध में सुझाव

क्र. सं.	विभिन्न स्तरों में समन्वय एवं सहयोग के लिए सुझाव	प्रतिशत
1	दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए।	38.62
2	सरपंच को पचायत समिति एवं प्रधान को जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए।	55.86
3	प्रधान एवं जिला प्रमुख का सरपंच की तरह प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए।	3.45
4	पुरानी व्यवस्था पुन आरम्भ की जानी चाहिए।	17.24
5	प्रस्ताव को क्रियान्वित निश्चित वीं जानी चाहिए।	3.45
6	अधिकारिया एवं जनप्रतिनिधिया को ग्रामसभा की बैठकों में भाग लेने की अनियार्थता वीं जानी चाहिए।	4.14

पचायती राज संस्थाओं का विभिन्न स्तर पर आपसी समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने हेतु उत्तरदाताओं ने जो उपर्युक्त सुझाव दिये हैं उनमें मुख्य रूप से 55.86% उत्तरदाताओं के अधिमत से सरपंच को पचायत समिति एवं प्रधान को जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव दलीय आधार पर जो चुनाव व्यवस्था की गई है उसको समाप्त किया जाना चाहिए यद्यकि 38.62% उत्तरदाताओं के अधिमत से विभिन्न स्तर पर अलग-अलग दस्त के संस्था प्रधान रहने से उनमें तालामेल एवं समन्वयका अभाव रहता है तथा दलीय आधार पर चुनाव करवाने से ग्रामों में गुटबाजी व फैप भावना फैलती है। अतः पचायती राज संस्थाओं में ये हतर आपसी सहयोग एवं समन्वय बनाने हेतु इन सुझावों को क्रियान्वित तथा 17.24% उत्तरदाताओं ने पुरानी व्यवस्था पुन लागू करने का सुझाव दिया है। कुछ उत्तरदाताओं जिनका प्रतिशत 3.45% है उन्होंने प्रधान एवं जिला प्रमुख का चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जैसे सरपंच का चयन किया जाता है का भी सुझाव दिया है।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिक एवं जनप्रतिनिधि वर्ग के कार्य सनुष्टि पर प्रतिक्रिया

चयनित उत्तरदाताओं से यह भी जानकारी करने का प्रयास किया गया है कि पंचायती राज के अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि जनता का कार्य करते भी हैं या नहीं ? इन संस्थाओं के कार्मिक एवं जनप्रतिनिधियों को कार्य-सनुष्टि के बारे में चयनित उत्तरदाताओं में से 76.80% प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस वर्ग से सम्पर्क किया जाना अवगत करवाया है जबकि 23.20% ने सम्पर्क नहीं किया है। जिन 192 (76.80%) उत्तरदाताओं ने अपने कार्य के लिए पंचायती राज के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया है उनसे कार्य-सनुष्टि के बारे में जानकारी करने पर जो विचार व्यक्त किये हैं उसकी प्रतिक्रिया तालिका 7.41 में दी गयी है।

तालिका-7.41
कार्य सनुष्टि पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की अंकी	संख्या	सम्पर्क करने वालों की सं	कार्य के बारे में प्रतिक्रिया		
			कार्य हुआ	कार्य नहीं हुआ	प्रत्युत्तर नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100	90 (100.00)	79 (67.88)	9 (10.00)	2 (2.22)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33	29 (100.00)	29 (100.00)	-	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	61 (100.00)	50 (81.97)	9 (14.75)	2 (3.28)
कार्मिक वर्ग	50	39 (100.00)	33 (84.62)	5 (12.82)	1 (2.56)
नागरिक वर्ग	100	63 (100.00)	49 (77.78)	10 (15.87)	4 (6.35)
योग	250	192 (100.00)	161 (83.85)	24 (12.50)	7 (3.65)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं में कार्य सनुष्टि के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के 87.88% कार्मिक वर्ग के 84.62% एवं नागरिक वर्ग के 77.78% उत्तरदाताओं ने कार्द का होना अर्थात् कार्य-सनुष्टि से एवं जनप्रतिनिधि वर्ग के 10.00% कार्मिक वर्ग के 12.82%

एक नागरिक वर्ग के 15.87% ने कार्य नहीं होना अवगत करवाया है शेष उत्तरदाताओं ने इस बारे में प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

अत समग्र रूप से उत्तरदाताओं के अभिमत से 83.85% के कार्य होने से पचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के कार्य से सन्तुष्टि एवं 12.50% के कार्य नहीं होने से असन्तुष्टि पायी गयी है। शेष 3.65% से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होना अवगत हुआ है।

अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधानों पर प्रतिक्रिया

किसी पचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्षों में विश्वास का अभाव अभियन्त करने वाला कोई प्रस्ताव अगली उप-धाराओं में अधिक वित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा। (धारा 37) प्रस्ताव करने के आशय का ऐसा लिखित नोटिस निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित हो। तत्प्रचात् सक्षम अधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा और उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई है और उसे विचार-विमर्श के लिए युता घोषित करेगा। विचार-विमर्श के समाप्त होने पर छोटे या उक्त कालावधि की समाप्ति इनमें से जो भी पहसु हो प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा।

यदि प्रस्ताव सम्बन्धित पचायती राज भव्यता के निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून के समर्थन से पारित हो जाए तो—

- (क) अध्यक्षता करने वाला अधिकारी इस तथ्य को सम्बन्धित पचायती राज संस्था के कार्यालय के सूचना पट्ट पर उसका एक नोटिस चिपका कर और उसे राजपत्र में अधिसूचित करवा के प्रकाशित कराएगा, और
- (ख) सम्बन्धित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस तारीख को जिससे उक्त नोटिस पूर्वोक्त कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकाया जाता है, इस रूप में पद धारण करना यन्द कर देगा और पद रिक कर देगा।

अधिनियम में प्रावधान है कि प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद-ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं दिया जायेगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के सिए गणपूर्ण उसमें मतदान करने के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की एक-तिहाई से होगी। अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधान के बारे में जो कृपा वर्णित है इनमें बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यत की है उसको लालिका 742 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 42

अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधान की जानकारी पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	संख्या	प्रावधान की जानकारी		
		हाँ	नहीं	प्रत्युत्तर नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	75 (75 00)	20 (20 00)	5 (5 00)
(अ) दोना व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	24 (72 73)	9 (27 27)	-
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	51 (76 12)	11 (16 46)	5 (7 46)
दार्मिंक वर्ग	50 (100 00)	45 (90 00)	5 (10 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	62 (62 00)	36 (36 00)	2 (2 00)
योग	250 (100 00)	182 (72 80)	61 (24 40)	7 (2 80)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

चयनित उत्तरदाताओं से अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधान के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के 75 00% कार्मिक वर्ग के 90 00% एवं नागरिक वर्ग में 62 00% उत्तरदाताओं को जानकारी होना एवं जनप्रतिनिधि वर्ग के 20 00% कार्मिक वर्ग के 10 00% एवं नागरिक वर्ग के 36 00% को जानकारी नहीं होना पाया गया है। शेष जनप्रतिनिधि वर्ग के 5 00% एवं नागरिक वर्ग के 2 00% उत्तरदाताओं ने इस बारे में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

अतः समग्र रूप से उत्तरदाताओं में 72 80% को जानकारी होना पाया गया जबकि 24 40% को जानकारी नहीं है। शेष 2 80% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के सरकारी नियम पर प्रतिक्रिया

जिन 182 (72 80%) उत्तरदाताओं को नवीन अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव को जानकारी है उनसे दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के सरकारी निर्णय पर प्रतिक्रिया जानने पर उनमें से जनप्रतिनिधि वर्ग के 89 33%, कार्मिक वर्ग के 93 33% एवं नागरिक वर्ग के 88 71% ने सही माना है जबकि कार्मिक वर्ग के 6 67%, जनप्रतिनिधि वर्ग के 10 67% एवं नागरिक वर्ग के 8 06% ने गलत माना है। शेष नागरिक वर्ग के 3 23% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को निम्न तालिका 7 43 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 43

अविश्वास प्रस्ताव के सरकारी नियम पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की स्त्रेणी	संख्या	प्रावधान की जानकारी	कार्य के बारे में प्रतिक्रिया		
			सही	गलत	जवाब नहीं दिया
जनप्रतिनिधि वर्ग	100	75 (100 00)	67 (89 33)	9 (10 00)	
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33	24 (100 00)	18 (75 00)	6 (25 00)	
(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67	51 (100 00)	49 (96 08)	2 (3 92)	
कार्मिक वर्ग	50	45 (100 00)	42 (93 33)	3 (6 67)	-
वागरिक वर्ग	100	62 (100 00)	55 (88 71)	5 (8 06)	2 (3 23)
याएँ	250	182 (100 00)	164 (90 91)	16 (8 79)	2 (1 10)

कोष्टक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका में उल्लेखित उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि 90 11% उत्तरदाताओं के अभिमत से दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का सरकारी प्रावधान उचित है जबकि 8 79% उत्तरदाताओं के अभिमत से गलत है शेष 1 10% उत्तरदाताओं ने जवाब नहीं दिया है। अतः उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया से नवोन अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव के लिए रखा गया दो वर्ष का सरकारी नियम उचित है।

सामान्य वार्ड एवं आरक्षित पद के बारे में प्रतिक्रिया

सामान्य वार्ड से विजयी जनप्रतिनिधि आरक्षित पद हेतु, जो उसी वर्ग का है चुना जाना उचित है या नहीं ? इस सम्बन्ध में 71 20% उत्तरदाताओं ने पक्ष में एवं 28 80% उत्तरदाताओं ने विपक्ष में अभिमत प्रकट किया है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पंचायती राज अधिनियम 1994 के बाद नवीन पंचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसको तालिका 7 44 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 44

नवोन पचायती राज व्यवस्थाओं से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं की श्रेणी	सम्भा	नवोन पचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया		
		सन्तुष्टि	आशिक सन्तुष्टि	सन्तुष्टि नहीं
जनप्रतिनिधि वर्ग	100 (100 00)	52 (52 00)	21 (21 00)	27 (27 00)
(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध	33 (100 00)	12 (36 36)	9 (27 28)	12 (36 36)
(ब) चर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध	67 (100 00)	40 (59 70)	12 (17 91)	15 (22 39)
कार्मिक वर्ग	50 (100 00)	27 (54 00)	23 (46 00)	-
नागरिक वर्ग	100 (100 00)	73 (73 00)	12 (12 00)	15 (15 00)
योग	250 (100 00)	152 (60 80)	56 (22 40)	42 (16 80)

कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है।

नवोन पचायती राज व्यवस्था के बारे में तालिका में जो प्रतिक्रिया उल्लेखित की गई है इसके आधार पर जनप्रतिनिधि वर्ग में से 52 00% ने सन्तुष्टि, 21 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि एवं 27 00% ने असन्तुष्टि जाहिर की है।

कार्मिक वर्ग में 54 00% ने सन्तुष्टि एवं 46 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि प्रकट की है। नागरिक वर्ग में 73 00% ने सन्तुष्टि, 12 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि एवं 15 00% ने असन्तुष्टि जाहिर की है।

अत समग्र उत्तरदाताओं के विश्लेषण पर दृष्टि डाले तो 60 80% ने सन्तुष्टि, 22 40% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि एवं 16 80% ने नवोन पचायती राज व्यवस्था से असन्तुष्टि जाहिर की है। इस प्रकार केवल 16 80% उत्तरदाताओं ने ही नवोन पचायती राज व्यवस्था के प्रति असन्तुष्टि जाहिर की है शेष उत्तरदाताओं ने सन्तुष्टि एवं आशिक रूप से सन्तुष्टि जाहिर करने के कारण नवोन व्यवस्था को उचित कहा जा सकता है।

सन्दर्भ

1 ग्राइस जेम्स मोडर्न डेमोक्रेसीज़, न्यूयोर्क, मैकमिलन, 1991 पृष्ठ 133

2 राजस्थान पत्रिका, कोटा संस्करण, पृष्ठ 1, 8 जनवरी, 2000।

समाहार सुधार-सुझावों के विशेष सन्दर्भ में

पचायती राज व्यवस्था ग्राम्य जीवन की आत्मा में आत्मसात हो चुकी है जो सोकतन की आधारशिला, स्वस्कृति की सवाहक एवं कल्याणकारी राज्य की सकलना के आदर्श प्रतिमान के रूप में जानी जाती है। राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 में पांडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना का शुभारम्भ नामौर जिले से किया। 1953 के ग्राम पचायत अधिनियम व पचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 को समाप्तेति करते हुए यह व्यवस्था पचायती राज के लिए की गई। पचायती राज व्यवस्था को स्थापना के आरम्भ के बाबों में इन सम्भाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिये सेकिन कुछ बाबों घाद वित्तीय साधनों के अभाव एवं समय पर चुनाव नहीं होने के कारण सम्भार्द अपने सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने में असक्षम दिखाई देने लगी। पचायत राज सम्भाओं को संवैधानिक दर्जा देने, पचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने हेतु देश के सभी राज्यों में पचायती राज की अनिवार्यता एवं एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन, अधिनियम, 1992 पारित कर लागू किया गया। केन्द्र सरकार के इस संशोधन अधिनियम की अनुपालन में राजस्थान में भी नवीन पचायती राज अधिनियम, 1994 क्रियान्वित किया गया। श्रेष्ठ अध्ययन को आठ अध्यायों में विभक्त किया गया है जिनका शोध साराश अग्रोत्तेष्ठित है—

प्रथम अध्याय : अध्ययन परिचय एवं शोध प्रविधि—इस अध्याय में विकेन्द्रीकरण, विकास व कल्याण की सरकार इन सम्भाओं के बारे में शोध एवं सुझावों हेतु अनेक आयोग एवं समितियाँ बैठी जिनकी अभिशासाओं पर आधारित इन सम्भाओं के कार्यकारी चरित्र पर अनेक प्रश्न-चिह्न लग गये तथा 1959 में राजस्थान में षष्ठी राज व्यवस्था को अभिशासित पचायतीराज की क्रिस्तरीय व्यवस्था को 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नया स्वरूप प्रदान किया। अतः, सोकतन के आधार-स्वरूप पचायती राज के पुरातन एवं नूतन चरित्र जिसे आज दूसरा दशक होने जा रहा है का तुलनात्मक मूल्यांकन समय की आवश्यकता के अनुरूप महत्व को भी उजागर करता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य मूलतः यही है कि कैसे इन संस्थाओं को प्रभावी—कार्य-कुशलता एवं लोकग्राह बनाया जाये। साथ ही खामियों एवं अच्छाइयों के सन्दर्भ में एक सेन्ट्रन्टिक एवं व्यावहारिक तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत कर समस्या समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रेपित किये जा सके। शोध समय, सापन एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राज्य के कोटा बारा, शालावाड़ जिले अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित कर ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर शोध सूचनाएँ एकत्रित करने का प्रयास प्रथम समको के प्रतिदर्श चयन के एवं द्वितीय समको की उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया है। इस प्रकार इस शोध विषय का क्षेत्र-सीमाएँ एवं शोध प्रविधि का परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारण किया गया है।

द्वितीय अध्याय ग्रामीण भारत में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एवं दर्शन एक सिहावलोकन—इस अध्याय में ग्रामीण भारत में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा एवं दर्शन को भारतीय सन्दर्भों एवं अर्थों में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारत का अतीत हर क्षेत्र में सुदृढ़ रहा है। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं प्रजातन्त्र वैदिक काल से ही भारतीय राजनीतिक चिन्तन एवं राजनय का अग रहा है। प्रजातन्त्र शब्द का वेदों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

वैदिक काल से लेकर 1947 की आजादी की पूर्व सध्या तक के पडावों में प्रजातन्त्र एवं प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार एवं संस्थाओं ने अनेक उत्तार-चढाव सत्ता-शासकों को निरक्षशता एवं निर्णयों के सन्दर्भ में देखे। पच फैसले, पच परमेश्वर सभा-समिति तथा अन्य सामाजिक एवं जातीय पचायतों के रूप में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हमेशा भारतीय राजनय की परम्परा का हिस्सा रहा है तथा ग्राम शासन एवं स्वशासन की सबसे छोटी इकाई रही है।

अनेक विदेशी सत्ताओं के शासन करने एवं अपने तानाशाही पूर्ण रूपीयों एवं इन संस्थाओं के प्रति उदासीनता के पश्चात् भी पचायतीराज एवं प्रजातन्त्र की अवधारणा एवं संस्थाएँ जीवत चली रही। इन्हे राजनीतिक, सास्कृतिक एवं सैन्य आक्रमणों के पश्चात् भी भारत में प्रजातान्त्रिक ग्रामीण मूलाधार संस्थाएँ अपने आपको मूल स्वरूप में बचा के रख सकी। हालाकि विकसित एवं व्यवस्थित प्रारूप नहीं ले सकी।

इस अध्याय में प्रजातन्त्र, विकेन्द्रीकरण की एवं प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के दर्शन को अलग-अलग स्पष्ट करते हुए ग्रामीण भारत में वैदिककालीन संस्कृति से लेकर 1947 के आजादी तक के कालखण्ड में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की परम्परा का सिहावलोकन किया गया है। वैदिक काल में 'दमून कृषि' डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) शब्द प्रचलन में था तथा सभा एवं समिति तथा पच-फैसला की प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा मौजूद थी। रामायण काल स्वर्णिम काल कहलाता है इन संस्थाओं की भूमिका का। महाभारत के शान्ति-पर्व, भगुम्भृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय शासन की इकाई के रूप में ग्राम की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। मौर्य सुग्रीव में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी व ग्राम की जनता द्वारा चयनित व्यक्ति 'ग्रामिक' ग्राम का मुखिया था। गुप्त काल में भी ग्राम का मुखिया 'ग्रामिक' कहलाता था। 'सातवाहन शासन काल' में ग्राम में स्थानीय राजनीतिक संस्थाएँ थीं। मध्यकाल में सल्तनत काल में ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया 'पटेल', 'लवरदार' या 'पच' कहलाता था। मुगलकाल में भी ग्राम का प्रबन्धन ग्राम पचायत द्वारा किया

जाता था। शासन में पचायत की महत्ता को स्वीकारा गया था। बौद्धकाल में 16 गणराज्य गणतन्त्र के स्पष्ट प्रमाण हैं।

ब्रिटिश शासन काल से 1800 के लॉर्ड रिप्पन प्रस्ताव के तथा 1947 तक विभिन्न आयोगों एवं समितियों की अभिशाषाओं के तथा अधिनियमों के आधार पर मूर्ण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को लागू किये जाने के प्रयास किये गये तथा स्वायत्रशासी संस्थाओं को मजबूत आधार प्रदान किया गया तथा उन्हें उत्तरदायी प्रतिनिधिक संस्थाओं का दर्जा दिया गया।

उपर्युक्त सिहावलोकन से ज्ञातव्य है कि भारत में प्राचीन से अर्धाधीन काल (1947) तक सोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की मौलिक भावना शासन तन्त्र में निहित थी। हालांकि मुग्धकाल एवं ब्रिटिश काल में ग्रामीण संस्थाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

तृतीय अध्याय : मैं पचायती राज व्यवस्था में 73वें संवैधानिक संशोधन पूर्वी प्रारूप का सरचनात्मक-कार्यात्मक विवेचन किया गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व राजस्थान में पचायती राज व्यवस्था का प्रारूप 1953 के पचायती रुज अधिनियम व 1959 के जिला परिषद् एवं पचायत समिति अधिनियमों पर मूलत आधारित था तथा 1948 से लेकर 23 अप्रैल 1994 में राजस्थान पचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पारित घरने तक अनेक आयोग व समितियाँ थैठी जिन्होंने समय-समय पर पचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन हेतु सुझाव दिये तथा सरकारी नियत के आधार पर जो परिवर्तन किये गये सभी का सांगोपाग वर्णन इस अध्याय में किया गया है। विद्शी शासन एवं स्वदेशी सामतशाही से मुक्त देश ने जब स्वतन्त्रता को सास ली तो सामने अनेक चुनौतियाँ थीं जो सोकतन्त्र के सम्मुख मुँह बाये खड़ी थीं। ऐसे समय में सोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्वशासन की स्थापना एवं उसकी सार्थकता तथा सफलता मुख्य उद्देश्य था। राजस्थान ने 1959 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा नागौर में पचायतीराज व्यवस्था को भवत्ता प्रदान करते हुए 1953 में राजस्थान पचायती राज अधिनियम पारित किया जिसमें ग्रामसभा का भी प्रावधान किया गया था।

1953 से 1993 तक के 40 वर्षों में इन संस्थाओं यथा—ग्राम पचायत, पचायत समिति तथा जिला परिषद् ने अद्योपात अभिशित परिवर्तनों से कैसा संगठन एवं कार्यकरण का प्रारूप प्राप्त कर प्रदत्त भूमिका निर्वहन किया। यही सब कुछ इस अध्याय में अपेक्षित उल्लेखित है।

चतुर्थ अध्याय में पचायतीराज व्यवस्था में 73वें संवैधानिक संशोधन प्रदत्त तन्त्र की संरचनात्मक कार्यात्मक विवेचना की गई है। पचायती राज व्यवस्था का पूर्ववर्ती प्रारूप राजनीतिक हित साधन मात्र का माध्यम बन कर रह गया था। कार्यकाल की अनिश्चितता चुनावों की अनिश्चितता तथा अनावश्यक अत्यधिक साकारी दण्डने प्रजा-तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सवाहक इन संस्थाओं को अस्तित्व विहीन बना दिया था तथा राजस्थान में तो पचायती राज व्यवस्था दो अधिनियमों क्रमशः पचायत राज अधिनियम, 1953 तथा जिला परिषद् एवं पचायत समिति अधिनियम, 1959 के तहत घल रही थी। अतः, 73वें संविधान संशोधन पचायती राज व्यवस्था के राष्ट्रव्यापी समान स्वरूप व अस्तित्व को बहाल करने की ओर एक बड़ा कदम था। 23 अप्रैल, 1994 को राजस्थान सरकार ने भी अपना समेकित राजस्थान पचायत अधिनियम लागू किया।

73वें संवैधानिक सशोधनों के अनुरूप पचायतों को कार्यकाल, चुनाव, सागठनिक स्वरूप एवं कार्यकरण एवं अधिकारों की दृष्टि से सुनिश्चित, सशक्त एवं सही मायनों में सौकर्तन्त्र की सवाहनी सम्पत्तिएँ बनाये जाने का प्रयास किया है। लेकिन सगठन एवं कार्यकरण के सन्दर्भ में राज्य सरकारों को हूट दे दी गई है कि वे अपने भनोनुकूल इनके अधिकारों एवं प्रारूप में परिवर्तन की अधिकारिणी हैं।

राजस्थान में 73वें संवैधानिक सशोधनों के अनुरूप ग्रामसभा एवं ग्राम पचायतों को अधिक सशक्त किया गया है। सरपंच जहाँ सीधे जनता द्वारा पूर्वतः निर्वाचित होते थे यथावत व्यवस्था रखी गई है। हाँ पचायतों का कार्यकाल सुनिश्चित किया है, ग्रामसभा की बैठकें सुनिश्चित कर ग्रामसभा को प्रभावी बनाया गया है। पचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ देकर ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। पचायती समिति एवं जिला परिषदों के सागठनिक स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया गया है तथा उन्हें भी प्रभावशाली बनाये जाने की कोशिश की गई है।

प्रस्तुत अध्याय में पचायती राज व्यवस्था का राजस्थान में नवीन प्रारूप के अनुरूप सगठनात्मक एवं कार्यात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कार्यात्मक दृष्टि से कुछ नवीन कार्यों को पूर्ववर्ती कार्यों की सूची में जोड़ा गया है तथा कुछ अधिकार दिये गये हैं। कार्यकाल चुनाव प्रक्रिया में बदलाव, अधिकार युक्ता, अविश्वास प्रस्ताव प्रत्याशियों की योग्यताएँ, बार्डसभाओं की व्यवस्था, महिला आरक्षण, चक्रक्रमानुसार पदों का आरक्षण व सामान्य आरक्षण, ग्रामसभा सहित त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना आदि मुद्दे इस अध्याय में विवेचना के आधार हैं।

पद्धम अध्याय · पचायती राज व्यवस्था में 73वें संवैधानिक सशोधन से पूर्व तथा वर्तमान सशोधित प्रारूप की तुलनात्मक विवेचना—प्रस्तावित शोध अध्याय में योजना के अन्तर्गत पचायती राज व्यवस्था के पुरातन एवं नूतन प्रारूपों का सरचनात्मक त्वार्यात्मक-तुलनात्मक विवेचन सैद्धान्तिक एवं अनुभवमूलक दोनों दृष्टियों से किया गया है। इस अध्याय में 73वें संवैधानिक सशोधन प्रदत्त तन्त्र एवं इससे पूर्व स्थितपुरातन पचायती राज व्यवस्था जो राजस्थान में 1953 के पचायती राज अधिनियम तथा 1959 के जिला परिषद् एवं पचायत समिति अधिनियम पर आधारित थी के सगठनात्मक एवं कार्यात्मक प्रारूपों में समानताओं एवं असमानताओं का सैद्धान्तिक तुलनात्मक विवेचन उपलब्ध अधिनियम प्रपत्रों के आधार पर किया गया है।

इस तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि जहाँ एक और सगठनात्मक दृष्टिकोण से व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होता है वहाँ कार्यात्मक दृष्टिकोण से कुछ नये कार्यों को जोड़ने व कुछ को हटा लिये जाने के अलावा कोई खास परिवर्तन परिलक्षित नहीं होते हैं। राजस्थान में 73वें संवैधानिक सशोधन प्रदत्त व्यवस्था के तहत यह द्वितीय कार्यकाल है। पचायतीराज सम्पत्तियों का जिसमें राज्य सरकार में सागठनिक चरित्र में व्यापक बदलाव किये हैं तथा ज्यादा प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों प्रदान करने की भी घोषणाएँ की जो अभी यथार्थ से कितनी करीब हैं हमारे अनुभव मूलक अध्ययन में ज्ञात होगा।

आरक्षण व्यवस्था, चक्रक्रमानुसार पदों का आरक्षण प्रधान व जिला प्रमुख के चयन की नई प्रणाली तथा दोनों सम्पत्तियों का नया सागठनिक स्वरूप इन सम्पत्तियों के प्रत्याशियों का

प्रत्यक्ष निर्वाचन, अधिकारीस प्रस्ताव के सन्दर्भ में नई रातें अयोग्यता के नव प्राप्तान ग्रामसभा का सशक्तीकरण तथा सरपचा का पूर्ववृत्त प्रत्यक्ष चुनाव लम्बिन पदायत सदस्या के चयन के नये आधार इस नई व्यवस्था में किये गये हैं।

प्रस्तुत शोध अध्याय से अध्याय 6 एवं 7 अनुभवमूलक अध्ययन पर आधारित है। जिसमें 250 उत्तरदाताओं के जयांगों का विश्लेषणपत्रक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन हेतु उत्तरदाताओं के चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की है—पचायती राज प्राप्त 1959 के तथा 73व्य सविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत प्राप्तवार्ष के मध्य एक तुलनात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु निहित ठहरेश्या बोधान म रखते हुए शोधकार्य को धाराविकता की तह तक पहुँचाने के लिए बहुस्तरीय अध्ययन पद्धति का उपयोग करते हुए सरकारी, गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों से पचायती राज संस्थाओं के सभी सरों की गहनता से जानकारी बरने का प्रयास किया गया है।

शोधकार्ता ने दो प्रकार के जनप्रतिनिधियों जिनमें एक प्रकार के वे जनप्रतिनिधि जो 1959 के अधिनियम के प्राप्तानों के अनुसार चयनित हुए थे तथा वर्तमान में भी चयनित हुए हैं अर्थात् दोनों अधिनियमों की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित एक दूसरे प्रकार के वे जनप्रतिनिधि जो केवल वर्तमान व्यवस्था से ही सम्बन्धित हैं, पचायती राज संस्थाओं के कार्मिक वर्ग जिनका इन संस्थाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है एवं नागरिक वर्ग जो कि इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर की विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की गई है।

द्वितीय स्तर पर उत्तरदाताओं की सख्ता निर्धारित करते हुए जनप्रतिनिधियों में 100 (जिनमें दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित 33 एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित 67), कार्मिक वर्ग में जनप्रतिनिधियों की सख्ता का 50% एवं नागरिक वर्ग में जनप्रतिनिधियों के वराग्र प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अतः शोधकार्य के लिए चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधि वर्ग के 100, कार्मिक वर्ग के 50 एवं नागरिक वर्ग के 100 इस प्रकार कुल 250 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा समकों/जानकारी वा सम्बलन कर शोध बोधाविकता के तह तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। जनप्रतिनिधियों में वर्तमान एवं भूतपूर्व जिला प्रमुख, सरपच, जिला परिषद् एवं पचायत समिति सदस्य एवं पच शामिल किये हैं, कार्मिक वर्ग में मुख्य कार्यकारी, उपमुख्य कार्यकारी, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी (जिनमें शिक्षा, खादी, सहकारिता, पंचायत आदि), ग्रामसेवक, शिक्षक, अधियन्ता, परियोजना अधिकारी, लिपिक एवं सेखाधिकारी शामिल किये गये हैं। इसी प्रकार जन-सामान्य नागरिक वर्ग में सभी श्रेणी, आयु, जाति, वर्ग एवं शैक्षणिक स्तर के व्यक्तियों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है। चयनित प्रतिदर्श में 40.00% जनप्रतिनिधि वर्ग, 20.00% कार्मिक वर्ग एवं 40.00% नागरिक वर्ग को चयनित किया गया है।

प्रतिदर्श चयन में महिलाओं वो भी उचित प्रतिनिधित्व देते हुए समग्र उत्तरदाताओं में 21.20% महिला एवं 78.80% पुरुष उत्तरदाता हैं। जनप्रतिनिधि वर्ग में 77.00% पुरुष एवं

23.00% महिलाएँ हैं, कार्मिक वर्ग में 90.00% पुरुष एवं 10.00% महिलाएँ तथा नागरिक वर्ग में 75.00% पुरुष एवं 25.00% महिला हैं।

अध्याय 6 . पंचायती राज व्यवस्था **अनुभवमूलक अध्ययन (प्रधन)**
 उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि इस अध्याय में—जनप्रतिनिधि वर्ग में से दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति के 9.09%, जनजाति के 3.03%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 33.33% एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 25.37%, अनुसूचित जाति, 10.44% अनुसूचित जनजाति, 35.82% अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाता हैं। अतः जनप्रतिनिधि वर्ग में पूर्व में सहवृत के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व दिया जाता था जबकि नवीन अधिनियम में आरक्षण के प्रावधान होने के कारण इन जातियों की सख्ता में वृद्धि हुई है। चयनित उत्तरदाताओं में पूर्व व्यवस्था में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 9.09% से बढ़कर 25.37%, अनुसूचित जनजाति में 3.03% से बढ़कर 10.44% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में 33.33% से बढ़कर 35.82% जनप्रतिनिधि चयनित हुए हैं। अतः जनप्रतिनिधियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में भागीदारी सुनिश्चित होने से जनप्रतिनिधियों को सख्ता में वृद्धि हुई है। उत्तरदाताओं में से समग्र रूप में जाति वर्गोंकरण में अनुसूचित जाति के 16.80%, अनुसूचित जनजाति के 8.80%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 36.00% एवं अन्य जाति के 38.40% उत्तरदाताओं को सम्मिलित करते हुए सभी जातियों के अभिमत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

चयनित उत्तरदाताओं के आयु वर्ग में 18 से 30 वर्ष की आयु के 12.00%, 31 से 45 वर्ष तक के 35.20%, 46 से 60 वर्ष तक की आयु के 39.60% एवं 60 वर्ष से अधिक की आयु के 13.20% उत्तरदाता लिये गये हैं। 1959 एवं 73वें संविधान सशोधन अधिनियम के प्रारूपों का तुलनात्मक अध्ययन हेतु अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 74.80% है। इस आयु वर्ग के उत्तरदाता दोनों व्यवस्थाओं से पूर्णतः जानकार हैं इसलिए इनके हाथ दो जानी वाली भूमना तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा उपयोगी एवं विश्वसनीय भनी जा सकती है।

उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि जनप्रतिनिधि वर्ग में पूर्ण व्यवस्था में अशिक्षित जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत 3.03% से बढ़कर वर्तमान व्यवस्था में 16.42% हो गया है। प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा में 18.18% से बढ़कर 19.40%, माध्यमिक में 27.28% से बढ़कर 28.36% हुआ है। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियों में 21.21% से घटकर 13.13%, स्नातक स्तर की शिक्षा में 21.21% से घटकर 8.96% हो गया है। जबकि स्नातकोत्तर शिक्षा में 9.09% से बढ़कर 13.43% हुआ है। अतः जनप्रतिनिधि वर्ग में नवीन अधिनियम के पश्चात् अशिक्षित जनप्रतिनिधियों को सख्ता में 13.35% की वृद्धि हुई है जबकि स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियों में 4.34% की ही वृद्धि हुई है।

जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु नवीन अधिनियम के प्रावधानों में शैक्षणिक अहंता नहीं रखी गयी है। अतः अब आरक्षण के कारण अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की सख्ता में वृद्धि हो रही है जबकि पूर्व में अधिकारा शिक्षित जनप्रतिनिधि ही चयनित होते थे। अतः पंचायतीराज संस्थाओं को एक तरफ पर्याप्त स्वायत्ता देने के उद्देश्य से उनके अधिकार एवं शालियों में वृद्धि की जा रही है जबकि दूसरी तरफ अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की सख्ता में वृद्धि होना

इन संस्थाओं की सफलता पर प्रश्न-चिह्न लगाता है ? अत पचायती राज की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों के चयन की अहंता के रूप में शैक्षणिक स्तर की अहंता की अनिवार्यता रखा जाना उचित प्रतीत होता है जनप्रतिनिधि वर्ग में निम्न शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रशासनिक विषय-प्रक्रिया समझने में असमर्थ रहते हैं जबकि लोकसेवक उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। अत लोकसेवकों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच शैक्षणिक स्तर में अत्यधिक अन्तर होने के फलस्वरूप राजनीतिक एवं प्रशासनिक सम्बन्धों में फँटुता उत्पन्न हो जाती है तथा दृढ़-युद्ध की सम्भावना बनी रहती है।

प्रतिदर्श में सम्मिलित समग्र उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उनमें से 10.00% अशिक्षित, 14.00% प्राथमिक 19.20% माध्यमिक 15.20% उच्च माध्यमिक, 18.40% स्नातक, 23.20% स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं को क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित किया गया है।

उत्तरदाताओं में से 91.20% विवाहित, 4.00% अविवाहित 1.60% विधवा एवं 3.20% विदुर हैं। चयनित उत्तरदाताओं में समग्र रूप से उनके परिवार के आकार एवं उनके बच्चों की जानकारी बताने पर ज्ञात हुआ कि इनमें से 46.80% के परिवार एकाकी एवं 53.20% के परिवार सम्युक्त हैं। इसके साथ ही 11.20% उत्तरदाताओं के एक बच्चा 21.60% के दो बच्चे, 23.60% के तीन बच्चे, 36.40% के तीन से अधिक बच्चे हैं जबकि 7.20% उत्तरदाता सनानहीन हैं।

परिवार के स्वरूप में विश्लेषण से एक तथ्य यह उजागर हुआ कि कार्मिक एवं नागरिक वर्ग में सम्युक्त परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 62 एवं 54 प्रतिशत रहा है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में सम्युक्त परिवारों का प्रतिशत 32 ही है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि वर्ग में भी स्थिति विचित्र देखने को मिली है जो जनप्रतिनिधि दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध है उनमें सम्युक्त परिवारों का प्रतिशत 42.42% एवं एकाकी परिवारों का प्रतिशत 57.58% है जबकि यत्नभान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में सम्युक्त परिवारों का प्रतिशत 26.87 एवं एकाकी परिवारों का प्रतिशत 73.13% है। अत परिवारों के स्वरूप विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जैसे-जैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है सम्युक्त परिवार विभाजित होकर एकाकी परिवारों में तब्दील होते जा रहे हैं।

उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं के परिवारों में औसत सदस्यों की संख्या 8 है, कार्मिक वर्ग में 7 एवं जनसामान्य नागरिक वर्ग में औसत सदस्यों की संख्या 9 है।

उत्तरदाताओं के परिवारों की कुल सदस्य संख्या में कमाने वाले सदस्यों की संख्या का आकलन करने पर ज्ञात हुआ कि जनप्रतिनिधि वर्ग में 21.39% कार्मिक वर्ग में 27.20% एवं नागरिक वर्ग में 26.36% सदस्य कमाने वाले हैं। इस प्रकार समग्र रूप से उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों में से 24.53% ही कमाते हैं अर्थात् दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि लागड़ा 75.00% सदस्य आश्रित/बेरोजगार हैं। अत उत्तरदाताओं के परिवारों में कमाने वाले सदस्यों का प्रतिशत कम होता है।

उत्तरदाताओं के व्यवसाय के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 32.40% उत्तरदाता कृषि व पशुपालन पर निर्भर है जबकि 22.80% नौकरी, 18.40% व्यापार, 14.00% मजदूरी एवं 12.40% अन्य कार्य करते हैं।

व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करने वाले कारकों में आय एक महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक समय में समाज व्यक्ति के गुणदोषों का मूल्याकान उसको आय के दर्पण में करता है। व्यक्ति की आय के आधार पर उसको सामाजिक पृष्ठभूमि एवं प्रतिष्ठा बनती और बिंगड़ती है और व्यक्ति के आचरण-व्यवहार एवं विवारों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक आय है। सामाजिक शोध के लिए उसकी आय की जानकारी करना आवश्यक हो जाता है। उत्तरदाताओं में से 27.60% की वार्षिक आय 50 हजार से कम, 23.20% को 50 हजार से 1 लाख रु., 20.80% को 1 लाख से 1.50 लाख रु., 14.00% को 1.50 से 2 लाख रु., 6.80% को 2 से 2.50 लाख रु. एवं 6.00% को 2.50 लाख रु. से अधिक की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है जबकि 1.60% ने अपनी वार्षिक आय की जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी है। अतः वार्षिक आय समूह में 50 हजार तक की आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 27.60% है जबकि 2.50 लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 6.00 है।

चयनित उत्तरदाताओं में 32.40% उत्तरदाताओं का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन रहा है इसलिए कृषि भूमि की जानकारी करने पर सिचित क्षेत्रफल के बारे में अवगत करवाया गया कि उनमें से 20% के पास 10 बीघा तक, 21.20% के पास 11 से 20 बीघा, 12.80 के पास 21 से 30 बीघा, 4.40% के पास 31 से 40 बीघा, 6.80% के पास 41 से 50 बीघा, एवं 11.20% के पास 51 बीघा से अधिक का कृषि भूमि सिचित क्षेत्रफल है। जबकि 23.60% के पास सिचित कृषि भूमि नहीं है। इसके साथ ही असिचित कृषि भूमि में 4.40% के पास 10 बीघा तक, 9.20% के पास 11 से 20 बीघा, 7.60% के पास 21 से 30 बीघा, 2.00% के पास 41 से 50 बीघा एवं 3.60% के पास 51 बीघा से अधिक की कृषि भूमि असिचित है।

अतः उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध है। जनप्रतिनिधि हैं उनमें शत-प्रतिशत के पास कृषि भूमि है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में से 7.46% के पास, कार्मिक वर्ग में से 44.00% के पास एवं नागरिक वर्ग में से 14.00% के पास कृषि भूमि बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है।

आमों, खेतों, ऐसे कृषि भूमि उसके सम्बन्ध में आय ऐसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कृषि भूमि कृषक का जीविकोपार्जन माध्यम तो है ही साथ ही कृषि उत्पादन से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। उत्तरदाताओं से कृषि भूमि को सिचाई के साधनों की जानकारी करने पर उनमें से 14.80% ने कुओं से, 26.80% ने पम्पसैट, 22.80% ने नहर, 12.80% ने नहर व पम्पसैट दोनों तरह के सिचाई स्रोत अवगत करवाये हैं। रोप 23.60% उत्तरदाताओं के पास सिचाई का कोई साधन नहीं है। अतः इनकी कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकाश उत्तरदाता नहर तथा पम्पसैट से कृषि भूमि को सिचाई करते हैं। उत्तरदाताओं को सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की सक्षिप्त जानकारी के

पश्चात् पचायती राज संस्थाओं के सगठन एवं कार्यकरण के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त अधिमतों का विश्लेषण किया जा रहा है।

अध्याय 7 पचायती राज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन (द्वितीय) सगठन एवं कार्यकरण इस अध्याय में पचायती राज संस्थाओं में ग्रामसभा/वार्डसभा ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् के सगठन एवं कार्यकरण के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो अधिमत दिये हैं उनका विश्लेषण आगे दिया गया है। पचायती राज में विकास का काम सक्षमता की दृष्टि से चार स्तरों पर इस प्रकार बाँट दिया गया है कि ग्रामीण विकास का दायित्व सरकार से हटाकर जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय संस्थाओं के हाथों में आ गया है। पचायती राज व्यवस्था के लिए अधिनियम 1959 में ब्रिस्टोरीय व्यवस्था ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् का प्रावधान रखा गया था लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात् चतुर स्तरीय व्यवस्था करते हुए ग्राम की एक सक्षम इकाई के रूप में ग्रामसभा के गठन का भी प्रावधान किया गया है। अब अब ग्रामसभा ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् को एक संवैधानिक इकाई के रूप में स्वायतता प्रदान कर स्थानीय शासन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विकेन्द्रीकरण को व्यवस्था में जनता अपने विकास एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने संसाधनों से कार्य पूरा करने के लिए तत्पर रहेगी क्योंकि उसके पास सत्ता होगी अधिकार होगे तथा उसको उपयोग करने की शक्ति भी होगी।

शोधकार्य हेतु साक्षात्कार किये गये उत्तरदाताओं में से 45 20% ने पचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ा है जबकि 54 80% ने चुनाव नहीं लड़ा। जिन उत्तरदाताओं ने चुनाव लड़ा है उनमें से 56 64% ने जिला परिषद् का 31 86% ने पचायत समिति एवं 11 50% ने जिला परिषद् का चुनाव लड़ा है। जिन उत्तरदाताओं ने पचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ा है उनमें से 95 58% ने चुनाव जीता है जबकि 4 42% ने चुनाव में हारना अवगत करवाया है।

उत्तरदाताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि की जानकारी करने की दृष्टि से वर्तमान चुनाव के अलावा पूर्व में भी चुनाव लड़ने सम्बन्धी जानकारी करने पर जनप्रतिनिधियों में शत प्रतिशत एवं नागरिकों में 13 00% ने पूर्व में भी चुनाव करवाया है। उन उत्तरदाताओं से वर्तमान एवं पूर्व की चुनाव व्यवस्था एवं प्रक्रिया की जानकारी करने पर उनमें से 61 06% ने पूर्ववर्ती चुनाव व्यवस्था को अच्छी बतलाया है जबकि 38 94% ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था अच्छी बताने वाले उत्तरदाताओं की संख्या अधिक रही है।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के समर्थन में सहमति के कारण

पचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा एवं स्वायतता देने के पश्चात् इन संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने जो अधिमत व्यक्त किया है उनमें से 71 15% ने सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होना 48 08% ने पचायती राज संस्थाओं को स्वायतता एवं अधिकार सम्पन्न होना 10 58% ने दलीय आधार पर चुनाव होना 19 23% ने चुनावों की समयावधि निश्चित होना 19 23% ने चुनावों में भुजवल व आतंकवाद का कम होना 36 54% ने आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी में यूँदि होना

6 73% ने सीमित परिवार की अहंता होना, 8 65% ने सस्था प्रधानों की चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण होना, 3 85% ने सैवैधानिक रूप से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना आदि कारणों से वर्तमान चुनाव व्यवस्था एवं प्रक्रिया को सही मानते हुए सहमति व्यक्त की है।

चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण

पचायती राज सस्थाओं के चुनाव व प्रक्रिया के सम्बन्ध में जहाँ उत्तरदाताओं ने पक्ष में अभिमत प्रकट किया है वहाँ दूसरी तरफ चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया में कमियाँ महसूस करते हुए वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के विपक्ष में भी अपने अभिमत प्रकट किये हैं। चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 58 00%, छार्मिक वर्ग के 16 00% एवं नागरिक वर्ग में 62 00% उत्तरदाताओं ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असनुष्टि जाहिर की है। इन उत्तरदाताओं में से 54 79% उत्तरदाताओं ने पचायतीराज सस्थाओं में आपस में सामग्रस्य का अभाव होना, 35 16% ने आरक्षण से योग्य एवं अनुभवों जनप्रतिनिधियों का चयन न होना, 11 72% ने पचायत समिति एवं जिला परिषद् सदस्यों की प्रभावहीन भूमिका रहना, 28 91% ने नौकरशाही का हावी होना, 13 28% ने दलगत राजनीति को बढ़ावा मिलना, 14 06% ने चुनावों में खर्चों अधिक होना, 30 47% ने जनता को न्याय न मिलना, 4 69% ने प्रधान/प्रमुखों के चुनावों में खरोद-फरोज जाहिर की होना, 3 13% ने सस्था प्रधानों के आरक्षण को अनुचित एवं 14 06% ने जनता के प्रति जवाबदेयता का अभाव आदि कारणों से अवगत करवाया है। वर्तमान चुनाव असहमति के मुख्य कारण पचायती राज सस्थाओं में आपसी तालमेल एवं समन्वय का अभाव होना तथा आरक्षण के कारण अशिक्षित एवं अनुभवहीन जनप्रतिनिधियों का चयन अधिक होना माना है।

पचायती राज अधिनियम, 1959 के प्रारूप में कमियों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

पचायती राज अधिनियम, 1959 से लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को आधारशिला रखी गई और पचायती राज सस्थाओं में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सूचनात दिया गया। लेकिन कुछ कमियों के कारण पचायती राज सस्थाओं को वास्तव में उपलब्धियाँ अर्जित नहीं हो सकीं। उत्तरदाताओं के अभिमत से पचायती राज अधिनियम, 1959 में जो कमियाँ अवगत करवायी हैं उनमें 42 65% उत्तरदाताओं ने चुनाव की निश्चित समयावधि को बाध्यता का न होना, 11 37% ने पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव, 31 28% ने आरक्षण के अभाव से जनसामाज्य को भागीदारी का न होना, 12 32% ने सहयूत सदस्यों के लिए जाने से निर्णय प्रभावित होना, 9 77% ने यहित्याओं, ज्ञों, भागीदारों, ज्ञा, अभाव रहना, 26 54% ने घरायतों, ज्ञा, अधिकार, विहीन रहना, 27 01% ने प्रभावशाली व्यक्तियों का वर्द्धस्व रहना, 25 59% ने पचायती राज सस्थाओं में वित्त का अभाव रहना, 3 32% ने सदस्यों के निर्वाचन हेतु अहंता न होना, 12 32% ने प्रशासनिक अधिकारों के अभाव में जवाबदेयता सुनिश्चित न होना, 1 42% ने अविश्वास प्रस्ताव के क्रमी, 2 84% ने न्यायिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दिया जाना 14 69% ने जनप्रतिनिधियों के लिए रीक्षणिक अहंता का अभाव आदि कारकों के कारण अधिनियम में खामियाँ अवगत करवायी हैं।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता के सम्बन्ध में अभियंत

पूर्व पचायती राज अधिनियम 1953 व 1959 में हालांकि त्रिस्तरीय पचायत व्यवस्था को स्थापित कर ग्राम स्तर की सशक्त इकाई के रूप में ग्राम पचायत की स्थापना की गयी लेकिन जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के प्राप्त में कुछ कमियाँ रह गयी थीं जिनको वास्तविक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए दूर करना आवश्यक एवं उपयुक्त समझा गया इसलिए 1959 के अधिनियम की कमियों को दूर करने एवं पचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान में 73वें संशोधन किया गया। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया जानने पर 65 20% उत्तरदाताओं ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पूर्व अधिनियम की कमियों को दूर करना एवं 34 80% ने कमियों को दूर नहीं किया जाना अवगत करवाया है।

पचायती राज अधिनियम 1994 में पूर्व अधिनियम 1959 की कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में जिन 65 20% उत्तरदाताओं ने अभियंत दिया है उनसे यह जानकारी करने को कोशिश की गई कि नवीन अधिनियम 1994 में पूर्व अधिनियम की कमियों को कैसे एवं किस प्रकार दूर किया गया है इसके प्रत्युत्तर में 53 99% उत्तरदाताओं ने आरक्षण के माध्यम से सभी बांगों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर जनभागीदारों में बृद्धि करना 19 63% ने राज्य वित्त आयोग का गठन एवं पचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्त उपलब्ध करवाकर सुदृढ़ता प्रदान करना 27 61% ने पचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त स्वायतता दिया जाना 28 83% ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वेधानिक रूप से निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाया जाना 4 91% ने स्थायी समितियों के सदस्यों को अधिक अधिकार प्रदान करना 11 04% ने पचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने वाले सदस्य हेतु अहंताएँ निर्धारित कर क्रियान्वित किया जाना 12 88% ने सर्वेधानिक दर्जा दिया जाना 4 91% ने पचायती राज संस्थाओं में संस्था अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन कर उसे व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित किया जाना आदि उपायों की आवश्यकता से अवगत करवाया है।

नवीन पचायती राज अधिनियम 1994 में पूर्व पचायती राज प्रारूप की कमियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है लेकिन नवीन अधिनियम में भी 34 80% उत्तरदाताओं ने कमियों रहना अवगत करवाया है। इन उत्तरदाताओं का मानना है कि नवीन अधिनियम में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं की अनदेखी की गई है जिससे पचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। जिरा उत्तरदाताओं ने नवीन व्यवस्था में कमियाँ रहना अवगत कराया है उनमें से 71 26% का अभियंत है कि पचायती राज संस्थाओं में आपसी समन्वय कराया है उनमें से 44 82% ने आरक्षण ग्रावधानों को अधिकता से योग्य एवं सापेक्ष स्थिति का अभाव हो गया है 17 24% ने महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण को अधिकारों का दुष्प्रयोग किया जाना 25 28% के बीच जनप्रतिनिधियों भे महिलाओं की सख्त बढ़ाने मात्र तक ही माना जा सकता 55 82% ने वास्तविक रूप में पचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक अधिकारों का नहीं मिलना 50 57% ने सरपंचों की नियुक्ति एवं अधिकारों का दुष्प्रयोग किया जाना 17 24% ने महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण को अधिकारों के लिए शैक्षणिक योग्यता को चुनाव लड़ने की अहंता भी न रखा जाना ने जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता को चुनाव लड़ने की अहंता भी न रखा जाना

40 22% ने जिला परिषद् एवं पचायत समिति सदस्यों का अधिकार विहीन रहना, 3 44% ने सामान्य वार्ड से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ने की छूट से सामान्य वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात करना, 20 68% ने सम्पूर्ण नवीन चुनाव प्रक्रिया को ही दोषपूर्ण माना, 12.64% ने पचायती राज संस्थाओं में दलीय आधार पर चुनावों से ग्रामों में द्वेष एवं मनमुटाव व गुटबद्दों को बढ़ावा दिया जाना स्वीकारा, 6 90% ने अध्यक्षों के पदों को लॉटरी प्रणाली द्वारा आरक्षित किया जाना अव्यावहारिक तरीका बताया। 18 39% ने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण को सहो नहीं माना, 5 74% ने उपप्रधान/उप-जिला प्रमुख को अधिकार विहीन रखना, 13 79% ने ग्रामसभा के निर्णयों के क्रियान्वयन की बाध्यता के प्रावधानों का न होना, 16 89% ने जनप्रतिनिधियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था का अभाव आदि कारकों के कारण नवीन पचायती राज अधिनियम को भी पूर्णरूप से उपयुक्त नहीं माना है।

नवीन पचायती राज अधिनियम, 1994 पचायती राज संस्थाओं के लिए एक उचित कदम है लेकिन पर्याप्त नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा किया गया विकेन्द्रीकरण वस्तुतः ऊपर से आरोपित है। अतः पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकरण के लिए केन्द्र व राज्यस्तरीय नेताओं को राजनीतिक इच्छा-शक्ति बहुत परमावश्यक है। जब तक राजनीतिक इच्छा-शक्ति का अभाव होगा, इन संस्थाओं को भले ही सर्वैधानिक स्तर मिल जाये, ये संस्थाएँ राज्य सरकार की एजेन्सों मात्र हो बनी रहेगी। अतः इस समय आवश्यकता इस बात को है कि विभिन्न भव्यों/संगठनों के द्वारा जनता को विकेन्द्रीकृत शासन व विकास के सम्बन्ध में जागृत किया जाये।

निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे में प्रतिक्रिया

73वें संविधान संशोधन अधिनियम में निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण प्रावधान के सम्बन्ध में कुल उत्तरदाताओं में से 69 60% ने सहमति एवं 30 40% ने असहमति जाहिर की है। उत्तरदाताओं को श्रेणीवार विश्लेषण किया जाये तो दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 63 64% ने असहमति एवं केवल 36 36% ने सहमति व्यक्त की है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 70 15% ने सहमति एवं केवल 29 85% ने असहमति व्यक्त की है। इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग में वर्तमान व्यवस्था एवं दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के विचारों में एक-दूसरे के विपरीत स्थितियों में अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात् वार्ड आरक्षण को वर्तमान जनप्रतिनिधि वर्ग के अधिकांश उत्तरदाता 70 15% उचित मानते हैं वहीं दूसरी ओर दोनों व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 63 64% उत्तरदाता इसे अनुचित मान रहे हैं।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने सहमति एवं एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने असहमति प्रकट की है। वार्ड आरक्षण का प्रावधान पूर्व के पचायतीराज प्रारूप व अधिनियम में नहीं था।

वार्ड आरक्षण को जिन 174 (69 60%) उत्तरदाताओं ने उचित बताया है। इसके समर्थन में उनमें से 81 03% उत्तरदाताओं ने कमज़ोर, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड होने से उनके प्रतिनिधियों के चयन

होने के कारण जनसहभागिता में घृद्धि होना एवं 12.07% ने ग्रामों में अधिक विकास कार्य होना अवगत करवाया है।

चार्ड आरक्षण को जिन 76 (30.40%) उत्तरदाताओं ने अनुचित बताया है। उन उत्तरदाताओं में से 44.74% ने जन इच्छा के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का चयन न हो पाना 18.42% ने विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ना 10.53% ने सामान्य वर्ग को चुनाव में भागीदारी कम होना 14.47% ने महिलाओं के अधिक आरक्षण से पचायती राज संस्थाओं के व्यास्तिक उद्देश्यों को प्राप्ति न हो पाना 10.42% ने निष्ठावान नेतृत्व का अभाव रहना 36.84% आरक्षण की अधिकता एवं लौटी द्वारा आरक्षण व्यवस्था का उचित नहीं मानते हुए चार्ड आरक्षण के बारे में असहमति जाहिर की है।

चुनाव अवधि के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं के चुनाव की अवधि के बारे में अनिश्चितता से उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया है। उत्तरदाताओं में से 38.00% ने 3 वर्ष में पूर्व में चुनाव होना 30.80% ने 5 वर्ष में चुनाव होना एवं 31.20% ने अनियमित रूप से चुनाव होना अवगत करवाया है। अत अब नवीन अधिनियम के अन्तर्गत संवैधानिक रूप से 5 वर्ष की समयावधि निर्धारित कर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा समय पर चुनाव करवाये जाने की निश्चित व्यवस्था की गयी है जबकि पूर्व में पचायती राज संस्थाओं के चुनावों की समयकारी संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। सरकार अपनी इच्छानुसार कभी भी चुनाव करवा सकती थी।

सरपच व प्रधान को पचायत समिति एवं जिला परिषद्

का सदस्य बनाने के बारे में प्रतिक्रिया

ग्राम पचायत के सरपच एवं पचायत समिति के प्रधान को पचायत समिति एवं जिला परिषद् का सदस्य बनाये जाने के बारे में उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 89.00% कार्मिक वर्ग के शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग में 78.00% इस प्रकार कुल 86.80% उत्तरदाताओं ने सदस्य बनाये जाने के बारे में अभिमत प्रकट किया है। शेष 10.40% ने इसके विपरीत अभिमत प्रकट किया है एवं 2.80% ने इस बारे में कोई राय प्रकट नहीं की है। अत अधिकांश उत्तरदाताओं के अभिमत के आधार पर सरपच व प्रधान को पचायत समिति एवं जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना व्यावहारिक एवं व्यवस्थानुकूल प्रतीत होता है।

सीमित परिवार (दो बच्चों का प्रावधान) का नियम चुनाव लड़ने की योग्यता से जोड़े जाने सम्बन्धी प्रावधान पर प्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दो से अधिक सन्तान थाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने सम्बन्धी प्रावधान के बारे में जनप्रतिनिधि वर्ग के 94.00% कार्मिक वर्ग के 90.00% एवं नागरिक वर्ग के 88.00% उत्तरदाताओं ने सीमित परिवार के नियम को उचित कहम घोषित करवाया है।

अत समग्र श्रेणी के उत्तरदाताओं में से 90.80% ने सीमित परिवार के नियम को सही एवं केवल 9.20% ने ही गलत घोषित करवाया है।

पचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने हेतु नवोन अधिनियम में सौमित परिवार के नियम होने से इन संस्थाओं के चुनावों पर पड़ने वाले प्रभावों को उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर उनमें से 78 00% ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जनसंख्या पर नियन्त्रण होना अवगत करवाया है जबकि 22 00% ने अच्छे एवं अनुभवी लोगों द्वारा चुनाव नहीं लड़ पाना अवगत करवाया है। अतः इस नियम के पक्ष में 78 00% ने एवं विपक्ष में 22 00% ने अभिमत दिया है। अतः यह प्रावधान उचित कहा जा सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं से ग्रामसभा, ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में भाग लेने सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित उत्तरदाताओं में से 80 00% उत्तरदाताओं ने आयोजित बैठकों में भाग लेना एवं 20 00% ने भाग नहीं लेना अवगत करवाया है। बैठकों में नागरिक वर्ग में से 55 00%, ने भाग लेना एवं 45 00%, ने भाग नहीं लेना पाया गया है।

उत्तरदाताओं से इन बैठकों की नियमितता के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग में से 94 00% कार्मिक वर्ग में 82 00% एवं नागरिक वर्ग में केवल 40 00% उत्तरदाताओं ने नियमित बैठकों का होना अवगत करवाया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 6 00% कार्मिक वर्ग के 18 00% एवं नागरिक वर्ग के 60 00% उत्तरदाताओं ने बैठकों का नियमित आयोजित नहीं होना अवगत करवाया है।

चयनित उत्तरदाताओं से बैठके नियमित आयोजित नहीं होने के कारणों की जानकारी प्राप्त करने पर उनमें से 4 00% ने वार्षिक कलेण्डर का अभाव, 56 00% ने राजनीतिक विरोध से बचने के लिए, 42 67% ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए, 53 33% ने सरपंच की तानाशाही एवं गाँव घोलों की रुचि का अभाव, 17 33%, ने नियन्त्रण का अभाव एवं 16 00% ने जनप्रतिनिधियों में अशिक्षित एवं अनुभवहीनता होने आदि कारणों से बैठकों का नियमित रूप नहीं होना अवगत करवाया है।

बैठकों में सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति 73% से सविधान अधिनियम से पूर्व एवं पश्चात् से प्रतिक्रिया जानने पर जो दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनमें से नवोन अधिनियम पूर्व सरपंच के बारे में 72 73% एवं पश्चात् में 63 64%, प्रधान के बारे में पूर्व में 36 36% एवं पश्चात् में 45 45%, विकास अधिकारी की पूर्व एवं पश्चात् में समान स्थिति 27 27%, प्रमुख के बारे में पूर्व में 9 09% पश्चात् में 18 18% ग्रुप सचिव पूर्व में 63 64% एवं पश्चात् में 54 54%, ने अभिमत व्यक्त किया है अर्थात् सचिव एवं सरपंच का अधिनियम से पूर्व बैठकों में भाग लेने का प्रतिशत अधिक है जबकि अधिनियम के पश्चात् कम हुआ है, प्रधान एवं प्रमुख की भागीदारी पूर्व के मुकाबले से वर्तमान में अधिक हुई है तथा विकास अधिकारी की स्थिति समान रही है।

वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के अभिमत से अधिनियम से पूर्व एवं पश्चात् में सरपंच के बारे में पूर्व में 38 81% एवं पश्चात् में 46 67%, प्रधान के बारे में पूर्व में 23 39% एवं पश्चात् में 53 73%, विकास अधिकारी के बारे में पूर्व में 22 39% एवं पश्चात् में 53 73%, विकास अधिकारी के बारे में पूर्व में 22 39%, एवं वर्तमान में 46 27%, प्रमुख

के बारे में पूर्व में 23.88% एवं पश्चात् में 31.34% ने अभिमत प्रकट किया है अर्थात् इन जनप्रतिनिधियों की राय में सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी में वृद्धि होना पाया गया है।

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं के अभिमत से सरपञ्च एवं ग्राम सचिव की भागीदारी में कमी आना एवं प्रधान विकास अधिकारी एवं प्रमुख की भागीदारी में वृद्धि होना अवगत करवाया है।

जनसामान्य वर्ग में अधिनियम से पूर्व एवं पश्चात् सरपञ्च के बारे में पूर्व में 73.00% एवं पश्चात् में 85.00% प्रधान के बारे में पूर्व में 25.00% एवं पश्चात् 26.00% विकास अधिकारी के बारे में समान विचार 25.00% प्रमुख के बारे में पूर्व में शून्य एवं पश्चात् में 60.00% ग्राम सचिव पूर्व में 13.00% एवं पश्चात् में 80.00% ने अभिमत प्रकट किये हैं।

अत बैठकों में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के भाग लेने के बारे में उत्तरदाताओं के उत्तर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिक वर्ग के विचारों में समानता पायी गयी है जबकि दूसरी तरफ वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के अभिमत से समानता पायी गयी है। सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों में भागीदारी में वृद्धि तो हुई है लेकिन आशानुकूल नहीं रही है।

सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बैठकों में भाग नहीं लेने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जानकारी करने पर केवल 24.00% ने कार्यवाही की जाना अवगत करवाया है जबकि केवल 71.20% के अभिमत से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है शेष 4.80% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

पचायती राज संस्थाओं में उत्तरदाताओं से पद लेने के सम्बन्ध में जानकारी करने पर उनमें से 49.20% ने पद लेने की एवं 46.00% ने पद नहीं लेने की इच्छा जाहिर की है शेष 4.80% ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। जिन उत्तरदाताओं ने पद चाहने की इच्छा जाहिर की है उनमें से पद की लालसा के कारणों में 88.62% ने क्षेत्र के विकास एवं जनसेवा के लिए, 13.00% ने राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 4.88% ने समाज को शिक्षित करने एवं विकास योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु, 14.63% ने अनियमितताओं पर रोक लगाने आदि कारणों से पचायती राज संस्थाओं में पद लेने की इच्छा जाहिर की है।

न्याय पचायत से सन्तुष्टि के द्वारा में प्रतिक्रिया

73वें संविधान संसोधन अधिनियम के पश्चात् न्याय पचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है जबकि पूर्व में पचायती राज व्यवस्था में न्याय पचायत की व्यवस्था थी अत पुरानी व्यवस्था में न्याय पचायत से सन्तुष्टि के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के 72.00% कार्मिक वर्ग के 34.00% एवं नागरिक वर्ग में 57.00% उत्तरदाताओं ने पूर्ण रूप से सन्तुष्टि एवं जनप्रतिनिधि वर्ग में 15.00% कार्मिक वर्ग में 20.00% एवं नागरिक वर्ग के 16.00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि का अभिमत प्रकट किया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 11.00% कार्मिक वर्ग में 36.00% एवं नागरिक वर्ग में 27.00% ने असन्तुष्टि जाहिर की है। अत उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत से यह स्पष्ट होता

है कि पुरानी राज्य व्यवस्था में न्याय पचायन से अधिकारा उत्तरदाताओं ने 74.60% पूर्ण एवं आरंभिक रूप से सनुष्टि का अभिमत प्रकट किया है।

नवोन पचायती राज व्यवस्था में न्याय पचायन व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में 18.00% उत्तरदाताओं ने सहो, 74.40% ने गलत बताया है जबकि 1.20% ने न सहो न गलत तथा 6.40% ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी है। अतः उत्तरदाताओं के अभिमत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि न्याय पचायन को नवोन व्यवस्था में समाप्त करना गलत कदम रहा है। न्याय व्यवस्था को पुनः लागू करने के बारे में समग्र उत्तरदाताओं में से 74.80% ने सकारात्मक अर्थात् न्याय व्यवस्था पुनः चलू करने के बारे में अभिमत प्रकट किया है शेष 22.40% ने विषय में अभिमत प्रकट किया है एवं 3.20% उत्तरदाताओं से इस बारे में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः न्याय पचायन व्यवस्था को पचायती राज संस्थाओं में पुनः लागू करने वालों का प्रतिशत अधिक 74.80 रहा है।

वार्ड सभा गठन पर प्रतिक्रिया

वार्डसभा के गठन के बारे में उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 88.00%, कार्मिक वर्ग के 86.00% एवं नागरिक वर्ग के 75.00% उत्तरदाताओं ने वार्डसभाओं के गठन को सहो बताया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 8.00%, कार्मिक वर्ग में 10.00% एवं नागरिक वर्ग में 13.00% ने वार्डसभाओं का गठन गलत बताया है शेष उत्तरदाताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अतः अधिकारा 82.40% उत्तरदाताओं के अभिमत से वार्डसभाओं का गठन सहो है ताकि आम जनता को पचायती राज संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप में जोड़ा जा सके एवं इसमें सम्भारे जन-इच्छा के अनुरूप कार्य कर सके तथा जन-भागीदारी को पूर्णना हो।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में प्रतिक्रिया

पचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित संवैधानिक संशोधन के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग में 92.00%, कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग में 72.00% को इस संशोधन की जानकारी है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 8.00% एवं नागरिक वर्ग में 24.00% को जानकारी नहीं है शेष 4.00% नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः समग्र वर्ग के उत्तरदाताओं में 85.60% को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की जानकारी होना एवं 12.80% को जानकारी नहीं होना पाया गया है शेष 1.60% से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से आये चरिवर्तनों के बारे में जानकारी करने पर जिन उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है। उन उत्तरदाताओं में समग्र रूप से 61.68% का अभिमत है कि आरक्षण के कारण सभी वर्गों की भागीदारी में सुनिश्चित एवं वृद्धि हुई, 32.24% ने ग्रामसभा से जन-चेतना आना, 43.46% ने महिला आरक्षण से महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होना, 54.67% ने पचायती राज संस्थाओं को स्थायतता एवं अधिकार संवैधानिक रूप से दिया जाना, 12.62% ने नौकरशरणी को जबाबदेयता में वृद्धि होना, 22.43% ने आरक्षण के कारण थोक हुआ नेतृत्व होने से विकास कार्य अवश्य होना, 10.28% ने अरिक्षित जनप्रतिनिधियों के कारण झटावर में वृद्धि होना, 8.41% ने सरपंच के अधिकारों में वृद्धि करने से उनके द्वारा मनमनी कार्यवाही की जाना, 52.71% ने चुनावों की संवैधानिक समयावधि निरचित होना, 6.07% ने

आरक्षण की अधिकता से सामान्य वर्ग के हितों पर कुठाराधात होना, 10 75% ने चक्रानुब्रम आरक्षण से जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्रों में अस्थायित्व आना, 28 97% ने चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन, 13 16% ने सदस्यों के चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों वी प्रतीत का रखा जाना, 2 34% ने ग्राम स्तर पर योजनाओं का सृजन होना 14 02% ने न्याय व्यवस्था को समाप्त करना, 1 87% ने अधिश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी परिवर्तन 14 95% ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति चेतना व जागरूकता आना, 4 67% ने कार्यों के मूल्यांकन होने से कार्यों में गुणवत्ता आना, 8 88% ने चुनावों में धनबल व जातिबल को बढ़ावा मिलना आदि परिवर्तन आना अवगत करवाया है। इस प्रकार 73वाँ सविधान सशोधन अधिनियम से आये परिवर्तनों से इन संस्थाओं में एक और जहाँ अच्छाइयाँ प्रदर्शित हो रही हैं तो दूसरी तरफ कुछ कमियाँ एवं दोष भी परिलक्षित हो रहे हैं। अतः यह अधिनियम भी पचायती राज संस्थाओं के लिए पूर्ण विकल्प न होकर एक सफल प्रयास कहा जा सकता है।

73वें सविधान सशोधन अधिनियम से पचायती राज संस्थाओं को सवैधानिक दर्जा एवं स्वायत्ता देने से जहाँ एक और क्रान्तिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है वहाँ दूसरी ओर अस्थायिक आरक्षण प्रावधान से योग्य एवं अनुभवी जनप्रतिनिधियों की संख्या में कमी आयी है जो कि इन संस्थाओं के लिए अहितकर भी हो सकता है। नवीन अधिनियम से पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में आये अन्तर के बारे में जनप्रतिनिधि वर्ग के 59 00%, कार्मिक वर्ग के 58 00% एवं नागरिक वर्ग के 86 00% उत्तरदाताओं ने पक्ष में अभियत व्यक्त करते हुए इन संस्थाओं को शक्तियाँ मिलना अवगत करवाया है वही दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि वर्ग के 41 00% कार्मिक वर्ग के 42% नागरिक वर्ग के 14 00% उत्तरदाताओं ने विपक्ष में अभियत प्रकट करते हुए शक्तियाँ नहीं मिलना अवगत करवाया है। अतः समग्र उत्तरदाताओं में से 69 60% ने पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में अन्तर आना एवं शेष 30 40% उत्तरदाताओं ने अन्तर नहीं आना अवगत करवाया है।

जिन उत्तरदाताओं ने पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में अन्तर आना अवगत करवाया है उसके अभियत के अनुसार 51 72% ने ग्राम पचायतों की प्रशासनिक एवं आर्थिक शक्तियों में बढ़ि होना 64 94% ने स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त स्वायत्ता मिलना, 2 87% ने निर्णय एवं नियन्त्रण का अधिकार 13 79% ने ग्रामसभा का सशक्त इकाई के रूप में उभरना 2 30% ने ग्राम सचिव एवं सरपंच को ग्राम पचायत बजट को सामूहिक जिम्मेदारी तथा होना 2 87% ने जिला परिषदों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार, 14 94% ने न्याय एवं पचायत व्यवस्था का समाप्त होना आदि अन्तर आना अवगत करवाया गया। जिन उत्तरदाताओं ने पचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में अन्तर नहीं आना अवगत करवाया है उनके अभियत से 22 37% ने व्यावहारिक रूप में सत्ता का सही रूप में विकेन्द्रीकरण का अभाव होना, 14 47% ने जिला परिषद् की स्थिति, शक्तियाँ यथायत हो रहना, 36 84% ने सशक्त नेतृत्व के अभाव से वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त न किया जाना 14 47% ने राजनीतिक इस्ताक्षेप एवं 17 11% ने समय पर आदेशों/निर्णयों की क्रियान्वितों न होना आदि कारणों से नवीन अधिनियम भी वास्तव में शक्तियाँ दिलवाने में असफल रहने का मत व्यक्त किया है।

पंचायती राज संस्थाओं में लिए जाने वाले निर्णयों पर ग्रतिक्रिया

पचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर लिये जाने वाले निर्णयों के बारे में उत्तरदाताओं में से अधिकाश 66 40% ने बहुमत से एवं 33 60% ने सर्वसम्मति से निर्णय लेने

सम्बन्धी अभिमत जाहिर किया है। उत्तरदाताओं से पचायती राज संस्थाओं में प्रस्ताव रखने सम्बन्धी जानकारी करने पर उनमें से जनत्रितिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत, कार्मिक दां के 42.00% एवं नागरिक वर्ग के 13.00% ने प्रस्ताव रखने का अभिमत दिया है जबकि कार्मिक वर्ग में 58.00% एवं नागरिक वर्ग में 87.00% ने प्रस्ताव नहीं रखने का अभिमत जहार किया है। आम जनता में जागरूकता के अभाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसलिए अभी भी पचायती राज संस्थाओं में नागरिक वर्ग को व्यावहारिक रूप में भागीदारी नहीं हो पायी है।

पचायती राज संस्थाओं में सरपच, प्रधान, जिला प्रमुख के द्वारा जनता को बात नहीं सुनने पर उनके विरुद्ध को जाने वाली कार्यवाही के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर केवल 34.80% ने की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया है जबकि अधिकाश 65.20% उत्तरदाताओं ने कोई भी कार्यवाही नहीं करने सम्बन्धी अभिमत प्रकट किया है। जिन उत्तरदाताओं के अभिमत से कार्यवाही की जाना जाहिर किया है उनसे को जाने वाली कार्यवाही में 59.77% ने उच्चाधिकारियों को लिखना जैसे कलेक्टर, मंत्री आदि, 12.64% ने सम्बन्धित विभाग को लिखना (विशेषकर जिला प्रमुख को), 10.34% ने न्यायालय को शरण लो जाना, 5.75% ने सचाव माध्यमों के द्वारा दबाव बनाना, 5.75% ने नियम 84 के तहत राज्य सरकार को असहमति के प्रस्ताव भिजवाना, 6.90% ने अविश्वास प्रस्ताव लाने को कार्यवाही करना, 4.60% ने कानून के मुताबिक अन्य कार्यवाही की जाना अवगत करवाया है।

उत्तरदाताओं में जिन अधिकाश उत्तरदाताओं द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है इसके कारणों की जानकारी करने पर उनमें से 77.30% ने कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाना, 7.36% ने जानकारी का अभाव होना एवं 15.34% ने जागरूकता एवं प्रक्रिया भूमिका का अभाव रहना आदि कारणों से कार्यवाही नहीं किये जाने सम्बन्धी मतव्य व्यक्त किया है।

पुरानी व नवीन व्यवस्था में अन्तर पर प्रतिक्रिया

अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं में से पच, सरपच, प्रधान एवं प्रमुख जो पूर्व में भी रह चुके हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में भी है इसलिए इन उत्तरदाताओं ने होने व्यवस्थाओं की देखा है। अतः इन्होंने पूर्व एवं वर्तमान व्यवस्था में जो अन्तर बताये हैं उनमें से 60.61% उत्तरदाताओं ने पचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषद् में पूर्व में सामजिक्य एवं सहयोग अधिक रहना लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ये सम्बन्ध इकाई के रूप में होने के कारण तथा दलीय आधार पर चुनावों से इनमें आपसी सम्बन्ध एवं सहयोग में कमी आना, 36.36% ने चुनाव प्रक्रिया में भारितर्त भूर्धे में प्रधान का चयन सरपचों एवं जिला प्रमुख का चयन प्रधानों द्वारा किया जाता था। वर्तमान व्यवस्था में पचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों द्वारा किया जाने लगा है तथा इन संस्थाओं में पूर्व में दलीय आधार पर चुनाव को किसी स्तर पर व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब पचायत समिति एवं जिला परिषद् सदस्य दलीय आधार पर चयनित होकर वे क्रमशः प्रधान एवं जिला परिषद् का दलीय आधार पर चयन करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में 18.18% ने ग्राम सचिव की अधिक भागीदारी, 54.55% ने पचायती राज संस्थाओं को सर्वधानिक दर्जा दिया

जाकर अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ दिया जाना, 48.48% ने आरक्षण व्यवस्था से अनुगृहित जाति, अनुगृहित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनभागीदारी में वृद्धि होना, 12.12% ने ग्राम स्तर पर योजनाओं का नवीन व्यवस्था से सूजन करना, 48.48% ने समय पर चुनाव करवाने की संवैधानिक व्यवस्था होना, 12.12% ने गम्य वित्त आयोग के गठन से पंचायती राज संस्था को अधिक वित्त मिलना, 60.61% ने निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण घटानुक्रम रीति से अपनाया जाना, 54.55% ने अध्यशु पदों का आरक्षण होना, 36.36% ने प्रशासनिक जवाबदेयता में वृद्धि होना, 24.24% ने महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण ग्रामधार्ता से महिला जनप्रतिनिधियों की संखा में वृद्धि होना, 12.12%, ने ग्राम स्तर पर योजनाओं का नवीन व्यवस्था से सूजन करना, 48.48%, ने समय पर चुनाव करवाने की राष्ट्रीयनिक व्यवस्था होना, 12.12%, ने राम्य वित्त आयोग के गठन से पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्त मिलना, 60.61%, ने निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण घटानुक्रम रीति से अपनाया जाना, 54.55%, ने अध्यशु पदों का आरक्षण होना, 36.36%, ने प्रशासनिक जवाबदेयता में वृद्धि होना, 24.24%, ने सदस्यों के निर्वाचन हेतु दो सन्तानों की अईता रखा जाना, 12.12% ने अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधार्ता से परिवर्तन होना, एवं 48.48% ने न्याय पंचायत व्यवस्था को समाप्त किया जाना आदि नवीन एवं पुरानी व्यवस्था में अनार आना अवश्य करवाया है।

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

एवं जवाबदेयता के सम्बन्ध में अधिमत

उत्तरदाताओं रो ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों वो संवैधानिक दर्जा दिये जाने के बारे में जनकारी करने पर उनमें से जनप्रतिनिधि वर्ग एवं कार्यिक वर्ग के शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग में से 61.00% ने रहमति घटक करते हुए उनको जनकारी होना अवगत करवाया है जबकि नागरिक वर्ग में 13.00% ने नक्तात्मक प्रलयुत्तर दिया है शेष 26.00% ने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। अ. सम्प्रदाय उत्तरदाताओं में से 84.40% ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाने को पुष्टि की है जबकि 5.20% ने पुष्टि नहीं की है शेष 10.40% ने इस बारे में अनभिज्ञता प्रश्न भी है।

प्रशासनकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जवाबदेयता के सम्बन्ध में समग्र उत्तरदाताओं में से 57.60% ने जवाबदेयता में वृद्धि होना अवगत करवाया है जबकि 36.40% ने वृद्धि नहीं होना अवगत करवाया है शेष 6.40% में जनकारी का अभाय रहा है।

महिलाओं की सक्रिय भूमिका के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया

पंचायती राज संस्थाओं में खूबी में अनुगृहित जाति, अनुगृहित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं द्वारा लिए समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं थी। यस्तु योई भी प्रजातात्मिक व्यवस्था तथा तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक उसस्ती निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से राजपत्र के सभी वर्गों द्वारा जनन कार्यों में भागीदारी एवं स्वरापत का सम्पूर्ण अवगत प्राप्त न हो। इसलिए 73वें संविधान संसदीय अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आवंति होने से अन्यून स्थान आवंति किये गये। महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आवंति होने से पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की संखा में वृद्धि होने से अब यह

प्रश्न स्वाभाविक रूप से छढ़ा हो गया है कि महिलाओं को पचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका कितनी रह पाती है। इस सम्बन्ध में चदानित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 37.00%, कार्मिक वर्ग के 64.00% एवं नागरिक वर्ग के 14.00% उत्तरदाताओं ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होना अवगत करवाया है जबकि इसके विपरीत जनप्रतिनिधि वर्ग के 63.00% कार्मिक वर्ग के 36.00% एवं नागरिक वर्ग में 86.00% ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नहीं होना अभिमत प्रकट किया है। अतः समग्र रूप से कुल उत्तरदाताओं में से 23.20%, उत्तरदाताओं ने ही महिलाओं की सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में अभिमत प्रकट किया है जबकि अधिकांश 66.80% उत्तरदाताओं ने महिलाओं की भूमिका को सक्रिय नहीं रहना अवगत करवाया है। महिलाओं की सक्रिय भूमिका नहीं रहने के कारणों में मुख्य रूप से महिलाओं का घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने एवं समयभाव की कमी, अशिक्षित होने से अपने पद के दायित्वों की जानकारी का अभाव, रचि का अभाव, पर्दाप्रथा, सामाजिक व्यवन्वय व समाज की रूढिवादी विचारधारा, प्रशासनिक कार्यों से अनभिग्रह्यता, सकोच की भावना, अनुभव की कमी, स्वयं के विवेक से निर्णय नहीं लिया जाना आदि कई कारणों से महिलाएँ बैठकों में भी बहुत कम ऊकेली आती हैं बल्कि अपने साथ परिवार के किसी सदस्य या रिस्टेदार को साथ लेकर आती हैं तथा महिला सरपञ्च होने पर उसका कार्य उसके सरपञ्च पर्ति, प्रधान पर्ति या जिला प्रमुख पर्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है वह केवल नाम मात्र ही अपनी स्थिति बनाये रखती है। अतः ऐसी स्थिति में परिवर्तन बहुत पर छोड़ दिया जाना उचित लगता है।

पचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हालांकि अत्यल्प रह रही है हालांकि आरक्षण प्रावधान से महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि समाज के एक बड़े वर्ग को अपने अधिकारों से विचित नहीं किया जा सकता है। अतः महिला जनप्रतिनिधियों को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षणों एवं रिविरो का आयोजन कर महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का अहसास दिलाना होगा ताकि अशिक्षित महिला जनप्रतिनिधि भी नियमों के दायरे में प्रशासन से अपनी दात मनवा सकें। महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने हेतु ग्राम स्तर पर महिला विचार गोष्ठियाँ, साक्षरता अभियान, सेमीनार, महिला संगठनों का गठन, महिला प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान देकर इनमें महिलाओं की अधिक से अधिक भाग लेने की प्रेरणा एवं जागृति पैदा की जानी चाहिए।

पचायती राज संस्थाओं पर आरक्षण व्यवस्था से कार्य-प्रणाली पर प्रभाव के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

आरक्षण व्यवस्था का एक मात्र उद्देश्य निम्न वर्ग के स्तोगों का सबौगोप विकास करना है। महिलाएँ समाज का एक महत्वपूर्ण अग है इसलिए महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ने के लिए उन्हें आरक्षण देकर पुरुषों के साथ कान्त्ये से कन्त्या मिलाकर चलाने से विकास को बल मिलेगा। पचायती राज संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था से इनकी कार्यप्रणाली, क्षमता, कुशलता एवं सगठन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी लेने पर उनमें से जनप्रतिनिधि वर्ग के 73.00% कार्मिक वर्ग के 58.00% एवं नागरिक वर्ग के 84.00% समग्र उत्तरदाताओं में से 74.40% ने पचायती राज संस्थाओं में जनभागीदारी का

बढ़ना एवं कार्मिक वर्ग के 18 00% ने सम्पत्तियों को निर्णय लेने की शक्तियों मिलना अवगत करवाया है।

चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 74 40% उत्तरदाताओं ने पचायती राज सम्पत्ति में जनभागीदारी का बढ़ना 3 60% ने सम्पत्तियों को निर्णय लेने की शक्तियों मिलना 22 40% ने स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाना 23 20% ने विकास कार्यों का अच्छा होना अवगत करवाया है यहाँ दूसरों और 18 00% उत्तरदाताओं ने विपरीत प्रभाव पड़ना एवं 1 60% ने कोई परिवर्तन नहीं होना भी अवगत करवाया है।

पचायती राज की पुरानी व्यवस्था से नवीन व्यवस्था में सरपञ्च प्रधान जिला प्रमुख की भूमिका के आकलन हेतु उत्तरदाताओं में से 77 20% के अधिकतम से सरपञ्च प्रधान एवं जिला प्रमुख की भूमिका अधिक सक्रिय प्रभावी एवं उपादेय नवीन व्यवस्था में होना माना गया है जो कि पचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए शुभ सकेत है। पचायती राज व्यवस्था में 54 00% उत्तरदाताओं ने सरपञ्च को 1 60% ने प्रधान को 22 00% ने जिला प्रमुख को एवं 15 20% ने सभी को प्रभावी भूमिका होना जाहिर किया है। अतः नवीन व्यवस्था में सरपञ्च अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी हुए हैं।

पचायती राज सम्पत्तियों पर समन्वय व सहयोग पर प्रतिक्रिया

पचायती राज सम्पत्तियों में समन्वय एवं सहयोग के सम्बन्ध में समग्र उत्तरदाताओं में से अधिकांश 58 00% उत्तरदाताओं ने समन्वय एवं सहयोग का नहीं पाया जाना अवगत करवाया है जबकि केवल 33 60% ने ही समन्वय एवं सहयोग रहना अद्वात करवाया है। नवीन व्यवस्था ने ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद् में समन्वय एवं सहयोग को कम किया है जो कि पचायती राज की असफलता का भविष्य में कारण बन सकता है। अतः नवीन व्यवस्था से पचायती राज सम्पत्तियों में समन्वय एवं सहयोग में जो कमी आयी है उसको दूर करने हेतु उत्तरदाताओं ने कुछ सुझाव दिये हैं। उत्तरदाताओं में 55 86% ने सरपञ्च को पचायत समिति एवं प्रधान को जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना 38 62% ने दलीय आधार पर चुनाव व्यवस्था समाप्त करना 17 24% ने पुरानी व्यवस्था पुनः कायम की जाना एवं 3 45% ने प्रधान एवं प्रमुख का चुनाव सरपञ्च की तरह प्रत्यक्ष रूप से करवाये जाने सम्भवी सुझाव दिये हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के सबध में प्रतिक्रिया

अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधानों की चयनित उत्तरदाताओं में से 72 80% को जानकारी है जबकि 24 40% को जानकारी नहीं है शेष 2 80% से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

अविश्वास प्रस्ताव में दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के नियम के घोरे में 90 91% उत्तरदाताओं ने सही एवं 8 79% उत्तरदाताओं ने गलत बताया है। शेष 1 10% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अतः दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का नियम उपर्युक्त कहा जा सकता है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चयनित उत्तरदाताओं से जनकारी करने पर 60.60% उत्तरदाताओं ने सन्तुष्टि, 22.40% ने आंशिक रूप से सन्तुष्टि एवं 16.80% ने नवीन पंचायती राज व्यवस्था से असन्तुष्टि प्रकट की है। अतः नवीन पंचायती राज व्यवस्था के प्रति केवल 16.80% ने असन्तुष्टि जाहिर की है। शेष अधिकांश उत्तरदाताओं ने सन्तुष्टि एवं आंशिक रूप से सन्तुष्टि जाहिर करने के कारण नवीन व्यवस्था को सही कहा जा सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

पुरानी पंचायती राज की व्यवस्था कमियों को सुधारने एवं संस्थाओं में जनभागोंदारी बढ़ाने हेतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जन-जनकारों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्य-प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर पर सुधार हेतु जो सुझाव संसुलियों दो गई हैं उनको अप्रोत्तेखित किया गया है।

ग्रामसभा को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

ग्राम पंचायत वृत के गाँव में सभी व्यस्त लोगों को नियन्तकर एक सभा बनायी जाती है। यह सभा 'ग्रामसभा' कहलाती है। ग्रामसभा को बैठकें नियन्त्रित रूप से नहों बुलाई जाती तथा बैठकों में उपस्थिति भी बहुत अच्छी नहों होती। ग्रामसभा ने अपी ठक सोगों में उत्ताह भी और रचि के अभाव के मुख्य कारण बैठकों सम्बन्धित सूचना जारी नहों की जाती और समय पर उन्हें प्रचारित नहों किया जाता बहुत से सरपंच ग्रामसभा की ओर से डाकाती रहते हैं तथा बैठकें आयोजित नहों करते, ग्रामसभा के विचारित बिन्दू पूर्व निर्धारित नहों होते तथा अशिक्षित लोगों का बाहुल्य होने से ग्राम सभा का महत्व नहों समझा जा रहे हैं। ग्रामसभा को जब ठक ग्रामवासी अपनी खुद को सभा अन्तःकरण से त्वीकर नहों करेंगे ठब तक ग्रामसभा अपने वास्तविक ढारेश्वरों को पूरा नहों कर पायेगी। ग्रामसभा को प्रभावी बनाने हेतु 93.60% उत्तरदाताओं ने जो सुझाव दिये हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है। प्रतिरात काठक (%) में दर्शाया गया है। सुझाव इस प्रकार है—

1. ग्रामसभा को बैठक की सूचना सभी ग्रामवासियों को दी जाने चाहिए तथा ग्रामसभा की बैठक के लिए व्यापक प्रचार-प्रस्तर किया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु पटवारी, ग्राम सेवक एवं अध्यात्मकों की सेवाओं का भी उपयोग लिया जा सकता है। [46.15%]
2. ग्रामसभा के अधिकार एवं शाफियों के बारे में कार्यशाला एवं अन्य माध्यमों से जनदा को समझाया जाकर जनता में जागृति पैदा की जानी चाहिए। [12.82%]
3. ग्रामसभा को बैठकें वर्ष में चार बार होने चाहिए। प्रत्येक ब्रैमास को समर्पित पर। [23.05%]
4. ग्रामसभा में सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि जनता से सोधा संवाद स्थापित हो सके। इसके अलावा विधायक संसद भी वर्ष में एक बार ग्रामसभा की बैठक में जनता से सम्पर्क स्थापित करें। [15.38%]

- 5 सार्वजनिक उत्सवों के दिन ग्रामसभा की बैठक नहीं रखी जानी चाहिए। (जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर एवं अन्य उत्सव) [24.36%]
- 6 ग्रामसभा को कार्यवाही जनता की भावनाओं के अनुसार चलायी जानी चाहिए। ग्राम जीवन को प्रभावित करने वाले भुइं जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का चयन ऋण आवेदन-पत्र पचायत का बजट पचायत के कार्यों का विवरण योजनाओं की प्रगति अनुसारों का उपयोग विद्यालय और सहकारी समितियों की व्यवस्था सेखा परीक्षण की रिपोर्ट आदि पर ग्रामसभा में विचार-विमर्श होना चाहिए। [28.21%]
- 7 ग्रामसभा की बैठकों में पचायत समिति एवं जिला परिषद् के अधिकारी भी उपस्थित होने चाहिए। इसके साथ ही पटवारी ग्राम सेवक और सहकारी समिति के व्यवस्थापक तथा बैंकों के प्रतिनिधि की उपस्थिति निश्चित की जानी चाहिए। [15.38%]
- 8 ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण उसी समय लिखा जाना चाहिए तथा निर्णय को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए एवं बैठक के विवरण पर हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिए। [33.33%]
- 9 ग्रामसभा में उपस्थिति की सख्ता निश्चित की जानी चाहिए अर्थात् ग्रामसभा का जो कोरम निर्धारित हो उसका व्यवहार में पालन होना चाहिए। [10.26%]
- 10 ग्रामसभा में पूर्ण रूप से ग्राम पचायत का सेखा-जोखा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिए। [17.09%]
- 11 ग्रामसभा में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विती की निश्चितता एवं समयावधि निर्धारित की जाकर उसी अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिए। [33.33%]
- 12 ग्रामसभाओं के लिए एक वरिष्ठ आदर ए एस अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया जाना चाहिए। [5.56%]
- 13 ग्रामसभा की नियमित बैठक बुलाने के लिए सरपंचों को उत्तरदायी होना चाहिए। [5.56%]
- 14 ग्रामसभा को बैठके ऐसे समय में बुलाई जानी चाहिए जिस समय कृषि कार्यों की व्यस्तता न हो ताकि कृषक वर्ग ग्रामसभा की बैठक में भाग ले सके। [3.85%]
- 15 ग्रामसभा की बैठक एक ही दिन पचायत समिति क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। [15.38%]
- 16 ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति की सख्ता भी निश्चित की जानी चाहिए। [5.13%]
- 17 ग्रामसभा द्वारा की जाने वाली शिकायतों की शीघ्रता से कार्यवाही होनी चाहिए। [4.70%]

ग्राम पचायतों को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव

ग्राम पचायतों में पचा की कार्य में रचि का अभव उन्होंने के अरनुरूप कार्य नहीं होना दोजनओं में तकनीकी पानीरी का अभव तकनीकी कमचरियों द्वारा कार्य का समय पर एवं निष्क्रिय मूल्यावन नहीं किया जाना पशु चरणोंहों को उचित व्यवस्था न होना साधनों का अभव राजस्व एवं पुलिस विभाग का असहयोग गुटबदादलात् रउत्तर नियमों की उटिलता दोषों के खिलफ कायवाही में वित्तव्य ग्रामसभाओं की सक्रियता का अभाव और इदि कई कारणों से इन पदायतों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो रहा है।

पदायतों पदायतों राज की अधाररितरहै। पदायतों को सुदृढ़ता करै इसके पर ही पदायतों राज का सफल और प्रभवपूर्ण क्रियन्वयन निर्भर करता है। इन पदायतों को स्वैधनिक दर्जे एवं स्वायत्ता देने के उपाय भी इन पदायतों व्यवहारिक स्वरूप को प्रदान करने में अभी पूर्ति सफल नहीं हो पाया है। इसी सम्बन्ध में 95.20% उत्तरदारों से प्राप्त सुझावों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उत्तरदारों के सुझावों का प्रतिरक्त केष्टक (%) में दिया गया है।

- 1 लोगों की सामान्य समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम पदायतों को सनुचित अधिकार व्यवहारिक रूप में दिय जायें ताकि आम जनता को स्थानान्य समस्याओं का हल पदायत हेत्र में किया जाए। [7.32%]
- 2 ग्राम पदायतों में पक्षपत्तपूर्ण विकास एवं दोजनाओं को क्रियन्वितों पर प्रतिबन्ध लगाकर समान रूप से दोजनाओं का ताख दिया जाना चाहिए। [14.63%]
- 3 न्यय पदायत व्यवस्था द्वारा पुनर गठित किया जाकर प्रभवी क्रियन्वयन होना चाहिए। [31.70%]
- 4 सतर्कता समितियों में अच्छे अनुभवी व्यक्तियों को रखा जाये ताकि इन समितियों का उपयोगिता हो सक। [12.19%]
- 5 राजस्व और पुलिस विभाग के कमचरियों को आवश्यकता पड़ने पर सनुचित सहदेश प्रदान करने हेतु उनकी बाध्यता होनी चाहिए। [17.07%]
- 6 दोषों व्यक्तियों के विरुद्ध जैसे गबन आचरण कार्य को लापत्तवाही और कार्यवाही शोषण होनी चाहिए वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो या जनन्यतिनिधि। [9.76%]
- 7 सरपंच को मताधिकार के साथ पदायत समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए। [53.66%]
- 8 विभिन्न विभागों में समन्वय होना चाहिए। विभागों के द्वारा इन पदायतों को त्रुटियों की तरफ ही ध्यान न देकर उनको दूर करने व सुधारने का प्रदास किया जाना चाहिए। जुमानी को राशि बसूल करने में प्ररासनिक मदद मिलनी चाहिए। [5.46%]
- 9 ग्राम पदायतों को तकनीकी कार्यों में पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। तकनीकी कर्मियों के कारण अनावश्यक परेशान न किया जाये तथा नियमों का सरलीकरण हो ताकि सामान्य व्यक्ति समझ सके। [16.39%]

- 10 पचायतों की आय बढ़ाने के लिए विकसित कर इनको आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की जावे अर्थात् शुल्क आदि लगाने का अधिकार दिया जावे। [17.07%]
- 11 नियमों के विरुद्ध सरपव या ग्राम सचिव पचायत राशि स्वय के पास न रखें तथा राशि बैंक पचायत खाते में ही रखी जानी चाहिए। [4.88%]
- 12 एक पचायत पर एक ग्राम सचिव रखा जाना चाहिए एवं ग्राम पचायत का कार्यालय प्रतिदिन खुलना चाहिए। [17.07%]
- 13 ग्राम पचायत स्तरीय प्रशासनिक इकाइयों को पचायत के अधीन कर दिया जाना चाहिए। [7.98%]
- 14 ग्राम पचायतों में अनियमितता होने पा उसकी जाँच शीघ्र होनी चाहिए एवं ग्राम पचायतों में कच्चे कार्यों को करवाने की योजना समाप्त कर दी जानी चाहिए क्योंकि इन कार्यों में राशि के गवन एवं अनियमितताओं की सम्भावना अधिक रहती है। [7.32%]
- 15 ग्रामीण विकास की समस्त योजनाएँ ग्राम पचायतों को दी जानी चाहिए एवं प्रशासन द्वारा उसमे सहयोग किया जाना चाहिए। हेकिन अनावश्यक राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। [31.70%]
- 16 ग्राम पचायतों में घैटको हेतु कोरम निश्चित होना चाहिए तथा ग्राम पचायत की घैटको म लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पचायते राज सम्बन्ध अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। [9.76%]
- 17 विकास कार्य ठेके पर दिये जाने चाहिए जो ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित हो। विकास कार्य पी डब्ल्यू डी की ओ एस आर की दर से करवाये जाने चाहिए। [7.32%]
- 18 पेयजल व्यवस्था बजट के साथ ग्राम पचायतों को दी जानी चाहिए। [4.88%]
- 19 सरपव चुनने पर एवं कार्यकाल समाप्त होने पर सरपव की सम्पत्ति एवं आय का ब्लौर लिया जाना चाहिए। [2.44%]
- 20 कार्यों का भौतिक सत्पायन होना चाहिए। [7.32%]
- 21 ग्राम पचायतों में शिकायत पुस्तिका होनी चाहिए। [2.44%]
- 22 अविश्वास प्रस्ताव को नवीन व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। [4.88%]

पचायत समिति को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

पचायत समितियाँ पचायती राज व्यवस्था में प्रभावशाली कार्यकारी इकाई का रूप धारण कर चुकी हैं किंतु धो व्यवस्था समितियाँ काछित गति एवं कुशलता से हस्तान्तरित योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पायी हैं। अतः 91% उत्तरादाताओं ने पचायत समिति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

- 1 पचायत समितियों में विकास अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी होने चाहिए। [21.62%]

- 2 प्रधान का चुनाव सरपंच को तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होना चाहिए या पूर्व व्यवस्था वापिस लागू की जानी चाहिए। सरपंच को पचायत समिति का भताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए। [54.05%]
- 3 प्रधान को जिला परिपद का सदस्य भताधिकार के साथ बनाया जाना चाहिए। [67.57%]
- 4 प्रधान को वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहिए। [13.51%]
- 5 सरपंचों के वित्तीय गबन के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार पचायत समिति को दिया जाना चाहिए ताकि शोषण कार्यवाही हो सके। अथात् पचायत समिति को न्यायिक अधिकार दिये जाने चाहिए। [8.11%]
- 6 पचायत समिति को निजी आय के स्राता म वृद्धि अर्थात् निजी आय बढ़ाने की अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए। [5.41%]
- 7 पचायत समिति के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा शोषण से किया जाना चाहिए। [13.51%]
- 8 पचायत समिति के कार्यों का आकलन करते हुए स्टाफ जिसम विशेषकर तकनीकी कर्मचारी बढ़ाये जाने चाहिए। [16.22%]
- 9 ग्रामीण विकास के कार्यों का मूल्याकृत तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सतर्कता समिति के माध्यम से करवाया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। [13.51%]
- 10 हैण्डपम्प संधारण का कार्य PHED विभाग को मय स्टाफ के हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए। [2.70%]
- 11 पचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए अथवा इनको प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों अपने क्षेत्र में 2 लाख रु तक खर्च करने की दो जानी चाहिए। [64.86%]
- 12 नौकरशाही के प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। [16.22%]
- 13 पचायत समितियों को विकास योजनाओं के आकलन के आधार पर अधिक वित्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। [10.81%]
- 14 पचायत समिति को नियन्त्रण एवं निर्देशन को भूमिका निभानी चाहिए जैसे विकास कार्यों का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन ग्राम सेवक के कार्यों का निरीक्षण—रिकार्ड आदि का अवलोकन विद्यालयों का निरीक्षण आदि कार्य। [18.91%]
- 15 पचायत समिति को स्थायी समितियों के कार्य में गुणवत्ता/सुधार किया जाना चाहिए ताकि आम जनता उनके कार्यों से सन्तुष्ट हो सके। [5.41%]
- 16 पचायत समिति कार्यालय पर विकास योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। [2.70%]
- 17 प्रधान को पचायत समिति कार्यालय में सप्ताह मे तीन दिन आने, ग्रामों के प्रमण एवं समस्याओं के समाप्तान करने आदि कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। [8.11%]
- 18 योजनाओं को क्रियान्वित एवं स्वीकृति निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। [8.11%]

- 19 विधायक को पचायत समिति का मताधिकार के साथ सदस्य होने के साथ-साथ बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए। [5.41%]

जिला परिषद् को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

पचायती राज संस्थाओं में विद्यमान कमियों एवं दुर्भलताओं के कारण पचायती राज संस्थाएँ अपने वास्तविक दायित्वों का निर्वाह करने में असफल रहती हैं। पचायती राज संस्थाओं की शीर्ष इकाई जिला परिषद् में भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने की दिशा में गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न नहीं किया है। वे पचायत समितियों में सामंजस्यपूर्ण कार्य व्यवस्था लाने की दृष्टि से उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं कर सकी हैं। समय पर बजट पेश नहीं कर पाना क्रियान्वयन में देरी, अधिकारों का अभाव, सिफारिशों को महत्व न देना अधिकारियों पर नियन्त्रण का अभाव आदि कमियाँ रही हैं। अत जिला परिषदों को प्रभावी बनाने हेतु 33 72% उत्तरदाताओं ने जो सुझाव दिये हैं उनका उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। कोष्ठक () में उत्तरदाताओं का प्रतिशत दर्शाया गया है।

1 निर्णयों की क्रियान्वयी यथावत् रूप में, प्रभावी ढग से होनी चाहिए। [16.67%]

2 जिला प्रमुख को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहिए। [25.00%]

3 जिला परिषद् सदस्यों को चुनाव व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए या सदस्यों के लिए विकास कार्यों हेतु 5 साल रु का अलग से उन्हें बजट आवंटित किया जाना चाहिए। इन सदस्यों की निर्णयों एवं विकास कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। [55.56%]

4 समितियों की बैठक नियमित होनी चाहिए। [11.11%]

5 जिला परिषद् के द्वारा पचायत समितियों एवं पचायतों के कार्यों का प्रभावी निरीक्षण एवं नियन्त्रण होना चाहिए। [13.89%]

6 प्रधान को जिला परिषद् का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए। [52.77%]

7 जिला परिषद् में कार्य मूल्यांकन के आधार पर स्टॉफ होना चाहिए। [19.44%]

8 जिला प्रमुख का चयन सरपंच की तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन से होना चाहिए ताकि प्रधानियम कम हो। [22.22%]

9 जिला परिषद् में योग्य प्रशासक होना चाहिए। [2.78%]

10 जिला परिषद् एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर डी ए.) को एक-साथ मिला दिया जाना चाहिए। [19.44%]

11 नौकरशाही पर प्रशासनिक नियन्त्रण प्रभावशाली होना चाहिए। [5.56%]

12 अधिनियम की अनुसूची (3) के समस्त अधिकार जिला परिषद् को हस्तान्तरित कर दिये जाने चाहिए। [19.44%]

13 जिला प्रमुख को हर माह प्रत्येक पचायत समिति में जाकर उनकी समाया सुनने एवं नियांकरण कर्य करना चाहिए। [5.56%]

अन्य सामान्य सुझाव

पचायती राज सम्प्रयोगों के विभिन्न स्तर ग्रामसभाओं, ग्राम पचायतों, पचायत समितियों एवं जिला परिषदों के प्रभावी क्रियान्विति के लिए उल्लेखित पूर्व सुझावों के अलावा कुछ कारण ऐसे हैं जो कि पचायती राज सम्प्रयोगों को कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष। उप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः पचायती राज सम्प्रयोगों को कार्यप्रणाली में सुधार एवं इन्हे व्यावहारिक रूप में अधिक उपयोगी बनाने हेतु कार्मिक वर्ग, जनप्रतिनिधि वर्ग में अधिक उपयोगी बनाने हेतु कार्मिक वर्ग, जनप्रतिनिधि वर्ग एवं नागरिक वर्ग से चयनित उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये अन्य सामान्य सुझावों का उल्लेख करना शोधकर्ता अपना कर्तव्य समझता है। शोधकर्ता ने अध्ययन-अध्यापन एवं ग्राम में जीवन के यथार्थ के अनुभव तथा उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान जो अनकहे एहसास शब्दबद्ध किये एवं विभिन्न राष्ट्रीय-स्थानीय संगोष्ठियों में विचार मध्यन से जो कुछ सिखा-पाया वहीं सामान्य सुझावों हेतु अति महत्वपूर्ण लगा। यदि इन सुझावों को भी सरकार तब्जो प्रदान करे तो ये सम्प्रयोगों को आशानुकूल शिखार पर पहुंच पाने में सक्षम हो सकती हैं।

यथा—

- 1 जनप्रतिनिधियों को नियम-प्रक्रिया, अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानकारी हेतु गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- 2 निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहंता निश्चित हो।
- 3 इन सम्प्रयोगों में दलीय आधार पर चुनाव प्रतिविधित हो।
- 4 जनप्रतिनिधि एवं सम्प्रयोगों अपनी कार्यरौली पारदर्शी एवं ज्ञानादेय बनाये।
- 5 सम्प्रयोगों के चुनाव में लॉटोरी व्यवस्था समाप्त हो।
- 6 आरक्षण व्यवस्था सीमित एवं विवेक-सम्मत होनी चाहिए।
- 7 पचायती राज सम्प्रयोगों को न्यायिक शक्तियाँ क्षेत्राधिकार के अनुकूल प्रदान की जानी चाहिए।
- 8 जनप्रतिनिधियों के मानदेय में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए।
- 9 एक ग्राम पचायत पर एक ग्राम सचिव नियुक्त हो।
- 10 उप-सरपंच, उपप्रधान, उप-जिला प्रमुख को या तो शक्तियाँ व दायित्व सीमें जाने चाहिए अन्यथा ये पद समाप्त कर दिये जाने चाहिए।
- 11 पचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन की अनुपयोगी एवं छर्चोंली व्यवस्था समाप्त कर पूर्व व्यवस्था लागू कर दी जानी चाहिए।
- 12 भ्रष्ट व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के निर्वाचन पर कड़े प्रतिवन्ध लागू किये जाने चाहिए।
- 13 पचायती राज सम्प्रयोगों द्वारा मानवाधिकारों को सुरक्षा व उनकी सीमा वा निर्धारण किया जाना चाहिए।
- 14 जनहित याचिकाओं के उपयुक्त निपटारे के लिए समय-सीमा का निर्धारण तथा कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि स्थगन आदेशों को समस्या से निपटा जा सके।

- 15 जनता के सूचना के अधिकार को इन संस्थाओं पर एक निश्चित सीमा एवं मानदण्डों के द्वारे में लागू कर देना चाहिए।
- 16 विकादो के निर्णयों की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए।
- 17 संस्थाओं के कार्यों व भूमिका का समय-समय पर अनिवार्यत मूल्याकान होना चाहिए।
- 18 पचायती राज संस्थाओं के हर स्तर पर जन-सहभागिता में बृद्धि के प्रयास किये जाने चाहिए न कि जनता से कैसे बचा जाए, की नीति से चला जाए।
- 19 योजना विकास व अधिकार कोरी घोषणाएँ व कागजी कार्यवाही मात्र बन कर न रहे उन्हें शीघ्रव्यवहार में अपल मे लाया जाये।
- 20 आरक्षण में भत्ताताओं के जनप्रतिनिधि चुनने के प्राकृतिक अधिकार का हनन होता है। ऐ इच्छित व्यक्ति की अपेक्षा आरोपित व्यक्ति को चुनने पर वाध्य हो जाते हैं अत आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए (एक प्रबुद्ध उत्तरदाता वीर राम)।
- 21 पचायतों को राज्य सरकार द्वारा लागाये जाने वाले करों से सीधा हिस्सा मिलना चाहिए।
- 22 खेती का राजस्व पचायतों को दिया जाना चाहिए।
- 23 सरपञ्च के चुनाव परिणाम पचायत समिति मुख्यालय पर व्योमित होने चाहिए।
- 24 स्थानीय कर्मचारियों को अपने पचायत समिति क्षेत्र से बाहर नियुक्त किया जाना चाहिए।
- 25 क्षेत्र में विकास जनित संस्थाओं के नियंत्रण को भी व्यवस्था होनी चाहिए।
- 26 सामान्य निर्याचन क्षेत्र से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ना प्रतिविधित हो।
- 27 चुनावों में फर्जी भत्तान एवं अपराधिक प्रवृत्ति वाले जनप्रतिनिधियों पर रोक सजाने के व्यावहारिक उपाय किये जाने चाहिए।
- 28 जनप्रतिनिधियों को पद एवं जिम्मेदारी के अनुरूप क्षेत्र मे मासिक भ्रमण अनिवार्य होना चाहिए तथा उनसे क्षेत्र भ्रमण का अवलोकन होना चाहिए ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेयता कायम हो सके।
- 29 पचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर आदेशों की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए।
- 30 दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों की व्यावहारिक रूप मे क्रियान्वित नियंत्रित की जानी चाहिए।
- 31 पचायती राज संस्थाओं को व्यावहारिक रूप मे प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।
- 32 युप सचिवों को भी एक या दो सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- 33 पचायती राज संस्थाओं की बैठकों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक रूप से होनी चाहिए।
- 34 पचायती राज संस्थाओं में रिकार्ड का रख-रखाव अच्छी तरह होना चाहिए।
- 35 साला सट्ठ और हॉटरी (ल-प्रय) की समस्या से पचायती राज संस्थाएँ मुक्त की जानी चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझाव

पचायती राज व्यवस्था प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण विकास, कल्याण एवं निर्णयन व सत्ता में जन-भागीदारी सहकार माध्यम है। देश का अधिकाश जन व भूभाग पचायती राज व्यवस्था के दायरे में आता है। अतः पचायती राज व्यवस्था का विकास भारत का विकास है तथा पचायती राज व्यवस्था का सुदृढीकरण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का एवं राष्ट्र का सुदृढीकरण है। 21वीं सदी की अपनी चुनौतियाँ एवं समस्याएँ शोधापेक्षित हैं। भावी शोध के दृष्टिकोण से निम्नलिखित भुवे सम्भावित अपरिहार्य शोधापेक्षित हैं—

- 1 पचायती राज .विभाग एवं विकास की चुनौतियाँ।
 - 2 पचायती राज एवं मानवाधिकार सुरक्षा।
 - 3 73वे संविधान सशोधन के परिप्रेक्ष्य में पचायती राज संस्थाओं की स्थिति : दशा-दिशा एवं औचित्य।
 - 4 नवीन पचायती राज सशोधित तत्त्व में कार्यिक प्रशासन प्रकृति-स्थिति-भूमिका एवं यथार्थ जनता एवं जनप्रतिनिधियों के विशेष सम्बन्ध में।
 - 5 पूर्ववर्ती एवं नवीन पचायती राज व्यवस्था में पचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन।
 - 6 पचायती राज पदाधिकारियों की स्थिति-शक्ति एवं भूमिका का पुरातन एवं नवीन पचायती राज व्यवस्था के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन।
 - 7 पचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों वे प्रशिक्षण की व्यवस्था : समस्या समाधान—विकल्प।
 - 8 73वे संविधान सशोधन प्रदत्त तत्त्व से सरकारी नियन्त्रण एवं स्वायत्तता की स्थिति।
 - 9 पचायती राज संस्थाओं में आरक्षण एवं जनसहभागिता—नवीन पचायती राज सशोधित प्रावधानों के सन्दर्भ में।
 - 10 जनप्रतिनिधि निर्वाचन योग्यताओं के सन्दर्भ में नवीन एवं पूर्ववर्ती पचायती राज प्रारूपों का तुलनात्मक अध्ययन।
 - 11 पचायती राज संस्थाओं में योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में जनसहभागिता।
 - 12 पचायती राज संस्थाओं में प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की स्थिति।
 - 13 पचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन व्यवस्था, प्रक्रियाओं एवं नियमों का पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूपों में तुलनात्मक अध्ययन।
 - 14 ग्राम पचायती में भृष्टाचार : समस्या समाधान-सुझाव, (जनता, जनप्रतिनिधि व प्रशासन की भूमिका के विशेष सन्दर्भ में)।
 - 15 पचायती राज संस्थाओं में कार्यालय प्रबन्धन।
 - 16 पचायती राज संस्था प्रशासन में मनोबल एवं शिष्टाचार।
- उपर्युक्त यन्दुओं पर पचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में भावी शोध-शोधार्थी एवं पचायती राज व्यवस्था दोनों के उपयोग एवं हितार्थ उपयुक्त हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 अल्टेकर, ए एस , प्राचीन भारतीय शासन पढ़ति देहली, मोतीलाल बनारसी दास, 1949
- 2 अग्रबाल एस एन , गांधियन कॉन्स्ट्रक्टयूशन फॉर फ्री इण्डिया इलाहाबाद, किताबिस्तान, 1946
- 3 अजनि कुमार जमदानी, जयप्रकाश नारायण, लोक स्वराज्य प्रिन्टवेल पब्लिशर्स जयपुर, 1987
- 4 अम्यर, एस पी , एड श्रीनिवासन आर , स्टैडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी, न्यू देहली, एलाइंड पब्लिशर्स, 1965
- 5 अय्यर, एम के मुनी स्वामी, स्टेटरी ग्राम पञ्चायत (विलेज लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट) इन ब्रिटिश इण्डिया कलकत्ता एम पी गांधी, 1929
- 6 अवस्थी, ए , रुलर लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट (डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एड लॉकल बोर्ड्स) इन मध्य प्रदेश पी एच डी थिसिस लखनऊ यूनिवर्सिटी, 1954
- 7 अवस्थी, ए.पी , रुलर लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इन मध्यप्रदेश अडर द जनरल स्क्रीम पी एच डी थिसिस, सागर यूनिवर्सिटी, 1961
- 8 अब्दुल अजीज, द रुल पुआर प्राव्लम्स एड प्रोस्ट्रैक्टस, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, न्यू देहली, 1983
- 9 ऐडल्फर, हेराल्ड एफ , लॉकल गवर्नमेन्ट इन डबलपिंग कन्सिस, न्यूयोर्क मेकग्राहिल क , 1964
- 10 अरोडा, रमेश कुमार, एव पी सी माधुर, (सम्पादित) डबलपमेन्ट पॉलिसी एड एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, न्यू देहली, एसेशन्येटेड पब्लिशिंग हाऊस, 1986
- 11 ग्राइस, मार्डन डेमोक्रेसीसस, न्यूयोर्क, मेकमिलन, वाल्यूम प्रथम 1921
- 12 बाफना आर के एव पारस जैन, राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद अधिनियम, 1959, बाफना पब्लिशर्स, जयपुर 1987
- 13 बाबेल, बसतीलाल, राजस्थान पचायतीराज अधिनियम, 1994, बाफना पब्लिकेशन
- 14 भटनागर, एस , पचायतीराज इन कॉन्गडा डिस्ट्रिक्ट, न्यू देहली, ऑरियन्ट लॉगमेन्ट, 1974
- 15 भार्गव, जी एस , पचायतीराज सिस्टम एड पॉलिटिकल पार्टीस, न्यू देहली, आशिर पब्लिशिंग हाऊस, 1979

- 16 भोगले, एस के, लॉकल गवर्नमेन्ट एड इंडियनिस्ट्रीज़ेशन इन इंडिया, परिमल प्रकाशन, औरंगाबाद, 1977
- 17 बारन बास, ए पी, ब्रिगिंग डेमोक्रेसी टू द विलेज, कलकत्ता, बाईंसमसीए, पब्लिशिंग हाऊस, 1955
- 18 भट्ट, के शकर नारायण पचायतीराज इन मैसूरु पी एच डी थिसिस, बोन्वे यूनिवर्सिटी, 1966
- 19 भाट्टाचार्य, मोहित, रुतर सेल्क गेवर्नमेन्ट इन मैट्रोपॉलिटन, कलकत्ता, बोन्वे एशिया पब्लिशिंग हाऊस, 1965
- 20 वर्ध, जे सो चार्ल्स, गवर्नमेन्ट इंडियनिस्ट्रीज़ेशन, उद्घृत पी डी शर्ना, लोकप्रशासन सिद्धान्त एव व्यवहार, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 1991
- 21 चतुर्वेदी, जी डी, मध्य प्रदेश की शिवपुरी मण्डल के पचायतीराज एक विश्लेषन, पीएच डी, थिसिस, जीवाजी यूनिवर्सिटी, 1976
- 22 चेत सिह, ए. क्रिटोकल स्टैंडो ऑफ रुतर सेल्क गवर्नमेन्ट इन बरेली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, 1984 टू द प्रजेन्ट डे विद स्पेशल रेफरेन्स टू पचायतीराज, बोएच डी थिसिस, आगरा यूनिवर्सिटी, 1964
- 23 चरण सिह, इंडियाज़ फावटी एड सोल्यूशन, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली,
- 24 दाढेकर, बो एम., डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाईज़ेशन, अहमदाबाद, हेराल्ड लास्को इन्सिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1968
- 25 दयालराजेश्वर, पचायतीराज इन इंडिया, देहली मैट्रोपोलेटन, 1970
- 26 दूभाषी, पी आर, इंडियनिस्ट्रीज़िव रिफार्म्स, बो आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, दिल्ली, 1986
- 27 दूबे, एस.सो ; इंडिया चैंबिंग विलेज, रस्टेल्ज एड केगनपाड़ल, लन्दन, 1996
- 28 देसाई, बसन्त, पचायतीराज फॉवर टू द पियूल (बोन्वे हिमातय), 1990
- 29 दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1971
- 30 डाईसीस, लॉ एड ऑफिनीटन इन इंग्लैण्ड, उद्घृत पी डी शर्ना, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, कॉलेज बुक डिपो, 1969
- 31 दोक्षित, प्रेम कुमारी, राजायण में राज्य व्यवस्था, अर्चना प्रकाशन, लखनऊ, 1971
- 32 दोक्षित, प्रेम कुमारी, महाभारत में राज्य व्यवस्था, अर्चना प्रकाशन, लखनऊ, 1970
- 33 गांधी, महात्मा, ग्राम स्वराज्य नवजावन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1963
- 34 गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रुतर डबलपर्मेट रिन्यूविंग लॉकर सेल्क गवर्नमेन्ट इन इंडिया, न्यू देहली, 1994
- 35 घोपाल, यू.एन. स्टैंडो इन इंडियन, हिस्ट्री एंड कल्चर, कलकत्ता, 1957
- 36 गजेन्द्र, गडकर पी बी लॉ लिवटी एड सोशन जस्टीस, देहली, 1972

37. गायकवाड, वी आर पचायतीराज एड ब्यूटोक्सी, हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूनिटी डबलपमेन्ट, 1969
38. गोयल, वी के, थोटस ऑफ गाँधी, नेहरु एड टैगोर, सो वी एस पब्लिशर्स दिल्ली, 1984
39. गुजरात पचायत एड हैल्थ डिपार्टमेन्ट पचायतीराज इन गुजरात अहमदाबाद, 1965 (अध्यक्ष जादव जी भाई के मोटी)
40. हेसी, लाई फोरवर्ड दू हयू टॉकर्स काउडेशन ऑफ लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इन इंडिया, पाकिस्तान एड चर्मा, उद्धत XII वी माहेश्वरी द्वारा स्टैज इन पचायतीराज, देहली ब्रेट्रोपोलेटिन, 1963, प 4
41. हरपाल सिह, पचायतीराज इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट, पीएच डी थिसिस आगरा यूनिवर्सिटी, 1970
42. हूजा, राकेश, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्ट्रुक्युलेशन इन रुल डबल्पमेन्ट रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 1987
43. हल्दी पुर, आर एन एड आर के परम हस (सम्पा) लॉकल गवर्नमेन्ट इन रुल इंडिया, हैदराबाद, इन आई सी डी, 1970
44. हरमन, फाईनर, व्होरिज एड प्रैविटज ऑफ मार्डन गवर्नमेन्ट योग्ये, एशिया, 1966
45. ईमानदार, एन आर, फगशनिंग ऑफ विलेज पचायत, घोन्ने, शापुलर प्रकाशन 1970
46. जेकाब, जोर्ज (सम्पा), रिडिगस इन पचायतीराज, हैदराबाद एन आई सी डी, 1967
47. जगन्नाथम्, आर., इबोल्यूशन ऑफ कम्प्यूनिटी डबलपमेन्ट प्रोग्राम इन न्यू देहली मिनिस्ट्री ऑफ कम्प्यूनिटी डबलपमेन्ट इन कॉपरेशन गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, 1963
48. जैन, आर.बी, पचायतीराज वॉल्यूम फ्रेम आई आई पी ए, नई दिल्ली, 1981
49. जार्ज, ऐथ्यू (एडी, पचायतीराज इन कर्नाटका ट्रू डे, न्यू देहली कॉन्सेप्ट्स 1985
50. जैन, एस पी, एड थोमस डब्ल्यू हावॉच सैन, इमरजिंग ट्रैण्डस इन पचायतीराज (रुल लॉकल सेल्फ गवर्नमेन्ट) इन इंडिया, नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ रुल डबलपमेन्ट, हैदराबाद, 1995
51. झा चेतकर, इंडियन लॉकर सेल्फ गवर्नमेन्ट पटना नॉवल्टी, 1955
52. जायसवाल, के पी, हिन्दू प्रालेटी, बैंगलोर प्रिंटिंग एव पब्लिशिंग कम्पनी, 1978
53. डिलवर, मैत्स, पचायतीराज ऑफ इंडिया डिबेड इन ए डबलपिण कन्ट्री (स्टॉकहोम), स्वीडिश, इटनेशनल डबलपमेन्ट अथोरिटी 1977
54. खना, आर एल, पचायतीराज इन इंडिया, ए कम्पोरिटिव स्टैडी चाहोगढ़, इगतिश युक शॉप 1956

- 55 कबीर, हूमायू, विज्ञान जनतत्र और इस्लाम एवं अन्य निबध्य, अनुवादक रघुराज गुप्त, अमिताभ प्रकाशन, सख्तनगर, 1946
- 56 भैड़क, हैनरी, पचायतीराज, ए स्टैंडो ऑफ रूल लॉकल गवर्नमेंट इन इण्डिया, लन्दन, सौंग मेन्स ग्रोन, 1970
- 57 भूलचन्दनी, एन एम, कॉन्सिट्यूशन ऑफ इडिया, ए दौलत पब्लिकेशन्स, नागपुर, 1994, मालवीया एच डी विलेज पचायत इन इडिया, न्यू देहली, ऑल इडिया काग्रेस कमेटी, 1956
- 58 माहेश्वरी, एस आर, भारत मे स्थानीय रासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1990
- 59 माधुर, एम बी, इकबाल नारायण (एडी), पचायतीराज स्लानिंग एड डेमोक्रेसी, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, 1969
- 60 एम वेकटरगईया एड पटाखीराम (सम्पा), लॉकल गवर्नमेंट इन इडिया, सलेक्टेड रिडिंग्स, बोम्बे एलाईट पब्लिशर्स, 1970
- 61 माधुर, पी जी, पार्लिटिकल डाईनामिक्स ऑफ पचायतीराज, देहली, कौनाक पब्लिशर्स, प्रा लि, 1991
- 62 मुख्जी, राधा कुमुद लॉकल गवर्नमेंट इन इडिया, ऑक्सफोर्ड इन, 1920
- 63 एम ए, मुतालिब एड मोहम्मद करम अली खान, व्हैरो ऑफ लॉकल गवर्नमेंट, स्टरलिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1983
- 64 माहेश्वरी, बी, स्टैंडो इन पचायतीराज, ए मट्रोपोलेटियन, देहली, 1963
- 65 मिश्रा, एन एल, रिसोर्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, अमर ज्योति पब्लिकेशन्स, मगत मार्ग, जयपुर, 1989
- 66 माधुर, एम बी, इकबालनारायण एड बी एम सिन्हा, पचायतीराज इन राजस्थान, ए स्टैंडो इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, न्यू देहली, इन्पैक्स इडी, 1966
- 67 मथाई, जोन, विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इडिया, लन्दन, डी फिशर उनविन, 1915
- 68 मिश्रा, रूप नारायण, विलेज गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, पीएच डी थिसिस, आगरा यूनिवर्सिटी, 1958
- 69 नरवाली, जी एस, राजस्थान पचायतीराज मेनूअल, डोमिनियन लॉ डिपो, जयपुर 1997
- 70 निगम, एस आर, लॉकल गवर्नमेंट, एस चैंद एड कम्पनी, नई दिल्ली, 1987
- 71 निगम, मदन लाल, मध्यप्रदेश मे पचायतीराज और उसको कार्यविधिया, पीएच डी थिसिस, विक्रम यूनिवर्सिटी, 1968
- 72 नारायण, जयप्रकाश स्वराज्य फॉर द पायूपिल, बाराणसी, अखिल भारत, सर्व सेवा सम्प 1961

- 73 नारायण जयप्रकाश, कम्यूनीटेरियन सोसाइटी एड पचायतीराज (एडीट), द्वारा ब्रह्मानन्द धाराणसो, नवघेतना, 1970
- 74 नारायण, जयप्रकाश, ए स्टी फॉर रिकल्टेक्सन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, काशी सर्वसेवा संघ प्रकाशन, 1959
- 75 पाण्डे, जयनगरायण, भारत का सविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 1997
- 76 पूर्वा, विजयलक्ष्मी, पचायत्स इन उत्तर प्रदेश, (सखनऊ, यूनिवर्सिटी बुक डिपो 1959)
- 77 रूपकी चमु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेट एड घौर्ति, स्टरलिंग पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1996
- 78 राम मनोहर लोहियास, विल हू पॉवर एड अदर रईटिंग्स, हैदराबाद, नव हिन्द पब्लिकेशन, 1956
- 79 राम, पाण्डे, ए हिस्टोरिकल डेस्क्रिप्शन, (उद्धत) पचायतीराज समादित लेख राम पाण्डे जयपुर, पब्लिशिंग हाऊस जयपुर 1989
- 80 ऋग्वेद,
- 81 राम शास्त्री, आर कौटिल्याज अर्थशास्त्र, प्रिन्टर्स प्रेस, मैसूर, 1956
- 82 राव थी पी नरसिंह, एजूकेशन एक्सर्वॉनशन विल हेत्प स्ट्रैन्थन पचायतीराज (सम्पादित), देवेन्द्र ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट प्लेनिंग एड पचायतीराज, 1991
- 83 रोटि, चैर्च, रुल डबलपर्मेट पुस्टिंग द फस्ट ऑरियन्ट लागमेस, 1983
- 84 रघवीर, सहाय, पचायतीराज इन इंडिया, ए स्टैडी, इलाहाबाद किताब महल, 1968
- 85 राम रेहडी जो (एडीटैड), पैटर्न्स ऑफ पचायतीराज इन इंडिया, देहली, मैकमिलन, 1977
- 86 रैत्यांत्फ, राल्फ एच, विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया ए केस स्टैडी, बोम्बे, एशिया, पब्लिशिंग हाऊस, 1962
- 87 राय, नोश चन्द्र, रुल सेल्फ गवर्नमेंट इन बागल, कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, 1936
- 88 शुभोटर, जॉसफ ए, कैपिटलिज्म, सोशियलिज्म एड डेमोक्रेसी, उद्धत, रघुकुल तिलक, सोकरतप्र स्वरूप एवं समस्याए, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, सखनऊ, 1972
- 89 शर्मा, पी डी, सोक्रेप्रसासन सिद्धान्त और व्यवहार, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1969
- 90 शर्मा, एम पी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन घौर्ति एड प्रक्रिट्स, किताब महल प्रकाश, इलाहाबाद, 1990
- 91 सुरेश, राम, तूरंग थात्रा सर्व सेवा संघ प्रकाशन, धाराणसो, 1966

- 92 शरण परमात्मा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मोनाखो प्रकाशन, मेरठ,
- 93 शर्मा, घनश्याम दत्त, मध्यकालीन भारतीय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, राजस्थान हिन्दी प्रन्त्य अकादमी, जयपुर, 1992
- 94 शरण परमात्मा, प्रोविशियल गवर्नमेंट ऑफ दो मुगल्स, मोनाखो प्रकाशन, मेरठ,
- 95 शर्मा, रवोन्द्र, ग्रामीण स्थानोंय प्रशासन, प्रिन्ट वेल पब्लिशियर्स, जयपुर, 1995
- 96 शर्मा, कृष्ण दत्त एवं श्रीमती सुनिता दाधीच, राजस्थान पचायतीराज अधिनियम, एवन एजेन्सिज, 1992
- 97 शर्मा, रवोन्द्र, विलेज पचायतीराज इन राजस्थान, आतेख पब्लिशियर्स, जयपुर, 1974
- 98 शर्मा, एस्.के. पचायतीराज इन इंडिया, ए स्टैडी ऑफ रिफॉर्म्स एट सेन्टर एड स्टेट लेवल सिन्स इन्डिपेण्डेन्स, त्रिमूर्ति पब्लिकेशन, न्यू देहली, 1976
- 99 शर्मा, आर.डी., डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया प्रोबल्म्स एड प्रोसेस्टेट्स, दीप एड दीप पब्लिकेशन, देहली, 1990
- 100 सामान्त, एस.बी., विलेज सेल्फ गवर्नमेंट इन बोम्बे स्टेट, पीएच डी थिसिस, बोम्बे यूनिवर्सिटी, 1957
- 101 शर्मा, प्रभुदत्त, डेसोक्रेटिक डिसेट्रलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इंडिया, पीएच डी, थिसिस, यूनिवर्सिटी ऑफ, मिन्ससोटा, 1967
- 102 शर्मा, सुदेश कुमार, पचायतीराज इन इंडिया, ए स्टैडी ऑफ रिफॉर्म्स एट सेन्टर एड स्टेट लेवल सिन्स इन्डिपेण्डेन्स, न्यू देहली, त्रिमूर्ति पब्लिकेशन, 1976
- 103 शर्मा, विद्यासागर, पचायतीराज, इलाहाबाद हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, 1956
- 104 शुक्ला, एल.पी., हिन्दू ऑफ विलेज पचायत इन इंडिया, नासिक, चन्द्रविका शुक्ला, 1970
- 105 तिवारी, गगादत्त, रुरल सेल्फ गवर्नमेंट इन कूमाऊ हिल्स, पी.एच.डी. थिसिस, आगरा यूनिवर्सिटी 1962
- 106 त्रिपाठी, श्रीधर, विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया, पी.एच.डी. थिसिस, कोल्किया यूनिवर्सिटी, 1957
- 107 यूनाइटेड नेशन्स टेक्नीकल असिस्टेशन प्रोग्राम, डिसेट्रलाइजेशन फॉर नेशनल एड लोकल डेवलपमेंट, न्यूयार्क, 1962
- 108 वर्मा, राधवेन्द्र कुमार, विलेज पचायत इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एड राजस्थान, पी.एच.डी. थिसिस, विक्रम यूनिवर्सिटी, 1967
- 109 व्हाईट एड डी, इन्ट्रोक्शन टू द स्टैडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरोशिया पब्लिशिंग हाउस, लि., दिल्ली, 1982